सप्तम माला, खण्ड 34, अंक 6, शुक्रवार, 25 फरवरी, 1983/4 फाल्गुन, 1904 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

(खंड 34 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 34, 11वां सत्र, 1983/1904 (शक)

अंक 6, शुक्रवार, 25 फरवरी, 1983/6 फाल्गुन, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—19
* तारांकित प्रश्न संख्या : 82 से 87	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19—213
तारांकित प्रश्न संख्या : 88 से 101	19—28
अतारांकित प्रश्न संख्या : 921 से 927, 929 से 948, 950 से 976, 978 से 1047, 1049 से 1107 और 1109 से 1151	28—213
सभा पटल पर रखे गए पत्र	213—228
लोक लेखा समिति	
123वाँ प्रतिवेदन	228
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	
28वां और 29वां प्रतिवेदन	228
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	
15वां प्रतिवेदन	228
परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में वक्तव्य	230
श्री बी० शंकरा नन्द	230
सभा का कार्य	232
भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 के बारे में प्रस्ताव—अस्वीकृत	238
श्री जी० एम० बनातवाला	238
श्री राम विलास पासवान	244
श्री सूरजभान	249
श्री नीरेन घोष	259

* किसी नाम पर अंकित चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री जयपाल सिंह कश्यप	260
श्री एस० टी० के० जक्कायन	261
श्री सत्यनारायण जटिया	262
श्री ए० के० राय	263
श्री वी० एन० गाडगिल	264
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	271
53वां प्रतिवेदन	271
विधेयक–पुरः स्थापित—	271
(1) निःशुल्क विधिक सहायता विधेयक	271
प्रो० मधु दण्डवते	271
(2) कार्मिक संघों को मान्यता विधेयक	272
प्रो० मधु दण्डवते	272
(3) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1983	
(धारा 2 आदि का संशोधन)	272
श्री के० राममूर्ति	272
(4) फल तथा सब्जी बोर्ड विधेयक	273
श्री पी० राज गोपाल नायडू	273
(5) विवाह व्यय सीमा विधेयक	273
श्री बी० वी० देसाई	273
(6) अनिवार्य जनसंख्या-नियन्त्रण (छोटा परिवार अभिवृद्धि तथा	
अभिप्रेरण) विधेयक	273
श्री बी० वी० देसाई	273
(7) कृषि कर्मकार (पेंशन देना, न्यूनतम मजदूरी नियत करना,	
अनिवार्य बीमा और अन्य सुख सुविधाएँ) विधेयक	274
श्री बी० वी० देसाई	274
(8) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	
(नए अनुच्छेद 10 ख आदि का अन्तः स्थापन)	274
श्री बी० वी० देसाई	274
देवदासी तथा मुरली प्रथा (उन्मूलन) विधेयक	274
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी	274

विषय	पृष्ठ
श्री अमल दत्त	280
श्रीमती कृष्णा साही	283
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	285
श्री गिरधारी लाल व्यास	286
श्री एम० सत्यनारायण राव	288
श्री सत्यनारायण जटिया	289
श्री एस० बी० सिदनाल	292
श्रीमती प्रमिला दण्डवते	295
श्री ए० टी० पाटिल	298
श्री बी० डी० सिंह	302
श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार	304
प्रो० सत्यदेव सिंह	306
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	308
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	308
श्री कुँवर राम	314
सदस्य की रिहाई (श्री राम प्रसाद अहिरवार)	310

लोक सभा

शुक्रवार, 25 फरवरी, 1983/4 फाल्गुन, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को श्री वी० एन० स्वामी जो कि वर्ष 1957-62 में तत्कालीन बम्बई राज्य के चांदा निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर दूसरी लोक सभा के सदस्य थे, के निधन की सूचना देनी है।

श्री स्वामी पेशे से वकील थे और वर्ष 1933-46 के दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग, जिला परिषद (बोर्ड) चांदा के सचिव और बाद में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

श्री स्वामी श्रम कल्याण और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में विशेष रुचि लेते थे।

उनका 78 वर्ष की आयु में एक जनवरी, 1983 को चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) में निधन हुआ।

हमें इस मित्र के निधन पर गहरा शोक है और मुझे उम्मीद है कि सदन भी मेरे साथ संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करेगा।

सभा संवेदना प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़ी होगी।

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बम्बई के कपड़ा उद्योग मजदूरों की हड़ताल

†82. **श्री मोहम्मद इस्माइल :**

श्री माधव राव सिन्धिया : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के कपड़ा उद्योग के मजदूरों की लम्बे समय से चली आ रही हड़ताल के बारे में हड़ताल कर रहे यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ समझौता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) ऐसे कितने मिल हैं जिनमें अभी हड़ताल जारी है ; और

(ग) उद्योग, मजदूरों और देश को निर्यात के माध्यम से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि सहित, अनुमानतः कितना घाटा हुआ ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग के मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार ने हड़ताली कामगारों से अनेक बार अपील की है कि वे इस समझौते के आधार पर काम पर लौट आयें कि उनकी वास्तविक समस्याओं पर विचार किया जाएगा । सरकार के अनुरोध पर, मिल मालिक वसूली योग्य प्रति कामगार 1,500 रु० की अग्रिम राशि तथा 30 रु० प्रति माह अन्तरिम सहायता देने को सहमत हो गये हैं। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के कामगारों की समस्याओं पर विचार करने के लिये बम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति गठित की है ।

2. बम्बई के सभी वस्त्र मिलों पर हड़ताल का कम या अधिक प्रभाव पड़ा है और पड़ रहा है ।

3. बम्बई में वस्त्र कामगारों की हड़ताल के कारण अनुमानित हानि निम्नलिखित प्रकार है :

1. 31-1-83 तक उत्पादन की अनुमानित हानि	: 1083 मिलियन मीटर
2. 31.1.83 तक मजदूरों की अनुमानित हानि	180 करोड़ रु०
3. 31.1.83 तक विदेशी मुद्रा की अनुमानित हानि मोटे तौर पर	: 200 करोड़ रु०

देश को हुई हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अनेक अनुषंगी उद्योगों तथा व्यापार पर भी हड़ताल का प्रभाव पड़ा है।

श्री मोहम्मद इस्माइल : मेरा यह कहना है कि मैंने पहले कंसलटेटिव कमेटी यह सवाल उठाया था । फिर मैंने यहां 22 तारीख को लेबर मिनिस्ट्री से यह सवाल किया था । 22 तारीख को यहां आया था । उसके बाद मुझे चिट्ठी भेजकर यह कह दिया गया कि यह सवल लेबर मिनिस्ट्री से कामर्स मिनिस्ट्री को ट्रांसफर हो गया है और 25 तारीख को इसका जवाब आयेगा ।

आज 25 तारीख को मैंने जो मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट देखा है उसमें वही पुरानी

बातें कही गयी हैं कि हमने एक कमेटी बना दी है और ऐसा किया है। यह वही पुरानी बातें चल रही हैं जो कि पहले चल रही थीं। वर्करों के बारे में गवर्नमेंट ने एक प्रेस्टिज इशु बना लिया है। दुनिया में इतनी लम्बी स्ट्राइक कहीं नहीं हुई है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसको लाइटली क्यों ले रही है? क्यों इसकी जवावदेही लेबर मिनिस्ट्री पर नहीं है? कामर्स मिनिस्ट्री कह रही है कि हमने कमेटी बना दी है। कमेटी ने अब तक क्या किया है? अगर टेक्सटाइल इण्डस्ट्री को मोडर्नाइज करना है तो इसका फैसला पहले आप करो।

अध्यक्ष महोदय : सवाल करिये, साहब।

श्री मोहम्मद इस्माइल : आपने जो कमेटी बनायी है, उसका तमाम सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन्स ने बायकाट किया है। उन्होंने कहा है कि हम कमेटी में नहीं रह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिये।

श्री मोहम्मद इस्माइल : सवाल का जवाब दें तो सवाल करूं। आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने जो टेक्सटाइल मिल के मजदूरों का तमाशा बना रखा है, आप उनकी जिन्दगी के साथ खेल रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिए, लेक्चर मत दीजिए।

मोहम्मद इस्माइल : आपने जो यह कमेटी बनायी है, उसने क्या रिकमण्डेशंस किये हैं? क्या तमाम ट्रेड यूनियंस ने जिनको आपने उसमें नोमिनेट किया था, उसमें काम करने से इन्कार किया है? क्या यह सही बात है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जो पुरानी चीजें थी वहीं सदन के समक्ष रखी गयी हैं, और कोई नया प्रयास नहीं हुआ है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि यह जो कमेटी बनाई गई है उसकी बैठकें शुरू हो गई हैं, और जो उसकी बैठकें हैं 11 नवम्बर, 27 दिसम्बर, और फिर 27 और 28 जनवरी को यह कई बैठकें हुई, जिसमें महत्व की चीज यह है कि बदली वर्कर्स के लिये एक सब कमेटी बना दी गई जो बदली वर्कर्स के बारे में गहराई में जायगी। एक कदम इस बारे में आगे बढ़ा है। यही नहीं जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री दादा पाटिल हुए और कुछ ऐसा मौका रहा कि उसी समय मैं भी आया, उनसे तत्काल सम्पर्क करके इसके बारे में कोई हल निकाला जाय इसके लिये मैं उनसे सम्पर्क में रहा। और आपको जानकारी होगी कि कोई अहं पर, ईगो या प्रेस्टीज पर हम लोग नहीं खड़े रहे। श्री दत्ता सामन्त से दादा पाटिल की बात हुई है, और कल रात मैंने दादा पाटिल से बात की। वह इन्टीरियर में गये हुए थे। वह 27 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं और उस पर आगे कदम उठाया जाएगा। यह निश्चित जानें कुछ भी हो जहां तक श्रमिको और मेहनतकशों का सवाल है हम लोग कभी पीछे नहीं रहेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी 1 साल पीछे रहेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : अभी 13 महीने पीछे रहेंगे।

श्री मोहम्मद इस्माइल : प्रेस्टीज इशू तो बनाया ही हुआ है। वार्किंस क्लास के मामले में

उनसे कन्फ्रन्टेशन की आपने एक नीति बना ली है। 13 महीने स्ट्राइक को हो गये हैं। अगर यह प्रेस्टीज इशू नहीं है तो कैसे इतना लम्बा समय हो गया। यह इसी वजह से है। श्री दत्ता सामन्त जो वहां की स्ट्राइक का लीडर है यह आपका प्रेस्टीज इशू ही है कि चीफ मिनिस्टर मिलते हैं, सब मिलते हैं, मगर एक साथ बैठकर उनकी मीटिंग में नही मिलना चाहते हैं। यह प्रेस्टीज इशू नहीं है तो क्या है ? कब तक यह चलेगा ? प्रोडक्टिव फर्सिज के साथ कनफ्रन्टेशन का नतीजा यह हुआ कि 200 करोड़ रु० फारेनस ऐक्सचेंज का लौस हो गया। यह प्रेस्टीज इशू नहीं है तो और क्या है ? यह नेशनल लौस हुआ कि नहीं ? आप कहते हैं कि सरकार ने इसको प्रेस्टीज इशू कभी नहीं समझता, जबकि एक तरह से प्रेस्टीज इशू का ट्रायल हो रहा है सिर्फ इसलिये कि स्ट्राइक लीडर से बात नहीं करेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि गवर्नमैंट जो स्ट्राइक लीडर्स हैं डायरेक्ट उनकी मीटिंग बुलाकर आप उनसे मिलना चाहते हैं कि नहीं और इसका फैसला हो सके, इसके लिये आप तैयार हैं कि नहीं। अगर प्रेस्टीज इशू नहीं है तो आप इस पर तैयार हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो जवाव आ गया उनका पहले ही। आप बिला वजह टाइम जाया कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, इसके दिल में हमेशा मजदूरों के हित की बात रहती है। यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमने मजदूरों की खातिर ही 115 मिलों का अधिग्रहण किया है। हमारा आज तक यही रवैया रहा है और आगे भी हम मजदूरों का हित करते रहेंगे। इस पर हम बहुत स्पष्ट हैं। जहां तक लोगों से मिलने की बात पर प्रतिष्ठा का प्रश्न है, दत्ता सामंत की बात रहने दें, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो कि इसको सुलझाने में रुचि रखता हो, जिस हड़ताल की वजह से इतने मजदूरों को दुःख सहना पड़ा है, खुले दिल से मिलने और मिल बैठकर बातचीत करने को तैयार हूं। इसके साथ ही मैं उन लोगों से जो इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये हुये बैठे हैं, और त्रिपक्षीय समिति में सम्मिलित नहीं होना चाहते। अनुरोध करूंगा कि वे भी अपना दिल खोलें। हमें बातचीत के रास्ते बन्द नहीं करने चाहिए, क्योंकि लोकतन्त्र का यह एक आवश्यक अंग है।

श्री जार्जफर्नाण्डीस : अध्यक्ष महोदय, मिल-मालिक और मिल-मजदूरों के बीच का जो विवाद है, उस पर सरकार की जो भूमिका है, उसको यहां पर मंत्री महोदय ने स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई समाधान की कोई बात नहीं है। चूंकि 14 वां महीना चल रहा है और हकीकत यह है कि आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाया है, मनमाने ढंग से एलान किया है। वहां मुख्यमंत्री, जो भी रहे, अपने-अपने एलान करते रहे, लेकिस उससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। मंत्री महोदय मिल-मालिक और मजदूरों के बीच में जो विवाद है, उसको एक क्षण के लिए बाजू में रखें और बम्बई में जो नेशनल टैक्सटाइल मिलें हैं, जिनमें 35 हजार मजदूर काम कर रहे हैं, उसके बारे में जो भी आपकी ठोस योजना है, उसको अमल में क्यों नहीं लाते हैं ? दूसरे, क्या यह सही नहीं है कि उन मिलों के मजदूरों ने अपने-अपने स्तर पर कमेटी बनाकर काम पर वापिस गए, तब टैक्सटाइल मिल के मैनेजरों ने मजदूरों को काम पर चढ़ने से रोक दिया ? जो अन्दर लिए गए, उनको बिना किसी नोटिस के डिसमिस कर दिया। इस तरह से सैकड़ों मजदूर काम पर चढ़े हुए रास्ते पर फेंक दिए गए। जब यह मसला, जो आपसे पहले मन्त्री थे, उनके

सामने यूनियनों की ओर से पेश किया गया, तो वह पत्र सीधे मैनेजरों के पास भेजा गया। मैनेजरों ने कहा कि मन्त्री महोदय दिल्ली में चाहें जो करें, लेकिन यहां हम मालिक हैं और हम तुम्हें सबक सिखायेंगे। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इनमें तीनों बातों पर अपनी स्पष्ट भूमिका सदन के सामने रखेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, भूमिका तो शुरु होती है, जब माननीय जार्ज साहब इन्डस्ट्री मिनिस्टर थे···**व्यवधान**···ऐसी जल्दी क्या है। आपको याद होगा···

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो प्रधान मन्त्री की शैली है कि, हर बात में जनता पार्टी का नाम लिया जाये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दंडवते जी मैं आपको नहीं समेट रहा हूं। मैं केवल जार्ज साहब को कह रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारे साथी हैं।···**व्यवधान**···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो समझौता 1979 में मिलओनर्स और आर०एम० एम० एस० है, वह आपके ही मन्त्रित्वकाल में हुआ, जिसके विरुद्ध यह चीज उठाई जा रही है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : क्या चीज हुई थी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो एग्रीमेंट 1979 से 1984 तक हुआ, वह आपके ही काल में हुआ था और मेरे ख्याल में उसपर आपकी ही संस्तुति रही होगी। जहां तक एन० टी० सी० मिल्स का सवाल है और सुझावों के कार्यान्वयन का सवाल है, एन० टी० सी० मिल्स पूरे उद्योग से भिन्न नहीं की जा सकती है। एक ट्रीप्रार्टाइट कमेटी बना दी गई, जिसका चैयरमेन एक जज को बनाया गया, तो कहीं पर ठहराव तो होना चाहिए, कहीं पर हम अपनी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में विश्वास ठहरायेंगे या सबको सदिग्ध देखते रहेंगे। उच्च न्यायालय का व्यक्ति, जो समिति का चेयरमैन है, वह सरकार से परे हैं, तो मेरे ख्याल में सारी टैक्सटाइल मिल्स, वर्कर्स की बदली, वेजेज और हाउस रैंट एलाउन्स, ये सारी चीजें उसी परिप्रेक्ष्य में आती हैं। जहां तक मजदूरों के वापिस आने की बात है या कोई पत्र जाने की बात है, उसको मैं अवश्य देखूंगा। मैं आश्वस्त करता हूं कि यहां पर मजदूरों के हित में जो सरकार फैसला करेगी, और उस फैसले के कार्यान्वयन को व्यक्तिविशेष के हित को न देखते हुए, मजदूरों के हित में करेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप देख लेंगे।

श्री नीरेन्न घोष : पिछले 14 माह से हड़ताल जारी है। हड़ताल पिछले वर्ष शुरु हुई थी, जबकि इसे उत्पादकता वर्ष घोषित किया गया था। सरकार ने यह रुख अपनाया कि मजदूरों को हर लागत पर सबक सिखाया जायेगा। इसलिए, भारत सरकार की नीति पर यह सबसे बड़ा धब्बा है। क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, जो कि तथाकथित मान्यता प्राप्त संघ है ने का मजदूरों बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों का विश्वास खो दिया है आप उस संघ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप मजदूरों को सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए आप झगड़े को

सुलझाने के लिए वार्ता नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप पिछले 14 माह से इस मामले को लयकाते आ रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्रमिक वर्ग या मजदूरों से मुकाबला करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम केवल इस बात के लिए ही उत्सुक नहीं हैं कि मजदूरों के साथ समझौता किया जाये बल्कि यह भी चाहते हैं कि वे काम पर वापिस आयें, वे इज्जत के साथ आयें और इज्जत से कार्य करें।

जहां तक राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ का प्रश्न है, कानून के अन्तर्गत वैधानिक व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत संघ को मान्यता दी गई है। श्रम न्यायालय ने भी इसे मान्यता दी है। आज स्थिति यह है, हमें देश के कानूनों के अन्तर्गत चलना है। लोकतांत्रिक ढांचे के अन्दर इस प्रकार की कुछ बातें होती हैं और मैं समझता हूं कि इस परिवेश में काम करते हुए···

श्री समर मुखर्जी : मजदूर उनको मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन आप उनको मान्यता देते हैं। क्या यही लोकतन्त्र है ? आप लोकतन्त्र की बात करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : यह जन-विरोधी लोकतन्त्र है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अगर हम लोकतन्त्र पर चर्चा शुरु कर दें तो इस पर काफी लम्बी राजनैतिक चर्चा हो सकती है। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस सम्बन्ध में क्यम उपबन्ध हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां यह मौजूदा नियम हैं···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : श्री मुखर्जी, इस प्रकार का व्यवधान न करें।

श्री समर मुखर्जी : यह एकाधिकारियों का लोकतन्त्र है।

श्री सुनील मैत्रा : क्या आप एक अल्पमत संघ को मान्यता देते हैं ? क्या यही नियम है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्रीमन्, मैं अपनी बात कहने के लिए आपकी सुरक्षा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, आपको प्रदान की जायेगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कानून की प्रस्तकों में चाहे कुछ भी लिखा हो। जब श्रमिक-वर्ग के भले की बात होती है तो हमें उनके भले के लिए कोमा, पूर्ण विराम, डैश का कोष्ठक आदि हमें रोक नहीं सकेंगी। इसका मैं माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाना चाहता हूं।

श्री सुनील मैत्रा : जनोत्तेजनक कार्यवाही में न पड़ें। पिछले 14 माह से आप··· (**व्यवधान**)

श्री के० राममूर्ति : बम्बई हड़ताल को जारी हुये 14 माह हो गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस हड़ताल को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। डा० दत्ता सामन्त

ने मांगें रखी थीं। उस समय विपक्षी मजदूर संघ कभी भी इन मांगों के बारे में सहमत नहीं थे। (व्यवधान)

समझौता होने तक, इस मांग को डा० दत्ता सामन्त ने रखा था। (व्यवधान)

ज्यादा मागें होने से, किसी तरह मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। समझौता होने तक, सरकार ने त्रिपक्षीय समिति का गठन किया, जो कि बैठक करके समस्याओं को हल करेगी जो लोग अब इन मागों की वकालत कर रहे हैं और बैठक के लिए कह रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : आपको इन बातों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री के० राममूर्ति : मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं जवाब क्यों दूंगा ? इसके बावजूद मजदूर संघों ने त्रिपक्षीय वार्ता में भाग नहीं लिया। अब वे आपसी बातचीत और समझौते की बात कर रहे हैं। इसके अलावा समझौता होने तक, इस सरकार ने मजदूरों को अग्रिम धन देने की घोषणा की है। वह भी स्वीकार नहीं की···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री के० राममूर्ति : अब मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि अब 60% मजदूर कार्य कर वापस आ गये हैं और सही ढंग से सुरक्षा प्रदान की जाय तो 100% मजदूर काम पर आ जायेंगे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वे इस प्रश्न को सीधे ही रख सकते थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन्, प्रश्नों का उत्तर सुस्पष्ट होना चाहिए। अभी माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के पहले भाग में कहा है कि उनके इस मन्त्रालय में आने और दादा पाटिल के महाराष्ट्र के मुख्य-मन्त्री बनने के बाद दोनों इस हड़ताल को समाप्त कराने के लिए डा० दत्ता सामन्त समेत किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार हैं। बाद में, उन्होंने कहा कि वे कानून यानि बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, से बन्धे हुये हैं जो कि सिर्फ राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ को ही मान्यता प्राप्त संघ मानता है, इसलिये वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते।

अब जबकि हड़ताल जारी है, त्रिपक्षीय समिति की बैठकें हो रही हैं, जिसमें कि बड़े संघों ने भाग लेने से इन्कार कर दिया है। मैं उनसे स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा करता हूं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अब जबकि वे समझौता करना चाहते हैं उनको हड़ताली नेताओं से वार्ता करने से मनाही नहीं करना चाहिए और उनको यह नहीं कहते रहना चाहिए कि वी० आई० आर० अधिनियम इस प्रक्रिया में बाधक नहीं होना चहिए ? इस बात को स्पष्ट कहना चाहिए। मजदूर भी इस बारे में जानना चाहेंगे।

आखिर में, वाणिज्य मन्त्री की हैसियत से मैं उनसे इतना पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस हड़ताल की वजह से 10,830 लाख मीटर कपड़े का नुकसान

हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि उनका इस तर्क के लिए क्या स्पष्टीकरण है कि उत्पादन में आई इतनी भारी कमी के बावजूद, ऊपरी तौर पर बाजार में कपड़े की कोई कमी नहीं है ? क्या यह उनकी राय है, क्योंकि 14 माह से सबसे बड़े कपड़ा उत्पादन वाले केन्द्र में हड़ताल हैं और इससे इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता कि इस कपड़े को, जिस मूल्य पर इसे बेचा जाता है उस पर कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आम खरीददार की इतने ऊंचे दाम पर कपड़ा खरीदने की सामर्थ्य नहीं है ? इसलिए इसकी कोई कमी नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्रीमन्, असंदिग्ध प्रश्नों का उत्तर भी वही होना चाहिए। मैं माननीय सदस्य का धन्यवादी हूं कि उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त रूप से प्रश्न पूछा।

जहां तक कानून से बन्धे होने का प्रश्न है, जब तक यह कानून हैं, हमें इन्हें मानना होगा। हम ही लोग इसके बनाने वाले हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, अगर जन-हित की मांग हो तो वे बाधक नहीं बनेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 14 माह की हड़ताल के बाद, जनहित भी कोई अपेक्षा रखता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक त्रिपक्षीय समिति की बैठकों और अन्य प्रयासों का सम्बन्ध है, जब समस्या मानवीय आयामों की हो, तो यह उचित रहेगा कि हम इस समस्या को सुलझाने के लिए सारे रास्ते खोले दें। समिति और बातचीत में कोई विरोध नहीं है। वहां पर मुख्यमन्त्री हैं जो कि राज्य की देखभाल के लिए हैं, उनसे बातचीत करेंगे।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि कपड़े का उत्पादन न होने के बावजूद मूल्य स्थिर है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि मांग में मन्दी आई है और इसी वजह से इसके दामों में वृद्धि नहीं हुई हैं, न कि इसके ऊंचें दामों की वजह से।

चांदी की वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध

83. **श्री राजनाथ सोनकर** :

श्री निहाल सिंह : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग पचास हजार स्वर्णकार तथा कारीगर चांदी के आभूषणों तथा चांदी की अन्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध के कारण बेकार बैठे हैं ;

(ख) क्या देश को इस प्रतिबन्ध के कारण प्रतिवर्ष लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ेगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार चांदी की वस्तुओं के निर्यात पर से यह प्रतिबन्ध कब तक हटाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) चांदी के अंश वाली

निर्मित वस्तुओं तथा उत्पादकों के सम्बन्ध में निर्यात नीति 4-6-81 से काफी उदार है ताकि चांदी के आभूषणों और चांदी की अन्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी जा सके ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह सोचा था कि नया मन्त्री मंडल बना है और इस नये मन्त्री मंडल के बनाने के बाद जवाब बड़ी गंभीरता के साथ नये ढंग से किया जाएगा लेकिन इन्होंने वही पुरानी परिपाटी दोहराई है । हमारा प्रश्न जो है, उसका जवाब बिल्कुल नहीं आ रहा है । आप कृपया इसको देखें । हमारा प्रश्न स्पष्ट रूप से यह है कि देश में लगभग पचास हजार स्वर्णकार तथा कारीगर चांदी के आभूषणों तथा चांदी की अन्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध के कारण बेकार हैं और यहां इसका उत्तर न देकर, यह कहा गया है कि निर्यात नीति 4-6-81 से काफी उदार बना दी है ।

मैं नीति नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या चांदी का धंधा करने वाले 50 हजार कारीगर इस समय बेकार हैं ? जितना मैंने पूछा है, उसी के अनुसार आप···

अध्यक्ष महोदय : आप अन्दाजा क्यों नहीं लगा सकते ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं क्या अन्दाज लगाऊं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मतलब यह कि बेकार हुए है लोग ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सर, यहां पर बुलियन मार्किट है । श्रीकृष्ण गोयल उसके सेक्रेटरी हैं । उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा था कि चार सौ करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष चांदी का निर्यात न होने से विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है । मैं समझता हूं कि उसी रेफरेंस में उन्होंने एक और कोटेशन दिया है कि 31 सौ रुपये प्रति किलो चांदी यहां बिकती है और 56 सौ रुपये बाहर बिकती है, इसलिये चांदी के निर्यात को जारी रखा जाए । उन्होंने एक आवेदन-पत्र दिया था और मैं समझता हूं कि उसी आवेदन-पत्रके अनुसार आपने 1980-81 से चांदी के निर्यात की नीति को उदार बनाया है । मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा आपने जो नीति उदार बनायी है, उस उदार नीति के अनुसार कितनी चांदी विदेशों को भेजी जा चुकी है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जहां तक इस इण्डस्ट्री में 50 हजार लोगों के अनएम्प्लाएमेंट का सवाल है, उसके सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यह एक हाइली डिसेन्ट्रेलाइज्ड इण्डस्ट्री है, इसलिए उसकी फिगर्स हमारे पास नहीं हैं । इसलिए माननीय सदस्य को मेरे ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए । (**व्यवधान**)

सर 79-80 में करीब-करीब चार लाख परसंश आल इण्डिया हैन्डीक्राफ्ट्स बोर्ड के अनुसार इस क्षेत्र में एम्प्लाएड थे । इन फिगर्स में आर्टिजस, डायमण्ड और गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं ।

जहां तक माननीय सदस्य ने चांदी के निर्यात की बात कही है, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि चांदी के निर्यात पर स्ट्रिक्टली बेन है । अगर चांदी की ज्वेलरी से उनेक प्रश्न का मतलब हो

तो उस सिलसिले में मैं कहना चाहती हूं कि 1978-79 के मुकाबले में सिल्वर ज्वैलरी का एक्सपोर्ट घटा नहीं है। जहां 1978-79 में यह एक्सपोर्ट 81 लाख का था, वहां 1979-80 में 113 लाख, 1980-81 में 140 लाख, 1981-82 में 168 लाख और 1982-83 वर्ष में अप्रैल से जनवरी तक 142 लाख रुपये का हुआ। मैं समझती हूं कि अब माननीय सदस्य मेरे उत्तर से सन्तुष्ट हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यहां के नवभारत टाइम्स और पंजाब केसरी दोनों अखबारों में एक हफ्ते का विवरण निकला हुआ है। इसमें लिखा है कि आजादी के बाद 35 वर्षों में पहली बार साढ़े तीन करोड़ रुपये की चांदी की चार सौ सिल्लियां जो कि विदेश भेजी जा रही थीं, अभी-अभी पकड़ी गयीं और 72 सिल्लियां जो लगभग एक करोड़ रुपये की थीं, जो कि अभी-अभी विदेश भेजी जा रही थीं, अहमदाबाद में पकड़ी गयीं। 19 से लेकर 23 तारीख तक के नवभारत टाइम्स और पंजाब केसरी अखबारों में यह रिपोर्ट छपी है।

इसके साथ ही साथ यह सूचना मिली है कि करीब एक करोड़ रुपये की चांदी प्रतिदिन तस्करी से पाकिस्तान भेजी जा रही है। और दूसरे स्थानों पर भेजी जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका में जहां चादी का सबसे ऊंचामार्केट है, यहां से चौगुना और पांच गुना मूल्य पर वहां चांदी बिक रही है, वहां पर भी तस्करी हो रही है। मैं आपसे पुछना चाहता हूं कि आपने अमृतसर, जोधपुर और अहमदाबाद आदि स्थानों से जो तस्करी हो रही है, उस भारी तस्करी को रोकने के लिए आपने क्या उपाय किये हैं? इसके अलावा अब तक जो दो तस्करियां हैं, जिनकी सूचना मिली है, इनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

एक बात और जानना चाहता हूं कि प्रायः चांदी गरीबों के यहां से आती है। अधिकतर शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स और गरीब किसानों की औरतें पहनती हैं। उनके यहां से चांदी आकर मार्केट में बिक रही है। हमको सूचना मिली है कि दिल्ली में एक करोड़ रुपए की चांदी प्रतिदिन बिक रही है। तो क्या आप चांदी के निर्यात पर और इस प्रकार की बिक्री पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि चांदी विदेशों में न जाए और तस्कर लोग पकड़े जाएं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि चांदी के निर्यात बंद है। जहां तक माननीय सदस्य की रिपोर्ट्स का सवाल है - यह मामला मेरे सामने पहले नहीं आया। उस पर ध्यान दिया जायेगा मैं इतना ही कह सकती हूं परन्तु तस्करी मेरा विषय नहीं है महोदय,

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : तस्करी श्री प्रणव मुखर्जी का विषय है।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): यह मेरा विषय है।

श्री निहालसिंह : चांदी की वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण दोहरा नुक्सान है। एक तो चांदी के आभूषण बनाने वाले कारीगर बेकार हो रहे हैं। उनकी रोजी-रोटी का सवाल है, भूखों मर रहे हैं। दूसरा नुक्सान यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत ज्यादा है। जब किसी चीज की कीमत बाहर ज्यादा होती है तो उसकी तस्करी शुरू हो जाती है। गतवर्ष का अनुमान है कि एक हजार टन चांदी का निर्यात तस्करी द्वारा हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उन कारीगरों

की की भलाई के लिए और तस्करी रोकने के लिए इस प्रतिबंध को हटाने पर विचार करेंगे ?

श्री मतीरामवुलारी सिन्हा: मैंने अपने उत्तर में कहा है कि चांदीके अभूषणों का निर्यात अभी भी किया जा रहा है और इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चांदी के आभूषणों के निर्यात के लिए यह आवश्यक था कि आभूषणों के निर्यात के बदले एक महीने अन्दर चांदी या चांदी की अन्य वस्तुओं का आयत किया जाये परन्तु जून 1981 में इसे बन्द कर दिया गया।

अवैध निर्यातों के सम्बन्ध में मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है।

पटसन के सामान के निर्यात में गिरावट

84. †**श्री बी०डी०सिंह** :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के सामान के निर्यात में 1982 के दौरान भारी गिरावट आई है,

(ख) यदि हां, तो पटसन के सामान के निर्यात में 1982 में मात्रा और विदेशी मुद्रा में मूल्य के सन्दर्भ में किस सीमा तक गिरावट आई है ;

(ग) पटसन के सामान के निर्यात में गिरावट के लिए कौन-कौन सी मुख्य बातें उत्तरदायी हैं ; और

(घ) सरकार ने इसका निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा पूर्तिवि भाग के मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कैलेन्डर वर्ष 1980 में जूट माल के हुए 367.28 करोड़ रु० मूल्य के 463.7 हजार मे०टन के निर्यात गिरकर 1982 में तत्सम्बन्धी अवधि में 338.6 हजार मे० टन मूल्य 200 करोड़ रु० के हुए। कैलेन्डर वर्ष 1981 के दौरान निर्यात 451.6 हजार मे० टन मूल्य 278.29 करोड़ रु० का हुआ।

2. भारतीय जूट माल की विदेशी मांग विकसित देशों में लम्बे समय तक चली मंदी तथा साथ ही उच्चतर बन्धक ब्याज दरों तथा माल की ऊंची लागत के कारण कम हुई है। इसके अलावा विकसित देशों में स्थानीय तौर पर उत्पादित संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों को प्रोत्साहन देकर पैकेजिंग सामग्री में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी है। संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के अलावा, प्रमुख जूट उत्पादक देशों विशेषत: बंगला देश द्वारा, जो निर्यातों में अपना अंश भारत को हानि पहुंचा कर बढ़ाता रहा है, व्यापक तौर पर कीमत पर भी बिक्री की जाती है।

3. जूट माल के निर्यात के संवर्धन के लिये सरकार ने विभिन्न उपाय किये हैं जिनमें से निम्नलिखित का उल्लेख किया जाता है :

(क) जूट उत्पादों की लगभग सभी निर्यातयोग्य मदों पर नकद मुआवजा सहायता का जारी रखा जाना ;

(ख) हानि लाभ भागीदारी आधार पर जूट मिलों के सार्थसंप के जरिये निर्यात प्रयासों में राज्य व्यापार निगम का अधिकाधिक सहयोग;

(ग) लागत कमी के उद्देश्य से अनुसंधान तथा विकास प्रयासों को गहन करके उत्पाद श्रृंखला का विविधीकरण;

(घ) जूट क्षेत्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी कार्यवाही के लिये संयुक्त निर्यात विषणन नीति पर और साथ ही एक अन्तर्राष्ट्रीय जूट करार के लिये बंगलादेश के साथ पारस्पकि सहमति करने के लिए किये गये प्रयास ।

4. उपरोक्त के अलावा, जूट विनिमिता विकास परिषद विदेशी उपभोक्ताओं के बीच जूट उत्पादों पर ध्यान दिलाने के लिये विभिन्न विदेशी व्यापार मेलों में भाग ले रही है और साथ ही कुछ चुनिन्दा देशों में स्थलीय बाजार अध्ययन करने के लिये बाजार अभिमुंख प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित कर रही है । जूट उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र के समान्य संवर्धन कार्यक्रम का भी संवर्थन किया जा रहा है ।

श्री जी०डी० सिंह : अध्यक्ष जी, हमारे देश के पूर्वी हिस्से का बहुत महत्वपूर्ण उद्योग जूट उद्योग है और इसमें लगभग ढाई लाख गरीब लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में लगे हुए हैं । तीस लाख परिवार जूट के कल्टीवेशन में लगे हुए हैं । इतना महत्वपूर्ण उद्योग आज संकटपूर्ण स्थिति में चल रहा है इसको देखकर बहुत तकलीफ होती है । 10-12 करोड़ रुपये की हानि आज इस उद्योग में प्रतिमाह हो रही है । स्टेटमेंट के अनुसार चूंकि यह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है इसलिए इसको हम देख रहे हैं । कि पिछले तीन साल से लगातार एक्सपोर्ट वैल्यू कम होती चली जा रही है ।

1980 में जहां 367 करोड़ का निर्यात हुआ था, वह 1981 में घटकर 271 करोड़ हो गया और 1982 में 200 करोड़ रह गया । इस सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो निरन्तर एक्सपोर्ट में कमी हो रही है, उसमें क्या यह सच नहीं है कि जो हम वस्तुएं निर्यात कर रहे हैं उन वस्तुओं की क्वालिटी जो होती है, वह वांछित स्तर की नहीं है ।

हमारे जो एक्सपोर्ट के अनुबन्ध होते हैं, उनको हम समय पर पूरा नहीं करते । इसका एक्सपोर्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

आप जो एक्सपोर्ट सबसिडी इन वस्तुओं पर निर्यात करने के लिए दे रहे हैं, क्या सरकार ऐसा विचार कर रही है कि उस एक्सपोर्ट सबसिडी को और बढ़ाया जाए ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि हमारे निर्यात किस्म अथवा, संविदा की शर्तें समय पर पूरा न होने की वजह से गिर रहे हैं । यह एक सामान्य समस्या है । केवल जूट के मामले में ही ऐसा नहीं है । परन्तु यह समस्या अन्य विभिन्न वस्तुओं

को भी प्रभावित कर रही है। जूट के साथ विशेष रूप से समस्या यह है। विश्व अर्थव्यवस्था में एक मन्दी की स्थिति है जिसका प्रभाव जूट के साथ-साथ अन्य सभी वस्तुओं पर पड़ रहा है। फिर जूट के लिए संश्लेषित एक विकल्प बन गया। पैकिंग के लिए जूट ही मुख्य वस्तु थी, परन्तु अब संश्लिष्ट पदार्थों को प्रयोग में लाया जा रहा है और जूट को विस्थापित किया जा रहा है। उसके अलावा हमें बंगला देश द्वारा मूल्य में कमी तथा प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। अतः मन्दी की प्रवृत्ति संश्लिष्ट पदार्थों द्वारा इसका स्थान ले लिए जाने तथा बंगला देश से गल्पकार प्रतियोगिता के कारण कठिनाईयां बढ़ गई हैं जहां तक राजसहायता तथा सी० सी० एस० का सम्बन्ध है, वे काफी उदार हैं और काफी विचार के बाद निर्धारित की गई हैं। फिलहाल इसको बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

श्री बी० डी० सिंह : अध्यक्ष जी, जूट एवम जूट वस्तुओं पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौते की बात चल रही है। उस समझौते के सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि भारत की स्थिति क्या है और यह समझौता कब से लागू होने वाला है? दूसरा प्रश्न यह है कि बंगलादेश के साथ एक ज्वायंट एक्सपोर्ट मार्किटिंग स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं, यह जो वार्ता चल रही है किस स्तर पर है और कब तक फाईनल होने की आशा है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहाँ तक जूट के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का सम्बन्ध है, समझौते के पाठ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 50 सदस्य देशों के सम्मेलन में जो 20 सितम्बर से 1 अक्टुबर तक जिनेवा में हुआ था, मतैक्य हुआ था। किन्तु समझौते में यह प्रस्ताव किया गया है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय जूट संगटन की स्थापना की जाये जिसका मुख्यालय ढाका में होगा। तथा अनुसंधान, विकास बाजार संवर्द्धन, लागत में कमी आदि की व्यवस्था करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय जूट परिषद बनायी जाये। यह प्रस्ताव 1 जुलाई 1983 को लागू होगा यदि उस तारीख तक तीन सरकारें जो कम से कम कुल विश्व निर्यात का 85 प्रतिशत निर्यात करती है तथा 20 सरकारे जो विश्व आयातों का 65 प्रतिशत आयात करती हैं, इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार ने अभी तक इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

जहां तक बंगला देश के साथ समन्वय सम्बन्धी दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इ० एस० सी० ए० पी० सरकार के तत्वाधान में विचार विमर्श किया गया है। पांचवां सत्र कलकत्ता में हुआ था जिसमें संयुक्त निर्यात विपणन नीति के परिचालन तथा परिवहन और नौवहन के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियम बनाने का निर्णय लिया गया था। इस विचार-विमर्श में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र के व्यापक बाजार संवर्द्धन कार्य क्रम को जारी रखने की भी सिफारिश की गयी। परामर्श में तकनीकी प्रबन्ध को मजबूत बनाने के लिए एक 'एस केप-यूनिडी परियोजना को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया और उस समूची बात को चर्चा के अन्तर्गत लिया गया था परन्तु अभी इसको एक ठोस तथा स्पष्ट आकार दिया जाना बाकी है और वार्ता जारी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेशकुमार सिंह···श्री भीकू राम जैन।

श्री भीकूराम जैन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसका कारण

यह बताया है कि जूट जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट अर्निन्ग है उसकी बाहर भेजने की वैल्यू कम हुई है, बाहर के मुल्कों ने सिन्थेटिक चीज इन्वेन्ट कर ली है और वह लाक्ली डेवलप कर रहे हैं सेल्फ सफिशियेंसी इस चीज में और दूसरे ऐक्यूट कम्पटीशन बताया है। तीसरी बात यह बतायी है :

मुख्य जूट उत्पादक देशों द्वारा विशेष रूप से बंगला देश द्वारा काफी कम मूल्य पर बिक्री की जा रही है। मैं समझता हूं कि शायद कन्ट्राडिक्टरी है। असल में कारण यह है कि बंगलादेश से हमारा कम्पटीशन चल रहा है इस वजह से माल कम जा रहा है क्योंकि बंगला-देश कम्पीट करके कम कौस्ट पर माल बेच रहा है जैसा लिखा गया है। तो उस विषय में सरकार ने क्या कदम उठाया है ताकि बंगला देश के कम्पटीशन को हम कम्पीट कर सकें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम किसी एक खण्ड से किसी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकते मैं नही समझता कि इस बात पर अधिक असहमति है। हम इस बिषय पर बंगला देश की सरकार से बातचीत कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि 1980-82 के बीच की अवधि में समाजवादी देशों के साथ हमारे निर्यात व्यापार विशेष रूप से सोवियत संघ के साथ हमारा जूट व्यापार बढ़ा है अथवा नहीं और यदि बढ़ा है तो किस हद तक।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं तुरन्त आपको दिसावर नहीं बतला सकूंगा। रूस हमारे माल का बहुत ही महत्वपूर्ण केता है। और इस सम्बन्ध में जहां तक रूस को किए जाने वाले निर्यातों का सम्बन्ध है 1979 में इसकी मात्रा 130,000 मीटरी टन थी। 1980-81 में यह बढ़कर 171,000 मीटरी टन और 1981-82 में यह 135,००० मीटरी टन हो गयी। अतः मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि निर्यातों में आम तौर पर वृद्धि हुई है और होती रहेगी।

सूती कपड़े और मिश्रित कपड़े के उत्पादन में कमी

*85. श्री †सुशील भट्टाचार्य

श्री डी०पी० जदेजा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि सूती कपड़ा उद्योग के संगठित क्षेत्र द्वारा सूती और मिश्रित कपड़े का उत्पादन 1982 में इतना कम हो गया जितना कि वह 10 वर्षों पहले होता था और कपड़े का उत्पादन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अब सर्वाधिक कम हुआ ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और 1983-84 में कपड़ा उद्योग में कम से कम सामान्य उत्पादन फिर चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग के मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : 1982 में सूती वस्त्र उद्योग के संगठित क्षेत्र द्वारा सूती तथा मिश्रित कपड़े के उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई है जिसका मुख्य कारण है बम्बई के वस्त्र कामगारों द्वारा हड़ताल। कामगारों

की उपस्थिति बढ़ने से बम्बई में उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि होने के कारण 1983-84 में सामान्य उत्पादन संभव हो जाना चाहिए ।

श्री सुशील भट्टाचार्य : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या कपड़े तथा धागे के उत्पादन में कमी होने से बम्बई मिलों के भारी एकत्र भण्डारों में कमी हुई है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं समझता हूं कि इसका उत्तर मिल मालिकों को देना चाहिए ।

श्री सुशील मैत्रा : यह क्या है, महोदय क्या सरकार लेखा जोखा नहीं रखती ? यदि आप यह मानते हैं कि बाजार में वस्त्र सामिग्री पर्याप्त मात्रा में है तो इसका अर्थ यह है कि मन्दी है । इसका उत्तर मिल मालिकों द्वारा क्यों दिया जाना चाहिए ? यह केन्द्र सरकार का कर्तव्य है ।

श्री सुशील भट्टाचार्य : महोदय, माननीय मंत्री को ठीक ढंग से प्रश्न का उत्तर देना चाहिए मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या कपड़ा मिल मालिकों की ओर से ऐसा कोई दबाव है कि हड़ताल को समाप्त न किया जाय ताकि वे अपने एकत्र भण्डारों को जो कपड़ा उद्योग में मंदी की वजह से जमा हो गए हैं निकाल सकें ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी नहीं ।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : माननीय मन्त्री के उत्तर से यह स्पस्ट है कि गत वर्ष एक हजार मिलियन कपड़े का उत्पादन न होने के बावजूद भी न बाजार में कपड़े की कोई कमी है और न निर्यातों के लिए कोई कमी है । अब मिलें पुनः चालू की जा रहीं हैं तो क्या सरकार का अनुमान है कि पूरा उत्पादन होने से देश में कपड़े का अधिक्य हो जायेगा । यदि ऐसा है और यदि मांग में कमी है तो सरकार देश में मांग तथा कपड़े के उत्पादन पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या कदम उटाने जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं महोदय, हम यह नहीं समझते कि कोई अधिक्य होगा क्योंकि निर्यात बढ़ जायेंगे । जहां तक भंडार एकत्र हो जाने का सम्बन्ध है, यह आम अर्थव्यवस्था के ऊपर उठने का प्रश्न है, और इस सम्बन्ध में हम आशा करते हैं कि आम अर्थव्यवस्था ऊपर उठेगी । मैं नहीं समझता कि कोई अधिक समस्या होगी ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि बम्बई में टैक्सटाइल मिल में जो वर्कर्स वापिस जाना चाहते हैं, मिल-ओनर्स चाहते हैं कि वह आर० एम० एम० एस० से नोट लेकर दें और दूसरे बाजू से डिपार्टमेंट बन्द करके वर्कर्स को वापिस नही ले रहे हैं, इसलिए मिल शुरू नहीं हो रही है, इसके बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस जानकारी को नोट कर लिया गया है । हम इस पर ध्यान देंगे ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जाना

*86. †**श्री भीखाभाई :**

डा० ए० यू० आजमी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की कितनी किस्ते देय हैं और वे कब से देय हैं ; और

(ख) उन्हें ये किस्तें न दिए जाने के क्या कारण हैं और इनके कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की दो किस्तें क्रमश: 1.9.1982 और 1.12.1982 से विचार करने योग्य हो गई हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक किस्त की अदायगी किए जाने से सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 70 करोड़ रुपये खर्च करने होते हैं । इसलिए मंहगाई भत्ते की एक किश्त की अदायगी के प्रश्न पर सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और आर्थिक स्थिति पर उसके प्रभाव के महत्व को देखते हुए ध्यानपूर्वक विचार किया जाना होता है । सरकार इन दो किस्तों की अदायगी को स्वीकृत देने की ओर ध्यान दे रही है । परन्तु इस संबंध में निर्णय लेने के लिए किसी समय सीमा का संकेत देना संभव नहीं है ।

श्री भीखा भाई : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन लोगों को मंहगाई भत्ते की किस्त देने जा रही है । जिनको आपने अब तक केवल 10/50 रु० ही दिये हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पहली दूसरी तथा तीसरी किस्त का भुगतान कर दिया है जिसे रोक दिया गया था ? क्या मैं जान सकता हूंकि केन्द्र सरकार की मंहगाई भत्ते की किस्तें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी उसी दर पर देय हैं जो कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गयी है । विशेष रूप से ख, ग तथा घ श्रेणी से सन्बन्धित कर्मचारियों के लिए जो कि बढ़ते हुए मूल्यों से बहुत अधिक प्रभावित हैं और उसका पूरा निस्प्रभावन नहीं हो पा रहा है ? क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि मंहगाई भत्ते के कितने प्रतिशत का निष्प्रभावन किया गया है ?

श्री पट्टाभि रामाराव : मंहगाई भत्ते के प्रश्न पर फैसला किया जा चुका है और यह वेतन आयोग की सिफारिशों में सुधार किया गया है । उसके अनुसार अब तक सरकार 1856 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है जो कि 1973 से अब तक दी गयी मंहगाई भत्ते की 32 किस्तों की कीमत है । इस समय केवल दो किस्तें देय हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तीसरी अब देय हो गयी है ।

श्री पट्टाभि रामाराव : मैं माननीय सदस्य श्री भीखा भाई के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं । अत: केवल दो किस्तों का भुगतान देय है ।

श्री भीखाभाई : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है क्या मंहगाई भत्ते के सूत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योमिक कर्मचारियों पर भी जो कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों जैसे ही हैं, लागू किया जा रहा है। मेरा तीसरा मुद्दा यह है । मंहगाई भत्ते के निष्प्रभावन के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री पट्टाभि रामाराव : इसका सार्वजनिक क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है । यह केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होता है । यह सार्वजनिक क्षेत्र के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए ।

श्री अटलबिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मंहगाई भत्ते की दो किस्तें सरकार के अनुसार कर्मचारियों को मिलनी चाहिए । इससे एक बात साफ है कि मंहगाई बढ़ रही है, भले ही सरकार दावा करे कि मंहगाई को उसने रोक लिया है । मेरा निवेदन है कि मंहगाई भत्ते की तीन किस्तें बकाया हो गई हैं । सरकार का कहना है कि एक-एक किस्त के लिए 70 करोड़ देने पड़ेंगे इसलिए वह तय नहीं कर पा रही है कि कब और किस रूप में दे । मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार का इरादा कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते से वंचित रखने का है ? क्या मंत्री महोदय कोई तारीख बतायेंगे जिस तारीख तक कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किस्तें अदा कर दी जायेंगी ?

दूसरी बात यह है कि 1981 की सेन्सस फीगर्स के अनुसार कई शहरों में हाऊस रेन्ट एलाउन्स और सिटी कंम्पेसेटरी एलाउन्स बढ़ाने की जरूरत है — क्या इस संबंध में भी सरकार ने विचार किया है ? यह सरकार तब चेतेगी जब केन्द्रीय कर्मचारी बड़े पैमाने पर आन्दोलन करेंगे ।

वित्त मंत्री (श्री प्रणाव मुखर्जी) : महंगाई भत्ते के प्रश्न के सम्बन्ध में, मेरे सहयोगी पहले ही बता चुके हैं कि दो किश्तें देय हैं और मेरे लिए अभी यह कहना संभव नहीं है कि इसकी मैं घोषणा किस तारीख को कर पाऊंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्यों नहीं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जिस तिथि से यह देय हो गया है उस तिथि से ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। भले ही मैं इसकी घोषणा आज करूं उन्हें वह 1 सितंबर से और 1 दिसम्बर से ही मिलेगी । इस तरह से उन्हें कोई घाटा नहीं होगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप यह कब देने जा रहे हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं अभी वह तिथि बताने की स्थिति में नहीं हूं । 1981 की जनगणना के अनुसार, नगरों को उन्नत करने के संबंध में, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य भूल गए हैं कि हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं कि नगरों के उन्नयन कार्यान्वयन 1 अगस्त 1982 से प्रभावी माना जायेगा क्योंकि हम अन्तिम आंकड़ों का इंतिजार कर रहे थे और संसद के पिछले सत्र में

मैंने घोषणा की थी कि अंतिम आंकड़े जो भी होंगे उन्हें 1 अगस्त, 1982 से प्रभावी माना जाएगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, जब सरकार अपने ही कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। तो वह देश के प्रति क्या जिम्मेदारी निभायेगी ? यह सरकार के अपने कर्मचारियों का मामला है और देय राशि 140 करोड़ रुपये है। सरकार बचन देने की स्थिति में नहीं है। अपना प्रश्न रखने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि आज सरकारी कर्मचारी की मजदूरी उसे 1960 में दी जाने मजदूरी से भी कम है। विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं है। यह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का दुर्भाग्य है। लेकिन इस सरकार के साथ ऐसा हुआ है। अत: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप जे०सी०एम०, से बातचीत करने, उन्हें विश्वास में लेने तथा इस-बारे में पक्का वायदा करने के लिए तैयार हैं या नहीं कि आप अपने दिवालिए पन के लिए क्या करने जा रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : वास्तविक मजदूरी की काट' संकल्पना तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने सुझाव बजट सत्र के लिए रहने दें, जो कि शीघ्र ही शुरू होने वाला है। मैं उन पर अभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने नहीं जा रहा। हम वायदे से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसकी घोषणा की जायेगी और जिस तिथि से ये किस्तें देय हैं उसी से दी जायेंगीं। मैं पहले श्री बाजपेयी द्वारा उठाए गए प्रश्न को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1981 की जनगणना के अनुसार नगरों का वर्गीकरण करने के सम्बन्ध में फरवरी, 1983 के पहले सप्ताह में आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

श्री सुनील मैत्रा : क्या माननीय मंत्री यह स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि आप यह घोषणा कब करेंगे तथा वह यह आश्वाशन भी दें कि मंहगाई भत्ते की किस्त का भुगतान नकद में किया जायेगा न कि किसी अन्य रूप में।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप आश्वासन देने पर क्यों जोर दे रहे हैं ? मैंने आपको बताया है कि कर्मचारियों को इसकी अदायगी देय तिथि से की जायेगी। मैं यह नहीं बता सकता कि इस निर्णय की घोषणा कब की जायेगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, उनके केवल दो वर्ष और है और तब हमारी सरकार आयेगी और इनका हमारा वायदा हो जायेगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं खुशी से यह वायदा आप पर छोड़ दूंगा।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में छोटे विभाग का उत्पादन

*88. **श्री हन्नान मोल्लाह** :क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दूस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड डेढ़ साल में स्वदेश में छोटे विमान का उत्पादन कर सकता है;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी कम्पनियां इण्डियन एयरलाइन्स को छोटे विमानों की सप्लाई का ठेका लेने का प्रयास कर रही है;

(ग) क्या सरकार स्वदेशी उत्पादन की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) संभवतः माननीय सदस्य हल्के परिवहन विमान के विकास की संभावना के बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड क्रमिक लाइसेंस निर्माण द्वारा छोटे विमान का उत्पादन डेढ़ वर्ष में ही शुरू कर सकता है परन्तु ऐसे विमान के डिजाइन और विकास में 5-7 वर्ष लगेंगे।

(ख) से (ङ) : हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में सिविल तथा रक्षा संगठनों के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस के अन्तर्गत एक हल्के परिवहन विमान का निर्माण करने के प्रस्ताव का इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है इस संबंध में सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के बाद अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मंत्री महोदय का कहना है कि ऐसे हल्के विमान के डिजाइन और विकास में 5-7 वर्ष लगेंगे। लेकिन इस समय तक हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड 2400 विमानों का उत्पादन कर चुका है जिसमें से 1600 विमान वायु सेना के और 800 विमान स्वदेशी डिजाइन को यदि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के पास पहले से ही डिजायन हैं तो यह कैसे कहा गया कि इसमें 5-7 वर्ष और लगेंगे ; एच० ए० एल० के अध्यक्ष के अनुसार, ऐसे विमान 18 महीनों में ही उड़ान भर सकते हैं। आप उन्हें ऐसे विमान बनाने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

श्री समर मुकर्जी : क्या आपको यह जानकारी है कि एच० ए० एल० के अध्यक्ष ने क्या कहा है ?

श्री आर० वेंकटरामन : अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पश्चिम बंगाल में एक निर्बाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना

*88. **श्री नीरेन घोष** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में पश्चिम बंगाल में एक निर्बाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार ने देश में और मुक्त व्यापार जोन स्थापित करने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया है ।

पाकिस्तान द्वारा मिराज पांच विमानों का लिया जाना

*89. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखन मूर्ति :**

श्री बी० वी० देशाई : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने एक्सोसेट मिसाइलों से लैस 32 मिराज पांच विमान लिए हैं जिनकी सफलता हाल के फाकलैंड युद्ध में सिद्ध हो चुकी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन विमानों के लेने से पाकिस्तानी नौसेना मजबूत हो गई है ;

(ग) क्या अमरीका से एफ-16 विमानों के लेने से जनवरी,1983 के मध्य तक पाकिस्तान के पास अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने के मामले में चौथी पीढ़ी के उपकरण हो जाएंगे ;

(घ) पाकिस्तान को कितने एफ-16 विमान प्राप्त हुए हैं/प्राप्त हानि की आशा है तथा इन विमानों की कितनी दूरी तक मार करने की क्षमता है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे भारतीय सुरक्षा पर किस हद तक प्रभाव पड़ा है और भारत द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सरकार ने इस आशय की रिपोर्टें देखी हैं ।

(ख) बताया जाता है कि इनमें से कुछ विमान-एक्सोसेंट मिसाइल छोड़ने की क्षमता रखते हैं । यह पोत-भेदी मिसाइल है और इसलिए नौसेना की सहायता के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है ।

(ग) एफ-16 विमान लाने से पाकिस्तान की वायुसेना काफी सुदृढ़ हो जाएगी ।

(घ) प्रेस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को छः एफ-16 विमान मिल चुके हैं और 34 और विमान मिलने की आशा है । ये विमान कितनी दूरी तक मार कर सकते हैं यह उनके उड़ान मिशन के उद्देश्य के अनुसार अलग-अलग होता है ।

(ङ) हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर सरकार नजर रखती है और पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समुचित उपाय करती है । अधिक ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा ।

मध्य प्रदेश में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के आदेश जारी करने में विलम्ब

†.90. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के महालेखा कार ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से (एक)

1975 में सेवा निवृत हुए कर्मचारियों (दो) 1975 से पूर्व निवृत्त हुए कर्मचारियों को जिनकी पेंशन के मामले 1975 के पश्चात् निपटाए गए थे राहत देने के आदेशों को अभी तक रोका हुआ है,

(ख) क्या मध्य प्रदेश के महालेखाकार ने उन्हें पेंशन आदेशों में यह सूचित किया था कि इस संबंध में आदेश बाद में जारी किए जायेंगे लेकिन सात वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें सूचित किया जा रहा है कि मामले विचाराधीन हैं तथा उनके निपटारे की प्रतीक्षा की जाये,

(ग) वे कौन से कारण हैं जिनसे सरकार द्वारा मंजूर राशि से पेंशन भोगियों को इतनी लंबी अवधि तक वंचित रखा गया है जबकि कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, और

(घ) महालेखाकार द्वारा इन आदेशों को कब तक जारी कर दिया जाएगा तथा पेंशन-भोगियों को वह राशि कब तक प्राप्त हो जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पद्मनाभिराम राव) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने मई, 1975 में पहली बार राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन में राहत की मंजूरी के लिए आदेश जारी किए थे। ये आदेश मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो एक स्वायत निकाय है, के पेशनभोगियों पर स्वतः लागू नहीं होते थे। इसलिए, महालेखाकार, मध्य प्रदेश ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या बोर्ड के पेंशनभोगियों को राहत का भुगतान किया जाए और उसका पूंजीगत मूल्य बोर्ड से वसूल कर लिया जायें। सरकार को सूचित कर दिया गया था कि उसके विशिष्ट आदेश प्राप्त होने तक बोर्ड के पेंशनभोगियों को कोई राहत नहीं दी जा रही है। बार-बार अनुस्मारक जारी करने के बाद, राज्य सरकार ने बोर्ड से राहत के पूंजीगत मूल्य की वसूली की शर्त के अधीन, बोर्ड के पेंशनभोगियों को पेंशन राहत की मंजूरी के बारे में अप्रैल, 1981 में अपने निर्णय की सूचना दी थी। उसके बाद, पूंजीगत मूल्य की अदायगी पर बोर्ड की सहमति के प्रश्न और इस प्रकार के मूल्य के निर्धारण के तरीके के बारे में राज्य सरकर और बोर्ड के बीच पत्राचार होता रहा। अक्टूबर, 1982 में बोर्ड ने अपने पेंशनभोगियों को राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को स्वीकार्य दरों पर राहत की मंजूरी के बारे में अपने निर्णय की सूचना दी और मई, 1975 में मंजूर की गई राहत की पहली किस्त के लिए पूंजीगत मूल्य की अदायगी भी कर दी। तथापि, पेंशनभोगियों की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से, महालेखाकार मध्य प्रदेश ने, राहत की शेष 14 किस्तों के पूंजीगत मूल्य की वसूली के लिए प्रतीक्षा किए बिना, बोर्ड के पेंशनभोगियों को राहत की सभी 15 किस्तें दे दीं। फरवरी, 1983 को मध्य प्रदेश में खजाना अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गये।

जीवन बीमा निगम निदेशक बोर्ड में रिक्त स्थान

*91. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के निदेशक बोर्ड में चेयरमैन के पद सहित पांच स्थान रिक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये रिक्त स्थान कब से रिक्त पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन रिक्त स्थानों के कारण जीवन बीमा निगम के प्रशासनिक कार्य पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) इन रिक्त स्थानों को कब तक भरा जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जानार्दन पुजारी) : (क) (ख) और (घ) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की (धारा 4) में व्यवस्था की गई है कि निगम के निदेशक बोर्ड में इतने व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे जितने केन्द्रीय सरकार उचित समझेगी लेकिन उनकी संख्या 16 से अधिक नहीं होगी और उनमें से एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस तरह अधिनियम में बोर्ड के सदस्य हो सकने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है लेकिन उसमें न्यूनतम संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है।

(ग) निगम के बोर्ड में सदस्यों की संख्या से निगम के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

लोह अयस्क, अभ्रक और अन्य खनिजों का निर्यात

*92. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोह अयस्क, अभ्रक और अन्य खनिजों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु गैर-पारम्परिक बाजारों का उपयोग करने का कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय द्वारा कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा आरम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) लौह अयस्क अभ्रक अन्य खनिज पदार्थों के निर्यात के लिए बाजारों का विविधीकरण करना भारत सरकार की एक सतत नीति है और इस दिशा में निरन्तर प्रयास किये जाते हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में अल्पाहार, मध्याह्न भोजन, रात्रि भोजन की लागत

93. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा यात्रियों को दिये जाने वाले अल्पाहार, मध्याह्नभोजन एवं रात्रि भोजन की लागत सरकारी एजेंसियों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले भोजन की लागत की तुलना में कितनी न्यूनाधिक है ;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने अपने उड़ानों में यात्रियों को दिये जाने वाले अल्पाहार, मध्याह्न भोजन तथा रात्रि भोजन के मानदण्ड कोटि परिमाण तथा पर्याप्तता के बारे में उच्च स्तर पर समीक्षा की है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या करने का विचार है और ये सुधार कब तक कर दिये

जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) सरकारी क्षेत्रक के अभिकरणों तथा निजी क्षेत्रक के अभिकरणों द्वारा इण्डियन एयरलान्स की उड़ानों पर पूर्ति किये जाने वाले अल्पाहार, मध्याह्नन भोजन एवं रात्रि भोजन की लागत संरचना/कीमतों में तुलनात्मक दृष्टि से मामूली सा ही अन्तर है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दिनांक 1.1.1982 से पहले की व्यंजन-सूची में सुधार किया गया है तथा भोजन की मात्रा को 445 ग्राम से बढ़ाकर 505 ग्राम कर दिया गया है । व्यंजन-सूचियों की लगातार समीक्षा की जाती है तथा उपभोक्ताओं के सुझावों पर समय-समय पर विचार किया जाता है;व्यंजन-सूचियों की फिलहाल फिर से समीक्षा की जा रही है जिससे कि उसकी किस्म में वृद्धि करके उनमें सुधार किया जा सके । इसके अतिरिक्त इण्डियन एयरलाइन्स ने दिल्ली तथा बम्बई से होने वाली उड़ानों में क्रमशः दिनांक 15.9.1982 से तथा दिनांक 15.1.1983 से मिष्ठान के स्थान पर आइसक्रीम देना भी आरम्भ कर दिया है । शीघ्र ही इसी प्रकार के प्रबन्ध कलकत्ता तथा मद्रास से होने वाली उड़ानों पर भी किए जाएंगे ।

चीनी का निर्यात

†94 **.श्री के० एम० मधुकर** :

श्री छीतूभाई गामित : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू कैलेंडर वर्ष में 6.5 लाख टन चीनी निर्यात करने पर विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है जहाँ इसका निर्यात किये जाने का विचार है तथा निर्यात किस दर पर किया जाएगा ;

(ग) क्या इस वर्ष निर्यात के लिए उत्पादन फालतू है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार को चालू कलैण्डर वर्ष के लिए निर्यात कोटे के सम्बन्ध में अभी निर्णय करना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) 1982-83 मौसम में चीनी का उत्पादन लगभग 80 लाख मे० टन होने का अनुमान है । आगे ले जाए गए लगभग 33 लाख मे० टन के स्टाक सहित कुल उपलब्धता 113 लाख मे० टन है ।

एशियाड के दौरान विदेशी पर्यटकों के लिए की गई व्यवस्था

95. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली में विदेशी पर्यटकों के आने की आशा थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने पर्यटकों के आने का अनुमान था ;

(ग) अनुमानित संख्या के अनुसार दिल्ली में उनके लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस व्यवस्था पर कितनी धन-राशि खर्च की गई और इस व्यवस्था के उचित उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ग) भारत में एशियाड 82 को देखने के लिए खिलाड़ियों, प्रबन्धकों आदि सहित लगभग 10,000 अतिरिक्त पर्यटकों के भारत आने की आशा थी ; इसके विपरीत लगभग 7000 पर्यटक आये ।

(ग) एस० ओ० सी० द्वारा पर्यटकों के लिए मूलत: 2800 होटल कमरे अनन्तिम रूप से बनाने की परियोजना थी और परिवहन आदि सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रबन्ध भी किए गए थे ।

(घ) खेल संबंधी प्रबन्धों का एक महत्वपूर्ण भाग होटल आवास के निर्माण और अतिरिक्त परिवहन सुविधाएं प्रदान करने से सम्बन्धित था । वास्तव में अतिरिक्त कमरों का निर्माण इस देश में सामान्य रूप से आने वाले पर्यटक यातायात के लिए अपेक्षित था जैसा कि हमारी छठी और सातवीं योजनावधियों में परिकल्पना की गई है । भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिवहन पर 2-60 करोड़ रुपये तक की राशि खर्च की गयी थी जो कि उपयुक्त और पुराने वाहनों को बदलने के लिए आवश्यक थी । मौजूदा बेड़े में संवर्धन और प्रतिस्थापन पर उपरोक्त राशि खर्च करते समय अक्तूबर, 1983 में कॉमनवैल्थ के राज्याध्यक्षों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया था । खेल गाँव के लिए 150 लाख रुपये मूल्य के रसाई उपस्कर आयात किए गये थे ।

एयर इण्डिया टूरिस्ट चार्टरों के लिये बढ़ा कमीशन

* 6 **श्री अजीत कुमार साह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एयर इण्डिया टूरिस्ट चार्टरों के कमीशन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है जैसा कि एयर इण्डिया के एक भूतपूर्व अधिकारी ने मांग की है जो कि अब एक पर्यटन-आयोजन (टूरस्पोन्सरी) है तथा उसे विशिष्ट अधिकार मिले हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वृद्धि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त सौदे से सरकार का विचार कितना लाभ कमाने का है तथा तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एयर इण्डिया ने 29 अक्तूबर, 1982 से चालू पर्यटक चार्टर के साप्ताहिक परिचालन हेतु मैसर्स अताश एस० ए० जेनेवा को एक विमान लीज पर दिया है। एयर इण्डिया के इन चार्टरों के परिचालन की परिकल्पना 'न लाभ न हानि' आधार पर की गई है। इस योजना अन्तर्गत अब तक 14 साप्ताहिक चार्टर भारत में उतारे हैं जिनमें कुल 1961 पर्यटक आए। इन यात्रियों ने भारत में अपने ठहरने और शापिंग आदि पर जो राशि खर्च की उससे देश ने पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

मिजोरम में सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों की कथित हत्या

*97. **श्री ए० के० बालन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम के लुंगलेह जिले में शराब के नशे में धुत सैनिक जवानों द्वारा 15 अगस्त 1982 को सीमा सड़क संगठन के छः कर्मचारियों की अकारण हत्या किए जाने के बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ख) उक्त समूची घटना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामण) : (क) और (ख) मिजोरम के लुंगलेह जिले में सरचिप थेजवाल सड़क के तेरहवें किलो मीटर पर सीमा सड़क संगठन का "पुष्पक" परियोजना के अधीन एक कैम्प है। इस कैम्प पर सीमा सड़क संगठन के 15 नियमित कर्मचारियों के अलावा 150-200 दैनिक मजदूर हैं। सेना पायनियर की एक छोटी टुकड़ी गार्ड ड्यूटी के लिए यहां तैनात है।

2. 15 अगस्त, 1982 स्वाधीनता दिवस होने के कारण छुट्टी का दिन था। कैम्प के सभी कार्मिक यह दिवस मना रहे थे। उन्हें सीमित मात्रा में रम जारी की गई थी। दोपहर तक यह समारोह ठीक-ठाक चला और उसके बाद बिना किसी राग द्वेष के सेना के पायनियर और जी० आर० ई० एफ० के पायनियर के बीच झड़प शुरू हुई जिसमें एक दूसरे को शारीरिक ताकत की चुनौती दी गई। इससे इनमें कहा सुनी हुई और परिणामतः सेना पायनियर द्वारा गोली चला दी गई। गोली चलने से पांच दैनिक मजदूर (न कि छः जैसा कि प्रश्न के भाग "क" में कहा गया है) मर गए और 9 दैनिक मजदूरों, 3 सेना पायनियरों और सीमा सड़क संगठन के एक मिस्त्री को चोटें आईं।

मृत तथा जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाया गया।

इस तनावपूर्ण स्थिति को काबू में लाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की गई और सेना कार्मिकों के हथियार छीनकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मामले की स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई। सीमा सड़क महानिदेशक के आदेश पर एक उच्चस्तरीय जांच अदालत ने इस घटना की जांच की है। इस अदालत के निष्कर्षों के आधार पर सीमा सड़क महानिदेशक के निदेश

पर इस घटना में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने (सेना के चार पायनियरों के खिलाफ गम्भीर अनुशासनिक कार्रवाई, चार अन्य सेना कार्मिकों और सीमा सड़क संगठन के एक कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने और कमान अफसर, सेना पायनियर कम्पनी के खिलाफ प्रशासनिक चूक के लिए कार्रवाई करने) मृत/गम्भीर रूप से घायल कार्मिकों के रिश्तेदारों को मुआवजे की अदायगी करने तथा सीमा सड़क संगठन में तैनात सेना पायनियरों की कमान और नियंत्रण प्रक्रिया की सेना अधिकारियों के साथ परामर्श करके समीक्षा करने की कार्रवाई शुरू की गई। उपर्युक्त व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई संबंधित थलसेना और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए भर्ती और पदोन्नति नीति

*98. **श्री रेणुपद दास** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नित के बारे में कोई नीति अपनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने 1977 के आरम्भ से ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए योग्यताएं निर्धारित कर दी थीं और बैंक इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर भर्ती कर रहे हैं : मौजूदा प्रथा के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा पदोन्नतियां, अपने निदेशक मण्डलों की अनुमति से की जाती हैं।

कटिहार जूट मिल (बिहार) का बन्द होना

*99. **श्री तारिक अनवर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि कटिहार (बिहार) में एक जूट मिल पिछले आठ महीने से बन्द रही जिसके परिणाम-स्वरूप 2,000 से भी अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई है ;

(ख) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि मेरे द्वारा केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्रालय को लिखे गए अनेक पत्रों, नियम 377 के अधीन संसद में रखे गए विवरण और राज्य सरकार को भेजे गए अनेक पत्रों के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) क्या लोक महत्व के इतने महत्वपूर्ण मामले को इस दलील पर अनदेखा किया जा सकता है कि वह राज्य सरकार की समस्या है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। कटिहार जूट मिल 5 जुलाई 1982 से बन्द पड़ी है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्थिति से अवगत है। हाल ही में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिल्ली में विभिन्न वित्तीय संस्थानों की बैठक की गई थी ताकि इस एकक का वित्तीय रूप से समुचित पुनर्निर्माण करने में प्राधिकारियों की सहायता की जा सके। बिहार सरकार के एक प्रतिनिधि ने भी इस बैठक में भाग लिया। चूंकि, श्रमिक समस्याओं, कामगारों की मजूरी का भुगतान न किया जाना है। आदि से सम्बन्धित मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने इस विषय को राज्य सरकार के ध्यान में लाते हुए उन्हें यह सलाह दी है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम जैसे वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर इस एकक के आर्थिक पुनर्वित्त की सम्भावना का पता लगाया जाये जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक परियोजना प्रस्ताव तैयार करेंगे।

पंचतारा होटलों का पूरा न होना

100. **श्री रामलाल राही** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एशियाड" के लिए कुछ पंचतारा होटल निर्धारित समय के भीतर पूर्ण नहीं हो सके थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ये होटल विशेष रूप से खिलाड़ी मेहमानों के लिए बनाये गये थे ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ खिलाड़ियों को इन होटलों का स्तर पसंद नहीं आया और वे बम्बई में ठहरे ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इन पंचतारा होटलों के निर्माण का क्या प्रयोजन था जबकि एशियाड के लिए उनका उपयोग नहीं हो सका और इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) एशियाड के लिए बनाए जाने वाले कुछ होटलों ने एशियाई खेलों से पहले अपनी परियोजनाएं सब भांति पूरी हो जाने की पेशकश की थी जबकि अन्य होटलों ने न्यूनतम सेवा सुविधाओं सहित एक निश्चित संख्या में कमरे प्रदान करना मन्जूर किया था। पर्यटकों के लिए बढ़ती हुई होटल आवास की माँगों की पूर्ति करने के लिए, जिसमें एशियाई खेलों से सम्बन्धित यात्रियों की आवश्यकताएं शामिल हैं, इन होटलों के निर्माण का निर्णय किया गया था।

(घ) कोई खिलाड़ी दिल्ली से बाहर नहीं ठहरे, सिवाय उनके जिन्होंने बम्बई और जयपुर में आयोजित किए गए खेलों में भाग लिया था।

(ङ) इन होटलों के निर्माण का उद्देश्य न केवल एशियाड की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी पर्यटकों के लिए होटल आवास की सामान्यतः बढ़ती हुई मांग को पूरा करना भी था।

कृषि पदार्थों का निर्यात

101. **श्री चतुर्भुज :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1983-84 में कृषि पदार्थों के निर्यात का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्यात किए जाने वाले कृषि पदार्थों का नाम तथा मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) : जी हाँ ।

(ख) निर्यात करने के लिए प्रस्तावित मदें है तम्बाकू, काजू, संसाधित खाद्य पदार्थ, मसाले, तेल रहित निस्सारण, अरन्डी का तेल, चीनी, बासमती चावल, चमड़ा, जौ आदि ।

मूल्य के रूप में लक्ष्य अभी निर्धारित किया जाना है ।

कनिष्क होटल की दूसरी मंजिल में पानी भर जाना

921. **श्री विजय कुमार यादव** : या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 जनवरी 1983 की प्रातः कनिष्क होटल की दूसरी मंजिल में पानी भर गया था ;

(ख) क्या इस मंजिल पर ठहरे हुए, नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के प्रतिनिधियों को अशोक होटल ले जाना पड़ा था ,

(ग) यदि हां, तो पूरा ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की गयी है कि कनिष्क होटल के 22 कमरों में किस तरह पानी भर गया जिससे वातानुकूल संयंत्र आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ;

(ड़) इस से कितनी वित्तीय हानि हुई ;

(च) क्या इस मामले में किस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(छ) यदि हाँ, तो उनका क्या ब्यौरा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) से (ग) : 2 जनवरी 1983 को वर्टीकल सीवर लाईन बन्द हो जाने की वजह से पानी ओवरफ्लो होने के कारण केवल चार कमरों पर असर पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप कालीनों के कुछ भागों में गीलापन आ गया था । कालीनों को तत्काल सुखा दिया गया था और जो नुक्स आए थे उन्हें ठीक कर दिया गया था । अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के किसी भी प्रतिनिधि को कनिष्क से हटाया नहीं गया था । तथापि जो अतिथि बिना आरक्षण कराए आ गए थे उन्हें भारत पर्यटन विकास निगम

के अन्य होटलों में आवास उपलब्ध करा दिया गया था क्योंकि कनिष्क में कोई फालतू कमरा नहीं था।

(घ) से (छ) : उप मुख्य अभियन्ता ने प्रभावित कमरों का निरिक्षण किया और जाँच की जिससे यह पता चला कि जिस चीज से सीवर लाईन बन्द हो गई थी वह अन्जाने में होटल की ऊपरी मन्जिलों से जहाँ सैनेटरी, बिजली और वातानुकूल प्रतिष्ठापनों से संबंधित अन्तरिक साज सज्जा का काम प्रगति पर था इस लाइन में घुस गयीं थी। सैनेटरी कंट्रक्टर को सावधान कर दिया गया था और पाइप के खुले सिरे ठीक प्रकार से सील कर दिए गए थे ताकि दोबारा कोई चीज पाइप लाईन में ना घुस सके।

राज्यों में ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना किया जाना

922 **श्री शांतुभाई पटेल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने ग्रामीण विकास बैंक राज्यवार स्थापित किए गए हैं ;

(ख) उन बैंकों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत मुनाफा अर्जित किया है तथा साथ ही उन बैंकों की संख्या कितनी है जिनको घाटा हुआ है ; और

(ग) इन बैंकों के कृत्य क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवतः माननीय सदस्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उल्लेख कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) दिसम्बर, 1981 के अंत की स्थिति के मुताबिक मौजूद 107 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 62 बैंकों ने लाभ कमाया तथा 44 बैंकों को हानि उठानी पड़ी थी। शेष बचे एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) इन बैंकों की स्थापना मुख्य रूप से देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति और ग्रामीण बचतों में वृद्धि करने के लिए कीगई है।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्य-वार विवरण

राज्य	स्थापित किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	जिलों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1. आंध्र प्रदेश	10	14
2. असम	5	10

1	2	3
3. बिहार	17	27
4. गुजरात	4	5
5. हरियाणा	2	5
6. हिमाचल प्रदेश	1	3
7. जम्मू तथा कश्मीर	3	10
8. कर्नाटक	7	12
9. केरल	2	4
10. मध्य प्रदेश	16	29
11. मणिपुर	1	6
12. महाराष्ट्र	3	8
13. मेघालय	1	3
14. उड़ीसा	9	11
15. राजस्थान	9	19
16. तमिल नाडु	1	2
17. त्रिपुरा	1	3
18. उत्तर प्रदेश	30	36
19. पश्चिम बंगाल	8	15
जोड़	130	222

पश्चिमी समुद्र तट पर चक्रवात की चेतावनी देने वाली स्थायी मशीनें लगाया जाना

923. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी समुद्र तट पर चक्रवात की चेतावनी देने वाली स्थायी मशीनें लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तट पर तूफान चेतावनी यंत्र लगा रखे हैं। मद्रास स्थित क्षेत्रीय तूफान चेतावनी केन्द्र पश्चिमी तट पर दक्षिणी राज्यों अर्थात् केरल और

कर्नाटक को चेतावनी देने का कार्य करता है और बम्बई स्थित इसी प्रकार का केन्द्र पश्चिमी समुद्र तट के शेष राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात तथा गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र के लिए यह कार्य करता है।

2. क्षेत्रीय तूफान चेतावनी केन्द्रों को मौसम संबंधी सूचना तीव्र चैनलो से जुड़ी हुई अनेक वेधशालाओं से प्राप्त होती हैं। ये केन्द्र बम्बई तथा गोवा में लगाए गए 400 किलोमीटर परास वाले तूफान चेतावनी राडारों के माध्यम से अन्वीक्षण कार्य भी करते हैं। आगामी 2-3 वर्षों में, भुज तथा कोचीन में भी राडार लगाने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

3. विभाग नियमित रूप से ध्रुव की परिक्रमा करने वाले मौसम उपग्रहों से बादल प्रिति-बिम्ब प्राप्त करता है जो तूफानों का शीघ्र पता लगाने के लिए उस समय बहुत सहायक होते हैं जब वे समुद्र पर राडार की परिसीमा से भरे होते हैं।

4. दूसरा भारतीय भू-स्थिर उपग्रह (इनसेट-I बी) छोड़ दिये जाने के बाद वर्तमान सुविधाओं में और अधिक सुधार किया जायेगा।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कार्य कर रहे नैमित्तिक मजदूरों के खपाना

924. **श्री अर्जन सेठी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत पर्यटन विकास निगम के सम्राज और कनिष्क जैसे होटलों में लम्बे समय से बहुत से नैमित्तिक मजदूर कार्य कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सम्बद्ध अधिकारियों को यह अनुदेश जारी करने का विचार है कि जैसे ही और जब भी वहाँ उपयुक्त स्थान खाली हों, इन मजदूरों को इनकी योग्यताओं के अनुसार खपा लिया जाए;

(ग) क्या सरकार ने यह जानकारी एकत्रित की है कि अनेक ऐसे योग्यया प्राप्त मजदूरों का जो इन होटलों में छः महीने से भी अधिक समय से कार्य करते रहे हैं उन पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाता जिनके लिए कि वे पात्र हैं और उन स्थानों के लिए साक्षात्कार के समय बाहर से आये उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सम्बद्ध अधिकारियों को यह अनुदेश जारी करने का है कि उन लोगों को पहले मौका दिया जाए और उनके काम को देखकर नियमित रूप से नियुक्त कर लिया जाए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) व्यवसाय की अपेक्षाओं के अनुसार, भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में नैमित्तिक दैनिक मजदूरी आधार पर अस्थायी अवधियों के लिए स्टाफ को काम पर लगाया जाता है।

(ख), (ग) और (घ) : भारत पर्यटन विकास निगम में स्वीकृत और रिक्त पदों पर भर्ती

विज्ञापन द्वारा अथवा रोजगार कार्यालय को अधिसूचना द्वारा की जाती है। ऐसा नैमित्तिक/दैनिक मजदूरी वाला स्टाफ जो निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, ऐसे विज्ञापन/ अधिसूचना के जवाब में आवेदन कर सकता है। उन पर अन्य पात्र अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाता है।

बम्बई में बहुराष्ट्रीय औषध फर्मों पर छापे

925 : **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों पर छापे मारे गए थे (टेलिग्राफ" 4-12-1982) और यदि हां, तो इस प्रकार के छापे मारने के कारणों का पूरा ब्यौरा क्या है और छापों के दौरान किन अनियमितताओं का पता चला और उन पर क्या कार्यवाही की गई/ करने का विचार है; और

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय अथवा विदेशी किन्हीं अन्य औषध कम्पनियों पर इस प्रकार के कोई छापे मारे गये हैं और यदि हाँ, तो उनमें पता लगी अनियमितताओं तथा उन पर की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री पट्टाभि राम राव**) (क) मैं० जॉनसन एण्ड जॉनसन लि० के कार्यालय तथा कारखाना परिसरों की और कम्पनी के कुछ प्रबन्धों के आवसीय परिसरों की 30-11-1982 तथा 1-12-1982 को तलाशियां प्रवर्त्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) द्वारा प्राप्त इस विश्वसनीय सूचना के आधार पर ली गई थीं कि कम्पनी और उसके निदेशक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में व्यापार कर रहे हैं। इन तलाशियों में आयकर विभाग और उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया था। पकड़े गये कागजातों की जांच की जा रही है। कागजातों की जांच और प्रवर्त्तन निदेशालय, आयकर विभाग आदि द्वारा आगे जांच पड़ताल पूरी हो जाने पर कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

(ख) जी, हाँ। प्रवर्त्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) ने औषधियों को निम्नलिखित कम्पनियों पर प्रत्येक के सामने दी गई तारीख को छापे मारे:—

कम्पनी का नाम	तलाशी की तारीख
1- मैं० केमक लेबोरेट्रीज लि०, मद्रास	14-12-1982
2- मैं० होचेस्ट फार्मेस्युटिकल्स लि० और बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में इसके निदेशक	15-12-1982
3- मैं० होचेस्ट डाईस एण्ड केमिकल्स लि० और इसके निदेशक, बम्बई।	15-12-1982
4- मैं० बी० ए० एस० एफ० इंडिया लि० कलकत्ता/ बम्बई और इसके निदेशक	15-12-1982

जांच हड़ताल पूरी हो जाने पर कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाही की जाएगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों तथा केन्द्रीय मजदूर संघों के बीच मजूरी संबंधी वार्ता का असफल होना

926. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के पांच बड़े उपक्रमों के प्रबन्धकों और केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों के बीच महैदूरी के संबंध में हुई बात-चीत असफल रही है, और

(ख) यदि हां, तो समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) : संभवतः, यह प्रश्न बंगलौर स्थित पांच सपक्रमों, अर्थात् - इण्डियन टेलीफोन इंण्डस्ट्रीज लि०, हिन्दुस्तान एयरो-नाटिक्स लि०, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, भारत अर्थमूवर्स लि०, भारत इलेक्ट्रानिक लि० में चल रही मजूरी सम्बत्धी बातचीत से सम्बन्धित है । मजूरी संबंधी बातचीत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, कोल इण्डिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, भारतीय तेल निगम तथा ऐसे अन्य अनेक उपक्रमों में भी चल रही है जिनमें मजदूरी समझौतों का नवीयन अपेक्षित है । इस प्रकार की बात-चीत चल रही है तथा किसी उपक्रम में वातचीत के असफल होने की सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

ऊनी 'टाप्स' का आयात

927. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान कितनी मात्रा में ऊनी 'टाप्स' का आयात किया गया ;

(ख) क्या कच्ची ऊन की बजाय ऊनी 'टाप्स' का आयात करने के कारण देशी ऊन साफ करने वाले उद्योग की प्रगति रुक गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा की बचत करने और देशी ऊन साफ करने वाले उद्योग को बचाने के लिये ऊनी 'टाप्स' का आयात करने के बजाय वस्त्र उद्योग के लिए कच्ची ऊन का आयात करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) बम्बई बंदरगाह से प्राप्त व्यापार विवरण के अनुसार जनवरी-दिसम्बर, 1982 के दौरान 3.06 लाख किग्रा० ऊनी 'टाप्स' का आयात किया गया ।

(ख) इस समय ऊनी 'टाप्स' का आयात हौजरी तथा निटवियर क्षेत्र के निर्यातमों को निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से केवल आर० ई० पी० । अग्रिम लाइसैंसिंग योजना के अन्तर्गत अनुमेय है इससे घरेलु उद्योग में रुकावट आने की कोई संभावना नहीं है ।

(ग) कच्ची ऊन का आयात सभी वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए पहले ही खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमेय है ।

डच विकास सहायता

929 **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डच सरकार ने भारत सरकार से केवल असंगठिय क्षेत्र के लिए ही समस्त डच विकास सहायता नियत करने को कहा था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं । नीदरलैन्ड सरकार की ओर से इस तरह का कोई सुझाव नही मिला है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर कर-युक्त मूल्य प्रणाली लागू करना

930. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर कर-युक्त मूल्य प्रणाली (वी० ए० टी०) लागू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि, हां तो कब तक ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि हर स्तर पर उत्पादन शुल्क और बिक्री कर लगाये जाने से वर्तमान मूल्य वृद्धि होती है ; और

(ङ.) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि रोकने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ङ) तक सरकार ने अप्रत्यक्ष करो की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर समूल्य कर प्रणाली लागू करने के प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है । सरकार यह नहीं मानती कि करों की वजह से ही मूल्य वृद्धि हुई है । तथापि सरकार आवश्यकतानुसार अन्तर्गामी माल पर शुल्क राहत देती रही है ।

पालम हवाई अड्डे पर मजदूरों/बेलदारों के रिक्त स्थान

931. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर स्थित भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

प्राधिकरण में मजदूरों/बेलदारों के स्थान बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका श्रेणीवार ब्योरा क्या है अर्थात उनमें से कितने पद अनारक्षित हैं और कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं ;

(ग) इन पदों के लिए चयन करने के काम को पूरा करने की अन्तिम तिथि क्या है ; और

(घ) क्या इन रिक्त पदों को रोजगार केन्द्रों से नाम लेकर भरा जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) वित्त मन्त्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक से हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे के कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए कहा गया था। कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट के आधार पर पालम हवाई अड्डे पर इस समय भरी जाने वाली मजदूरों/बेलदारों की कोई खाली जगहें नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों का विकास

932. **श्री जैनुल बशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों का, इनको पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षण बनाने की दृष्टि से, विकास करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(ख) किन-किन पर्यटन केन्द्रों का विकास किया जाएगा ; और

(ग) प्रत्येक केन्द्र पर कितनी धन-राशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित स्कीमों को हाथ में लिया गया/लिए जाने का विचार है :—

1. केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने लखनऊ में एक भारत सरकार पर्यटक कार्यालय खोला जिसके प्रमुख एक निदेशक है।
2. कुशीनगर और श्रावस्ती कम्पलैक्स के लिए 8.40 लाख रुपये की लागत पर एन० आई० डी० अहमदाबाद से मास्टर प्लानें और माइक्रो-प्लानें तैयार करवाना । कुशीनगर में 22.17 लाख रुपये की लागत पर 15.74 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी किया गया है।
3. फतहपुर सीकरी के लिए 11.00 लाख रुपये की लागत पर एन० आई० डी० अहमदाबाद से मास्टर प्लान तैयार करवाना और वहां 15.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 14.65 एकड़ भूमि का प्रस्तावित अधिग्रहण करना।

4. वृज भूमि परिक्रमा के लिए 2.15 लाख रुपये की लागत पर एन० आई० डी० अहमदाबाद से मास्टर प्लान तैयार करवाना ।

5. पिपरवाह के लिए 0.75 लाख रुपए की लागत पर निर्माण और आवास मन्त्रालय के नगर और ग्राम आयोजन संगठन से मास्टर प्लान तैयार करवाना ।

6. सान्कस्य में एक कैफेटेरिया के निर्माण का प्रस्ताव ।

7. माघ मेला के लिए 1982-83 के दौरान 0·50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता ।

8. 9.45 लाख रुपये की लागत पर लाल किला आगरा और सिकन्दरा मकबरा पर प्रकाश-पुञ्ज व्यवस्था ।

9. आगरा फोर्ट पर ध्वनि और प्रकाश शो की माउंटिंग ।

10. 6.39 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर लखनऊ में रेजिडैंसी की प्रकाश-पुञ्ज व्यवस्था ।

11. भारतीय यात्रा आवास समिति द्वारा 14.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर वृन्दावन में एक धर्मशाला का निर्माण ।

12. दुधवा वन्य जीव विहार स्थल पर एक पर्यटक लाज के निर्माण का प्रस्ताव ।

13. आगरा में एक यूथ होस्टल के निर्माण का प्रस्ताव

टोक्यो और नई दिल्ली के बीच हवाई यात्रा

933. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टोक्यो और नई दिल्ली के बीच विमानन यात्रा अपेक्षाकृत अधिक खर्चीली है और टोक्यो-नई दिल्ली मार्ग पर आसानी से बुकिंग नहीं हो सकती ;

(ख) क्या जापान से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियायत देने और चार्टर विमान बढ़ाने का विचार है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) प्रश्न के पहले भाग से यह स्पष्ट नहीं है कि तुलना किस किराये के साथ की गई है । भारत-जापान-भारत विमान मार्ग पर पर्याप्त क्षमता की व्यवस्था की गई है। तथापि कुछ अवधियों में पर्यटकों की बहुत अधिक अग्रिम बुकिंग के कारण, कभी-कभी बुकिंग की स्थिति कठिन हो जाती है ।

(ख) और (ग) जापान से भारत के लिए पर्यटक चार्टरों के परिचालन का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । जापान से भारत की यात्रा करने के लिए रियायती किराया देने का भी कोई

प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वर्तमान प्रोत्साहन किरायों से जापान से आने वाले पर्यटकों की आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति हो जाती है ।

सशस्त्र सेवाओं के इन्जीनियरी अधिकारियों को तकनीकी वेतन दिया जाना

921. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या रक्षा मन्त्री सशस्त्र सेनाओं के इन्जीनियरी अधिकारियो को तकनीकी वेतन दिए जाने के सम्बन्ध में 8 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 894 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सशस्त्र सेनाओं के शेष इन्जीनियरी अधिकारियों के तकनीकी वेतन दिए जाने के लिए कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ;

(ग) विभिन्न श्रेणियों (रैंकस) के इस प्रकार के वेतन की दरें क्या हैं और ये वेतन किस तारीख से दिए जाएंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस विषय पर औपचारिक आदेश जारी करने में कितना और समय लगेगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) थल सेना और नौ सेना के इन्जीनियरिंग अफसरों को तकनीकी वेतन मंजूर करने से संबंधित प्रस्तावों के ब्यौरों की जांच की जा रही है और ब्यौरों को अन्तिम रूप देते ही इस बारे में सरकारी औपचारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे ।

इण्डिया बौरोड 1.1 बिलियन डालर्स फ्राम बैंकस शीर्षक समाचार

935. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1983 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'इण्डिया बौरोड 1.1 बिलियन डालर्स फ्रोम बैंकस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋणों सहित भारत पर कुल विदेशी ऋण का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन ऋणों की अदायगी करने हेतु कौन से कदम सरकार के विचाराधीन हैं, इन ऋणों की अदायगी भारतीय रुपए में की जाएगी अथवा विदेशी मुद्रा में ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ ।

(ख) अनुमान है कि 31 दिसम्बर, 1982 को भारत पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा अन्य स्रोतों का कुल 20533.17 करोड़ रुपए का ऋण था । ब्यौरा इस प्रकार है :—

सरकारी खाते का ऋण	16705.74

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण	2152.60
विदेशी वाणिज्यिक बैंकों/सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के सम्भरकों से ऋण	1073.27
विदेशी वाणिज्यिक बैंकों/संभरकों के अलावा गैर सरकारी विदेशी ऋण	601.50
	20533.17

(ग) कुल ऋणों में से 20247. 1 करोड़ रुपए का ऋण विदेशी मुद्रा में और 286.06 करोड़ रुपए का ऋण रुपया राशियों में है। जहां रुपयों में लिए गए ऋणों की अदायगी रुपयों में की जाएगी, वहां विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण की अदायगी देश की विदेशी मुद्रा की कमाई में से अदा की जाएगी। देश की भुगतान शेष की स्थिति में सुधार करने के लिए, जिससे विदेशी मुद्रा के ऋणों की वापसी अदायगी में सहायता मिलेगी, सरकार आयात-प्रतिस्थापन और बाहर से आने वाली राशियों को बढ़ावा देने की नीति पर जोर-शोर से अमल करके आयातों को कम करने और निर्यातों को बढ़ाने के लिए उपाय करती रही है।

बिहार में कामर्शियल बैंक की शाखाओं द्वारा एककों को दिए गये ऋण

936. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मन्त्री उद्योग, व्यापार और अर्थ व्यवस्था पर ऋण कटौती के प्रभाव के बारे में 22 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3283 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापारियों को दिए गए ऋण और उनके द्वारा इस ऋण की वापसी अदायगी के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) अक्तूबर 1981 के अक्तूबर, 1982 के दौरान स्वरोजगार उत्पादक उद्यम के लिए कामर्शियल बैंक की शाखाओं द्वारा, खासतौर पर इण्डियन बैंक की मधुवनी, जलेई और बहेरी शाखाओं स्टेट बैंक कामताडल आदि शाखाओं द्वारा कुल कितनी धनराशि के ऋण दिए गए और कितने एककों को दिए गए।

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) खाद्यान, खण्डसारी समेत चीनी सूत एवं कपास और कच्चे पटसन के थोक व्यापार की अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों द्वारा दिये गए अग्रिमों की बकाया राशि के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गए हैं :—

(करोड़ रुपये)

	निम्नलिखित के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	
	सितम्बर, 1981	सितम्बर, 1982
1. खाद्यान	122.4	153.6

2. चीनी (खाण्डसारी सहित)	121.7	383.8
3. सूत और कपास	246.7	251.4
3. कच्चा पटसन	37.4	31.5

(ख) इनके शाखा-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बिहार की मधुबनी जिले के सम्बन्ध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ताजा उपलब्ध आंकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(करोड़ रुपये)

दिसम्बर 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार

	खातों की संख्या	बकाया राशि
कृषि	10595	2.48
उद्योग	846	9.46
परिवहन चालक	1093	0.29
सेवाएं	6594	0.74
व्यापार	2766	0.77
व्यक्तिगम ऋण	427	0.13
अन्य सभी	1805	0.62
कुल बैंक ऋण	24126	5.49
जिनमें लघु उद्योग	743	0.34

राज्य सरकारों/संघशासी क्षेत्रों द्वारा सेना पदक प्राप्त करने वालों को नकद पुरस्कारों का भुगतान

937. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य सरकारें/संघ शासी क्षेत्र उन लोगों को नकद पुरस्कार देते हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा सेना पदक दिए जाते हैं ;

(ख) क्या उनका मंत्रालय इस प्रकार के पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा तथा पते, सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ शासी क्षेत्रों, को इन्हें नकद पुरस्कार जारी करने के आदेश देता हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के प्रस्ताव उनके मन्त्रालय के विचाराधीन हैं , और

(घ) क्या सेना पदक प्राप्त करने वालों को राज्य सरकारों/संघ शासी क्षेत्रों द्वारा नकद पुरस्कार के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए उनके मन्त्रालय में अन्य कोई प्रक्रिया हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) कुछ राज्य सरकारें और संघ राज्य सेना मेडल सीरिज के प्राप्तकर्ताओं को नकद अनुदान देते हैं। जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस तरह के नकद अनुदान देते हैं उनका विवरण संलग्न है।

(ख से (घ) रक्षा मन्त्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेना मुख्यालयों को इन मेडल प्राप्तकर्ताओं के ब्यौरे सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजने चाहिए ताकि नकद अनुदान का भुगतान हो सके।

सेना मेडल क्रम के प्राप्तकर्ताओं को विभिन्न राज्यों द्वारा दिया गया नकद अनुदान

विवरण

क्रम सं०	राज्य	रकम
		रु०
1.	आन्ध्रप्रदेश	3000
2.	असम	3000
3.	दिल्ली	3000
4.	गुजरात	2000
5.	हरियाणा	3000
6.	हिमाचल प्रदेश	3000
7.	जम्मू तथा कश्मीर	3000
8.	कर्नाटक	3000
9.	केरल	3000
10.	महाराष्ट्र	3000
11.	नागालैंड	500
12.	उड़ीसा (मरणोपरान्त)	1500
13.	पंजाब	3000
14.	तमिलनाडु	3000
15.	त्रिपुरा	3000
16.	उत्तर प्रदेश	2000
17.	सिक्किम	3000

सीमा सड़क महानिदेशक द्वारा रक्षा नियमों के अंतर्गत जेल भेजे गए असैनिक कर्मचारी

938.**श्री टी०एस०नेगी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सड़क महानिदेशक द्वारा कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं और उन कर्मचारियों पर रक्षा सेवाओं के अनुशासन आदि के नियम लागू होते हैं जबकि उनको वेतन का भुगतान सिविल नियमों के अन्तर्गत किया जाता है और यदि हां, तो इस दोहरी व्यवस्था के क्या कारण हैं और क्या सरकार इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त करेगी; और

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे अनेक कर्मचारियों को विभिन्न रक्षा कानूनों के अन्तर्गत जेल भेज दिया गया है और यदि हां; तो 1978 से अब तक कुल कितने व्यक्ति जेल भेजे गए और और इस समय कितने कर्मचारी जेल में हैं;

(ग) क्या सरकार इस सारे मामले की जांच के आदेश देगी, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में कर्मचारी छोटे-छोटे अपराधों पर जेलों में डाल दिए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०पी०सिंह देव) : (क) सीमा सड़क संगठन के जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के सदस्य जो सीमा सड़क महानिदेशालय के अधीन काम करते हैं केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी हैं, इन पर वही सेवा नियम लागू होते हैं जो केन्द्र सरकार के दूसरे सिविल कर्मचारियों पर लागू हैं। अनुशासन के संबंध में थलसेना अधिनियम 1950 और थलसेना नियमावली 1954 के कुछ उपबंधों का०नि०आ० सं०329 और 330/60 के अन्तर्गत (जब सीमा सड़क संगठन स्थापित किया गया था) इन पर भी लागू किए गए थे। सीमा सड़क संगठन के कार्यों और उन्हें दी गई भूमिका और युद्ध तथा शान्ति के समय इस फोर्स से प्राप्त सहायता को देखते हुए ऐसा करना जरूरी समझा गया। परंतु थलसेना अधिनियम/नियमों के अनुशासन संबंधी सभी उपबंधों जैसे—फील्ड दण्ड, नकद दण्ड' बर्खा-स्तगी, निचले रैंकमें पदावनति, वरिष्ठता समाप्त करना आदि इन पर लागू नहीं किए गए।

थलसेना कार्मिकों को थलसेना अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत मिलने वाले कुछ विशेष अधिकार इनको भी दिए गए हैं। इन कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के अन्य समकक्ष सिविलियन कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं और लाभों के अतिरिक्त कुछ और सुविधाएं तथा लाभ दिए गए हैं। थलसेना अधिनियम/नियमों के कुछ उपबंधों को इन कर्मचारियों पर लागू करने के वैधता का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक रिपोर्ट याचिका में उठाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है।

(ख) 1978 से ऐसे 397 कर्मचारियों को जेल भेजा गया है। इस समय केवल चार कर्मचारी जेल में हैं - दो कर्मचारी दो-दो महीने की सजा और एक कर्मचारी तीन महीने की सजा काट रहा है।

(ग) यह दण्ड सूक्ष्म अनुशासन अधिकारियों द्वारा वैध कानूनी उपबंधों के अन्तर्गत दिया

गया था । अगर किसी कर्मचारी को कोई शिकायत हो तो वे नियमों के अन्तर्गत उसके उपचार का लाभ ले सकते हैं ।

निर्यात हेतु हथकरघा वस्त्रों और कपड़ों के कोटे में कमी

939. **श्री अशफ्राक हुसैन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात हेतु हथकरघा वस्त्रों और कपड़ों का कोटा पिछले वर्षों की तुलना में कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सन्बन्धी ब्यौरे सहित कोटे में कमी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास से हैदराबाद जाने वाली इंडियन एयरलाइन्स के विमान का अपहरण करने का प्रयास

240.**श्री अन्नत रामुल्लु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जनवरी, 1983 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार एक युवक ने मद्रास से हैदराबाद जाने वाले इंडियन एयरलाइन्स के विमान का अपहरण करने का विफल प्रयास किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां ।

(ख) दिनांक 24.1.83 को जब तिरुपति होते हुए हैदराबाद से मद्रास जाने वाली उड़ान संख्या आई-सी 548,10.20 बजे मद्रास में उतरी तो एस.राजू नामक एक यात्री अन्य यात्रियों के उतर जाने के बाद विमान में ही रह गया । उसने कहा कि उसके हाथ में एक बम है तथा एक और बम उसके पंजीकृत सामान में है तथा यदि उसे उड़ान करके वापस हैदराबाद नहीं ले जाया गया, तो वह विमान को उड़ा देगा । उस पर काबू पा लिया गया तथा यह पाया गया कि उसके उसके हाथ में कथित बम कुछ और न होकर केवल एक रूमाल में लिपटी चमड़े की पेटी थी ।

उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम, 1982 की धारा 3 के अधीन तथा अपराधिक कानून संशोधन अधिनियम तथा भारतीय दन्ड संहिता की धारा 506 (2) 353,448 के अधीन मीनम्बक्कम पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया ।

बाद में यह विमान 55 मिनट देर से अपनी अनुसूचित उड़ान पर हैदराबाद के लिए रवाना हो गया ।

भारत द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय से ली गई सहायता की राशि

941. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने गत दो वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता की कितनी राशि ली;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी राशि प्राप्त की जाने की सम्भावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) : 161.37 करोड़ रुपए

(ख) : 93.28 करोड़ रुपए

(ग) : भारत द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय से पिछले दो वर्षों में प्राप्त की गई सहायता और चालू वित्तीय वर्ष में संभाबित रुप में प्राप्त होने वाली राशि निम्न प्रकार है :-

(करोड़ रुपए)

सहायता	1980-81	1981-82	1982-83 में संभवित रूप में प्राप्त होने वाली राशि
वस्तु सहायता	22.90	79.66	44.74
उर्वरक सीधी सहयता	25.42	22.56	40.59
सीधी सहायता	4.49	6.34	7.95
सहायता प्राप्त परियोजनाएं	52.81	108.56	93.28

भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर सुरक्षा उपाय

942. **श्री मती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए हाल ही में क्या उपाय किये हैं;

(ख) भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खर्शीद आलम खान) : (क) हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) विमान पर चढ़ने से पूर्व पूर्ण तलाशी को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हवाई अड्डों पर डोर फ्रेम धातु खोजी हस्तधारित धातु खोजी तथा एक्स-रे बैगेज सामान निरिक्षण उपस्कर व्यवस्था जैसे परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर लगाए गए हैं ।

(2)हवाई अड्डों पर निगरानी की व्यवस्था में सुधार किया गया है ।

(3) परिचालान क्षेत्र में प्रवेश पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है ।

(4) यात्रियों की विमान की सीढ़ियों पर की जाने वाली जांच की व्यवस्था में सुधार किया गया है ।

(5) सुरक्षा कर्मचारियों की दक्षता तथा मुस्तैदी की जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

(ख) और (ग) : भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर सुरक्षा उपाय वही हैं जो अन्य अंतर्देशीय हवाई अड्डो पर लागू किए जा रहे हैं ।

कर्नलों और लेफ्टिनेंट कर्नलों के मासिक मकान किराया भत्ते में वृद्धि

943. **श्री ए०ई०होरो :** क्या **रक्षा** मंत्री कर्नलों और लेफ्टिनेंट कर्नलों के मासिक मकान किराया भत्ते में वृद्धि के बारे में 9 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 234 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नलों तथा लेफ्टिनेंट के मासिक मकान किराया भत्ते में इस बीच 1200 रुपये से 1600 रुपये प्रतिमास की वृद्धि की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) कर्नलों और लेफ्टिनेंट कर्नलों के लिए किराए पर लिए गए मकानों के किराए की दरों में संशोधन करने के बारे में फिलाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(क) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए नई योजना

944. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने की नई योजना तैयारी की है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर कितना व्यय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क), से (ग) पर्यटन का विकास एक सतत प्रक्रिया है। पहले से ही चली आ रही स्कीमों के अलावा, यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करके पर्यटन के विकास की एक विस्तृत स्कीम तैयार की गई हैं। इस संकल्पना के अन्तर्गत 61 यात्रा परिपथ जिनके अन्तर्गत 441 केन्द्र आते हैं, अवस्थानुसार ढंग से एकीकृत विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन 61 यात्रा परिपथों का एक विवरण संलग्न कर दिया गया है। इन निर्धारित यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों पर सुविधाओं का विकास धन-राशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के मिश्रित संसाधनों से एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से प्रारम्भ किया जाएगा।

विवरण

1. आन्ध्र प्रदेश

1

हैदराबाद-नागार्जुनसागर - एथिपोथाला-श्री सैलम-महानंदी-गुड्डपह- तिरुपति-कलाहस्ती-पुलिकाट झील, त्रिरुपति, होर्सले पहाड़ियां, लिपाशी, अनंतपुर, कुरनूल, हैदराबाद

2

हैदराबाद, मेडक, हैदराबाद, भोंगीर, वादागिरीकुट्टा, वारंगल, रामप्पा, पाखल (झील और एथ्नगरम वन्य जीव विहार स्थल), वारंगल, अमरावती, (चिराला) विजेयवाड़ा, सूर्यपट, हैदराबाद।

3

विशाखापट्टनम, भीमुनीपट्टनम, बुर्रा गुफाएं, अनन्तगिरी, अराकू, विशाखापट्टनम।

2. असम

1

गोहाटी, जंगलवाला, काजीरंगा, शिवसागर।

2

गोहाटी, बारपेट, बरोमा, मानस।

3. बिहार

1

पाटलीपुत्र, (पटना), नालन्दा, राजगीर, भीमबंध, गया, बोधगया, सासाराम, बक्सर, जगदीशपुर, मन्नर, पाटलीपुत्र, (पटना)।

2

पाटलीपुत्र, (पटना), वैशाली, मुजफ्फरपुर, अरेराज, मोतीहारी, बरहरवा, बेतिया, लोरिया,

नन्दनगढ़, बाल्मिकी नगर, रक्सौल, सीतामढ़ी, (जनकपुर), मुजफ्फरनगर, पाटलीपुत्र, (पटना)

3

पटना, पावापुरी, तिलैया, बांध, पारसनाथ, हजारीबाग, रांची, बेतला, नेतरहाट, रांची ।

4. गुजरात

1

अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबन्दर, ससनगीर, सोमनाथ, जूनागढ़ भावनगर, पालीताणा, अहमदाबाद ।

2

अहमदाबाद. डाकोर, बड़ौदा, शुक्लतीर्थ (भड़ौच के पास), सपुतारा, उकई-सूरत, अहमदाबाद ।

3

अहमदाबाद, बंकानेर, भुज, मांडवी समुद्र-तट-भुज, राधनपुर, पालमपुर, सिद्धपुर, पाटन, मोढेरा, अहमदाबाद ।

5. हिमाचल प्रदेश

1

परवानू, चैल, कुफरी, नारकंडा, शिमला, परवानू ।

2

मंडी-कुल्लु- मनाली, मनीकरण, कुल्लु, मंडी ।

3

डलहौजी, चम्बा, डलहौजी, नरपुर, त्रिलोकपुर, गोगल, धर्मशाला, कांगड़ा, ज्वालामुखी, कांगड़ा, पालमपुर, जोगिन्दरनगर, बारोट, जोगिन्द्र नगर, मंडी, बिलासपुर, शिमला/ बिलासपुर, नैनादेवी, (चंडीगढ़) ।

6. हरियाणा

1

(दिल्ली), सूरजकुंड, बदकल, होडल, पलवल, सोहना, धारुहेरा, सुलतानपुर, गुड़गांव, (दिल्ली) ।

2

(दिल्ली) रोहतक, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, ताजेवाला, कलेसर, सिधौरा, नारायणगढ़, पंचकुला, पिंजौर, चंडीगढ़ ।

7. जम्मू तथा कश्मीर

1

जम्मू, कटरा (वैष्णव देवी) कुद-बडोट, किश्तावर, (केवल ट्रैकिंग के लिए)।

2

श्रीनगर, गंदरवल, कंगन, सोनमर्ग द्रास, कारगिल मुलबेक, लमायारू, लेह।

3

श्रीनगर, अवंतीपुर, अनन्तनाग, अच्छावल, कुकरनाग, दकसुम, अच्छाबल, मारतंड, पहलगाय श्रीनगर।

8. कर्नाटक

1

बेलगाम, बीजापुर, बदामी, पट्टादकल, एहोल, हौस्पेट, हम्पी, बेलगाम (गोआ)।

2

बंगलौर, मैसूर, बांदीपुर, नागरहील-हसन, (बेलूर हेलीबिद और श्रवणबेलगोला), मरकरा, मंगलौर और पश्चिम समुद्री किनारे के बालु-तट।

9. केरल

1

त्रिवेन्द्रम, कोवलम, वेल्ली, वर्कला, क्वीलोन, अरनमुल्ला, कोट्टायम, कुमारकोम, फैकडी-मुन्नार, कोचीन, त्रिवेन्द्रम।

2

कोचीन, त्रिचुर, गुरुवयूर, चेरूथरूती मालमपुज्हा, कोटक्कल, कोजिकोडे सुलतान्ज बैटरी-मन्नटोडी, कान्हानोरा, एजहू-मलाई, कोचीन, (मंगलौर)।

19. महाराष्ट्र

1

बम्बई, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, (अजंता और एलौरा) नासिक: बम्बई।

2

बम्बई, मुरूद, जनजीरा, गनपतिफूले, बेनगुला, बम्बई।

3

नागपुर, रामटेक, नागपुर, वर्धा, (सेवाग्राम), चन्द्रापुर, (तडोवा नेशनल पार्क), नागपुर।

11. मध्य प्रदेश

1

ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, ओरछा, खजुराहो, बाघंवगढ़, खजुराहो/जबलपुर।

2

भोपाल, सांची, विदिशा, उदयगिरी, भोपाल, (भीमबेटका, भोजनपुर), उज्जैन, इंदौर, मांडु, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, इंदौर ।

3

जबलपुर, भेड़ाघाट, चेरई, डोंगरी, (गर्म पानी के चश्मे) मंडला, कान्हा नेशनल पार्क, भोरमदेव, जबलपुर, रायपुर ।

12. **मणिपुर**

1

इम्फाल, मौयरंग, लांकटक झील, केइबुल, लमजाओ पार्क और वापसी ।

2

इम्फाल, उखरूल, इम्फाल ।

13. **नागालैंड**

1

दीमापुर, कोहिमा, वोखा, मोकोकचुंम, तुएनसंग, मोकोकचुंम, जुनहेटो, कोहिमा ।

2

दीमापुर, कोहिमा, फेक ।

14. **उड़ीसा**

1

भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, धौली, रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, भद्रक, चांदीपुर, किचिंग, जोशीपुर (सिमली पाल) और वापसी ।

2

भवनेश्वर, चिल्का झील, गोपालपुर समुद्रतट पर, तप्तापानी, कोरापुत, बोलनगीर, झारसगुदा, अंगुल, तिकरपारा, तलचेर, भुवनेश्वर ।

15. **पंजाब**

1

चंडीगढ़, चतवीर, पटियाला, सिरहिन्द, लुधियाना, तरन-तारा, अमृतसर, बाबा बटाला ब्यास, फगवाड़ा, रोपड़, आनन्दपुर सहिब, चंडीगढ़ ।

2

लुधियाना, कपूरथला, कंजली, अमृतसर, रोपड़, भागड़ा, चंडीगढ़ ।

16. राजस्थान

1

जयपुर, जोधपुर, ओसेआन, पोकरांन, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर ।

2

(आगरा), भरतपुर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, जयपुर, सरिस्का, अलवर, (दिल्ली) ।

3

जयपुर, अजमेर, पुष्कर, चितौड, उदयपुर, ऋषभदेव, एकलिंगजी, नाथदारा, रनकपुर, माऊंट, आबू, जयपुर, (अहमदाबाद)

17. सिक्किम

1

दार्जिलिंग (नयाबाजार, पेमांयग से ,थकसुम, केवजिंग; नवगंला, तिमितारकू- शिरवाती- (सिंगतम), रामटेक, गंगतोक, सिंगतम, रंगपो, तीस्ता, सीलीगुडी ।

2

नमचे, नथाबाजार, चाकूंग, सुरेंग, बुरीखोप, बर्श हिल्ले, ओर्ट्टर्रे, डानटम; बुरमिओक- लेगशिप, तप्तापानी, सिकिप, नमचे ।

18. तमिलनाडू

1

मद्रास, महाबलीपुरम- गिरूकाजहुल, कुंद्रम, कांचीपुरम, तिरूचिरापल्ली, तंजावुर-पुड्डकोटई, मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कोटल्लिम, मद्रास, त्रिवेन्द्रम ।

2

मद्रास, कृष्णागिरी, होगेनकल, येराकाड, कोयम्बेटूर, उथागमंडलम, (बांदीपुर-मैसूर- बंगलौर), मद्रास ।

3

रामेश्वर, मंदुरै, कोड्डकनाल पुड्डकोटाई, तिरूचिरापल्ली, तंजावुर, महाबलीपुरम, मद्रास ।

19. उत्तर प्रदेश

1

वाराणसी, सारनाथ, गोरखपुर, कुशीनगर, फरेंदा, सनौली, पिपरवाह (कपिलवस्तु) नौगढ़, श्रीवस्ती, गोंडा, अयोध्या, वाराणसी, (लखनऊ)

2

(दिल्ली), मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर, कार्बेट, रानीखेत, कार्बेट, दुधवा, लखनऊ, (दिल्ली) ।

3

कपकोट, लौहारखेत, धपकुरी, खाती द्वाली, फुरकिया, पिंडारी ग्लेशियर और वापसी ।

20. **पश्चिम बंगाल**

1

कलकत्ता, कान्निग, सुन्दरवन ।

2

दार्जिलग, मनीभंजंग, टुंगलु, संदकफु, रिम्बिक, पालमजुआ, धौत्रे, दार्जिलिंग ।

3

कलकत्ता, कामरपुकुर, जैरामवती, विष्णुमुर, बंकुरा, अयोध्या की पहाड़ियां और वापसी ।

21. **अरुणाचल प्रदेश**

1

तेजपुर, भालुकपुंग, बोमडिता, तावांग ।

22. **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**

2

पोर्ट ब्लेयर, वंडूर, ग्रब्ब द्वीप, रेडिस्किन द्वीप, जोली बाँय द्वीप, सिक, द्वीप चिरिया टापू, पोर्ट ब्लेयर ।

3

पोर्ट ब्लेयर, रंगत, मायादन्दर, पोर्ट ब्लेयर ।

23. **गोवा, दमन और दीव**

1

पणजी, मांय्वेशी, फरमागुडी, पोंडा, बोरिम, ब्रिज, मारगांब मोलैम ।

2

पणजी, मांय्वेशी, फरमागुडी, पोंडा, बोरिम, ब्रिज' मारगाँव, पोलम ।

24. **मेघालय**

1

जोरहाट, नोगपोंह, बारापानी, शिलांग, मावंगान, बेइल्लोई, जाकराम, बेइल्लोई, मावे-

2

स्यनरम, शिलांग, चेरापूंजी, उमत्यानगर; डांकी, जोवाई, नरटियांग, जोवाई, पासी, गरम पानी, शिलांग/हाफलांग ।

3

बाजेंगडोवा, रानग्राम, तुरा, राँनग्राम, बोंग्रानगीर, सिजू, बाघरा, बलपलरम, और तुरा तक वापसी ।

25. त्रिपुरा

1

अगरतला, सिपाहिजाला, रुद्रसागर, उदयपुर, माताबाड़ी, अमरपुर, दम्बुर, मण्डाचेरा, कुमारघाट, काटिकराँय, डनकोटी, कैलाशहर ।

2

कैलाशहर, डनाकोटी, फाटिकराँय; जम्पाई कैलाशहर ।

26. मिजोरम

1

ऐंजुल और आसपास के क्षेत्र का प्रमाण ।

परिपथों की कुल संख्या = 61

पर्यटकों की कुल संख्या = 441

चमड़े के निर्यात में व्यापार की दिशा

945. **श्री जो० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान चमड़े के निर्यात में व्यापार की दिशा अत्यन्त ही प्रतिकूल सिद्ध हुई है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1982 के दौरान चमड़ा तथा चमड़े के उत्पादों का निर्यात लगभग 272.28 करोड़ रु० का हुआ जब कि पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष की उसी अवधि में 275.19 करोड़ रु० का निर्यात हुआ जो लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है । अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा बाजारों में अत्याधिक मन्दी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा में घट-बढ़ के कारण हमारे चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों की निर्यात संभाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत मिलों का राष्ट्रीयकरण

946. **श्री नाथूराम मिर्धा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत किन-किन मिलों का अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया हैं, यद्यपि वे राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध के अधीन हैं ; और

(ख) इन एककों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) लक्ष्मीरत्न काटन मिल्स, कानपुर, अथर्टन वेस्ट मिल्स कानपुर, मोहिनी मिल्स, वेलपारिया, पश्चिम बंगाल तथा स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० की छः वस्त्र मिलें नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के प्रबन्ध में हैं।

(ख) इस अवस्था में यह संकेत करना संभव नहीं है कि क्या उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा और कब उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा।

वायुदूत सेवा से जोड़े जाने वाले नये शहर

947. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** :

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वायुदूत सेवा से चालू वर्ष के दौरान कौन-कौन से शहर जोड़ने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : उपयुक्त विमान उपलब्ध होने तथा अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास होने की स्थिति में वायुदूत देश भर में विभिन्न स्थानों का प्रावस्थाबद्धरूप में विमान सेवा से जोड़ने पर विचार कर रहा है। अस्थायी रूप से नीचे बताए गए स्टेशनों को विमान से जोड़े जाने की सम्भावना है।

गाजीपुर, पन्तनगर, रायबरेली, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर,झारसुगुडा, पूर्निया, भागलपुर कोटा, जेसलमेर, बीकानेर, सूरत कांडला, दमण(दीव सहित गुजरात सरकार के परामर्श में शामिल किए जाने वाले तीन नगर सहित), कुड्डपा, राजमुंद्री. वारंगल, नांदेड, चेट्टीनादु, तिरूनलवेलवी, मैसूर, हुबली, रायचूर, कालिकट, कूच बिहार, अलोंग, जेरवे, दापोरिजो तजुबूर और पारसीघाट।

उड़ीसा में पर्यटन का विकास

948. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) उड़ीसा में पर्यटन के भावी विकास के लिये क्या-क्या उपाय और योजनाएं आरम्भ की जायेंगी ;

(ग) राज्य में छठी योजना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास के लिये उड़ीसा राज्य सरकार की क्या-क्या योजनाएं और कार्यक्रम हैं;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने समूचे राज्य के लिये पर्यटन विकास हेतु बृहत योजना तैयार की है ; और

(ङ) यदि हां, तो जिलावार क्या-क्या योजनाएं और कार्यक्रम प्रस्तावित हैं तथा छठी योजना

में उनके लिये कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क)से (ङ) उड़ीसा में पर्यटन विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित स्कीमों को शामिल किया गया है :—

(क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने भुवनेश्वर में भारत सरकार का एक पर्यटक कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी दे दी है।

(ख) सिमलीपाल में एक वन गृह का निर्माण।

(ग) निर्माण तथा आवास मन्त्रालय के नगर व ग्राम आयोजन संगठन के माध्यम से ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी की मास्टर प्लान तैयार कराना।

(घ) भारतीय यात्री आवास विकास समिति के माध्यम से पुरी में एक धर्मशाला का निर्माण।

(ङ) नगर व ग्राम आयोजन संगठन के माध्यम से कोणार्क के विकास की मास्टर प्लान तैयार कराई गई है और इसे राज्य सरकार को अनुमोदित और अधिसूचित करने के लिए भिजवाया गया है।

(च) चिल्का झील में जल क्रीडाएं प्रारम्भ करना।

(छ) नन्दन कानन में लायन सफारी पार्क का विकास।

भारत पर्यटन विकास निगम

(क) होटल कलिंग (अशोक) भुवनेश्वर का विस्तार

(ख) पुरी में 3-स्टार होटल और कोणार्क में समुद्र तट कुटीरों का निर्माण करने के लिए उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से संयुक्त उद्यम परियोजना।

यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करके पर्यटक केन्द्रों के विकास की एक स्कीम तैयार की गई है जिसमें 61 यात्रा परिपथों के अन्तर्गत 441 केन्द्र आते हैं, के एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है राज्य सरकार से परामर्श करके उड़ीसा में निम्नलिखित यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं :—

1. भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, धौलशी, रत्नगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, भद्रक, चांदीपुर, किंचिंग, जोशीपुर, (सिमलीपाल) और वापस।

2. भुवनेश्वर, चिल्काझील; गोपालपुर, समुद्रतट, पर, तप्तापानी, कोरापुत, बोलनगीर, झारसगुदा, अंगुल, तिकरपारा, तलचेर, भुवनेश्वर।

उपर्युक्त संकल्पना पर आधारित पर्यटन विकास का एक ब्लू प्रिंट राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है

जिसकी जांच की जा रही है । धन-राशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के संसाधनों को एकत्र करते हुए इन निर्धारित यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले केन्द्रों पर एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जाएगा ।

फिल्म उद्योग पर छापे

950. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल :**

डा० ए० यू० आजमी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तथा 1 जनवरी, 1982 से 31 जनवरी, 1983 के दौरान विभिन्न फिल्मी सितारों, कलाकारों तथा अभिनेत्रियों एवं बम्बई और देश के अन्य भागों में फिल्म उद्योग से संबंधित लोगों के कार्यालयों, स्टूडियों तथा घरों पर अनेक छापे मारे गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो मारे गये छापों, ली गयी तलाशियों तथा उन लोगों का ब्यौरा क्या है जिनके यहां उक्त छापे मारे गये तथा तलाशियां ली गई ;

(ग) उनसे प्राप्त हुए तथा जब्त किये गये लेखा-बाह्य नकद धन, जेवरात, बैंक खातों, स्वर्ण, चाँदी, विदेशी मुद्रा आदि का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उपरोक्त प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ङ) क्या फिल्म उद्योग आदि से संबंधित कुछ संगठनों संघों ने उक्त छापों पर विरोध प्रकट किया है तथा इन छापों तथा तलाशियों के विरुद्ध ज्ञापन तथा अभ्यावेदन भेजे हैं और उनमे कहा है कि इससे इनके सम्मान को ठेस पहुंची है ; और

(च) यदि हां, तो उक्त पत्रों/ज्ञापनों/अभ्यावेदनों में उल्लिखित मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री **पट्टाभिराम राव**) (क) से (घ) : आयकर विभाग ने, जनवरी, 1982 से 31 जनवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान फिल्म उद्योग से संबंधित 120 से अधिक व्यक्तियों के मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत तलाशियां ली । इन तलाशियों के परिणामत: कुल 108.86 लाख रु० और 2600 डालर की प्रथम दृष्टया लेखा-बाह्य नकदी और जवाहिरात पकड़े गए । कई बैंक लाकर सील कर दिए गए हैं । आयकर अधिनियम तथा अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

(ङ) तथा (च) : कोई ज्ञापन/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है । तथापि, फिल्म निर्माता परिषद के प्रतिनिधि, आयकर आयुक्त, बम्बई से मिले थे और उन्हें यह सुझाव दिया था कि समय-समय पर छापों के लिए केवल फिल्म उद्योग को ही नहीं छांटा जाए । तलाशियां तभी ली जाती हैं जब तलाशी के प्राधिकार देने वाले सक्षम प्राधिकारी का, उपलब्ध सूचना के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि तलाशी आवश्यक है । इसलिए, तलाशी के लिए केवल फिल्म उद्योग को छांटने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

यह भी सुझाव दिया गया है कि कर का ढांचा इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए जिससे लोगों को समानान्तर अर्थ-व्यवस्था की मदद न लेनी पड़े। सरकार, कर अपवंचन तथा काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए समय-समय पर अनेक विधायी उपाय करती रही है। इस प्रकार के प्रस्तावों पर सरकार निरन्तर ध्यान देती है।

विश्व बैंक से लिए जाने वाले ऋणों पर राज्य सरकारों द्वारा विरोध

951. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारों ने अपनी स्वयं की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से लिए जाने वाले ऋणों का विरोध करना आरम्भ कर दिया है क्योंकि वे यह देखते हैं कि बैंक से सहायता-प्राप्त परियोजनाओं में ऋण से सम्बन्ध शर्तों के कारण कुल लागत में भारी वृद्धि हो जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि बैंक की वे शर्तें न हों तो परियोजनाएं बहुत कम लागत पर भली-भाँति पूरी की जा सकती है और राज्य सरकारों ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को अवगत करा दिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के विश्व बैंक के अलावा भिन्न-भिन्न सरकारों वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की अनुमति देकर राज्य परियोजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार को राज्य सरकारों से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है।

(ग) और (घ) ; विश्व बैंक द्वारा विना पोषण के अतिरिक्त राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए द्विपक्षीय और जहाँ आवश्यक है, वहाँ वित्त के वाणिज्यिक स्रोतों का उपयोग भी किया जाता है।

फिल्म उद्योग पर छापे

952. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान फिल्म उद्योग पर कोई छापे मारे गये ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन लोगों का ब्यौरा क्या है जिन पर छापे मारे गये और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव : (क) तथा (ख) : 1 जनवरी, 1981 से 31 जनवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान आयकर विभाग ने, फिल्म उद्योग से संबंधित 160 से भी अधिक व्यक्तियों की तलाशियां लीं और कुल 156.76 लाख रु० की प्रथमदृष्टया लेखाबाह्य परिसंपत्तियाँ पकड़ी। आयकर अधिनियम तथा अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत

समुचित कार्यवाही की जा रही है इनमें ग्रस्त व्यक्तियों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए, सभी व्यक्तियों के संबंध में पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं है । तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में सूचना चाहते हों तो वह प्रस्तुत की जा सकती है ।

पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र में पर्यटक "हट" लांज

953. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि पश्चिम बंगल में गोसाहा थाने के अन्तर्गत सुन्दर-बन क्षेत्र में कोई पर्यटक "हट" या लाज नहीं हैं, जहाँ बाग परियोजना बहुत बड़ा आर्कषण है और पर्यटकों के लिए वहां ठहरना या उस क्षेत्र को देखना कठिन है,

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार पर्यटकों के ठहरने के लिये वहां वे कुछ पर्यटक "हट" या लांज बनवाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके मार्ग में क्या-क्या कठिनाइयां हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एश्वर्य आलम खान) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि गोसाहा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत सुन्दरबन क्षेत्र में आवास की कमी है । तथापि, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने सुन्दरबन में कुछ ट्रेकर्स हट बनवाए हैं ।

फिलहाल पर्यटन मंत्रालय का सुन्दरबन में पर्यटक लांज या हट बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया लाजपतनगर, नई दिल्ली से करेंसी नोटों का गायब होना

954. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ब्रीफ-केस जिसमें 3.5 लाख रुपये के करेंसी नोट थे, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, लाजपतनगर, नई दिल्ली से गायब हो गया ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस घटना में जिन व्यक्तियों का हाथ होने का संदेह है उनका ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचना दी है कि एक ब्रीफ-केस, जिसमें 3.50 लाख रुपये मूल्य के करेंसी नोट थे और जो दूसरी शाखा को अंतरित किए जाने थे, 11 फरवरी, 1983 की सुबह गायब पाया गया । बैंक ने, स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी है । पुलिस जांच अभी पूरी नहीं हुई है । इस बीच, गायब हुई नकदी के सिलसिले में, बैंक ने पांच व्यक्तियों, अर्थात् शाखा प्रबन्धक, लेखाकार, मुख्य खजांची, सहायक खजांची और चौकीदार को निलंबित कर दिया है ।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

955. **श्री अमल दत्त क्या वित्त** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल की किसी सिंचाई परियोजना के लिए आज तक कोई सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस सिंचाई योजना का ब्यौरा क्या है और सहायता राशि कितनी है ; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजना-वार, राज्य-वार दी गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक की उदार शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 28 (ऋण सं० अप्रैल, 1975 को 340 लाख अमेरिकी डालर के एक अन्तर्राष्ट्रीयविकास संघ ऋण 541— आई एन) करार कर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिंचाई घटक शामिल थे ;

(1) लगभग 18000 छिछले नलकूपों का निर्माण करना और उन्हें यंत्रों से सुसज्जित करना,

(2) सिंचाई समूहों के लिए लगभग 200 गहरे नलकूपों और पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई निगम के लिए लगभग 100 गहरे नलकूपों का निर्माण करना और उन्हें यंत्रों में सुसज्जित करना,

(3) आंशिक रूप से निर्मित लगभग 600 मंदी उठाऊ (लिफ्ट) तथा गहरी नलकूप स्कीमों को पूरा करना।

चूंकि ऋण की सारी रकम 31-3-1981 तक इस्तेमाल कर ली गई है इसलिए यह ऋण बंद कर दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

(लाख डालर)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजना	करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख	विश्व बैंक समूह से प्राप्त सहायता राशि	31.12.82 तक इस्तेमाल की गई राशि
राजकोषीय वर्ष 1980					
1.	महाराष्ट्र	दूसरी महाराष्ट्र	14.4.80	2100.0	923.20

1	2	3	4	5	5
		सिंचाई परियोजना (अं. वि. सं० ऋण 954-आई एन)			
2.	उत्तर प्रदेश	उ. प्र. सार्वजिनक नलकूप परियोजना (अं० वि० सं० ऋण 1004- आई एन)	12.5.80	180.0	79.93
3.	गुजरात	दूसरी गुजरात सिंचाई परियोजना (अं० वि० सं० ऋण 1011-आई एन)	12.5.80	1750.0	297.70
राजकोषीय वर्ष 1981					
4.	उड़ीसा	महानदी बराज परियोजना (अं० वि० सं० ऋण 1078-आई एन)	5.12.80	830.0	69.56
5.	मध्य प्रदेश	म.प्र. माध्यम सिंचाई परियोजना (अं० वि० सं० ऋण 1108-आई एन)	26.3.81	1400.0	42.22
6.	कर्नाटक	कर्नाटक टैंक सिंचाई परियोजना (अं० वि० सं० ऋण (1116-आई एन)	26.3.81	540.0	1.56
राजकोषीय वर्ष 1982					
7.	मध्य प्रदेश	म. प्र. बड़ी सिंचाई परियोजना (अं. वि. सं. ऋण 1177 आई एन)	24.2.82	2200.0	53.35
8.	केरल	कललड़ सिंचाई और पेड़ विकास परियोजना			
		(i) अं. वि. सं. ऋण	6.7.82	600.0	

1	2	3	4	5	6
		1269-आई एन			
		(ii) विश्व बैंक ऋण सं० 2186-आई एन	6.7.82	203.0	30,00
9.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश चंबल सिंचाई दूसरी परियोजना (अं. वि. सं. ऋण 1288-आई एन)	7.9.82	310.0	—
10.	बिहार और उड़ीसा	सुबर्णरेखा (बिहार और उड़ीसा) सिंचाई परियोजना (अं. वि. सं. ऋण 1289)	9.11.82	1270.0	—

"नर्बदा" परियोजना के बारे में विश्व बैंक का प्रतिवेदन

956. **श्री रामजी भाई मावणी :**

श्री नरसिंह मकवाणा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने गुजरात की "नर्बदा" घाटी तथा सिंचाई संयत्रों के बारे में कुछ प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के संबंध में विश्व बैंक तथा अन्य स्रोतों द्वारा 30 दिसम्बर, 1982 तक विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी राशि मंजूर की गई है तथा उनसे गुजरात और भारत को कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(घ) क्या निकट भविष्य में विश्व बैंक के कुछ विशेषज्ञ दलों के भारत आने की आशा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में अंतिम प्रतिवेदनों के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

(घ) और (ङ) गुजरात में नर्बदा घाटी विकास परियोजना को विभिन्न चरणों में क्रियान्वित करने के लिए विश्व बैंक समूह से वार्ता चल रही है । गुजरात सरकार द्वारा परियोजना की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद विश्व बैंक मिशन द्वारा परियोजना के पहले चरण का

मूल्यांकन किए जाने की आशा है। अनुमान है कि यह मूल्यांकन 1983-84 के दौरान हो जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की असफलता

957. **श्री शिवचरण वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने में अपना प्रारम्भिक उत्तरदायित्व निभाने में असफल रहे हैं और बैंकों की ग्रामीण शाखाएं, विकास का माध्यम होने के बजाय, पैसा जमा करने के केन्द्र बन गई हैं जिनके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों का जीवन स्तर गिर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल धनी किसानों के लिए बैंक-ऋणों के लाभ देने सम्बन्धी नीति समाप्त करके गाँवों में कमजोर वर्गों को सहायता करने और समझाने हेतु योजनाएं क्रियान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उन पर किए जाने वाले वार्षिक व्यय का राज्य-वार और मद-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपवित्त मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ग्रामीण अग्रिम जून- 1969 के 54 करोड़ रुपए से बढ़ कर दिसम्बर 1981 में 3600 करोड़ रुपए हो गए। समनुरूप अवधि में ग्रामीण जमा-राशियां 145 करोड़ रूपए से गढ़ कर 5939 करोड़ रुपए हो गई। इस प्रकार, ऋण जमा अनुपात्त में काफी वृद्धि हुई और वह जून 1969 के 37.2 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर, 1981 में 60.6 प्रतिशत हो गया।

अलबत्ता, ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से दिये गए ये अग्रिम ग्रामीण क्षेत्र में प्रयुक्त बैंकों के समग्र अग्रिमों का भाग नहीं दें। जून, 1980 में, जनसंख्या समूहों द्वारा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के व्यावसायिक, वरुप के विश्लेषण से पता चलता है कि कृषि को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त का जिसका उपयोग स्पष्टतः ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया, 60 प्रतिशत भाग, ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं से भिन्न शाखाओं के माध्यम से दिया।

बैंकों से कहा गया है कि वे 1985 तक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण का भाग, अपने कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक पहुंचा दें। उसी तारीख तक, कृषि और संबंद्ध गतिविधियों में बैंक ऋणों का लक्ष्य मार्च 1985 तक उनके कुल ऋण का 15 प्रतिशत और मार्च 1987 तक 16 प्रतिशत रखा है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे कमजोर वर्गों को जिसमें छोटे और सीमांतिक किसान, भूमिहीन मजदूर, सिरमीदार कृषक (टेनेंट फार्मर), बटाईदार, दस्तकार ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग, आई० आर० डी० पी० के लाभप्राप्तकर्ता, विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋणकर्ता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं, ऋण का प्रवाह बढ़ाएं जिससे कि मार्च, 1985 तक वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों का 25 प्रतिशत भाग प्राप्त करने लगें। बैंकों से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेने और संयुक्त कार्यान्वयन के वास्ते जिला ऋण आयोजनाओं में निहित स्कीमें तैयार करने के लिए कहा गया है। इन उपायों से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह और बढ़ने की आशा है।

(ग) - सभी सामुदायिक विकास खन्डों में बैंकों की ऋण सहायता के जरिये कार्यान्वित की जा रही प्रमुख विकास योजना है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य, प्रत्येक खन्ड में प्रति वर्ष 600 परिवारों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठने में सहायता देना है। वाणिज्यिक तथा सरकारी बैंको से अपेक्षित है कि वे बजट सम्बन्धी परिव्यय के लिए 1500 करोड़ रुपये तथा ऋण परिव्ययों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था करें। 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान इस योजना के अधीन क्रमशः 207 करोड़ रुपये और 470 करोड़ रुपये जुटाने जाने की सूचना मिली है। कार्यक्रम के अधीन सहायता पाने वाले गतिविधि-समूह, हर स्थान और परिवार के मुताबिक, अलग-अलग हैं।

रुई का उत्पादन और निर्यात

958. **श्री उत्तमराव पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1982-83 के दौरान अब तक रुई का अनुमानित उत्पादन कितना हुआ है ;

(ख) इसी अवधि में उक्त उत्पाद का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ग) उससे कितनी हानियां या लाभ हुए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 1982-83 रुई मौसम (सितम्बर '82-अगस्त,' 83) की 82.00 लाख गांठों के अनुमान के आधार पर पहले पांच महीनों (सितम्बर, '82- जनवरी, ' 83) के दौरान रुई की संचयी आवक का अनुमान 40.50 लाख गांठें लगाया गया है।

(ख) सरकार ने 1982-83 रुई मौसम के दौरान निर्यात के लिए रुई की लगभग 7.21 लाख गांठें अब तक रिलीज की हैं। निर्यात के लिये रिलीज की गई मात्राओं का आगामी महीनों में ही निर्यात हो जाने की संभावना है। तथापि, मौसम के पहले पांच महीनों के दौरान पहले के मौसमों की रुई की 53.423 गांठें निर्यातकी गई है।

(ग) निर्यात सौदों में लाभ तथा हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि इसमें अनेक निर्यातक अन्तर्ग्रस्त है और प्रत्येक निर्यातक का अपना निजी लागत आधार तथा प्राप्ति होगी।

सौराष्ट्र में समुद्री तूफान

959. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1982 के प्रथम सप्ताह में सौराष्ट्र में आए समुद्री तूफान की अपर्याप्त चेतावनी देने के बारे में प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) : जी, नहीं । वास्तव में गुजरात के मुख्य मंत्री ने मौसम विभाग द्वारा की गई सेवाओं की प्रशंसा की ।

(ख) प्रश्न नहीं है ।

ग्रामीण विकास के लिए स्विटजरलैन्ड की सहायता

960. **श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास के लिए स्विटजरलैण्ड की सहायता के बारे में भारत द्वारा स्विटजरलैण्ड के साथ किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारत सरकार द्वारा इस सहायता का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा ; और

(ग) भारत के विभिन्न राज्यों में इस सहायता के लिए जाने वाले वितरण के अनुपात का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) ग्रामीण विकास के लिए विस्टजरलैंड से सहायता प्राप्त करने के बारे में भारत द्वारा स्विटजरलैंड के साथ 11 दिसम्बर, 1982 को दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

(ख) उपर्युक्त करारों का ब्यौरा इस प्रकार है ।

(i) छोटे किसानों तथा विकेन्द्रीयकृत क्षेत्रों में उद्योगों के लिए, ग्रामीण विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों के वित्त पोषण प्रयोजन से "नाबार्ड" (राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक) के लिए 250 लाख स्विस फ्रांक (11.47 करोड़ रुपए) ;

(ii) संस्थान की स्थापना के लिए जिसमें इसकी फेकल्टी के विकास का कार्य भी शामिल है, आई० आर० एम० ए० (ग्रामीण प्रबंध संस्था, आनन्द) के लिए 1 8 लाख स्विस फ्रांक (7.24 करोड़ रुपए) ।

(ग) उपर्युक्त संगठनों अर्थात् "नाबार्ड" तथा "आई० आर० एम० ए०" को केन्द्रीय सरकार के माध्यम से स्विस सहायता वितरित की जाती है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों से मांग-पत्र

961. **श्री चित्त महाटा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का एक मांग पत्र प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों से सरकार को सीधे कोई मांग-पत्र प्राप्त नहीं होता है । सरकारी उद्यमों के प्रबंधकों द्वारा मांग पत्र प्राप्त किया जाता है और वह उसके बीच मजूरी समझौते का आधार बन जाता है । संभवत:, माननीय सदस्य के ध्यान में वह बैठक है जो केन्द्रीय सरकार के वित्त मन्त्री के साथ कुछ मजदूर संघ के नेताओं की हुई थी । मजदूर संघ के नेताओं ने कोई लिखित ज्ञापन नहीं दिया था । यह परिचर्चा सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकों एवं कामगारों के बीच मजूरी समझौतों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता के विषय में उनका दृष्टिकोण समझौते के लिए की गई थी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की वर्तमान दर में संशोधन

962. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की वर्तमान दर में संशोधन करने के लिये अन्तिम निर्णय ले लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए औद्योगिक महंगाई-भत्ता फार्मूला के परिशोधन के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है । सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता-फार्मूला की जांच के प्रयोजनार्थ त्रिपक्षीय समिति की स्थापना के सुझाव पर सरकार ध्यान दे रही है ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की इन्द्रलोक, दिल्ली की शाखा में लाकर लेने के लिए धनराशि जमा कराया जाना

964. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की इन्द्रलोक शाखा लाकर लेने के इच्छुक लोगों को लाकर के किराये के अतिरिक्त 5000/-रुपये सावधि जमा खाते में जमा कराने के लिए मजबूर करती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार इसकी इन्द्रलोक शाखा में लाकर के आवंटन के वास्ते ऐसी कोई शर्त नहीं लगायी है । इस विषय में बैंक की नीति, "पहले आओ पहले पाओ" (फर्स्ट कम फार्स्ट सर्व्ड) के आधार पर लाकर आवंटित करने की है ।

इंद्रावती विद्युत परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

964. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काला हांडी, उड़ीसा की अपर इन्द्रावती बांध परियोजना को विद्युत परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली वित्तीय व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस विद्युत परियोजना के लिए विश्व बैंक कितनी धन-राशि देने के लिए सहमत है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क), (ख), और (ग) विश्व बैंक के चालू राजकोषीय वर्ष में विश्व बैंक समूह से सहायता प्राप्त करने के लिए उड़ीसा की अपर इन्द्रावती पनबिजली परियोजना को बैंक के सम्मुख रखने का प्रस्ताव है। विश्व बैंक परियोजना का मूल्यांकन कर लिया है लेकिन समूह के साथ विचार-विमर्श अभी होना है। विश्व बैंक समूह द्वारा सहायता आदि के सम्बन्ध में दी जाने वाली धनराशि का पता विचार-विमर्श के अन्तिम रूप से समाप्त हो जाने पर ही चलेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए पदों का आरक्षण

965. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा संरक्षण प्राप्त अन्य वर्गों के लोगों के लिये अलग-अलग तथा कुल के लिए कितने प्रतिशत पदों का आरक्षण किया जाता है, और

(ख) मण्डल आयोग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न वर्गों के लोगों के लिये कितने प्रतिशत अतिरिक्त पदों का आरक्षण करने की सिफारिश की है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सरकारी उपक्रमों में विभिन्न प्रकार के आरक्षणों के लिये निम्नलिखित प्रतिशत लागू है :—

	समूह "क" और "ख"	समूह "ग"	समूह "घ"
अनुसूचित जाति	15 प्रतिशत	15 प्रतिशत	15 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	7-1/2 प्रतिशत	7-1/2 प्रतिशत	7-2/2 प्रतिशत
युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों सहित			
भूतपूर्व सैनिक	शून्य	14-1/2 प्रतिशत	24-1/2 प्रतिशत
शारीरिक रूप से विकलांग	शून्य	3 प्रतिशत	3 प्रतिशत

(ख) आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रति०त आरक्षण की सिफारिश की है।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से अभी विचार किया जा रहा है।

राजसहायता प्राप्त एल्यूमीनियम का निर्यात

966. **श्री रूप चन्द पाल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एल्यूमिनियम में विश्वव्यापी मंदी को देखते हुए एल्यूमिनियम निर्यात में राजसहायता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह व्यवस्था कितने समय तक बनी रहेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सेवा नियमों का पुनरीक्षण

967. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 दिसम्बर, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "1979 स्कीम कवर्स आल पेंशनर्स सेज सुप्रीम" कोर्ट" शीर्षक से उल्लिखित उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दृष्टि से तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप सी० सी० एस० (पेंशन) सी० सी० एस० (लीव) सी० सी० एस० (सी० सी० ए०) आदि जैसे सेवा नियमों की पुनरीक्षण करने तथा उन्हें अद्यतन बनाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामराव) : सरकार ने निर्णय की समीक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस प्रश्न पर कि क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), केन्द्रीय सिविल छूट्टी (सेवा) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपली) आदि जैसे सेवा नियमों के निर्णय के आलोक में समीक्षा की जानी आवश्यक है। समीक्षा के लिए दायर की गई याचिका का परिणाम ज्ञात हो जाने के बाद विचार किया जाएगा।

भारत से बन्दरों का निर्यात

968. **श्री सुभाष यादव** :

श्री एस० रामगोपाल रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों के दौरान भारत से बड़ी संख्या में बन्दरों का निर्यात किया गया है ;

(ख) क्या बन्दरों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने के लिये सरकार पर दबाव डाला गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार बन्दर के निर्यात को रोकने के लिये वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत लाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) भारत में पाए जाने वाले बन्दर पहले ही वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में शामिल हैं और इस प्रकार कानूनी तौर पर उन्हें शिकार तथा वाणिज्यिक उपयोग में संरक्षण प्रदान किया जाता है ।

यूरोप से पर्यटकों की अनुबंन्धित उड़ानों का प्रायोजित करने का एकमात्र अधिकार

969. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ानों में यूरोप से पर्यटकों को लाने की योजना के अन्तर्गत पर्यटकों के लिये अनुबन्धित उड़ानों को प्रायोजित करने का एकमात्र अधिकार एयर इंडिया के भूतपूर्व कर्मचारी को दिया गया था और तत्सम्बन्धी नियमों और कन्वेंशन, यदि कोई है ; तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रबन्ध का ब्यौरा क्या है और इससे एयर इंडिया को अब तक क्या लाभ हुआ है ; और

(ग) इस प्रकार के कितने प्रबन्ध इस समय वर्तमान और किन-किन क्षेत्र में हैं ?

पर्यटन और नागर मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) पर्यटकों को भारत में लाने के लिए किसी भी एजेंसी अथवा कर्मचारी को चार्टर उड़ानों को प्रयोजित करने का एकमात्र अधिकार नहीं दिया गया है। भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या को बढ़ावे, और परिणाम-स्वरूप और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से टूरिस्ट चार्टरों के सबंर्धन और उन्हें भारत में आने की अनुमति देने का निर्णय किया गया था ।

(ख) एयर इंडिया ने, बी-707 चार्टर विमानन के यूरोप के दो स्थलों, यथा-म्यूनिख और ज्यूरिच से दिल्ली आने और वापसी हेतु सप्ताह में एक बार परिचालन के लिए मैसर्ज अताश एम० ए० एजेन्सी से स्विटजरलैंड में एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं यह करार एजेन्सी को टूरिस्ट चार्टरों के परिचालन के एकमात्र अधिकार नहीं देता । एजेंसी ने, एयर इंडिया चार्टर लिमिटेड को प्रति चार्टर के लिए 7.77 लाख रुपये का भुगतान किया, चाहे यात्रियों की संख्या जो भी रही हो । करार में एयरलाईन की "व लाभ व हानि" होने की परिकल्पना थी ।

(ग) फिलहाल कोई भी अन्य प्रबन्ध असितत्व में नहीं है ।

विभिन्न बन्दरगाहों पर गिरफ्तार किए गए तस्कर

970. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न बन्दरगाहों पर बन्दरगाह-वार कितने भारतीय विदेशी तस्करों की गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) उन्होंने कुल कितने मूल्य के माल की तस्करी की है ; और

(ग) कुल कितने मूल्य के माल को जब्त किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिरामराव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

"ओवरड्राफ्ट" के बारे में राज्य सरकारों को निनेश

971. **श्री राम प्यारे पानिका** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को ओवरड्राफ्ट न लेने के लिए कुछ निदेश जारी किए हैं ; और

(ख) ओबरड्राफ्ट के रूप में राज्यों को कितनी राशि निकालने की अनुमति अब तक दी गयी है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) : भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में राज्य सरकारों को ओवरड्राफ्ट की मंजूरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । अनेक खजाना/उप-खजाना कार्यालयों और बैंकों में राज्य सरकारों के धन का लेन-देन साथ-साथ होता है । जब राज्य सरकार के खाते में उनकी प्राप्तियों और प्राधिकृत अर्थोपाय की सीमाओं से अधिक वितरण हो जाता है तब ओवर-ड्राफ्ट होते है । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में भी वे लगा-तार सात कार्य दिवसों से अधिक के लिए ओवरड्राफ्ट न लें ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

अमेरिकी राजनयिक द्वारा तस्करी

972. **श्री त्रिलोक चन्द्र :**
श्री जगपाल सिंह :
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राजधानी में एक अमेरिकी राजनयिक के घर पर 2 करोड़ रुपये से भी अधिक की तस्करी का माल पाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्तौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रति-क्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) (क) और (ख) : दिल्ली हवाई अड्डे पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों ने 1 नवम्बर, 1982 को संयुक्त राज्य अमेरिका के दूता-

वास के एक अराजनयिक कर्मचारी और उसकी पत्नी के चार सूटकेस रोक लिए थे। यह दम्पत्ति हांगकांग से हवाई जहाज द्वारा यहाँ पहुंचा था। 3 नवम्बर, 1982 को इन सूटकेसों की जांच करने से डिक्सामिथेसोन, साइनाकोबलियम और प्रिडिनसोलन चूर्ण, घड़ियों के पुर्जे, कलाई घड़ियां आदि बरामद हुए। इस माल का लागत सीमा भाड़ा सहित कुल मूल्य लगभग 21.84 लाख रुपये था और इसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अभिगृहीत किया गया था।

बाद में, 18 नवम्बर 1982 को संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास के पूर्वोक्त कर्मचारी ने विदेशी मार्के के सोने की कुल 270 ग्राम वजन की सत्रह छड़ें भी सीमाशुल्क अधिकारियों को सौंपीं। इनका मूल्य लगभग 43,200 रुपये था। इस बारे में उसने बताया कि उसने अप्रैल, 1981 में हांगकांग के अपने पूर्ववर्ती दौरे के दौरान इन छड़ों को खरीदा था, और उसने गैर कानूनी ढंग से उनका भारत में आयात किया था। सोने की उक्त छड़ों को भी सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अभिगृहीत कर लिया गया।

जहां तक ऐसे मामलों का सम्बन्ध है, सरकार संबंधित देशों की सरकारों के सहयोग से उचित कार्यवाही करती है और इन सरकारों के साथ गोपनीय सम्पर्क साधे रहती है ताकि दुरुपयोग के ऐसे मामले पुनः नहीं होने पायें। इस मामले में भारत सरकार के अनुरोध पर पूर्वोक्त कर्मचारी के देश द्वाराउसे वापस बुलाये जाने पर, वह 4-12-1982 को सपत्नीक भारत से चला गया।

निरीक्षण महानिदेशालय के व्हीकल विभाग में कार्यरत सेना के स्थायी रूप से स्थानांतरित अधिकारी

973. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या रक्षा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरीक्षण महानिदेशालय संगठन के व्हीकल विभाग में कितने स्थायी रूप से स्थानांतरित मेजर, ले० कर्नल और ब्रिगेडियर कार्यरत हैं ;

(ख) व्हीकल विभाग में जूनियर वैज्ञानिक अधिकारी से निदेशक ग्रेड-11 तक के विभिन्न ग्रेडों में कितने सिविलियन वैज्ञानिक अधिकारी कार्यरत हैं;

(ग) व्हीकल विभाग से वर्ष 1980 से पिछले तीन वर्ष के दौरान सेना के कितने अधिकारियों को विदेशों में शिक्षण कार्यभार संभालने के लिए भेजा गया है ;

(घ) इसी अवधि में कितने सिविलियन वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने कार्यभार संभालने के लिए भेजा गया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) निरीक्षण महानिदेशालय की वाहन शाखाओं में स्थायी रूप से उपनियुक्त थलसेना अफसरों की संख्या इस प्रकार है :

मेजर	17
ले० कर्नल	21

कर्नल	7
ब्रिगेडियर	3

(ख) वाहन शाखाओं में विभिन्न ग्रेडों में सिविलियन वैज्ञानिक अफसरों की संख्या इस प्रकार है :

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	10
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II	38
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I	30
प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी	11
उप मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	02
निदेशक ग्रेड-II	01

(ग) वाहन शाखाओं से प्रशिक्षण/नियुक्ति के लिए पिछले तीन सालों के दौरान विदेश भेजे गए सेना अफसरों की संख्या नीचे दी गई है :

1980	03
1981	01
1982	04

(घ) इसी तरह के प्रशिक्षण-नियुक्ति पर विदेश भेजे गए सिविलियन वैज्ञानिक अधिकारियों की संख्या इस प्रकार हैं :

1980	—
1981	01
1982	—

विभिन्न प्रकार के शुल्कों की ऊंची दरें लागू करने के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं

974. **श्री सूरज भान :**

श्री राम प्रसाद अहिरवार :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क तथा अन्य शुल्कों की ऊंची दरें लागू करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष में उनके मंत्रालय ने कितनी अधिसूचनायें जारी की हैं तथा उनके जारी करने की तारीख क्या हैं तथा इनसे कितनी आमदनी होने का अनुमान है;

(ख) इनमें से कितनी अधिसूचनायें बजट प्रस्तुत करने के चार महीने के अन्दर जारी की गई;

(ग) पिछले दिसम्बर में जारी की गई अधिसूचनाओं से कितनी आमदनी होगी और इन्हें संसद में बजट प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करने में या कठिनाई थी; और

(घ) क्या बजट से पहले ऐसे उपाय करने का विपक्षी दलों ने अतीत में विरोध किया था और यदि हाँ, तो कब और कैसे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (घ) : वर्ष 1980, 1981,1982 और 1983 (15-2-1983 तक) में जारी की गई अधिसूचनाओं की संख्या क्रमशः 35,68,53, और 5 थी। वित्त वर्ष 1982-83 के दौरान जारी की गई अधिसूनाओं में से, 28 अधिसूचनाएं 1.11.1982 के बाद जारी की गई थी। दिसम्बर, 1982 में जारी की गई अधिसूचनाओं की संख्या 12 थी। उनके जारी होने की तारीखें अधिसूचनाओं में उल्लिखित है, जिनकी प्रतियां संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। इन अधिसूचनाओं के अपने स्वरूप के कारण इनमें ग्रस्त राजस्व प्रभाव का कोई भी अनुमान बिल्कुल सही और ठोस नहीं हो सकता।

यदि बजट से पहले ऐसी अधिसूचनाएं जारी करने के खिलाफ विपक्षी दलों ने अतीत में विरोध किया भी था, तो ऐसे विरोध शायद कुछ गलत फहमी के कारण थे। सही स्थिति यह है कि संसद बजट प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक वर्ष सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व के मूल्यांकन के अधार पर कतिपय दरों से इन शुल्कों के उद्ग्रहण का प्राधिकार देती है। अप्रत्यक्ष कराधान में लचीलेपन की आवश्यकता महसूस करते हुए, कानून द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इसके द्वारा प्राधिकृत शुल्क की दरों की परिसीमा में जनहित में शुल्क से छूट दे सकती है। यदि, वित्त वर्ष के दौरान, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं या विकार दिखाई देते हैं, जिनके कारण प्रभावी शुल्क दरों में परिवर्तन करने की जरूरत हो तो वित्तीय प्रशासन को अपने उपर्युक्त अधिकार के मुताबिक जवाब देना होता है और उपचारी कार्रवाई करनी होती है। इन अधिसूचनाओं का सम्बन्ध संसद द्वारा प्राधिकृत शुल्क-दरों की परिसीमा के भीतर रहते हुए, छूट स्तरों को पुनः समायोजित करके की गई संशोधनकारी कार्यवाही से है। यह संशोधनकारी कार्यवाही अन्य बातों के साथ-साथ इस बात को ध्यान में रखकर की गई है जिससे आयातित माल के अन्तरर्राष्ट्रीय मूल्य में आयी गिरावट और कतिपय क्षेत्रों में न्यायालय द्वारा दिये स्थगन आदेशों जैसे कतिपय घटनाओं के कारण प्राप्य अनुमानित राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके।

इन कार्यवाहियों को बजट प्रस्तावों के पेश किये जाने तक स्थगित रख पाना हमेशा मुमकिन नहीं है। यदि ऐसे संशोधनकारी कार्यवाही, जो परिवर्तनशील परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गई हो, संसद में बजट प्रस्तावों को पेश किये जाने तक स्थगित रखी जाती है, तो उस समय प्राप्य हो गये राजस्व की उस स्थिति में हानि हो सकती है यदि वे परिस्थितियाँ, जिनके सम्बन्ध में संशोधनकारी कार्यवाही अपेक्षित थी, नहीं रहतीं हैं।

बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के बारे में समिति की रिपोर्ट

975. **श्री जी०एम०बनातवाला :**

श्री भीकू राम जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री कर आदि के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के बारे में अध्ययन करने के लिये श्री कमलापति की त्रिपाठी अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) समिति के मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) जम्मू और कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल द्वारा समिति के गठन के प्रस्ताव के विरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग) समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकरों के विचारों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में यथासमय उपर्युक्त कार्यवाही की जायेगी ।

पक्षियों के टकराने से विमानों को क्षति तथा मरने वाले व्यक्तियों की संख्या

976. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** :

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1978 से वर्ष 1982 की अवधि के दौरान वर्षवार कितनी बार पक्षियों के टकराने से विमानों को क्षति पहुंची है ; विमान को मरम्मत के लिए नीचे उतारने के कारण किराये के रूप में कितने राजस्व की हानि हुई, कितने यात्री तथा इंडियन एयरलाइन्स के कितने होनहार युवा पायलट मारे गये ; और

(ख) पक्षियों के टकराने की समस्या का समाधान करने तथा हवाई अड्डों के निकट वातावरण स्वच्छ रखने के लिये विभाग ने क्या उपाय तथा उपचार किए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) : अपेक्षित सूचना देने का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) : पक्षियों से टकराने की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए नागर विमानन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति इस समस्या के नियंत्रण के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों का आवधिक निर्धारण करती है तथा इनके कार्यान्वयन का प्रबोधन करती है । इस संबंध में आरम्भ किए गए उपायों में पर्यावरणीय प्रबन्ध, घास का काटना, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, खतरनाक पक्षियों को समाप्त करना सम्मिलित है ।

विवरण

वर्ष, 1978, 1979, 1980, 1981 तथा 1982 में पक्षियों के टकराने से क्षतिग्रस्त हुए विमानों की संख्या, मरम्मत के लिए विमान को भूमिस्थ करने के कारण राजस्व की हानि तथा हुई जन-हानि नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	घटनाओं की संख्या		विमान को भूमिस्थ करने के कारण राजस्व की हानि		जन-हानि			
					यात्री		कार्मिक	
	एयर इण्डिया	इण्डियन एयरलाईस	एयर इण्डिया	इण्डियन एयरलाइंस	एयर इण्डिया	इण्डियन एयरलाइंस	एयर इंडिया	इण्डिन एयरलाइंस
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1978	14	107	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1979	12	115	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1980	32	141	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1981	34	131	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1982	20	135	6.61 लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बिना अध्यक्ष वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यम

978. **श्री के० एफ० राजन :**

श्री गुफरान आजम :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 के अन्त में 19 सरकारी क्षेत्र के उद्यम अध्यक्ष विहीन थे तथा अन्य 33 में कृत्यकारी निदेशक नहीं थे,

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्यमों के नाम क्या हैं ये सब कब से खाली पड़े हैं और इसकी वजह से इन उपक्रमों के कार्यकरण पर कितना प्रभाव पड़ा है,

(ग) क्या इन रिक्त पदों को भरने के लिये इस बीच कोई कदम उठाये गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० वी० पी० पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) : संभवतः माननीय सदस्यों का आशय 20 दिसम्बर, 1982 के "विजनेस स्टेण्डर्ड" में प्रकाशित समाचार से है जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी क्षेत्र के 19 उद्यमों में शीर्ष अधिकारियों के पद रिक्त थे तथा अन्य 33 उद्यमों में कार्यकारी निदेशकों के पद रिक्त थे। किन्तु 31.12.1982 को स्थिति यह थी कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों के 16 पद तथा कार्यकारी निदेशकों के 24 पद रिक्त थे। जिन तारीखों से पद रिक्त हुए हैं, उन का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। जब तक किसी पदाधिकारी की नियमित नियुक्ति न हो तब तक यह सुनिश्चित करने के लिये कि काम में कोई हानि न हो, अन्तरिम व्यवस्थायें की जाती हैं। इसी बीच कार्यकारी निदेशकों के 10 पदों को छोड़कर इन सभी पदों को भरने के लिये सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने सिफारिशें की हैं। 10 मुख्य कार्यपालकों तथा 2 कार्यकारी निदेशकों के नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिये गये हैं। सरकारी उद्यम चयन मण्डल की शेष सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1982 को सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्य पालकों और कार्यकारी निदेशकों के रिक्त पद

क्र० सं	पद/उद्यम का नाम	पद रिक्त होने की तारीख
	क-मुख्य कार्यपालक	
	1. रिक्तियां जिनके लिए सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने सिफारिशें भेजी हैं।	
1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इ) लि०	1.7.1982
2.	प्रबन्ध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन	7.6.1982
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जैसप एण्ड कं० लि०	1.12.1982

क्र० सं०	पद/उद्यम का नाम	पद रिक्त की तारीख
4.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ग्राम विद्युतीकरण निगम	19.8.1982
5.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इण्डियन पेट्रों-केमिकल्स कारपो०	28.2.1982
6.	प्रबंध निदेशक, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०	1.12.1982
7.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रद्दी धातु व्यापार निगम	1.8.1982
8.	प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०	15.4.1982
9.	प्रबंध निदेशक, होटल कारपो० आफ इण्डिया	1.4.1982
10.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय चाय व्यापार निगम	23.5.1982
11.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दिल्ली परिवहन निगम	6.5.1982
12.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारी इन्जीनियरी निगम	22.11.1982
13.	प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान केबल्स लि०	23.8.1982
14.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड	नया पद
15.	प्रबंध निदेशक, राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रमैंट्स लि०	नया पद
16.	प्रबंध निदेशक, नागालेण्ड पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०	नया पद

ख-कार्यकारी निदेशक

1. रिक्तियां जिनके लिये सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने सिफारिशें भेजी हैं।

1.	निदेशक (वित्त), बर्न स्टेण्डर्ड कं० लि०	15.7.1982
2.	निदेशक (परियोजना), इन्जीनियर्स इण्डिया लि०	1.9.1982
3.	निदेशक (तेल शोधक), भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	30.1.1982
4.	निदेशक (उत्पादन), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	1.1.1982
5.	निदेशक (वाणिज्य); इंजीनियर्स इण्डिया लि०	18.11.1982
6.	निदेशक (तकनीकी), इन्जीनियर्स इण्डिया लि०	नया पद
7.	निदेशक, (परियोजना प्रबन्ध), ब्रिज एण्ड रूफ कं० लि०	नया पद
8.	निदेशक, (वित्त), ब्रिज एण्ड रूफ कं० लि०	नया पद
9.	निदेशक, (वित्त), मारुति उद्योग लि०	नया पद
10.	निदेशक, (वित), इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कं० लि०	नया पद

क्र० सं०	पद/उद्यम का नाम	पद रिक्त की तारीख
11	निदेशक (तकनीकी), कोल इण्डिया लि०	नया पद
12.	निदेशक (तकनीकी), हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	नया पद
13.	निदेशक, (विपणन), इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	नया पद
14.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान केबल्स लि०	नया पद

11. सरकारी उद्यम चयन मण्डल के विचाराधीन रिक्त पद

1.	कार्यपालक निदेशक, (कार्मिक) ,राज्य व्यापार निगम	26.9.1981
2.	कार्यपालक निदेशक, (विपणन), राज्य व्यापार निगम	31.7.1982
3.	निदेशक (कार्मिक), ईस्टर्न कोलफील्इस लि०	1.2.1982
4.	कार्यपालक निदेशक, खनिज एवं धातु व्यापारिक निगम	20.5.1981
5.	निदेशक, (वित्त), ब्रैथवेट एण्ड कं० लि०	1.11.1982
6.	निदेशक' (इन्जीनियरी), नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपो०	24.12.1982
7.	निदेशक, (इन्जीनियरी), भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	25.10.1982
8.	निदेशक, (विपणन), हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०	24.12.1982
9.	निदेशक, (अनुसंधान एवं विकास), भारतीय तेल निगम	नया पद
10.	निदेशक, (वित्त एवं वाणिज्य), हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	नया पद

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अनुसूचित बैंकों से ऋण

979. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अनुसूचित बैंकों से कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान ऋण देने में ग्रामीण क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, इसका तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बैंकों से ऋण न मिलने के कारण बिहार के धनवाद जिले में लघु कृषक विकास एजेंसी के अन्तर्गत अनेक योजनाओं पर काम रुक गया है ; यदि हां, तो इसका तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या बिहार में धनवाद के जिला प्रशासन और बैंक प्राधिकारियों के बीच शीत युद्ध चल रहा है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) और (ख) : दिसम्बर 1977 से दिसम्बर 1981 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण वितरण का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण केन्द्रों में समस्त बैंक ऋण में बैंक ऋण का हिस्सा, जो दिसम्बर 1977 में 7.2% था दिसम्बर 1981 में 11.9% हो गया । अलबत्ता, ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से दिए गये ये अग्रिम ग्रामीण क्षेत्र में प्रयुक्त बैंकों के समग्र अग्रिमों का भाग नहीं है । जून, 1980 में जनसंख्या समूहों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों के व्यावसायिक स्वरूप के विशलेषण से पता चलता है कि कृषि को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त का जिसका उपयोग स्पष्टत: ग्रामीण क्षेत्रों में किया गय, 60 प्रतिशत भागा ग्रामीण क्षेत्रों से भिन्न शाखाओं के माध्यम से दिया गया ।

(ग), से (ङ) : 1981-82 के दौरान, धनबाद जिले में, वणिज्यिक बैंकों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋण 27.82 लाख रुपये थे । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी बैंकों द्वारा 1.70 लाख रुपये के अग्रिम दिए गए । निःसदेह इस बात में कोई शक नहीं कि विशेषत: प्रखड स्तरों पर, बैंको और जिला प्रशासन के बीच, समन्वय में सुधार की गुंजाइश है । जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति, जो देश के सभी जिलों में गठित की गई है , राज्य सरकार और बैंकों के विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयोजन से नियमित रूप में बैठक करती है । उपर्युक्त समिति की स्थायी समिति की बैठक में प्रतिमास प्रत्येक जिले में, विशेषत: आई०आर० डी० पी० और ऋण सहायतओं की अपेक्षा वाली विभिन्न स्कीमों की समीक्षा की जाती है । इससे स्थानीय मुद्दों को स्थानीय रूप से सुलझाने की अपेक्षा की जाती है । सभी अभिकरणों द्वारा समुचित अनुप्रवर्तन और समन्वय किए जाने से देश के विभिन्न भागों में जुटाये गये सावधि ऋण केवल 207 करोड़ रुपये के थे जो 1981-82 में बढ़कर 470 करोड़ रुपये हो गए । बिहार राज्य में आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत जुटाए गए ऋण 1980-81 के 13.57 करोड़ रुपए से बढ़कर 1981-82 में 36.11 करोड़ रुपए हो गए ।

सहकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समिति

980. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की वृद्धि के लिए पुनरीक्षण के समस्त प्रश्न की जाँच हेतु एक समिति का गठन करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव(: (क) और (ख) सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता फार्मूला के जांच के लिए त्रिपक्षीय समिति गठित करने संबंधी सुझाव पर ध्यान दे रही है ।

विवरण

जनसंख्या समूह के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों का वितरण-समस्त भारत (अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के मुताबिक)

(लाख रुपये)

अवधि	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	जोड़
दिसम्बर 1977	1104,81 (7.2)	2249,42 (14.7)	3269,37 (21.3)	8703,65 (56.8)	15327,25
दिसम्बर 1978	1530,05 (8.4)	2870,37 (15.7)	3942,29 (21.5)	9967,39 (54.4)	18310,09
दिसम्बर 1979	2003,04 (9.3)	3479,86 (16.1)	4585,28 (21.3)	11490,29 (53.3)	21559,02
दिसम्बर 1980	1642,84 (10.7)	4200,65 (17.0)	5535,28 (22.3)	12381,63 (50.0)	24760,40
दिसम्बर 1981	3600,11 (11.9)	5261,23 (17.4)	6713 09 (22.3)	14580,48 (48.4)	30154,91

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ें जोड़ प्रतिशत के द्योतक हैं।

शुल्क-युक्त आयात की सुविधा का दुरुपयोग

981. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बेइमान व्यापारी कुल महत्वपूर्ण कच्चे माल को घरेलू बाजार में ऊंचे मूल्यों पर बेचकर निर्यात किये जाने वाले उत्पादनों के लिए शुल्क-मुक्त आयात की सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की आय होने की वजाय विदेशी मुद्रा की भारी मात्रा में हानि हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस सुविधा पर कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई और कितनी व्यय की

(घ) क्या सरकार का इस प्रकार के कदाचार के प्रकाश में जाने पर, निर्यातकों की उपलब्ध अग्रिम शुल्क मुक्त आयात की वर्तमान सुविधा की पुनः जाँच करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा (क) तथा (ख) : कतिपय अग्रिम लाइसेंस धारियों द्वारा शुल्क मुक्त सुबिधा का दुरुपयोग करने के वारे में सरकार को कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं । इन मामलों की जाँच हो रही है । इस योजना के अन्तर्गत प्रक्रियाओं को कड़ा करने की भी कार्यवाही की जा रही है जिससे इसके दुरुपयोग को रोका जा सके ।

(ग) 1981-82 के दौरान शुल्क युक्त आधार पर 310.18 करोड़ रु० मूल्य के अग्रिम लाइसेंस जारी किये गये हैं ।उपरोक्त अग्रिम लाइसेंसों पर निर्यात दायित्वों का सम्बधित एफ ओ० वी० मूल्य 845.87 करोड़ रु० है ।

(घ) आयात तथा निर्यात नीतियों के कार्यकरण की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है । 1983-84 के लिये नीतियाँ बनाने हेतु इस प्रक्रिया के एक अंग के रूप में इस योजना के कार्यकरण की समीक्षा की जा रही है ।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि

982: **श्री आर० आर० भोले** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय में यह पाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उपक्रमों की संख्या वर्ष 1978-79 में 69 मे बढ़कर 86 हो गई है तथा 24000 करोड़ रुपये के निवेश वाले ये क्षेत्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहें हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में घाटे की रशि 22 करोड़ से बढ़कर 2200 करोड़ रुपये हो गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टभि राम राव) : (क) 1981-82 में कुल 187 में से 78 चालू उद्यमों ने हानि उठाई है, जबकि 1978-79 में कुल 159 में से 68 चालू उद्यमों ने हानि उठाई थी, किन्तु समग्र लाभकारिता की दृष्टि से आंकने पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के

कार्य-निष्पादन में काफी सुधार दिखाई पड़ता है। 1978-79 में कुल मिलाकर 185 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ प्राप्त हुआ जो कि बढ़कर 1981-82 में 1074 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस प्रकार इसमें लगभग 6 गुनी वृद्धि हुई है। 1978-79 में लगी पूंजी की तुलना में सकल लाभ का प्रतिशत 7.67 रहा था जो कि बढ़कर 1981-82 में 12.23 प्रतिशत हो गया है।

(ख) कदाचित् माननीय सदस्य का आशय राज्य सरकारों के उपक्रमों से है। राज्य सरकारों के उपक्रम अपनी संबंधित राज्य विधान-सभाओं में रिपोर्ट प्रस्तुत करते है।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

983. **श्री जी० नरसिंह रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों को अपने राजस्व संसाधनों की तुलना अपने में व्यय के संतुलन में बड़ी कठिनाई हो रही है तथा उन्होंने केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ अनुदान की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन से हैं तथा प्रत्येक द्वारा कितनी मांग की गई है ;

(ग) क्या राज्यों द्वारा 'ओवर ड्राफ्ट' की पद्धति अभी जारी है तथा यदि हां, तो किन मामलों में इसमें ढील दी गई है ; और

(उ) उपर्युक्त (क) के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1982-83 के लिए सभी राज्यों के योजना-परिव्यय के लिए पूर्ण वित्त व्यवस्था उन्हें तैयार करते समय राज्यों के अपने संसाधनों और केन्द्रीय सहायता द्वारा की गई थी। तब से कुछ राज्य सरकारों ने नई जिम्मेदारीयां ले लीं थीं और उन्हें अपने व्यय को संतुलित करने में कठिनाईयां हो रहीं थीं। फिर भी 1983-84 के लिए वार्षिक नायोजना परिव्यय को अन्तिम रूप देने के लिए योजना आयोग में हुए हाल के विचार-विमर्श के दौरन पांच राज्यों अर्थात् हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, पंजाब और सिक्किम ने यह बताया था कि चालू वर्ष में उन्हें क्रमश: 15.00 करोड़ रुपये, 1·25 करोड़ रुपए, 4.00 करोड़ रुपये, 14.00 करोड़ रुपये, 0.52 करोड़ रुपए का घाटा होगा इन घाटों को 1983.84 के लिए राज्य के संसाधनों में समायोजित कर दिया गया है और तदनुसार पांच राज्यों के योजना-परिव्यय नियत कर दिए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में राज्य सरकारों को ओवरड्राफ्ट की मंजूरी के लिए कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है। अनेक खजाना/उप-खजना कार्यालयों और बैंकों में राज्य सरकारों के धन का लेन देन साथ-साथ होता है। जब राज्य सरकारों के खाते में उनकी प्राप्तियों और प्राधिकृत अर्थो-पाय की सीमाओं अधिक वितरण हो जाता है तब औवरड्राफ्ट होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक औवरड्राफ्टों पर दंड ब्याज वसूल करता है। जब नकदी-प्रवाह में असंतुलन दूर दिया जाता है तब ओवरड्राफ्ट समाप्त हो जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध अभियान

984. **श्री गुफ़रान आजम :**

श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पिछले कुछ महीनों में आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध आयकर के छापों में वर्जित माल को जब्त करने, "कोफेपोसा" (विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी की गतिविधयां निवारण अधिनियम) के अन्तर्गत गिरफ्तारियों तथा संपत्ति जब्त करने सहित अभियान में ढिलाई हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों को इस मामले पर तत्परता बरतने के निदेश दिए हैं, और

(ग) यदि हा, तो आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध अभियान प्रारम्भ करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टभि राम राव) : (क) से (ग) राजस्व विभाग के अधीन प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में किसी प्रकार की ढिलाई नही आई है ।

वर्ष 1982 के दौरान, सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने लगभग 65.89 करोड़ रुपए के मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा जबकि वर्ष 198.1 के दौरान 39.72 करोड़ रुपये का तस्करी का माल पकड़ा गया था । प्रवर्त्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम) ने पूववर्ती वर्ष में पकड़ी गई 1.14 करोड़ रुपये की तुलना में 1982 के दौरान 1.36 करोड़ रु० की भारतीय और विदेशी मुद्रा पकड़ी । वर्ष 1982 के दौरान विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत 443 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया जबकि पिछले वर्ष नजरबन्द किये गए व्यक्तियों की संख्या 265 थी । आयकर प्राधिकारियों ने वर्ष 1982 में 4.686 तलाशियां लीं जबकि वर्ष 1981 में 3814 तलाशियां लीं गयीं थीं । वर्ष 1982 के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपवंचन के 7100 से अधिक मामलों का पता लगाया गया जिनमें लगभग 59 करोड़ रुपये का शुल्क अपवंचन अन्तर्ग्रस्त है जबकि वर्ष 1981 में 5257 ऐसे मामलों का पता लगाया गया था जिनमें 50 करोड़ रुपये का अपवंचन अन्तर्ग्रस्त था ।

तस्करी, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी धोखा-धड़ी और काले धन से सम्बन्धित सभी मामलों की सतत समीक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्यवाही की जाती हैं जिससे सम्बन्धित एजेंसियां सतर्क और प्रभावकारी रहे ।

कोटा हवाई अड्डे को अन्यत्र ले जाना

985. **श्री राम अवध** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के कोटा नगर के पास स्थित हवाई अड्डे को कोटा

झालावाड़ रोड के किसी स्थान पर ले जाए जाने का निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पूंजी आधार का पुनर्गठन

986. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रील कपड़ा निगम के पूंजी आधार को पुनर्गठित करने के लिए प्रस्तावों को कोई रूप दिया है तथा यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि संयन्त्र तथा मशीनरी की लागत में वृद्धि के कारण छठी योजना में 2,00,000 'स्पिंडल क्षमता' पूरी किए जाने की संभावना नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपनी मिलों जिनकी लागत छठी योजना के दौरान 220 करोड़ रुपये के स्थान पर 311 करोड़ रुपये आएगी के आधुनिकीरण तथा विस्तार को किस प्रकार क्रियान्वित करेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने सरकार से अपने पूंजीगत आधार के पुनर्निर्माण सहित कतिपय वित्तीय राहतों के लिए अनुरोध किया है ।

(ख) छठी योजना में, छठी योजना के दौरान 2.09 मिलियन अतिरिक्त तकुओं की व्यवस्था है जिसमें से राष्ट्रीय वस्त्र निगम 6.4 लाख तकुए लगाएगा । 2.09 मिलियन अतिरिक्त तकुओं का छठी योजना उद्योग लक्ष्य पूरा किया जा चुका है जबकि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अब योजना अवधि के दौरान अपनी तकुआ क्षमता 4.0 लाख तक बढ़ाने की संभावना है ।

(ग) उपलब्ध वित्तीय परिव्यय को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए अपने वास्तविक लक्ष्यों को संशोधित किया है ।

एशियाई खेलों के लिए होटलों पर व्यय

987. **श्री दया राम शाक्य** :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री बापू साहेब परुलेकर :

श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नवम एशियाई खेल, 1982 के लिए बनाए गए होटलों पर विशाल धनराशि व्यय की गई है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान): नवम एशि-

याड, 1982 के लिए 9 होटलों के निर्माण तथा एक होटल के विस्तार हेतु लगभग 22.38 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने का प्रस्ताव था।

अहमदाबाद में टेक्सटाइल ग्रुप पर आयकर के छापे

988. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री बापू साहेब परुलेकर :

श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों ने हाल ही में अहमदाबाद में एक 'टेक्सटाइल ग्रुप' पर छापे मारे थे ;

(ख) यदि हाँ, तो उस 'टेकसटाइल ग्रुप, का नाम क्या है ;

(ग) इन छापों में सरकार ने क्या अनियमिततायें पाई हैं ; और

(घ) छापे मारने के पश्चात पाई गई अनियमितताओं के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रात्रय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) दिनांक 22 जनवरी, 1983 और 30 जनवरी, 1983 के बीच आयकर विभाग ने, अहमदावाद के पटेल मिल्स लि० और सी० टी० एम० टेक्सटाइलस तथा सी० लाजपत राय प्रां० लि०, बम्बई तथा इन कम्पनियों के निदेशकों श्री लाजपत राय चतुर्भुज अग्रवाल और श्री मोहन लाल चतुर्भुज अग्रवाल के मामलों में तथा अन्य सम्बन्धित मामलों में अहमदाबाद, बम्बई, भिवानी तथा सूरत में तलाशियाँ लीं थीं । इन तलाशियों के परिणामत: 17 लाख रु० की प्रथमदृष्ट्या लेखाबाह्य परिसंपत्तियाँ पकड़ी गई । 'पगड़ी' (आनमनी) के रूप में ली गई तथा दी गई रकमों तथा कराधान प्रयोजनों के लिए प्रकट नहीं किए गए गुप्त लाभों को दर्शाने वाले अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों की, जो इन तलाशियों के दौरान पकड़े गए थे, छान-बीन की जा रही है तथा विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जाएगी।

एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़ों की संख्या

989. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़ों की वर्तमान संख्या कितनी है ,

(ख) क्या यह विमान यातायात की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मांग की पूर्ति के लिए बेड़ों में और अधिक विमान जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों की संख्या इस समय निम्नलिखित है :—

एयर इण्डिया	
बोइन्ग 707	छः
बोइन्ग 747	दस
एयरबस ए 300 बी 4	तीन
इण्डियन एयरलाइन्स	
एयर बस ए 300	दस
बोइन्ग 737	पच्चीस (भारतीय वायुसेना को पट्टे पर दिए गए दो विमानों सहित)
एच० एस० 748	बारह
एफ० 27	आठ (वायुदूत को पट्टे पर दिए गए एक विमान सहित)

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं है।

सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति सूची को अन्तिम रूप दिया जाना

990. **श्री मूलचन्द डागा :**

श्री गुफरान आजम :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सरकारी उद्यमों के चयन बोर्ड की सिफारिश पर सरकारी क्षेत्र की अध्यक्ष-विहीन कम्पनी के अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध-निदेशकों की नियुक्ति सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें दी गई सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के नाम सहित उन अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध-निदेशकों के नाम क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसमें कितना समय लगेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामा राव) : (क) से (ग) संभवतः, माननीय सदस्यों का आशय 20 दिसम्बर, 1982 के "बिजनस स्टेण्डर्ड" में प्रकाशित समाचार से है, जिसमें यह कहा गया था कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों के 19 पद रिक्त थे।

सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने इन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सिफारिशें भेज दी

हैं और ऐसे 13 रिक्त पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिये हैं (विवरण संलग्न है) । शेष पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही और आशा है कि उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

विवरण

1. श्री एच० सी० मल्होत्रा,
   अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इ) लि०

2. डा० एस० गांगुली,
   अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इण्डियान पेट्रो केमिकल्स कारपो० लि०

3. श्री पी० सी० जैन,
   प्रबन्ध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन

4. श्री एम० के मजूमदार,
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रद्दी धातु व्यापार निगम

5. श्री के० स्वामीनाथन,
   प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०

6. श्री एच० आर० एस० राव,
   अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०

7. श्री एम० वेंकटरत्नम,
   अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्राम विद्युतीकरण निगम लि०

8. श्री एस० के० राय,
   प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान केबल्स लि०

9. श्री पी० एन० बहल,
   अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लि०

10. श्री एस० आर० चौधरी,
    अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जेसप एण्ड कं० लि०

11. लेफ्टी० कर्नल इन्द्रजीत सिंह,
    प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्ट्रूमैंट्स लि०

12. श्री० वी० एन० श्रीवास्तव,
    अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० आफ इण्डिया

13. श्री वी० के० जे० राणे,
    प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कं० लि०

कोचीन हवाई अड्डे का विस्तार

991. **श्री जेवियर अराकल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि '

(क) क्या सरकार की हवाई अड्डों पर सुविधाओं के विस्तार की कोई योजना है यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या कोचीन हवाई अड्डे तथा वहां की सुविधाओं के विस्तार की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) विमानक्षेत्रों पर सुविधाओं का विस्तार/सुधार कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसकी विमान यातायात में वृद्धि, परिचालनात्मक आवश्यकताओं, अग्रताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर लगातार समीक्षा की जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में देश में विभिन्न अंतर्देशीय विमानक्षेत्रों पर उड़ान पथों एवं सहायक पेवमेंटों का विकास/पुनः फर्श बिछाने, नये टर्मिनल भवन के निर्माण, वर्तमान टर्मिनल भवन के नवीनीकरण, वैमानिक संचार सुविधाओं में सुधार तथा सुरक्षा सेवा उपस्कर का सुधार/की व्यवस्था आदि जैसे सुविधाओं के विस्तार के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। योजना में अंतर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर रेडियो राडार तथा दिक्चालन मार्गनिर्देशन सम्बन्धी साधनों का विस्तार आधुनिकीकरण तथा संचार सुविधाएं भी सम्मिलित हैं। जल शक्ति संघटक सहित सभी योजनाओं/परियोजनाओं के लिए छठी योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 158.50 करोड़ रुपये है।

छठी योजना की अवधि में 141.00 करोड़ रुपये की कुल लागत से अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्रों के विस्तार की योजना भी तैयार की गई है। यात्री विकास योजनाओं में बम्बई में नये अन्तर्राष्ट्रीय/टर्मिनल परिसर (प्रावस्था-2) का निर्माण दिल्ली में नया अन्तर्राष्ट्रीय यात्री तथा सामान टर्मिनल परिसर (प्रावस्था-I), मद्रास में नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण तथा बम्बई में श्रेणी II प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं।

(ख) चालू योजना में कोचीन विमानक्षेत्र पर निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है :

	अनुमानित लागत (लाख रुपये)
1. दर्शक दीर्घा का निर्माण	15.00
2. उड़ानपथ की मरम्मत	3.00
3. बिजलीघर का निर्माण	2.00
4. हौदी तथा ओवरहैड टैंक का निर्माण	4.73
5. कर्मचारी कैंटीन का निर्माण	1.60
6. रिहायशी मकानों का निर्माण	3.00

छठी योजना की अवधि में कोचीन विमानक्षेत्र पर अति उच्च आवृत्ति सार्वदिसिक परास की व्यवस्था की गई है तथा सुविधा 5.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से अगस्त, 1981 में चालू कर दी गई है। यह भी प्रत्याशा है कि एक दूसरी मापक उपस्कर भी अति उच्च आवृत्ति सार्वदिशिक परास के पास ही लगाया जाएगा।

दार्जीलिंग के चाय बागानों के लिए पुनर्नवीकरण योजना

992. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दार्जीलिंग चाय बागानों के लिए 40 करोड़ रुपये की पुनर्नवीकरण की योजना कों जिसके लिए योजना आयोग ने अपनी मंजूरी पहले ही दे दी थी वापस भेज दिया है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ऐसा करने के लिए क्यों उद्यत हुई तथा योजना आयोग की मंजूरी कब तक प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) क्या दार्जीलिंग चाय बागानों में तेजी से बढ़ रही बीमारियों की दृष्टि से इसके कारण योजना के क्रियान्वयन में और अधिक विलम्ब नहीं हो जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार ने दार्जीलिंग चाय बागान ब्याज उत्पादन योजना के, जिसमें 10 वर्ष की अवधि में 43 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की व्यवस्था है, कार्यान्वयन के लिए चाय बोर्ड को 10 फरवरी, 1983 को अपनी स्वीकृति पहले ही भेज दी है।

जीवन बीमा निगम का विखण्डन

993. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जीवन बीमा निगम को विभिन्न मण्डलों में विखण्डिक करने की अपनी योजना को आरम्भ करने में अभी भी हिचकिचा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) नई योजना को कब तक लागू किए जाने की आशा है ; और

(घ) जीवन बीमा निगम के विखण्डन से बीमा व्यवसाय में क्या लाभ होने की आशा है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) निगम का पुनर्गठन करने से सम्बन्ध बिल को संसद के चालू सत्र में पेश करने का प्रस्ताव है।

(घ) आशा है कि प्रस्तावित पुनर्गठन से व्यापक प्रसार, अधिक कार्यकुशलता और पालिसी-

धारकों को प्रदान की जाने वाली सेवा के स्तर में सुधार के द्वारा कुल मिलाकर कर कारबार में वृद्धि हो सकेगी।

जाली नोटों का चलन

†994. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि देश में कई स्थानों पर जाली नोटों का चलन तेजी से बढ़ रहा है तथा सरकार इस पर काबू पाने में अपने को असहाय महसूस कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : करेंसी नोटो में जाल-साजी के मामलों का समय-समय पर देश के विभिन्न भागों में पता चलाया जाता है। कानून में जाल-साजी के अपराधों के लिए कड़े निवारक-दण्ड की व्यवस्था है। प्राधिकारी इस प्रकान के गैर-कानूरी और समाजविरोधी कार्यों में लगे हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार चोकसी रखती है। सरकार को समस्या की पूरी जानकारी है और इस सम्बन्ध में उपर्युक्त कार्रवाई की जा रही है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरा (सी० बी० आई०) के आर्थिक अहराध स्कंध में एक 'कक्ष' जाल-साजी के अपराधों की जांच करता है और राज्यों में की जाने वाली जांच का समन्वय करता है।

सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों से यह प्रकट नहीं होता कि जाली नोट कई स्थानों में बहुत तेजी से परिचलन में आ रहे हैं।

1982-83 के दौरान आयात

995. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1982-83 के दौरान का आयात पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था जिसके कारण व्यापार में अंतर बढ़ गया है ;

(ख) क्या चाय, इलायची, काजू की गिरी, तम्बाकू और सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात में कमी आई है जिसमें 6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है ;

(ग) क्या सोवियत संघ ने कई मदों की खरीद तेजी से कम कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के ब्यौरे सहित इसके कारण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अक्तूबर, 1982 तक उपलब्ध अन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अक्तूबर, 1982 के दौरान आयात पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में अधिक थे।

(ख) तम्बाकू के अलावा अन्य मदों के निर्यात में गिरावट आई है।

(ग) तथा (घ) सितम्बर, 1982 तक उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल,

सितम्बर, 1982 के दौरान सोवियत संघ को भारत के निर्यात अन्तिम रूप से 813.66 करोड़ रु० के हुए जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 687.98 करोड़ रु० के हुए थे, इस प्रकार 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति

996. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आवश्यक वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके थोक मूल्य सूचकांक में नवम्बर, दिसम्बर 1982 तथा जनवरी, फरवरी, 1983 के महीने के दौरान वृद्धि हुई है तथा यह कितने प्रतिशत बढ़ा है ; और

(ख) क्या इससे मुद्रास्फीति की दर पर भी प्रभाव पड़ा है तथा यदि हां, तो पिछले चार महीनों के दौरान मुद्रास्फीति की तुलनात्मक स्थिति क्या थी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक (1970-71-100) में चुनी हुई उपभोक्ता मदों/समूहों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना मुद्रास्फीति की मासिक दर सहित संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

थोक मूल्य सूचकांक में पूर्ववर्ती महीने की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन (मासिक-औसत) (1970-71-100)

	नवम्बर 82	सितम्बर 82 (अनन्तिम)	जनवरी 83 (अनन्तिम) (अद्यतन उपलब्ध)
सभी वस्तुएं	—0.1	—0.8	+ 0 4
खाद्य वस्तुएं	—0.1	—0.6	+ 0.9
दालों से भिन्न अनाज	+ 0.2	—0.5	+ 2.7
चावल	— 0.7	—1.6	+ 0.4
गेहूं	+ 1.6	+1.3	+ 6.7
ज्वार	— 2.3	—2.4	+ 2.1
बाजरा	— 1.6	+1.0	+4.0
दालें	— 1.2	—1.0	— 2.4
अरहर	— 2.2	+2.9	+1 .1
फल और सब्जियां	+ 2.1	—2.5	+ 0.5

1	2	3	4
अंडे मछली और मांस	+ 2.4	+2.5	+ 1.0
अन्य खाद्य वस्तुएं	— 0.9	— 2.5	+ 3.7
चाय	— 1.0	—0.7	+ 3.5
खाद्य तेल	+ 1.3	+0.3	+ 1.2
मूंगफली का तेल	+ 1.9	—0.1	+ 1.7
नारियल का तेल	+ 4.7	+4.1	+ 5.1
वस्त्र उद्योग	+ 0.2	—0.3	+ 1.3
हाथकरघा और विद्युत चालित करघे का कपड़ा	नगण्य	+0.6	+ 1.6

(अ) अनंतिम

दानापुर प्रभाग के बोहरा रेलवे स्टेशन पर एक बैगन से सेना के हाथगोलों की चोरी

997. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे दानापुर प्रभाग के बोहरा रेलवे यार्ड पर एक बैगन के दिनांक 19-12-82 को सिल्चर भेजे जा रहे सेना के 35 हथगोले चोरी चले गए थे ;

(ख) यदि हां, तो उन परिस्थितियों सहित जिनमें वे चोरी चले गए थे उनका ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में सतर्कता बरतने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या अब तक चोरों को पकड़ लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या प्राधिकारियों द्वारा भविष्य में रक्षा उपकरणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अपनाने के अतिरिक्त इस मामले में क्या कार्यावही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पूर्वी रेलवे के दानापुर मन्डल के बोहरा रेल यार्ड में एक बैगन से 35 थलसेना हथगोलों की कोई चोरी नहीं हुई है। लेकिन गड़हारा रेलयार्ड, उत्तर-पूर्वी रेलवे में 19.12.82 और 23.12.1982 के बीच तीन फ्यूजों की चोरी हुई है।

(ख) से (घ) : इस चोरी का पता 23 दिसम्बर, 1982 को चला जब पानागढ़ से सिल्चर जाने वाले रेल बैगन की जो गड़हारा बी जी घटाई यार्ड पर खड़ा था और जिसमें सैनिक सामान भरा हुआ था, पश्चिम की तरफ से दरवाजे की शील टूटी हुई पाई गई और उसका फैडलॉक गायब पाया गया। यह बैगन गड़हारा में 19.12.82 को पहुंचा था। सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा दल

और सरकारी रेल पुलिस अफसरों ने आवश्यक कार्यवाही की। 5 व्यक्तियों को हिरासत में लेने की रिपोर्ट मिली है परन्तु जांच पड़ताल अभी जारी है।

सरकार ऐसी सभी घटनाओं को गम्भीरता से लेती है और रक्षा शस्त्र और गोलाबारूद ले जाने वाले डिब्बों की सुरक्षा के सभी उपाय किए जा रहे हैं। गृह तथा रेल मन्त्रालयों के साथ परामर्श करके मार्गस्थ रक्षा सामान की सुरक्षा के उपायों को बेहतर बनाने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क के क्षेत्र (स्कोप) की जांच

998. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्तुओं की बिक्री पर पर्याप्त राजस्व की दृष्टि से उत्पादन शुल्क के क्षेत्र की जांच की है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करने तथा अपर्याप्त राजस्व की दृष्टि से वस्तुओं की बिक्री पर उत्पाद शुल्क का परित्याग करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क उत्पादित अथवा निर्मित उत्पादन शुल्क योग्य माल पर लगाया जाता है, माल की बिक्री पर नहीं। प्रश्नगत विषय का आशय संभवत उत्पादन शुल्क का अतिरिक्त (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम 1957 के अनुसार चीनी, तम्माकू और वस्त्रों के लिए बागू वर्तमान बिक्री व र के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की वसूली की योजना से है।

सरकार ने, दिसम्बर, 1981 में अन्य बातों के साथ-साथ वनस्पति, औषध द्रव्यों और औषधों, सीमेन्ट कागज और गत्ते तथा पेट्रोलियम उत्पाद पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उप्पादन शुल्क लगाने के प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों का तथा उस तरीके का सुझाव देने का, जिससे राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा की जा सकती है, अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने, सरकार को अपनी रिपोर्ट 29 जनवरी, 1983 को पेश कर दी है, जिसकी जांच की जा रही है।

सोडा-एश के आयात पर नियन्त्रण

999. **श्री डी० पी० यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडा-एश के सम्पूर्ण मामले की जाँच करने के लिए सरकार द्वारा वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आर्थिक मत्रालयों की कोई उच्च शक्ति प्राप्त सचिव समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी सिफारिशें भेज दी है ;

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ङ) क्या समिति ने आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के विरुद्ध निर्णय लिया है, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) औद्योगिक उत्पादन के लिए देश में स्थापित क्षमता के उपयोग पर आयात नीति, आयात शुल्कों और अन्य संबंधित बातों के प्रभाव जांच की करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षतो में एक स्थाई दल का गठन किया गया है। स्थायी दल ने सोडा-एश की वर्तमान आयात नीति की भी जांच की है।

(ख) से (ङ) : स्थायी दल ने सोडा-एश की वर्तमान आयात नीति में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की।

एशियाई खेलों के लिए रंगीन टी० वी० सेटों के आयत से अर्जित राजस्व

1000. **डा० वसन्त कुमार पंडित :**

श्री मोहन लाल पटेल :

श्री बाल कृष्ण वासनिक :

श्री डी० पी० जदेजा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के लिए विशेष उपहार योजना के अन्तर्गत कुल कितने रंगीन टी० वी० सेटों का आयात किया गया था ;

(ख) इनमें से 31 दिसम्बर 1982 तक कुल कितने रंगीन टी० वी० सेट प्राप्त हुए और छुड़ा लिए गये थे कितने सेटों को प्राप्त होने के बाद छुड़ाया नहीं गया था तथा कितने सेट बिना दावे के पड़े थे ;

(ग) दिनांक 31 दिसम्बर, 1982 तक सीमा शुल्क जुर्माने तथा पूर्ण नियमित आयात शुल्क के रूप में रंगीन टी० वी० सैटों से कितनी धनराशि अर्जित की गई ; और

(घ) बिना दावे के पड़े रंगीन टी० वी० सेटों की बिक्री से सीमा शुल्क राजस्व की कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जब निर्वेधित सामान्य लाइसेंस योजना लागू थी, उस दौरान कुल 62, 360 रंगीन टी० वी० सेट आयात किये गये थे।

(ख) उपर्युक्त टी० वी० सेटों में से अब तक 60,809 टी० वी० सैटों की निकासी सीमा-शुल्क विभाग के माध्यम से की गई है, 1551 रंगीन टी० वी० सेट विभिन्न सीमाशुल्क गृहों में निकासी के लिए पड़े हैं। 31 दिसम्बर 1982 तक के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जाएंगे।

(ग) सीमाशुल्क विभाग के माध्यम से 90,809 रंगीन टी० वी० सेटों की निकासी से 55.80 करोड़ रुपये का सीमाशुल्क बसूल हुआ था : 31 दिसम्बर, 1982 तक के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जाएंगे।

(घ) निकासी किये जा चुके सेटों पर बसूल हुए सीमाशुल्क के औसत के हिसाब से 1551 अनिकासित रंगीन टी० वी० सेटों पर राजस्व की अनुमानित राशि लगभग 14.23 लाख रु० बैठती है।

विदेशी पर्यटकों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयां

1001. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशक, पर्यटन अनुसंधान और जागरूकता कार्यक्रम ने मन्त्रालय को कुछ ऐसी सिफारिशें भेजी थीं जिनमें परिवहन, सूचना, सीमा शुल्क सम्बन्धी औपचारिकताओं के बारे में तथा विभिन्न एजेन्सियों में समन्वय की कमी के कारण विदेशी पर्यटकों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का उल्लेख है ; और

(ख) स्थिति में सुधार करने तथा विदेशों से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) जी, हां। स्थिति में सुधार करने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं ताकि और अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसके आतिरिक्त क्षोभक तत्वों को हटाने के लिए लगातार कदम उठाये जाते हैं।

भारतीय काफी के लिए अन्य बाजार खोलना

1002. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नये अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार के अनुसार भारत का कोटा गत वर्ष के 54,975 टन की तुलना में वर्ष 1982-83 के लिये 38,551 टन निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य बाजार खोजने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) गैर-कोया देशों को काफी के निर्यात बढाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंक

1003 **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या क्या है तथा वर्ष 1982-83 में कितने और बैंक खोलने का विचार किया गया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्यवार, पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ख) जून, 1982 के अन्त की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में कार्यरत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 1599 शाखाएं थीं। इसके अलावा इनके पास राज्य में 127 और कार्यालय खोलने के वास्ते आवंटन पत्र/लाइसेंस भी मौजूद थे।

अप्रैल 1982 के आरम्भ से भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नयी शाखा विस्तार नीति तैयार की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में औसतन 17,000 व्यक्तियों के वास्ते एक बैंक कार्यालय का, बैंकिंग-व्याप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

कुछ राज्यों में केन्द्रों के निर्धारण तथा उनके बैंक-वार आवंटन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग व्याप्ति के प्रस्तावित स्तर पर पहुंचने के लिये शाखाओं की राज्यवार आवश्यकताओं के मोटे अनुमान विवरण में दिये गए हैं। तथापि अन्तिम आयोजनाएं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत के बाद परिलक्षित होंगी।

राजस्थान के मामले में, राज्य ने कम बैंक वाले जिलों में बैंक रहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्रों में तकरीबन 379 शाखाओं तथा अन्य जिलों में 13 शाखाओं की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। अलबत्ता, राज्य सरकार से बातचीत के पश्चात ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के वास्ते वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान, राजस्थान में बैंकों को 585 अतिरिक्त लाइसेंस/आवंटन पत्र प्रदान करने के लिए, रिजर्व बैंक अनुमति देने को सहमत हो गया है।

विवरण

1982-83 से 1984-85 तक की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अधीन ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखा का विस्तार

राज्य	17,000 से अधिक ए० पी० पी० वी० ओ० वाले जिलों की संख्या	कमी वाले जिलों में लक्षित व्याप्ति को प्राप्त करने के वास्ते अपेक्षित ग्रामीण/ अर्ध-शहरी शाखाओं की संख्या	शेष जिलों में बनी रहने वाली ग्रामीण/ अर्ध शहरी शाखाएं
1	2	3	4
क. असम	9	468	1
आंध्र प्रदेश	21	430	12
बिहार	30	1094	12

1	2	3	4
	गुजरात	11	199	79
	हरियाणा	5	46	40
	हिमाचल प्रदेश	1	2	23
	जम्मू तथा कश्मीर	2	4	31
	कर्नाटक	11	147	77
	मध्य प्रदेश	36	634	59
	महाराष्ट्र	22	668	38
	मणिपुर	3	35	2
	मेघालय	3	12	5
	नागालैंड	4	7	3
	उड़ीसा	13	350	—
	राजस्थान	24	379	13
	तमिलनाडु	10	332	83
	त्रिपुरा	2	8	4
	उत्तर प्रदेश	47	1712	46
	पश्चिम बंगाल	14	1013	8
	जोड़-क	268	7540	536
ख.	केरल	—	—	137
	पंजाब	—	—	104
	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	1
	अरुणाचल प्रदेश	—	—	5
	चण्डीगढ़	—	—	1
	दादरा तथा नगर	—	—	1

1	2	3	4
हवेली			4
दिल्ली	—	—	12
गोवा दमन और दीप लक्षद्विप			1
मिजोरम	—	—	3
पांडिचेरी	—	—	3
जोड़-ख			272
कुल जोड़	268	7540	808

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में उड़ान के दौरान प्रस्तुत जर्नल्स

1004. **श्री जार्जफर्नान्डीस** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ान के दौरान उपलब्ध किये जाने वाले जर्नल्स किन शर्तों के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं ; और

(ख) क्या इन्हें प्रकाशित करने के लिए कोई भारतीय मुद्रणालय उपलब्ध नहीं हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 'नमस्कार" और "स्वागत" क्रमश: एयर इंडिया और इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानगत पत्रिकाएं हैं जो क्रमश: दिसम्बर, 1980 से और अप्रैल, 1981 से मेसर्स मीडिया ट्रांजेशिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं।

एयर इण्डिया के साथ किए गए करार में उक्त फर्म द्वारा हरेक अंक (द्विभासिक) की 50,000 प्रतियां निगम को बिना किसी लागत पर दिये जाने की व्यवस्था है, निगम को केवल फोटोग्राफरों और लेखकों को अपने विमान मार्गों पर निःशुल्क पुष्टिकृत किफायती श्रेणी के टिकट देने होते हैं। विज्ञापन से प्राप्त होने वाला राजस्व प्रकाशकों को मिलेगा और संपादकीय सामग्री कुल मुद्रित सामग्री के 60 प्रतिशत से कम नहीं होगी। पत्रिका के पृष्ठों की संख्या 64 से कम नहीं होगी। पत्रिका में प्रकाशित होने वाली सभी सामग्री का नियंत्रण एयर इंडिया का मुख्य जन संपर्क प्रबंधक करेगा। एयर इण्डिया ने दिनांक 1.12.1982 को इस संविदा को समाप्त करने का नोटिस दे दिया है और वर्तमान संविदा की शर्तों के अनुसार यह समाप्ति इस नोटिस के जारी होने के एक वर्ष बाद लागू होगी।

जहां तक इण्डियन एयरलाइन्स का सम्बन्ध है, यह फर्म हरेक अंक की 50,000 प्रतियां निःशुल्क देती है तथा निगम को इस पत्रिका के हरेक अंक में एक पृष्ठ का विज्ञापन देना होता है और इस फर्म के फोटोग्राफरों, लेखकों और विपणन कार्मिकों को इण्डियन एयरलाइन्स के क्षेत्रकों में पुष्टिकृत किफायती श्रेणी के टिकट देने होते हैं। संपादकीय मेसर्स मीडिया ट्रांजेशिया द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के परामर्श से तैयार किया जाना होता है।

(ख) मेसर्स मीडिया ट्रांजेशिया थाइलैंड लिमिटेड के साथ करार करने से पहले एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने "बिना किसी लागत के आधार पर" उड़ानगतय पत्रिका के प्रकाशन के लिए भारत में अनेक प्रकाशन प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव आमन्त्रित किये थे परन्तु उनसे प्राप्त उत्तरों में से कोई भी प्रोत्साहक उत्तर नहीं था क्योंकि उन्होंने बहुत ही अधिक प्रभारों के लिए या बढ़िया किस्म का कागज विदेशों से आयात करने के लिए मांग की थी।

विजयंता: टी-54 और टी-58 टैंकों को बदला जाना

1005. **श्री रशीद मसूद :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेजीमेंटी में से अधिकांश के पास उपलब्ध विजयंता टैंक पुराना पड़ गया है तथा सुभेदय होने के साथ-साथ इसमें इंजन और संचार सम्बन्धी समस्यायें अनुभव की जा रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टी-54 और टी-58 टैंकों ने भी अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है तथा इस क्षेत्र में उन्नत प्रोद्यौगिकी को देखते हुए नवें नानइटीज और दशवें दशक के किसी भी युद्ध में अन्ततः इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय सेना को सुज्जित करने के लिए उन्नत प्रोद्यौगिकी वाले लड़ाकू टैंकों के विकास और निर्माण के लिए सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय थलसेना के पास कोई टी-58 टैंक नहीं हैं। अन्य दो किस्म के टैंकों को आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि वे बढ़ी हुई चुनौतियों का सामना कर सकें।

(ग) रक्षा अनुसंधान और यिकास संगठन ने नवीनतम तकनीक युक्त मुख्य लड़ाकू टैंकों (एन०वी० टी०) का विकास करने का काम शुरू कर दिया है। इस तरह विकसित होने पर यह टैंक देश में ही निर्मित किया जाएगा।

बैंकों की जमाराशि में वृद्धि

1006 **श्री कमल नाथ :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 के अन्त में बैंक की जमाराशि 50,00 करोड़ रुपये से अधिक थी।

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 के दौरान बैंक को जमाराशि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(ग) गैर सरकारी कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समग्र समय पर चलाई गई जमा योजनाओं से बैंक की जमाराशि कहां तक प्रभावित हुई है ; और

(घ) क्या इन जमा योजनाओं से वर्ष 1982 में राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण की मांग में किसी प्रकार कमी आई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हाँ, दिसम्बर, 1982 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की जमाराशियां 50,671 करोड़ रुपये (अन्तिम) थीं ।

(ख) : सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की जमाराशियों में 1982 में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ग) : बैंकों में जमा की वृद्धि दर में गिरावट आना एक पेचीदा तथ्य है जो कई बातों पर निर्भर होता है जिनमें से एक तथ्य बचती की धारिता के लिए वैकल्पिक माध्यम की उपलब्धता है । बैंक जमा और कम्पनी बचतों धारिता के अलग-अलग साधन दें और वे विभिन्न प्रकार की निर्योग्यताओं तथा विशेष सुविधाओं पर निर्भर होते हैं और विभिन्न श्रेणियों के बचतकर्ताओं की आवश्यकताएं पूरा करते हैं । विभिन्न कारकों के बीच यह ठीक निर्धारित करना संभव नहीं है कि बैंक जमाओं में धीमी गति से वृद्धि होने के लिए कौन-सा तथ्य जिम्मेदार है । इसके अलावा इस सम्बन्ध में कोई एक समान प्रवृत्ति नहीं है । उदाहरण के तौर पर, उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष, 1982 की प्रथम छमाही में जमा में 1302 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में वर्ष, 1982 की दूसरी छमाही में 5246 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी जो वर्ष 1981 की इसी अवधि की 3574 करोड़ रुपए की वृद्धि से अधिक थी ।

(घ) बैंक ऋणकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय उनके द्वारा विभिन्न स्रोतों से जुटाये जाने वाले संसाधनों को हिसाब में रखते हैं जिनमें, जनता से प्राप्त जमा राशियां शामिल हैं ।

अमरीकी राजनयिक से जब्त किया गया निषिद्ध माल

1007. **श्री नारायण चौबे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर 3 नवम्बर, 1982 को सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा एक अमरीकी राजनयिक तथा उसकी पत्नी को रोका गया और उनसे लाखों रुपए का निषिद्ध माल जब्त किया गया ।

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर आगे की जांच का ब्यौरा क्या है और यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो

वह क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिरामराव) : (क) से (ग) दिल्ली हवाई अड्डे पर स्थित सीमाशुल्क अधिकारियों ने दिनांक 1-11-1982 को अमेरिकी दूतावास के स्टाफ के एक ऐसे अराजनयिक सदस्य और उसकी पत्नी के चार सूटकेसों को रोका जो हांगकांग से वायुयान द्वारा पहुंचे थे। इन सूटकेसों की 3-11-1982 को जांच-पड़ताल किए जाने पर डेक्सामेथासोन, सियोनोकोवोलियम और प्रेडनिसोलीन चूर्ण, घड़ियों के पुर्जे, कलाई की घड़ियां आदि बरामद हुए, जिनका लागत बीमा भाड़ा सहित कुल मूल्य लगभग 21-84 लाख रु० था। इन्हें सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन अभिगृहीत किया गया था।

तदुपरान्त, 18-11-1982 को अमेरिकी दूतावास के स्टाफ के उक्त सदस्य ने सीमाशुल्क अधिकारियों को लगभग 43,200 रु० के मूल्य की 270 ग्राम भार की विदेशी मार्के की सोने की 17 छड़ें भी सुपुर्द कर दीं जिनके बारे में उसने बयान दिया कि उसने अप्रैल 1981 में हांग-कांग की अपनी पूर्ववर्ती यात्रा के दौरान खरीदी थीं और जिनका उसने अनधिकृत रूप से भारत में आयात किया था। सोने की उक्त छड़ों को भी सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन अभिगृहीत कर लिया गया।

अनुवर्ती कार्यवाही में ऐसे दो भारतीय राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया जो उक्त कर्मचारी द्वारा की जा रही तस्कीर की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये गए थे। भारत सरकार के अनुरोध पर उस कर्मचारी के देश द्वारा उसे वापस बुलाये जाने पर वह अपनी पत्नी के साथ 4-12-1982 को भारत छोड़ कर चला गया।

राज्यों में ग्राम्य बैंक

1008. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अब तक कितने ग्राम्य बैंक खोले जा चुके हैं।

(ख) वर्ष 1983-84 में विभिन्न राज्यों में कितने नये ग्राम्य बैंक खोलने का विचार किया गया है ;

(ग) उड़ीसा में ये बैंक कहां-कहां खोले जायेंगे ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में ऐसे ग्राम्य बैंक खोलने का प्रयोजन और कार्यक्रम क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है। देश के 19 राज्यों में अब तक ऐसे 130 बैंक खोले जा चुके हैं। इन बैंकों के राज्यवार वितरण को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान 18 नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रस्ताव हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों में नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के वास्ते स्थानों का निर्धारण करना एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा ऐसे स्थानों का निर्णय, वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं द्वारा

ऐसे क्षेत्र की अपर्याप्त व्याप्ति, छोटे/सीमांतिक किसानों और अन्य कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में ऋण-अन्तराल एवं क्षेत्र में सहकारी ऋण ढांचे की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। उड़ीसा के 13 जिलों में से 11 जिलों को 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा पहले ही व्याप्त किया जा चुका है। इस समय उड़ीसा में नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने और ग्रामीण बचतों में वृद्धि के लिए, विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जा रहे हैं।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का राज्य-वार विवरण

राज्य	स्थापित किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	व्याप्त जिलों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1. आंध्र प्रदेश	10	14
2. असम	5	10
3. बिहार	17	27
4. गुजरात	4	5
5. हरियाणा	2	5
6. हिमाचल प्रदेश	1	3
7. जम्मू तथा कश्मीर	3	10
8. कर्नाटक	7	12
9. केरल	2	4
10. मध्य प्रदेश	16	29
11. मणिपुर	1	6
12. महाराष्ट्र	3	8
13. मेघालय	1	3
14. उड़ीसा	9	11
15. राजस्थान	9	19
16. तमिल नाडु	1	2

1	2	3
17. त्रिपुरा	1	3
18. उत्तर प्रदेश	30	36
19. पश्चिम बंगाल	8	15
	130	222

दिल्ली, बम्बई और जयपुर में होटलों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किए गए संगठन ।

1009. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के दौरान देश में भारी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए दिल्ली, बम्बई और जयपुर में होटलों का निर्माण करने के लिए कुछ संगठनों को प्रोत्साहित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से संगठन हैं तथा वे किन-किन नगरों से संबंधित हैं ; और

(ग) प्रोत्साहन के रूप में उन्हें मुहैया की गई अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) : एशियाड के लिए नई दिल्ली में होटलों के निर्माण हेतु निम्नलिखित संगठनों को अनुमति दी गई थी :

1. एशियन होटल्स लिमिटेड
2. कास्मोपोलिटन होटल्स मिलिमिटेड
3. सिद्धार्थ इण्टरकांटिनेंटल होटल्स (आई) लिमिटेड
4. भारत होटल्स लिमिटेड
5. सी० जे० इण्टरनेशनल होटल्स लिमिटेड
6. नार्दन एन्टरप्राइजेस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
7. भारत पर्यटन विकास निगम
8. होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया

9, आई० टी० सी० वेल्कम ग्रुप—मौजूदा होटल के विस्तार हेतु

10. इण्डियन होटल कम्पनी/डी० डी० ए०

एशियाड के लिए बम्बई और जयपुर में किसी होटल परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया था।

(ग) उन्हें सामान्य नियमों के अनुसार सुविधाएं दी गईं थीं।

इलायची के आयत के लिए लाइसेंस

1010. **श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या वाणिज्य मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या यह सच है** कि इलायची के आयात के लिये कोई लाइसेंस जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल कितनी मात्रा आयात करने का विचार किया गया है, और

(ग) आयात करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) से (ग) : संबंधित आयात (नियंत्रण) लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से जानकरी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए आवासीय-गृह

1011. **श्री एडुआर्डो फेलीरो : क्या रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में और विशेष रूप से वास्कोडिगामा कस्बे में आवासीय गृहों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए आवास संबंधी योजनाएं शुरू करने के क्या उपाय किए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) गोवा में मकानों की कमी है।

(ख) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अपने अधिकारियों के लिए 24 मकान बना रही है; 16 मकान और बनाने के प्रस्ताव पर आगे विचार किया जा रहा है। कम्पनी उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के प्रयास भी कर रही है। ताकि सहकारी आवास योजनाओं के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए एक आवास कालोनी का निर्माण किया जा सके।

सांगनेर हवाई अड्डे के समीप एन.सी.सी. (एयरविंग) से संबंधित ग्लाइडर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना

1012. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा**

श्री डी०एम०पुत्ते गौडा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि 28 दिसम्बर, 1982 को सांगनेर हवाई अड्डे के समीप एन.सी.सी.(एयरविंग) का ग्लाइडर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ऐसे क्या उपाय किए गए हैं ताकि ऐसी दुर्घटनाएं फिर न घटें ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) और (ख) : ग्लाइडर दुर्घटना का पता लगाने के लिए अदालती जांच का आदेश दे दिया गया है। अदालत का निष्कर्ष अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में पूंजी निवेश

1013. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि अनिवासी भारतीयों अथवा विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों का भारतीय पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में शेयर और डिबेन्चर के रूप में पूंजी लाने का उत्साह ठंडा पड़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) तक : चूंकि अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी लगाने से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं में, केवल अप्रैल, 1982 से ही ढील दी गई है, इसलिए ऐसा कहना कि अनिवासी भारतीयों अथवा विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों का, भारतीय पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के शेयरों और डिबेन्चरों में पूंजी लगाने का उत्साह ठंडा पड़ गया है, जल्दबाजी होगी।

आयुध कारखानों की बजाय गैर-सरकारी क्षेत्र को मैगजीन बक्सें बनाने के आर्डर दिया जाना

1014. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैगजीन बक्सें बनाने के कुछ आर्डर आयुध कारखानों की बजाय गैर सरकारी क्षेत्र को दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यवाही के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ये आर्डर मेटल कन्टेनर बनाने वाली कलकत्ते में स्थित एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रि कम्पनी को दिये गये हैं ?

रक्षा मंत्रलय में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं। इस तरह का कोई मामला अभी तक इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

स्टाक एक्सचेंज की प्रबन्ध-व्यवस्था के पुनर्गठन की योजनाएं

1015. **श्री भीकूराम जैन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाक एक्सचेंजों की सार्वजनिक सेवा संस्थाएं बनाने के उद्देश्य से सरकार की इनकी प्रबन्ध व्यवस्था के पुनर्गठन की कोई योजनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) पिछले कुछ वर्षों से सरकार इस आशय की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए स्टाक एक्सचेंजों के प्रबन्धकार्य को पुनर्गठित करने का प्रयत्न कर रही है कि सरकारी बोर्डों में विभिन्न हितों का व्यापक प्रतिनिधित्व हो, ताकि बोर्ड निर्णय लेते समय स्टाक ब्रोकरों से भिन्न हितों के दृष्टिकोणों पर भी विचार करें। 1967 में कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली तथा अहमदाबाद के स्टाक एक्सचेंजों को दुबारा मान्यता प्रदान करने के समय, इन-के साथ इस आशय की एक शर्त बांध कर इस दिशा में शुरूआत की गई थी कि इन इक्सचेंजों के नियमों में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी जाए कि इनके शासी बोर्डों में एक ऐसे व्यक्ति को नामजद किया जाए जिसको "सार्वजनिक प्रतिनिधि" कहा जाए, जिसका प्रतिभूतियों के कारबार से कोई संबन्ध न हो और जो सार्वजनिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। 1980 और 1981 में इस उपबन्ध को बंगलौर, हैदराबाद और कोचीन के स्टाक एक्सचेंजों पर भी लागू कर दिया गया। दिसम्बर 1982 में बम्बई स्टाक एक्सचेंज के नियमों में भी सरकार के अनुरोध पर संशोधन किया गया और एक्सचेंज के शासी बोर्ड पर तीन "सार्वजनिक प्रतिनिधियों" तथा भारतीय रिजर्व बैंक के एक प्रतिनिधि को नामजद किए जाने की व्यवस्था की गई। इन प्रतिनिधियों को निकट भविष्य में ही नामजद किए जाने का प्रस्ताव है। अन्य स्टाक एक्सचेंजों के प्रबन्ध को और अधिक व्यापक आधार पर सुव्यवस्थित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

काजू उद्योग में संकट

1016. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात मण्डियों में मन्दी आ जाने के कारण काजू उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) ऐसी पारम्परिक मंडियां कौन-कौन सी हैं जहां हमारे काजू का निर्यात होता है ; और

(ग) निर्यात व्यापार की स्थिति को सुधारने के लिये अब क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) काजू गिरी की निर्यात कीमत में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई है।

(ख) काजू गिरी के निर्यात के लिए परम्परागत बाजार हैं। आस्ट्रेलिया, कनाडा, चेकोस्लोवासिया, जर्मन, संघीय गणराज्य, हांगकांग, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका सोवियत संघ।

(ग) सामान्य मुद्रा क्षेत्रों तथा अब तक पता न लगे बाजारों में बेचने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। काजू निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अन्य निर्यात संवर्धन उपाय भी किए जा रहे हैं ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में जिन स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति में गतिरोध है, उनको पदोन्नति के अवसर

1017. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्दोलन कर रहे दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संगठन और सरकार के बीच समझौता करने के उद्देश्य से यह विचार किया गया है कि दिल्ली के कालेजो में ऐसे अध्यापकों को, जो 15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, अगले ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो वायु सेना मुख्यालय में जिन स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति में गतिरोध आ गया है, उनके साथ यही व्यवहार न करने तथा 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उन्हें अगले ग्रेड में पदोन्नत न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०पी०सिंह देव) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की पद्धति और सेवा शर्तें आदि सशस्त्र सेना मुख्यालय के आशुलिपिकों की सेवा शर्तों आदि से बिल्कुल भिन्न हैं इसलिए इन दो वर्गों के पदों में तुलना करना उचित नहीं हैं ।

राज्य व्यापार निगम के विदेशी कार्यालयों का नवीकरण

1018. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने विदेशी कार्यालयों के लिए गए नवीकरण का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने विदेशी कार्यालयों के इस प्रकार किए गए नवीकरण के परिणामस्वरूप निर्यात में कितनी वृद्धि हुई ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम के विदेशी कार्यालयों के ढांचे तथा निष्पादन का इस समय मैनेजमेंट द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस बीच, इन विदेशी कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे निर्यातों के संवर्धन पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दें और पिछले वर्ष के दौरान 555 करोड़ रु० के वास्तविक निर्यातों के मुकाबले 1982-83 में 622 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में राज्य व्यापार निगम की मदद करें ।

पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में पर्यटन

1019. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र और आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्यवार योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में रेल और परिवहन के साथ किसी प्रकार का समन्वय किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) असम और मेघालय की राज्य सरकारों की ओर से, भारत पर्यटन विकास निगम ने इन राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए एक सामान्य परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है । भारत पर्यटन विकासनिगम ने भी चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में और जम्मू तथा कश्मीर में होटलों/रेस्तराओं के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किये हैं, जो धनराशि की उपलब्धता और व्यवहार्यता अध्ययनों के संतोषजनक होने पर निर्भर हैं । राज्यवार स्कीमों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जहां कहीं भी जरूरी होता है, रेलवे और परिवहन सहित सभी संबन्धित मंत्रालयों के साथ आवश्यक समन्वय रखा जाता है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	आई० टी० डी० सी० द्वारा जुटाई गई मौजूदा सुविधाएं	आई० टी० डी० सी० की प्लान स्कीमें
1	2	3
(1) जम्मू और कश्मीर	जम्मू में 50 कमरों, 100 बैंडों वाला एक होटल जो 4-स्टार स्तर की अन्य सुविधाएं जुटाता है । पर्यटन विभाग की ओर से प्रबंध आधार पर शालीमार बाग, श्रीनगर में ध्वनि-क प्रकाश शो का संचालन	गुलमर्ग में होटल भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त उद्यम स्कीम के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से स्कीम तैयार की जा रही है। लेह, कुकरनगर, कामिल बटोट, कंगम और मार्तण्ड में होटलों का निर्माण करने के लिए

1	2	3
		राज्य सरकार से उपयुक्त स्थलों का अधिग्रहण करने के वास्ते अनुरोध किया गया है।
(2) हिमाचल प्रदेश	कुल्लु और मवाली में क्रमश: 6 कमरों 22 बैडों और 10 कमरों 30 बैडो वाले यात्री गृह।	चालू योजनावधि के दौरान कुल्लु और मनाली में यात्री गृहों के विस्तार की परिकल्पना की गई है।
(3) उत्तर प्रदेश में		भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त उद्यम स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सहयोग से प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।
(4) असम	(1) गोहाटी में एक परिवहन यूनिट जिसके फ्लीट में 4 वाहन हैं जिसमें से 2 एम्बेसेडर कारें एक बड़ा और मिली कोच है।	भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त उद्यम स्कीम के अन्तर्गत गोहाटी में एक होटल की स्थापना की जा रही है।
	(2) पर्यटन विभाग की ओर से भारत पर्यटन विकास निगम काजीरंगा में 24 कमरों/48 बैडों वाले एक 3-स्टार वन गृह का परिचालन कर रहा है।	
(5) मेघालय	राज्य सरकार की ओर से भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा	मेघालय सरकार की ओर से भारत पर्यटन विकास

1	2	3
	प्रबंध आधार पर 55 कमरों वाले 3 स्टार होटल-होटल पाइनवुड शिलांग का परिचालन किया जा रहा है।	निगम ने मेघालय में पर्यटन के विकास के लिए छठी योजना 1980-82 तैयार की है।
(6) अरुणाचल प्रदेश	--	भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त उद्यम स्कीम के अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक विकास एवं वित्त निगम के सहयोग से 55 लाख रु० की अनुमानित लागत पर इटानगर में 20 कमरों वाले-स्टार होटल का निर्माण करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।
(7) मिजोरम	—	ऐजुल और कोलासिव में राज्य पर्यटक गृहों का प्रबंध हाथ में लेने के लिए राज्य सरकार से सहयोग से परामर्श करके करारों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
(8) मणिपुर	—	भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त उद्यम स्कीमों के अन्तर्गत मणिपुर की राज्य सरकार के सहयोग से इंफाल में 25-30 कमरों वाले 3 स्टार होटलों का निर्माण करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

1	2	2
(9) त्रिपुरा	—	भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त उद्यम स्कीम के अन्तर्गत अगरतला में एक छोटे होटल का निर्माण करने के लिए संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।
(10) नागालैंड	—	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम द्वारा दीमापुर में निर्माणाधीन 26 कमरों वाले 3-स्टार होटल को हाथ में लेने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम ने मैनेजमैंट की शर्तें भिजवा दी हैं ।

विदेश व्यापार में घाटा

1082. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष 1982-83 (वर्तमान अवधि तक) के दौरान आयात और निर्यात में विदेश व्यापार में कितना घाटा हुआ है ; और

(ख) प्रतिकूल व्यापार-संतुलन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अक्तूबर, 1982 तक उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-अक्तूबर, 1982 के दौरान भारत का विदेश व्यापार घाटा 3327.63 करोड़ रु० रहा ।

(ख) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं ताकि आगे आने वाले समय में भारत के विदेशी व्यापार के घाटे को कम किया जा सके । इन उपायों में ये शामिल है :—

1. 'लाइसेंसशुदा क्षमता' तथा 'प्राधान्य' के प्रयोजनार्थ निर्यात हेतु उत्पादन का अलग किया जाना ;

2. वहां निर्यात हेतु नई वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति जहां उस वस्तु में भिन्नता हो जिसके विनिर्माण के लिये औद्योगिक एकक लाइसेंस दिया गया हो;

3. निर्यात उत्पादन के लिये प्रगतिशील तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी आयातों के लिये, जिनमें

रायल्टी की एकमुश्त अदायगी अन्तर्गत हो, अनुकूल व्यवहार प्रदान करना ;

4. सभी 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसा व्यवहार ;

5. निर्यातों हेतु उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजनार्थ उद्योगों की विस्तारित सूची में स्वतः विस्तार की अनुमति देना ;

6. इंजीनियरी की कतिपय मदों तथा अन्य निर्यात अभिमुख उद्योगों के सम्बन्ध में रियायती ब्याज दर पर लदान-पूर्व ऋण की अवधि को 135 दिन से बढ़कर 780 दिन किया जाना ;

7. महानगरीय शहरों में ऐसे एककों को, जो निर्यात के लिये उत्पादन करते हैं, नये औद्योगिक उपक्रमों पर लगाए गये प्रतिबन्धों में चयनात्मक छूट देना ;

8. हाल ही में स्थापित एक्जिम बैंक से निर्यात वित्त का प्रावधान बढ़ाने की आशा है ;

9. इंजीनियरी माल के निर्यातकों को उनकी स्टील की आवश्यकताओं की पूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर की जाती है। निर्यातकों के निर्यात हो जाने के बाद घरेलू कीमत तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के बीच अन्तर की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है ;

10. शुल्क वापसी के संवितरण में विलम्ब को कम करने के लिये नीतियों तथा प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाया जाना ;

11 सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम के निर्यातों को बढ़ाने की संभाव्यता का पता लगाना ;

12. नकद मुआवजा सहायता मंजूर करने की नीति 31 मार्च, 1985 तक की तीन वर्ष की और अवधि के लिये बढ़ा दी गई है ; और

13. वर्तमान आयात तथा निर्यात नीति, 1982-83 को उत्पादकता वर्ष और निर्यात क्षेत्र में और अधिक तेजी लाने की अत्यावश्यक जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

साथ ही प्रमुख आयात मदों जैसे कि पी. ओ. एल. उर्वरकों, तिलहन आदि के सम्बन्ध में घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत छूट वाले न्यास

1021. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक कितने गैर सरकारी न्यास अस्तित्व में हैं; और

(ख) उनमें से कितने न्यासों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पूरी छूट दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) मांगी गई सूचना प्रस्तुत नहीं की जा सकती क्योंकि संगत सांख्यिकीय आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निजी न्यासों को पूरी छूट नहीं मिलती।

आयकर विभाग में वरिष्ठता का पुनरावलोकन

1022. **श्री सोमजी भाई दामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने दिनांक 6 जनवरी, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20036/1/80- इस्टेब्लिशमेंट द्वारा सभी मन्त्रालयों और केन्द्रीय सरकार के विभागों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर स्थायी करने व न कि कोटा प्रणाली के आधार पर वरिष्ठता के पुनरावलोकन आदेश जारी किए हैं ;

(ख) क्या आयकर विभाग की सभी शाखाओं में (चार्जों) में उन आदेशों को लागू कर दिया गया है और सभी शाखाओं में आदेश को लागू करने की तारीख क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो आयकर विभाग की उन शाखाओं (चार्जों) के नाम क्या हैं जिनमें दिनांक 6 जनवरी, 1981 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन को अभी तक लागू नही किया गया है ; और

(घ) आयकर विभाग की इन दोषी शाखाओं (चार्जों) में कब तक इन आदेशों को लागू करने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) आयकर कर्मचारी महासंघ 1978 से यह मांग करता आ रहा है कि आयकर विभाग में वरिष्ठता तथा पदोन्नति के प्रयोजन के लिए "मूल संवर्ग वरिष्ठता" को अपनाया जाय। महासंघ की यह मांग विचाराधीन रही है। महासंघ की मांग को देखते हुए, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 6 जनवरी, 1981 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों के अनुपालन के लिए आयकर विभाग में अभी तक उनकी समीक्षा नहीं की जा सकी है।

पुन्नक्याल में नौसेना के पोतों के लिए सूखा बन्दरगाह

1023. **श्री के० टी० कौशलराम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि तूतीकोरिन के नजदीक पुन्नक्याल में नौसेना के पोतों के लिए सूखे बन्दरगाह के लिए 40 फीट से अधिक डुबाव की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां तो इस परियोजना को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टैक्नोलोजी का आयात

1024. **श्री जयनारायण रौत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेक्नोलौजी का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) से (ग) वर्तमान नीति की शर्तों के अनुसार सरकार आधुनिक और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, निर्यात अभिमुख अथवा आयात ऐवजी निरिर्माण, अथवा घरेलू उद्योग को भारत में विद्यमान अद्यतन टैक्नोलौजी प्रदान करने के लिए ताकि बदलते उपभोक्ता अधिमानों को प्रभावशाली ढ़ंग से पूरा किया जा सके और। अथवा निर्माण बाजार में प्रतियोगी बन सके, टैक्नोलोजी के आयात की अनुमति दे रही है। 23 जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण में यह कहा गया है कि जहाँ कहीं बड़े पैमाने का उत्पादन आधार, विदेशों में भारतीय उद्योग की प्रतियोगिता को बढ़ाएगा, सरकार आधुनिक टैक्नोलौजी के प्रयोग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

1982-83 के लिए आयात और निर्यात नीति (खन्ड 1) के अध्याय 19 में टैक्नालोजी के आयात के सम्बन्ध में दिए गए उपबन्धों को भी देखें ।

सीधे करों में छूट के कारण राजस्व में घाटा

1025. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पिछले दस वर्षों के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की दृष्टि से सीधे कर नियमों में छूट तथा आयकर और कारपोरेट कर देने वाले उद्यमियों को अनेक प्रोत्साहन दिये हैं ;

(ख) इस प्रकार की छूट से सरकार को अनुमानत: राजस्व में कितना घाटा हुआ है ;

(ग) क्या किसी स्वतंत्र संगठन ने पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की वृद्धि और रोजगार की क्षमता के निर्माण की तुलना में राजस्व में हुए घाटे का का मूल्यांकन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार किए गए अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) सरकार ने, प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974 के माध्यम से आयकर अधिनियम, में धारा 80 जज जोड़कर, पिछड़े हुए क्षेत्रों में नये औद्योगिक उपक्रम अथवा होटल कारोबार स्थापित करने के लिए प्रोसाहन दिये जाने की व्यवस्था की है। इस धारा में यह व्यवस्था है कि सभी वर्गों के अन्तर्गत आने वाले कर दाता आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में 31-12-1970 के पश्चात् स्थापित किए गए औद्योगिक उपक्रमों और मंजूरशुदा होटलों से उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों के 20 प्रतिशत के बराबर कटौती के हकदार होंगे । यह रियायत, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करने पर ही मिल सकती है । यह रियायत, औद्योगिक उपक्रम द्वारा वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन या होटल का कारोबार प्रारम्भ किए जाने के पूर्ववर्ती वर्ष के संगत निर्धारण वर्ष से शुरू होने वाले 10 कर-निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक में उपलब्ध है ।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 80 जज में निहित कर रियायतों के कारण होने वाली राजस्व हानि का तथातथ्य अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ग) सरकार को ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

1026. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सभी सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों के नाम क्या हैं जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं,

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे सभी अधिकारियों के काडर का ब्यौरा देते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की इन कम्पनियों का पूरा ब्यौरा क्या है,

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों में उच्च पदों पर व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण की कमी के बावजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने के क्या कारण हैं, और

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ऐसी व्यर्थ की प्रतिनियुक्ति को बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रों के 19 उपमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 35 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं । भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों के नाम/पदनामसहित इन उद्यमों के नामों का विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च प्रबन्धकीय पदों के लिये चयन पदों की कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तियों की अर्हताओं तथा अनुभव के आधार पर किया जाता है । इन पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन अन्य लोगों की तुलना में उनकी बेहतर उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है ।

मौजूदा नीति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी जो 2500-3000 रुपये (परिशोधन पूर्व) के वेतनमान वाले अनुसूची "ग" के पद पर कार्य कर रहा है, 2 वर्ष और निम्न स्तरीय पद पर कार्य करने वाला तीन वर्ष से अधिक अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर नहीं रह सकता है । इस अवधि के भीतर ही उसे उपक्रम में स्थायी संविलयन अथवा अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन के लिये विकल्प प्रस्तुत करना पड़ता है ।

सरकारी उद्यम चयन मण्डल की मौजूदा चयन नीति के अन्तर्गत यह प्रयास किया जाता है कि सरकारी उद्यमों के भीतर ही प्रबन्धकीय विकास को बढ़ावा दिया जाय । जब तक कि बाहर से कोई विशेष सुयोग्य उम्मीदवार सुलभ न हों तो रिक्त पदों को उद्यम के भीतर ही प्रोन्नति

द्वारा भर दिया जाता है। जिस उद्यम में कोई उपयुक्त उम्मीदवार सुलभ न हो तो, सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों के उम्मीदवारों को अधिमान्यता दी जाती है। सरकारी उद्यमों में उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर सरकारी सेवा और गेर सरकारी क्षेत्र जैसे अन्य स्रोतों से व्यक्तियों का चयन किया जाता है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1982 को सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्य पालकों और कार्यकारी निदेशकों के रिक्त पद

क्र० सं	पद/उद्यम का नाम	पद रिक्त होने की तारीख
	क-मुख्य कार्यपालक	
	1. रिक्तियां जिनके लिए सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने सिफारिशें भेजी हैं।	
1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इ) लि०	1.7.1982
2.	प्रबन्ध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन	7.6.1982
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जेसप एण्ड कं० लि०	1.12.1982
4.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ग्राम विद्युतीकरण निगम	19.8.1982
5.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इण्डियन पेट्रों-केमिकल्स कारपो०	28.2.1982
6.	प्रबंध निदेशक, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०	1.12.1982
7.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रद्दी धातु व्यापार निगम	1.8.1982
8.	प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०	15.4.1982
9.	प्रबंध निदेशक, होटल कारपो० आफ इण्डिया	1.4.1982
10.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय चाय व्यापार निगम	23.5.1982
11.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दिल्ली परिवहन निगम	6.5.1982
12.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारी इन्जीनियरी निगम	22.11.1982
13.	प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान केबल्स लि०	23.8.1982
14.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड	नया पद
15.	प्रबंध निदेशक, राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लि०	नया पद
16.	प्रबंध निदेशक, नागालेण्ड पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०	नया पद

ख-कार्यकारी निदेशक

1. रिक्तियां जिनके लिये सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने सिफारिशें भेजी हैं।

क्र० सं०	पद/उद्यम का नाम	पद रिक्त की तारीख
1.	निदेशक (वित्त), बर्न स्टेण्डर्ड कं० लि०	15.7.1982
2.	निदेशक (परियोजना), इन्जीनियर्स इण्डिया लि०	1.9.1982
3.	निदेशक (तेल शोधक), भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	30.1.1982
4.	निदेशक (उत्पादन), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	1.1.1982
5.	निदेशक (वाणिज्य); इंजीनियर्स इण्डिया लि०	18.11.1982
6.	निदेशक (तकनीकी), इन्जीनियर्स इण्डिया लि०	नया पद
7.	निदेशक, (परियोजना प्रबन्ध), ब्रिज एण्ड रूफ कं० लि०	नया पद
8.	निदेशक, (वित्त), ब्रिज एण्ड रूफ कं० लि०	नया पद
9.	निदेशक, (वित्त), मारुति उद्योग लि०	नया पद
10.	निदेशक, (वित), इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कं० लि०	नया पद
11	निदेशक (तकनीकी), कोल इण्डिया लि०	नया पद
12.	निदेशक (तकनीकी), हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	नया पद
13.	निदेशक, (विपणन), इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	नया पद
14.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान केबल्स लि०	नया पद

11. सरकारी उद्यम चयन मण्डल के विचाराधीन रिक्त पद

1.	कार्यपालक निदेशक, (कार्मिक) ,राज्य व्यापार निगम	26.9.1981
2.	कार्यपालक निदेशक, (विपणन), राज्य व्यापार निगम	31.7.1982
3.	निदेशक (कार्मिक), ईस्टर्न कोलफील्इस लि०	1.2.1982
4.	कार्यपालक निदेशक, खनिज एवं धातु व्यापारिक निगम	20.5.1981
5.	निदेशक, (वित्त), ब्रैथवेट एण्ड कं० लि०	1.11.1982
6.	निदेशक' (इन्जीनियरी), नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपो०	24.12.1982
7.	निदेशक, (इन्जीनियरी), भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	25. 0.1982

क्र० सं०	पद/उद्यम का नाम	पद रिक्त की तारीख
8.	निदेशक, (विपणन), हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०	24.12.1982
9.	निदेशक, (अनुसंधान एवं विकास), भारतीय तेल निगम	नया पद
10.	निदेशक, (वित्त एवं वाणिज्य), हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	नया पद

गोले के तेल का आयात

1027. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक साल में कुल कितना गोले के तेल का आयात किया गया ;

(ख) क्या फिलीपीन्स से गोले के तेल का आयात करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या केरल सरकार ने इस प्रकार के आयात का विरोध किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) गत एक वर्ष के दौरान आयातों के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1981-82 में, जुलाई 1981 तक आयात किये गये नारियल के तेल की कुल मात्रा 19,041 मे० टन थी।

(ख) तथा (ग) : नारियल के तेल का आयात राज्य-व्यापार निगम की मार्फत सरणीबद्ध है। तथापि, पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत वसायुक्त अम्लों। वसायुक्त एमीनों के निर्यातों के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में सीधे आयात के लिए सीमित प्रावधान है। केरल सरकार ने नारियल के तेल के आयात का विरोध किया था लेकिन सरणीकरण अभिकरण ने अब तक इस मद का कोई आयात नहीं किया है। सरणीकरण अभिकरण द्वारा फिलीपीन ने नारियल के तेल का आयात करने का भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

राज्य के स्रोतों में कमी आना

1028. **श्री सोम नाथ चटर्जी** : क्या **वित्त** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मंहगाई भत्ते और वेतन में संशोधन के कारण राज्यों की समस्याओं के बारे में जानकारी है जिसके कारण उनके साधन में बहुत कमी आई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : जी हां,।

(ख) राज्यों की वार्षिक आयोजना को अन्तिम रूप देते समय, वेतन और मंहगाई भत्ते में संशोधन सहित, सभी सम्भावित व्यय को हिसाब में लेने के पश्चात् राज्यों के संसाधनों का निर्धारण किया जाता है।

स्वदेशी ग्रुप आफ मिल्स का राष्ट्रीयकरण

1029. **श्री आर० एन० राकेश:**

श्री चिंतामणि जैन :

श्री अमर राव प्रधान : क्या वाणिज्य मन्त्री स्वदेशी ग्रुप आफ मिल्स का कार्यक्रम के बारे में 22 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में कार्य सम्बन्धी स्थायी परिणाम क्या रहे हैं ;

(ख) स्वदेशी काटन मिल्स कं० लिमिटेड की सभी यूनिटों और इससे सम्बन्ध स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को राष्ट्रहित में और 15000 से अधिक कामगारों को रोजगार देने को सुनिश्चित करने के लिए तथा सरकारी खर्च से आधुनिकीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से इसका अधिग्रहण करने और/अथवा राष्ट्रीयकरण करने में क्यों झिझक रही है ; और

(ग) यदि नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन ने अधिग्रहण के अप्रैल, 1983 में पांच साल पूरे होने वाले इन के आधुनिकीकरण पर कुछ व्यय नहीं किया है तो अभी भी इनका तुरन्त राष्ट्रीयकरण न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) अप्रैल से दिसम्बर, 1982 की अवधि के दौरान स्वदेशी ग्रुप आफ मिल्स को 5.53 करोड़ रु० की अनन्तिम हानि हुई ।

(ख) तथा (ग) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि० के 6 औद्योगिक उपक्रमों (वस्त्र मिलों) का उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है । यह नहीं बताया जा सकता कि अधिग्रहण किये गए एकक्रों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा ।

लद्दाख में जांसकर के लोगों की डाक और यात्रियों के लिए है लीकाप्टर सेवा की मांग

1030. **श्री पी० नाम्यपाल :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के घिरे क्षेत्र लाहौल और स्पीती के लिए रक्षा मन्त्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से महीने में दो बार हैलीकाप्टर सेवा चलाई है ; और

(ख) क्या लद्दाख के जांस्कर के लोगों ने भी डाक और यात्रियों के लिए हैलीकाप्टर सेवा शुरू करने के लिए ऐसी ही मांग की है और यदि हाँ, तो भारत सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ।

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर लाहौल स्पीती घाटी में अप्रैल, 1983 तक महीने में दो बार हैलीकाप्टर सेवा चलाने की बात मान ली गई है ।

(ख) यद्यपि जांस्कर में हैलीकाप्टर सेवा शुरू करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है परन्तु इसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेना संगठनों में कार्य कर रहे सिविलियन कर्मचारियों का निलम्बन ।

1031. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेना संगठनों में कार्य कर रहे अनेक सिविलियन कर्मचारी लम्बे समय से निलम्बित हैं, जिनमें से कुछ कर्मचारियों को न तो निलम्बित किए जाने के कारण बताए गए हैं और न ही निलम्बल के विरोध में उच्च प्राधिकारियों से अपील करने का अवसर दिया गया है तथा कुछ कर्मचारियों का मूल नियम 53 के सांविधिक उपबन्धों के अनुसार निलम्बन भत्ता भी नहीं बढ़ाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निलम्बित कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है, उन्हें कब निलम्बित किया गया था, उन्हें निलम्बित किएजाने के कारणों से अवगत न कराए जाने तथा निलम्बन भत्ता यथापूर्व दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके निलम्बन को रद्द करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) सशस्त्र सेना मुख्यालय संवर्ग के अन्तर्गत आने वाले सशस्त्र सेना मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठनों के 14 सिविलियन कर्मचारी मुअत्तल किए गए हैं । इस सम्बन्ध में ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

इन 14 कर्मचारियों में से 11 कर्मचारियों को पुलिस प्राधिकारियों द्वारा फौजदारी के आरोप में गिरफ्तार करने के फलस्वरूप मुअत्तिल किया गया । शेष-3 कर्मचारियों को आचरण नियमों का घोर उल्लंघन करने की वजह से मुअत्तिल किया गया ।

केवल एक कर्मचारी के मामले में मुअत्तल करने के कारण नहीं बताए गए हैं, क्योंकि उसकी आरम्भिक जांच रिपोर्ट पर अभी विचार किया जा रहा है ।

9 कर्मचारियों के मामले में निर्वाह भत्ते की समीक्षा की गई है । एक मामले में अभी समीक्षा का काम नहीं हुआ है और शेष 4 मामलों में समीक्षा की जा रही है ।

बैंकिंग कार्य हेतु लाइसेंस के लिए सहकारी बैंकों के आवेदन पत्र

1032. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सहकारी बैंकों के नाम और संख्या कितनी है जिन्होंने बैंकिंग व्यवसाय के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया है ; और

(ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने इस आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही की है ?

विवरण

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पटना	जिस कार्यालय में काम करता है	मुअत्तिली की तारीख
1.	श्री नाम चन्द्र	उच्च श्रेणी लिपिक	थलसेना मुख्यालय	17.1.1980
2.	श्री आर. सुन्दर गोपाल	आशुलिपिक ग्रेड "घ"	नौसेना मुख्यालय	19.1.1980
3.	श्री अमी चंद	चपरासी	नौसेना मुख्यालय	18.2.1980
4.	श्री टी. सी. राजपूत	चपरासी	नौसेना मुख्यालय	19.2.1980
5	श्री कीर्तिवर्धन	अवर श्रेणी लिपिक	थलसेना मुख्यालय	5.11.1980
6.	श्री वी. उमाशंकर	सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी	सुरक्षा कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय	2.3.1981
7.	श्री देश बंधु	उच्च श्रेणी लिपिक	वायु सेना मुख्यालय	17.8.1981
8.	श्री एस. डी. पचभावे	फोटोग्राफर	नौसेना मुख्यालय	21.11.1981
9.	श्री एस. के. गुप्ता	आशुलिपिक ग्रेड "ग"	नौसेना मुख्यालय	3.6.1982
10.	श्री एस. के. जसरा	सहायक	थलसेना मुख्यालय	16.7.1982
11.	श्री बी. एन. शर्मा	उच्च श्रेणी लिपिक	योजना और समन्वय निदेशालय	13:11.1982
12.	श्री देवधर	अवर श्रेणी लिपिक	योजना और समन्वय निदेशालय	13.11.1982
13.	श्री एम. आर. भोला	सहायक	निरीक्षण महानिदेशालय	14.11.1982
14.	श्री ओ.पी. चड्ढा	सहायक	वायुसेना मुख्यालय	29.1.1983

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : 1 मार्च, 1956 को 1089 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक थे, जिनमें वे बैंक भी शामिल हैं, जिन्होंने इस तारीख को ऐसे बैंकों की स्थिति प्राप्त कर ली थी जब कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को सहकारी बैंकों के लिए लागू किया गया था। इनमें से 149 बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस दे दिये गए थे। सहकारी बैंकों पर बैंककारी विनियमन अधिनियम लागू कर दिये जाने के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक ने 177 नये प्राथमिक शहरी) सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान कर दिये इनकी सूची अनुबंध में दी गयी है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5916/83]

समय-समय पर, नये शहरी सहाकरी बैंकों पंजीकरण तथा लाइसेंस दिये जाने के वास्ते आवेदन प्राप्त होते रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये आवेदन सीधे अथवा राज्य सरकारों या अनेकों अन्य प्रवर्तकों के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसे आवेदनों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तभी विचार किया जा सकता है जबकि यह जानकारी मिल जाए कि प्रस्तावित बैंक वास्तव में सहकारी किस्म का होगा, ऐसे बैंक की आवश्यकता उस क्षेत्र में विद्यमान बैंक शाखाओं के शाखा जाल के परिप्रेक्ष्य तथा आवेदक बैंक द्वारा आवश्यक दक्षता, विशेषज्ञता तथा अनुभव पर नियंत्रण होने पर निर्भर है।

इंडियन एयर लाइन्स की कार्यक्षमता में सुधार लाने हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समितियां

1033. **श्री एस० वी० सिदनाल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए दो उच्च अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समितियों द्वारा विचार किए जाने वाले विशेष पहलू क्या-क्या हैं और समितियों के कार्यकारण के परिणाम कब तक मिल जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) : जी, हां।

(ख) : आरक्षण बुकिंग, हवाई अड्डों पर जाँच, सामान सभालने, संचार पद्धतियों, यात्री सूचना सेवा तथा भवनों की देखभाल सहित यात्रियों के लिए सरलीकरण तथा सुविधाओं में सुधार की जांच करने तथा उनमें सुधार करने के लिए उपाय सुझाने के लिए दो दलों का गठन किया गया है।

ये दल अनवरत रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए, प्रबन्धकों को अपनी सिफारिशें करते हैं।

निर्यात लक्ष्य

1034. **श्री सेफुद्दीन चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में रुपयों में निर्यात का कितना लक्ष्य रखा गया है ; और

(ख) आयात और निर्यात के बीच कितना अन्तर है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती रामदुलारी सिन्हा (क): चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए निर्यात लक्ष्य 8650 करोड़ रु० का है।

(ख) : 1982-83 के पहले 7 महीनों के लिए उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निर्यात तथा आयातों के अन्तराल (4) 3327.63 करोड़ रु० का है।

बम्बई-बड़ौदा से दिल्ली के लिए दैनिक उड़ान

1035. **श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार बम्बई-बड़ौदा से दिल्ली और वापसी के लिए "ओवर बुकिंग" और पूरी क्षमता की उड़ानों को देखते हुए सप्ताह में तीन दिन कीचालू उड़ानों के स्थान पर दैनिक उड़ान शुरू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स का 1983 की अपनी गीष्मकालीन समयसारणी में दिल्ली/बड़ौदा (वडोदरा)/बम्बई सैक्टर तथा वापसी में एक दैनिक उड़ान प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

सिक्किम में उत्पादन शुल्क और आयकर से छूट प्राप्त औद्योगिक उपक्रम

1036. **श्री पी० एम० सुब्बा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम में औद्योगिक उपक्रमों को उत्पादन शुल्क और आयकर से छूट है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस नीति से सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व में कितना घाटा होता है ;

(ग) क्या सिक्किम के औद्योगिक उपक्रमों को दी गयी करों की छूट पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) (क) से (ग) : जहाँ तक प्रत्यक्ष कर कानूनों का संबंध है इनको अभी तक सिक्किम में लागू नहीं किया गया है। प्रत्यक्ष कर कानूनों को सिक्किम में लागू करने के प्रश्न पर गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 को 1 फरवरी, 1983 से सिक्किम राज्य में लागू कर दिया गया है। अकेले सिक्किम राज्य में ही औद्योगिक उपक्रमों को अभी तक कोई छूट मंजूर नहीं की गई है।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन योजनाओं को लागू करना

1037. **श्री पी० रामगोपाल नायडू** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष पर्यटन के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं ; और

(ख) इस वर्ष कौन सी योजनायें लागू की जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने हैदराबाद में भारत सरकार का एक पर्यटन कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। भारत पर्यटन विकास निगम का भी आन्ध्र प्रदेश यात्रा और पर्यटन विकास निगम के सहयोग से एक संयुक्त उद्यम स्कीम के रूप में हैदराबाद में एक होटल का निर्माण करने की योजना है। होटल एक 50 कमरों वाली परियोजना के रूप में होगा जिसका निमर्ण 195.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से किया जायेगा। भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1983-84 से 25 लाख रुपये का एक परिव्यय शामिल किया गया है।

अवकाश यात्रा रियायत के स्थान पर एक-मुश्त राशि की अदायगी

1038. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :**

श्री भीखाभाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एल० टी० सी०) के स्थान पर एक-मुश्त राशि की अदायगी करने का अन्तिम निर्णय ले लिया है, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए व्यवस्था है अर्थात् कोई भी व्यक्ति प्रतिपूर्ति की मांग तभी कर सकता है जब वह पहले यात्रा पर व्यय करे। किसी भी व्यक्ति के स्थान की वास्तविक यात्रा किए बिना गए निश्चित एक-मुश्त राशि की अदायगी करना रियायत की भावना के अनुरूप नहीं होगा। यदि दी गई एक मुश्त राशि यात्रा के प्रयोग में न लाई जाए तो यह प्रयोजन बेकार हो जाएगा। इसलिए इससे पहले कि मामले में अन्तिम निर्णय लिया जा सके इस सारे मामले पर बहुत सावधानी से विचार करना पड़ेगा।

एशियाड के लिए होटलों के निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि

1038. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड के लिए आने वाले पर्यटकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में कितने होटलों का निर्माण किए जाने की आशा थी ;

(ख) कितने मामलों में होटल मालिकों को रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई गई थी ; और

(ग) कितने मामले में होटलों का निर्माण एशियाड से पहले समय पर पूरा हो गया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) एशियाड के लिए पर्यटकों को आवास मुहैया कराने के लिए नौ नई होटल परियोजनाओं और एक मौजूदा होटल के विस्तार के लिए अनु मोदन दिया गया था ।

(ख) पब्लिक सेक्टर के एक होटल को रियायती दरों पर भूमि दी गई थी ।

(ग) सूचना विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	होटल का नाम	कमरों की कुल सं०	होटलों के अनुसार तैयार कमरे	एस.ओ.सी द्वारा प्रयोग में लाए गए कमरे
1.	2.	3.	4.	5.
1.	एशियन होटल	588	250	150
2.	सूर्य इंटर नेशनल	258	200	—
3.	सिद्धार्थ कान्टी नेन्टल	156	120	45
4.	मौर्य शेराटन (विस्तार)	122	122	122
5.	ताज पैलेस	500	200	—
6.	सम्राट होटल	300	136	55
7.	सेन्टौर होटल	416	200	9
8.	मैरिडियन होटल	425	100	—
9.	भारत होटल	500	100	—
10.	पार्क होटल	231	50×	—

×अन्यत्र वैकल्पिक आवास की पेशकश की गई

सुपर ताप बिजली घर के लिए रूसी ऋण

1040. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सुपर तापीय बिजली घर की स्थापना के लिए भारत और रूस के बीच ऋण की शर्तों के बारे में मतभेद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मतभेद होने का मुख्य कारण यह है कि रूस ऋण की शर्तों को और कड़ा करना चाहता है जिसमें व्याज की दर को बढ़ाना तथा भुगतान की अवधि को घटाना शामिल है;

(ग) इस संबंध में भारत का क्या दृष्टिकोण है;

(घ) क्या इन शर्तों पर केन्द्रीय सरकार के साथ चर्चा करने के लिए दिसम्बर, 1982 में रूस के उच्चस्तरीय शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया था तथा कोई औपचारिक निर्णय नहीं हो सका था ;

(ङ) क्या रूस से तकनीकी दल ने स्थल का निरीक्षण किया ;

(च) क्या रूस के तकनीकी दल ने बताया है कि ऊर्जा और वित्त, दोनों ही मन्त्रालय बिजली परियोजनाओं के लिए संशोधित शर्तों पर रूसी ऋण लेने के इच्छुक नहीं है ; और

(छ) अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (छ) : विंध्याचल तापीय बिजली घर, जिसका निर्माण इस समय सोवियत सहयोग से किया जा रहा है उसका वित्तपोषण दिनांक 10.12.1980 के 52 करोड़ रूबल के सोवियत ऋण के अन्तर्गत किया जा रहा है। यह ऋण 20 वर्षों की अवधि में 3 वर्ष की छूट की अवधि सहित वापसी अदायगी योग्य होगा। और इसके लिए 2.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की अदायगी की जायेगी। सोवियत सहयोग से और तापीय बिजली घर की स्थापना की संभावना विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में प्रारंभिक विचार विमर्श भारत-सोवियत कार्यकारी दल की विद्युत (पावर) संबंधी ग्रुप की बैठक में किया गया था जो दिसम्बर 1982 में नई दिल्ली में हुई थी, जब दिसम्बर, 1982 में सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ को विदेशी आर्थिक संबंध राज्य समिति के उपाध्यक्ष डाक्टर वी.आई. लिटविनाकों ने भी भारत का दौरा किया था। चूंकि विचार विमर्श अभी तक प्रारंभिक अवस्था में है इसलिए विचार विमर्श के परिणाम का अभी अनुमान लगान या यह बताना संभव नहीं है कि इस विषय में अंतिम निश्चय कब तक हो जाएगा।

कच्चे लोहे का निर्यात

1041. **श्री चिन्तामणी जैना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 और 1981-82 के दौरान, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक देश को कितना कच्चा लोहा निर्यात किया गया और 1982-83 के दौरान कितना निर्यात करने की आशा है; और

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान कच्चे लोहे का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) वर्ष 1980-81, 1981-82 के दौरान देशवार निर्यात की गई लौह आयस्क की मात्रा तथा 1982-83 के लिए लक्षित निर्यात संलगन विवरण में दर्शाये गये हैं।

(ख) विश्व इस्पात उद्योग अत्यधिक मंदा हो जाने के कारण लौह अयस्क की मांग में गिरावट आ रही है। हमारे लौह अयस्क के निर्यातों के लिये बजारों का विविधीकरण करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

गन्तव्य स्थान वार लौह अयस्क के निर्यात

(मात्रा मिलियन में. टन में)

गन्तव्य स्थान	1980-81	1981-82	1982-83 अनुमानित
जापान (एम०टी०सी०)	7.37	7.55	6 95
(गोवा की)	6.75	8.94	9.00
साऊथ (एम०टी०सी०)	1.48	2.45	2.20
कोरिया (गोवा की)	0.72	0.61	0.76
ताइवान (गोवा की)	0.09	0.03	0.01
पश्चिम			
यूरोप (गोवा की)	—	0.26	0.47
केवल खनिज तथा धातु व्यापार निगम			
यू.एस.आर.	2.02	2.09	2.71
रोमानिया	3.04	4.09	2.71
चैकोस्लोवाकिया	0.35	0.36	0.16
हंगरी	0.11	0.06	0.01
जर्मनी (पूर्व)	0.46	0.68	0.62
यूगोस्लाविया	0.56	0.33	—
बुलगारिया	—	0.09	0.10
पाकिस्तान	0.05	0.11	0.10

1	2	3	4
साऊदी अरब	0.04	0.11	0.19
आबू धाबी	0.15	0.16	
दुबाई	—	0.06	
ईराक	—	—	
मलयेशिया	0.04	0.03	0.02
उतरी कोरिया	0.13	0.03	—
योग	23.49	25.94	26.32

राजनयिकों द्वारा तस्करी

1042. **श्री बो०बो० देसाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर दिनांक 3 नवम्बर, 1982 को एक अमरीकी राजनयिक को उसकी पत्नी सहित रोका गया और उससे सीमाशुल्क विभाग द्वारा 23 लाख रुपये कीमत का निषिद्ध माल जब्त किया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस घोटाले में ऐसे अनेक राजनयिक पकड़े गये हैं ;

(ग) तस्करी कार्य में बड़ी संख्या में राजनयिकों के पाए जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या उनसे निबटने के लिए कोई कानून पेश किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब किए जाने की संभावना है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टा भिरामराव) : (क) दिल्ली हवाई अड्डे पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों ने 1-11-1982 को संयुक्त राज्य अमरीका के दूतवास के एक अराजनयिक कर्मचारी और उसकी पत्नी के चार सूटकेस रोक लिए थे । यह दम्पत्ति हांगकांग से हवाई जहाज द्वारा पहुंची थी । 3 नवम्बर, 1982 को इन सूटकेसों की जांच करने से डिक्सामिथेसोन साइना को बालियम, और प्रिडिनसोलन चूर्ण, घड़ियों के पूर्जे, कलाई घड़िया आदि बरामद हुए । इस माल का लागत बीमा भाड़ा सहित कुल मूल्य लगभग 21.84 लाख रुपये था और इसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अभिगृहीत कर लिया गया था ।

(ख) अब तक की गई जांच पड़ताल से यह पता नहीं चलता कि मौजूदा मामले में दूतावास के कोई अन्य राजनयिक/अराजनयिक अन्तर्ग्रस्त थे ।

(ग) 1982 के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों ने दूतावास के 6 राजनयिक/अराजनयिक कर्मचारियों का तस्करी की गतिविधियों में ग्रस्त होने का पता लगाया। ऐसे मामलों में सरकार ने सम्बन्धि देशों की सरकार के सहयोग से उचित कार्यवाही की है और वह इन सरकारों के साथ गोपनीय सम्पर्क साधे रखती है ताकि दुरूपयोग ऐसे मामले फिर नहीं होने पायें।

(घ) और (ङ) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है, जिसके अधीन तस्करी में अन्तग्रस्त राजनयिकों के खिलाफ कार्यबाही करने के लिए किन्हीं प्रथक विधायी उपायों को लागू करने के लिए कहा गया हो।

विशेषाधिकृत व्यक्तियों को प्राप्त इन आयात सुविधाओं की व्यवस्था राजनयिक और कौंसलीय सम्बन्धों पर वियना अभिसमय के अधीन की गई है जिसका पक्षकार भारत भी है। इन आयातों के तरीकों और कुछ मामलों में उनके निपटाने को विनियमित करने के लिए समय पर नियम बनाये जाते रहे हैं। आमतौर पर इन नियमों का पालन होता रहा है। जब भी इन नियमों का उल्लंघन होता है, तो आवश्यक उपचारी कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ सम्बन्धित सरकार को भी उसकी सूचना दी जाती है।

भारतीय वायुसेना की रूटीन और प्रशिक्षण उड़ानों की दुर्घटनाएं, जिनमें मौतें हुईं

1043. **श्री अर्जुन सेठी** :

श्री रामजाल राही : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 और 1982 में भारतीय वायुसेना को नैमिक (रूटीन) और प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान न ऐसी कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई जिसमें मौते हुई और विमानों को क्षति पहुची;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ये विमान वायु-दुर्घटनाएं विश्व के अन्य देशों में होने वाली दुर्घटनाओं की तुलना में काफी चौंकाने वाली हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए निगरानी की कोई प्रणाली तैयार की गई है; और

(घ) क्या इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) भारतीय वायु सेना में 1981-82 और 1982-83 में प्रति 10,000 उड़ान घटों पर क्रमश: 0.82 और 1,52 दुर्घटना दर रही।

(ख) दूसरे देशों में विमान दुर्घटनाओं के प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है इसलिए ऐसे किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता।

(ग) सभी बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं की जांच,जांच-अदालतों द्वारा की जाती है और इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय, जहां जरूरी हों किए जाते हैं। थलसेना मुख्यालय में सक्रिया तथा अनुरक्षण स्टाफ द्वारा और फील्ड फार्मेशनों में भी दुर्घटनाओं के कारणों पर निगरानी रखी जाती है और उपचारात्मक उपायों का अनुपालन किया जाता है।

(घ) उड़ान सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने और विमान तथा जमीन पर काम करने वाले विमान के कार्मिकों के प्रशिक्षण को व्यापक बनाने के संबंध में अनेक उपायों पर विचार किया जा रहा है। हवाई अड्डों के पास पक्षियों का उड़ना कम कराके पक्षियों से टकराकर होने वाली विमान दुर्घटनाओं में बहुत कमी लाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

बालासोर, उड़ीसा में रक्षा प्रतिष्ठान

1044. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रक्षा** मन्त्री बालासोर, उड़ीसा में रक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में 13 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5439 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के तटवर्ती जिला बालासोर में स्थापित किए जाने के लिए निश्चित किए गए नेशनल टेस्ट रेंज को शीघ्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किन विशिष्ट क्षेत्रों का विकास शुरू किया गया है; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) नेशनल टेस्ट रेंज सुविधाओं के लिए क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) चांदीपुर के पास न्यूनतम सुविधाएं स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा मंजूर किया गया निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

सेना में कैप्टन के रैंक के अधिकारियों की वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने पर पदोन्नति

1045. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में केप्टन के रैंक के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंच चुके हैं और ग्रुप-डी परीक्षा पास कर चुके हैं लेकिन जो अभी तक पदोन्नत नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें कब तक पदोन्नति कर दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) 31.12.1982 की स्थिति के अनुसार थलसेना में कैप्टन के रैंक के 335 ऐसे अफसर थे जिन्होंने भाग "घ" परीक्षा पास कर ली थी और कैप्टन के वेतनमान में अधिकतम तक पहुंच गए थे परन्तु अभी पदोन्नत नहीं हुए थे।

अफसर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद मेजर के स्थायी रैंक में पदोन्नति के पात्र होते हैं :-

(I) अफसर ने 13 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(II) निर्धारित 13 वर्ष की सेवा के भीतर अफसर ने पदोन्नति परीक्षा भाग "घ" पास कर ली हो; और

(III) सेवा का रिकार्ड संतोषजनक हो ।

आमतौर पर स्थायी रैंक में अदोन्नत करने के आदेश जारी करने से पहले संबंधित रक्षा लेखा नियंत्रकों और रक्षा लेखा महानियंत्रक के साथ परामर्श करके जांच पड़ताल संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने में थलसेना मुख्यालय में तीन चार महीने का समय लग जाता है । परन्तु आदेश उस पिछली तारीख से लागू किए जाते हैं जिस तारीख को अफसर ने 13 वर्ष की सेवा पूरी की हो ।

उपर्युक्त 335 अफसरों ने अपनी 13 वर्ष की सेवा नवम्बर/दिसम्बर 1982 में पूरी की है अत: उनके मामले अंतिम रूप से तैयार किए जा रहे हैं ।

भारतीय स्टेट बैंक की मेहसाना और गांधीनगर शाखाओं का ठगा जाना

1046. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की मेहसाना और गांधीनगर (गुजरात) शाखाओं को ठगा गया है और लगभग 4 करोड़ रुपये से वंचित किया गया है ;

(ख) क्या इस ठगी का पूर्ण ब्यौरा प्राप्त करने के लिए कोई जांच की गई है;

(ब) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और प्रथम सूचना रपट दर्ज कराई गई है ;

(ङ) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि मई, 1978 से जून, 1982 तक की अवधि के बीच उसकी गांधीनगर शाखा में एक क्लर्कने जालसाजी की थी जिसमें 3.24 करोड़ रुपये (लगभग) की रकम अन्तर्ग्रस्त थी । बैंक ने कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए कई उपाय किये हैं और धन बरामद करने के लिए भी उसने कार्रवाई शुरू की है । इस बीच, बैंक ने अपने आठ कर्मचारियों को, जो प्रत्यक्षत: इस जालसाजी के लिए जिम्मेदार पाये गये थे, मुअत्तल कर दिया है । केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने भी 4 दिसम्बर, 1982 को बैंक के तीन कर्मचारियों और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जाँच अभी पूरी नहीं हुई है ।

भारतीय स्टेट बैंक ने आगे और सूचित किया है कि मार्च, 1982 और जून, 1982 तक की अवधि के बीच उसकी मेहसाना शाखा में 2.16 लाख रुपये की जालसाजी की गई थी बैंक ने

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास शिकायत दायर की है जिसने एक मामला दर्ज किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी किये जाने तक बैंक के एक कर्मचारी को मुअत्तल किया गया है। बैंक ने सूचित किया है कि उसने कार्य प्रणालियों में सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की है। इन दोनों जालसाजियों के बारे में और अधिक ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा क्योंकि इससे जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

छुपाई गई आय की सूचना मिलने पर आयकर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही

1047. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि आयकर विभाग को छुपाई गई आय के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है फिर भी वह छापे मारने में प्रभावी नहीं है और सूचना देने वालों को पुरस्कार की धनराशि देने के लिए समय पर कार्यवाही नहीं करता है ;

(ख) यदि नहीं, तो जनवरी, 1981 से जनवरी, 1983 तक प्राप्त हुई सूचना पर की गई कार्यवाही का माहवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) जनवरी,1981 से जनवरी, 1983 के दौरान सूचना देने वालों को दी गई पुरस्कार की राशी का माहवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) छुपाई गई आय की सूचना देने के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्राप्त हुई तथा एकत्र की गई सूचना के आधार हर पिछले 3 वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या निम्नानुसार थी :-

वर्ष	तलाशियों की संख्या
1980-81	3746
1981-82	4282
1982-83 (जनवरी, 1983 तक)	3459

(ग) पुरस्कारों के महीने-वार ब्योरे, तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। पिछले दो वर्षों में अदा की गई पुरस्कार की कुल रकम निम्नानुसार है :-

1980-81	13,66,330/-रु०
1981-82	30,86,995/-रु०

(घ) निरीक्षण निदेशक (जांच) आयकर आयुक्त, जिसे सूचना दी जाती है, राजस्व में

होने वाले लाभ के, जो प्रत्यक्षतः मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के कारण हुआ हो, 10 प्रतिशत से अनधिक पुरस्कार, पुरस्कार प्रदान करने के नियापक मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित शर्तों के तहत मंजूर करने हेतु समक्ष है। जिन मामलो में पुरस्कार की कुल रकम 50,000/-रु० से अधिक होती है, उनमें इसकी मंजूरी केन्द्रीय प्रतक्ष कर बोर्ड द्वारा दी जाती है। इस बात को बढ़ावा देने के लिए कि मुखबिरों से निरन्तर सूचना आती रहे,वर्तमान मार्गदर्शी-सिद्धान्तों में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरक.र के विचाराधीन है।

आवास सहकारिताओं को दिए गए ऋण पर जीवन बीमा निगम द्वारा व्याज की दर घटाना

1049. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरी विकास की केन्द्रीय परिषद और स्थानीय सरकार ने जीवन बीमा निगम द्वारा आवास सहकारिताओं को दिए गए ऋणों पर वसूल की जाने वाली व्याज की दर घटाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास कार्यक्रमों को त्वरित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) : जी हां,।

(ख) जीवन बीमा निगम शीर्षस्थ सहकारी आवास समितियों को दिए जाने वाले ऋणों पर इस समय 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज ले रहा है। बाजार में दीर्घावधिक ऋणों के व्याज की प्रचलित दरों को देखते हुए यह दर ठीक ही है।

(ग) आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए मकान बनाने की योजनाओं को कार्यान्वित करना सरकार के नए 20-सूत्री कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। छठी योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के मकान बनाने के वास्ते सरकारी क्षेत्र से प्रत्यक्ष सहायता की परिकल्पना की गई है। साधारण बीमा कम्पनियां, राष्ट्रीयकृत बैंक और आवास तथा नगर विकास निगम भी इस प्रयास में अपना-अपना योगदान दे रहे हैं।

इस प्रयोजन के लिए जो नीति अपनाई गई है, उसके अनुसार न्यूनतम निर्माण-कार्य के लिए व्याज की रियायती दरों पर तथा 20-25 वर्ष की अवधि में चुकाए जाने वाली पर्याप्त राशियों के साथ "मकान के स्थलों और सेवाओं" की व्यवस्था की जाएगी। यह योजना इस आशा के आधार पर तैयार की गई है कि इससे लाभ उठाने वाले लोग, कुछ समय बाद, अपने मकान में सुधार करने की स्थिति में हो जाएंगे।

कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का प्रस्ताव

1050. **श्री नवीन रावथी :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) वर्ष 1982-83 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(घ) आगामी वर्ष 1983-84 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किए जाने की संभावना है ।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) जी हां, ।

(ख) राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से बढ़े हुए उत्पादन तथा उत्पादकता के जरिये फार्म उत्पादों के निर्यात बढ़ाने का प्रस्ताव है । कृषि वस्तुओं के निर्यातों को व्यापार मेलों में भाग लेकर व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के आदान-प्रदान तथा चुनिन्दा पदों पर प्रोत्साहन देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(ग) वर्ष 1982-83 के लिए लक्ष्यों तथा प्रमुख कृषि उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(घ) 1983-84 के दौरान कृषि वस्तुओं के निर्यात में लक्ष्य तैयार किए जा रहे हैं ।

विवरण

वर्ष 1982-83 के लिए लक्ष्यों तथा प्रमुख कृषि उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण ।

मूल्य करोड़ रु० में

क्रमांक	वस्तु	लक्ष्य 1982-82	1982 (अप्रैल-दिसम्बर)
1.	तम्बाकू (क्तम्बाकू उत्पाद सहित)	300.00	210.77
2.	काजू (सी० एन० एस० एल० सहित)	160.00	111.66
3.	संसाधित खाद्य पदार्थ	220.00	192.00
4.	मसाले (छोटी इलायची को छोड़ कर)	70.00	41.97
5.	अरंडी का तेल	48.00	24.47
6.	चपड़ा (लाख दाना सहित)	18.00	9.93
7.	चावल गैर बासमती	180.00	124.91
	बासमती	105.00	64.09
8.	चीनी	120.00	74.05

x अनन्तिम

कटार/द्वारा भारत से समुद्री खाद्यों के आयात पर रोक

1051. **श्री शांतुभाई पटेल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर कटार ने भारत से समुद्री-खाद्यों, जैसे मछली, झींगा मछली लावस्टर आदि के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(ख) यदि हां; तो क्या ऐसी कोई सरकारी एजेंसी नहीं है जो यह सुनिश्चित करे कि आयात किए जाने वाले समुद्री खाद्यों का अपेक्षित स्तर न गिरें तथा निर्यातक गलत तरीके न अपनाए ; और

(ग) क्या किसी अन्य देश ने भी भारतीय समुद्री-खाद्यों पर रोक लगायी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां, । कटार ने भारत पाकिस्तान, बंगलादेश, आदि से रीटर फिश, ओइस्टर, श्रिम्पस् तथा लोबस्टर्स के आयात पर रोक लगा दी है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हैजे के जीवाणु नदी/समुद्र में उत्पन्न होते हैं और यह उप-महाद्वीप हैजा प्रवृत्त क्षेत्र है। तथापि, करार स्वास्थ्य विभाग परेषण आधार पर भारत से आयातों की निकासी करने के लिए सहमत हो गया है परन्तु नदीय उत्पादों के सम्बन्ध में पूर्ण रोक है।

(ख) रोक किन्हीं क्वालिटी मानकों के आधार पर नहीं है।

(ग) जी नहीं।

वाराणसी में लकड़ी के खिलौने बनाने के उद्योग में संकट

1052. **श्री जैनुल बशर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी में लकड़ी के खिलौने बनाने वाला लघु उद्योग, जो अपने माल का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, लकड़ी उपलब्ध न होने के कारण इन दिनों में संकट में है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संकट दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

स्टेनलैस स्टील के आयात में भारी वृद्धि

1053. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाणिज्य मन्त्री स्टेनलेस स्टील की सामग्री के निर्यात के बारे में 52 अक्तूबर 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3276 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 नवम्बर, 1982 को अखिल भारतीय स्टेनलेस स्टील उद्योग एसोसिएशन के साथ हुई बैठक का क्या परिणाम निकला ;

(ख) 1979-80 और 1980-82 के दौरान स्टेनलेस स्टील के आयात में भारी वृद्धि के क्या कारण हैं ; किन देशों से आयात किया गया था और क्या स्टील की आयात की गई कोटिया (क्वालिटीज) देश में उपलब्ध थी ; और

(ग) जापान और अन्य देशों को निर्यात किए गए कच्चे लोहे का कुल मूल्य कितना है, और क्या कच्ची धातु के निर्यात को बन्द करने तथा उनके स्थान पर तैयार शुदा माल का निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अखिल भारतीय स्टेनलैस स्टील उद्योग एसोसिएशन (ए० आई० एस० एस० आई० ए०) बम्बई द्वारा मन्त्री महोदय को संबोधित उनके अभ्यावेदन में उठाये गए विभिन्न मामलों पर 3 नवम्बर, 1982 को हुई अंतः मन्त्रालय बैठक में विचार-विमर्श किया गया था । बैठक में लिये गए निर्णयों को शामिल करते हुए विचार-विमर्श की रिकार्ड टिप्पणी ए० आई० एस० एस० आई० को भेज दी गई है ।

(ख) स्टेनलैस स्टील शीट्स के लिए आयात नीति और वास्तविक प्रयोक्ताओं को उसका वितरण 1977-78 से आगे चरणों में उदार बनाया गया । उदारीकरण से पूर्व और साथ ही इसके पहले के चरणों के दौरान स्टेनलैस स्टील का बाजार में निर्णय कीमतों की अपेक्षा बहुत ऊंचा प्रीमियम रहा जिसका मुख्य कारण इस वस्तु के लिए मांग का अनिश्चित स्वरूप का होना था । उदाहरण के तत्काल बाद एम० एम० टी० सी० के यहां वास्तविक प्रयोक्ताओं के मांग पंजीकरण 1977-78 की तुलना में 1978-79 में 100 प्रतिशत से भी अधिक के हिसाब से तेजी से बढ़े । पंजीकरणों में इस वृद्धि के आधार पर अगले वर्ष अर्थात् 1979-80 के दौरान स्टेनलैस स्टील के आयातों को बढ़ाया गया । बाजार के सन्तृप्ति स्तर पर पहुंचने और मांग तथा उठान में कमी से इन आयातों में भारी कमी की गई जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है ।

वर्ष	मात्रा में टन
1979-80	34942
1980-81	5464
1981-82	8911

1979-80 से 1980-82 के वर्षों के दौरान स्टेनलैस के आयात निम्नलिखित देशों से किए गए :

आस्ट्रिया, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, जापान, बेल्जियम, कनाडा, फिनलैंड और दक्षिण कोरिया । इस अवधि के दौरान आयातित क्वालिटी का स्टेनलैस स्टील माल देश में पूरी मांग को पूरा करने लिए उपलब्ध नहीं था । सेलम स्टील संयंत्र सितम्बर 1981 में ही

शुरू हुआ और तभी भी आयात और आयातित माल का निर्गम सेल के साथ परामर्श करके विनियमित है ।

(ग) गत तीन वर्षों के लिए जापान तथा अन्य देशों को एम० एम० टी० सी० द्वारा लौह अयस्क निर्यातों का मूल्य नीचे दिया जाता है :

(मूल्य करोड़ रु०)

वर्ष	जापान	अन्य देश	योग
1979-80	98.11	73.04	170.15
1980-81	110.29	108.21	218.50
1981-82	140.13	126.50	266.63

लौह अयस्क के निर्यात को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, सरकार देश के औद्योगिक आधार के विविधीकरण के साथ तैयार माल के निर्यात का संबर्धन करती रहेगी तथा उसे प्रोत्साहित करती रहेगी ।

मद्रास में उपचर्या ग्रहों तथा अस्पतालों पर आयकर के छापे

1054. **श्री डी० एस० ए० शिवाप्रकाशम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1982 में मद्रास के आयकर प्राधिकारियों ने राजस्व आसूचना निदेशालय की देखरेख के अधीन मद्रास शहर में तथा उसके आसपास स्थित प्राइवेट उपचर्या गृहों तथा अस्पतालों पर छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थानों के नाम, स्वामित्व संबंधी ब्यौरा और पकड़ी गई धनराशि तथा अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) निरीक्षण निदेशक (जांच), नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए प्राधिकारों के आधार पर 6 नवम्बर, 1982 को मद्रास में निम्नलिलित डाक्टरों/परिचर्या गृहों (नर्सिग होम) के मामलों में तलाशियां ली गई थीं :—

1. देवकी अस्पताल
2. डा० चाकलिंगम
3. डा० मुत्तुसेतुपति
4. डा० पी० वी० ए० मोहनदास फलर्लज

5. डा० सोलोमन

6. डा० आर० सुब्बारमण

7. डा० ए० बी० सलवारंगम

8. डा० क्लाकसिमिकान्तन

9. एस० एम० क्लिनिक

10. डा० बी० राममूर्ति

11. डा० एम० एस० एमश्सन

12. डा० के० के० रामलिंगम

13. डा० टी० के० शंमुधसुन्दरम

14. डा० सी० सेतिलनाथन ।

डा० के० के० रामलिंगम की सचिव एवं स्वागती कु० विजय अब्राहम के निवास-स्थान की भी तलाशी ली गई थी ।

इन तलाशियों के परिणामतः 2,35,000/-रुपये की प्रथमद्ष्ट्या लेखा-बाह्य नकदी पकड़ी गई । कुछ लाकर सील कर दिये गए हैं । बेनामी रूप में किए गए निवेशों को दर्शाने वाले अपराध आरोपणीय दस्तावेज पकड़े गए हैं और उनकी छानबीन की जा रही है । आयकर अधिनियम तथा अन्य प्रत्यक्ष-कर अधिनियमों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

विभिन्न राज्यों में पावरलूम लगाना

1055. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने विभिन्न राज्यों को पावरलूम लगाने का नियतन किया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितने पावरलूम आवंटित किए गए ;

(ग) क्या किसी राज्य ने पावरलूम आबंटन बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पावरलूम क्षेत्र में संपूर्ण प्रस्तावित विस्तार का

नहीं आबंटन पहले ही कर दिया गया है और फिलहाल अतिरिक्त आबंटनों पर विचार किया जा सकता।

विवरण

हथकरघा सहकारी समितियों को आबंटित करने के लिए छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को आबंटित पावरलूम कोटा दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	हथकरघा सहकारी समितियों को आबंटित करने के लिए पावरलूम की संख्या।
असम	2,000
हरियाणा	2,000
केरल	2,000
उड़ीसा	2,000
राजस्थान	2,000
हिमाचल प्रदेश	1,000
जम्मू एवं कश्मीर	1,000
मणिपुर	1,000
मेघालय	1,000
नागालैंड	1,000
सिक्किम	1.000
त्रिपुरा	1,000
बिहार	1,000
आंध्र प्रदेश	700
गुजरात	700
कर्नाटक	700
मध्य प्रदेश	700
महाराष्ट्र	700

1	2
पंजाब	600
तमिलनाडु	700
उत्तर प्रदेश	700
पश्चिम बंगाल	700
दिल्ली	350
पाण्डेचेरी	350
योग:	25,000

बैंकों में ग्राहक सेवा

1056. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 1982 में गैर सरकारी सेक्टर के बैंकों को बैंकों में ग्राहक सेवा पर कार्य-दल की कोई सिफारिशें भेजी थीं

(ख) यदि हां, तो कार्य-दल की सिफारिशों का क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों को यह निर्देश दिए हैं कि ये सरकार को उन सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की रिपोर्ट भेजें ; और

(घ) यदि हां, तो क्या बैंकों ने ऐसी रिपोर्टें भेजी हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपवित्त मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) बैंकों में ग्राहक सेवा विषयक कार्यकारी दल की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । रिजर्व बैंक द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों के नाम मई, 1982 में परिचालित उक्त रिपोर्ट के अध्याय 11 में विनिर्दिष्ट सिफारिशों की क्रम संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को सम्बन्धित बैंकों से अभी सूचना नहीं मिली है कि मई, 1982 में परिचालित सिफारिशों को वस्तुतः किस हद तक कार्यान्वित किया गया है ।

विवरण

बैंकों में ग्राहक सेवा विषयक कार्यकारी दल की अन्तिम रिपोर्ट के अध्याय 11में उल्लिखत सिफारिशों की क्रम संख्या जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर मई, 1982 में सरकारी क्षेत्र के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में परिचारित किया है ।

1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 20, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 46, 52, 53, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 78, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175.

चकराता के सिविल भाग का प्रशासन सिविल प्रबन्ध को सौंपना

1057. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चकराता को छावनी और सिविल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिससे वहां संदेहास्पद स्थिति और सिविल क्षेत्र की ओर ध्यान न दिए जाने की स्थिति हो गई है तथा वहाँ के निवासियों में कृत्रिम दीवार खड़ी हो गई है ;

(ख) क्या सरकार का दोनों क्षेत्रों में मूल नागरिक सुविधाओं का समान रूप से विकास करने हेतु ठोस तरीका अपनाने का विचार है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का चकराता के सिविल भाग का प्रशासन सिविल प्रबन्ध को सौंपने का विचार है जैसा कि उनके द्वारा लम्बे समय से मांग की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं ।

(ख) समग्र वित्तीय दबाव के भीतर सरकार की पहली प्राथमिकता छावनियों में रहने वाले सैनिक टुकड़ियों का कल्याण होती है । फिर भी। छावनियों के भीतर रहने वाले सिविल जनता की जरूरतों को पूर्ति, छावनी बोर्डों के पास उपलब्ध साधनों के भीतर यथासम्भव सीमा तक की जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के लिए दिया गया धन

1058. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय के 1980-81, 1981-82 और 1983-84 के वर्षों के बजट में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) इन वर्षों के दौरान निगम द्वारा क्या कार्य किया गया और उस पर कितना धन खर्च हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम अब भी कागजों में है और अभी तक उसने कार्य करना आरम्भ नहीं किया है : और

(घ) यदि हां, तो यह किस तारीख से कार्य करना आरम्भ करेगा और कार्य क्षेत्र तथा संभावना क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 1981-82 के दौरान 2 करोड़ रु० का प्रावधान था जिसे उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि उस वर्ष के दौरान निगम की स्थापना नहीं हो सकी। 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की इक्विटी को अंशदान के लिए योजना में 75.70 लाख रु० की राशि की व्यवस्था की गई है। 1980-81 के दौरान कोई प्रावधान नहीं था।

(ख) से (घ) निगम पंजीकृत हो गई है और अध्यक्ष प्रबन्ध, निदेशक तथा अन्य बोर्ड निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही इन्हें अन्तिम रूप दे दिया जाएगा निगम द्वारा अपनी गतिविधियां शुरू कर दिये जाने की सम्भावना है। यह पूरे देश के लिए होगा। निगम की गतिविधियां निम्नलिखित रूप में हैं :—

(1) हथकरघा क्षेत्र के रंजकों तथा रसायनों जैसे हैंक यार्न तथा अन्य कच्चे माल की अधिप्राप्ति तथा वितरण

(2) यथावश्यक रूप में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलकर हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन तथा विपणन अभियान में तेजी लाना।

(ग) गैर-सहकारी क्षेत्र में कताई। रोलिंग गतिविधियों का वित्त पोषण।

विदेशी व्यापार में घाटा

1059. **श्री चिन्तामणि जैना** :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-अगस्त, 1982 की अवधि के दौरान, 1981 को इसी अवधि की तुलना में, विदेशी व्यापार में घाटा हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन वस्तुओं के क्या नाम हैं जिनमें व्यापार में गिरावट आई है; और

(ग) हमारा निर्यात बढ़ाने और वर्ष 1982-83 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) : अप्रैल-अगस्त, 1982 के लिए विदेश व्यापार घाटा अनन्तिम तौर पर 2060.23 करोड़ रु० लगाया गया है जबकि पिछले वर्ष की तत्संबंधी अवधि में 2290.3 करोड़ रु० का अनन्तिम घाटा था।

(ख) इस अवधि के दौरान भारत के समग्र निर्यातों में वृद्धि लगभग 16% हुई। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सामान्य मन्दी की स्थिति तथा साथ ही उत्पादक देशों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्द्धा के कारण कतिपय मदों अर्थात् चाय, काजू गिरी, इलायची, मूंगफली, निस्सरण जूट उत्पादकों

तथा सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में निर्यात में गिरावट आई ।

(ग) सरकार ने निर्यातों के संवर्धन तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किये हैं । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

1. "लाइसेंसशुद्धा क्षमा" तथा प्राधान्य' के प्रयोजनार्थ निर्यात हेतु उत्पादन का अलग किया जाना ;

2. वहां निर्यात हेतु नई वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति जहां उस वस्तु में भिन्नता हो जिनके विनिर्माण के लिये औद्योगिक एकक लाइसेंस दिया गया हो ;

3. निर्यात उत्पादन के लिये प्रगतिशील तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी आयातों के लिये जिनमें रायल्टी की एकमुश्त अदायगी अन्तर्ग्रस्त हो, अनुकूल व्यवहार प्रदान करना ;

4. सभी 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसा व्यवहार ;

5. निर्यात हेतु उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजनार्थ उद्योगों की विस्तारित सूची में स्वत विस्तार की अनुमति देना ;

6. इंजीनियरी का कतिपय मदों तथा अन्य निर्यात अभिमुख उद्योगों के सम्बन्ध में रियायती ब्याज दर पर लदान-पूर्व ऋण की अवधि को 135 दिन से बढ़कर 180 दिन किया जाना ;

7. महानगरीय शहरों में ऐसे एककों को, जो निर्यात के लिये उत्पादन करते हैं, नये औद्योगिक उपक्रमों पर लगाए गये प्रतिबन्धों चयनात्मक छूट देना ;

8. हाल ही में स्थापित एक्जिम बैंक से निर्यात वित्त का प्रावधान बढ़ाने की आशा है,

9. इंजीनियरी माल के निर्यातकों को उनकी स्टाल की आवश्यकताओं की पूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर की जाती है । निर्यातकों का निर्यात हो जाने बाद घरेलू कीमत तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के बीच अन्तर की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है ;

10. शुल्क वापसी के संवितरण में बिलम्ब को कम करने के लिये नीतियों तथा प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाया जाना ;

11. सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम के निर्यातकों को बढ़ाने का संभाव्यता का पता लगाना ;

12. नकद मुआवजा सहायता मंजूर करने की नीति 31 मार्च, 1985 तक की तीन वर्ष की और अवधि के लिये बढ़ा दी गई है ; और

13. वर्तमान आयात तथा निर्यात नीति, 1982-83 को "उत्पादकता वर्ष" और निर्यात क्षेत्र में और अधिक तेजी लाने की अत्यावश्क जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है ।

साथ ही प्रमुख आयात मदों जैसे कि पी. ओ. एल. उर्वरकों तिलहन आदि के सम्बन्ध में घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं।

रेशम निर्यात के लिये प्रोत्साहन

1060. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेशम निर्यात के लिए कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वे प्रोत्साहन कब से शुरू होंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) रेशम निर्यातों के लिए प्रोत्साहनों से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1अक्तूबर, 1982 से 31.3.1985 तक की अवधि के लिए रेशम माल के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता नीचे लिखे रूप में है :—

उत्पादन का विवरण	1.10.85 से 31.3.1982 तक सी. सी. एस. कोप्र भावी दर
1. प्राकृतिक रेशम के पूर्णतः अथवा अंशतः बने फैब्रिक्स	10 (दस)
2. प्राकृतिक रेशम की पूर्णतः अथवा अंशतः बनी साड़ियां	10 (दस)
3. प्राकृतिक रेशम की पूर्णतः अथवा अंशतः बनी मेड.अप वस्तुएं	10 (दस)
4. प्राकृतिक रेशम की पूर्णतः अथवा अंशतः बने सिलेसिलाये परिधान	10 (दस)
5. प्राकृतिक रेशम के पूर्णतः अथवा अंशतः बने निटवियर	10 (दस)

नकद मुआवजा सहायता के अलावा, निर्यातक वर्ष 1982-83 के लिये आयात तथा निर्यात नीति के परिशिष्ट 17 के अन्तर्गत उल्लिखित अनुसार मूल्य सीमाओं के अध्यधीन कच्चे रेशम, स्पन रेशम यार्न, नायल यार्न तथा रसायनों के आयात के लिए आर. ई.पी. लाइसेंस के लिए भी पात्र हैं। निर्यातकों को निम्नलिखित को शुल्क मुक्त रूप में आयात करने की भी अनुमति है :

1. वर्ष 1982-83 के लिए आयात तथा निर्यात नीति के परिशिष्ट 29 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कतिपय रेशम उत्पादों के निर्यात के आधार पर किसी भी ग्रेड के सहतूती कच्चे रेशम, ड्युपीयन कच्चे रेशम, स्पन रेशम यार्न, तथा नायल यार्न जैसा कच्चा माल।

2. अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्वों के आधार पर वर्ष 1982-83 के लिए आयात तथा निर्यात नीति के परिशिष्ट 19 के अन्तर्गत किसी भी ग्रेड

के शहतूती कच्चे रेशम, ड्यूपीयन कच्चे रेशम, स्पन रेशम यार्न तथा नायल यार्न जैसा कच्चा माल ।

निर्यातकों को दी गई अन्य सुविधा है सार्वजनिक सूचना सं. ड्रबैंक/ पी एन-50/82 दिनांक 1.6.1982 में उल्लिखित अनुसार 1.6.1982 से 31 3.1883 तक रेशम माल के निर्यात पर शुल्क वापसी ।

रंगीन टी० वी० सेटों के अर्जित सीमा शुल्क

1061. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रहने वाले भारतियों द्वारा उदार नियमों के अन्तर्गत भारत में रंगीन टेलीविजन सेट भेजने पर भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि सीमा शुल्क के रूप में अर्जित की गई ;

(ख) क्या वह नियम अब भी उदार है ;

(ग) यदि हां, तो इन नियमों को कब तक प्रभावी रखने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इस सबंध में सरकर का क्या कार्यक्रम हैं ;

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) खुला सामान्य लाइसेंस सं. 23/82 दिनांक 11 अक्तूबर, 1982 के अधीन आरम्भ की गई उपहार योजना के अन्तर्गत रंगीन टी० वी० सैटों के आयात पर अब तक वसूल की गई सीमा शुल्क की राशि 55.80 करोड़ रु० है ।

(ख) से (घ) : प्रश्नाधीन खुले सामान्य लाईसेंस की अवधि 4 दिसम्बर, 1982 को समाप्त हो गई । इस योजना को फिर से चलाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

छावनी बोर्ड के लिए वित्तीय आबंटन

1062. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने छावनी बोर्ड काम कर रहे हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक छावनी बोर्ड को कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) छावनी बोर्ड के लिए 1983-84 के वित्तीय वर्ष में निर्धारित की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) देश में 62 छावनी बोर्ड काम कर रहे हैं ।

(ख) इन छावनियों को 1980-81 और 1981-82 के दौरान आबंटित रकम विवरण दी गई है ।

(ग) 1983-84 के लिए रकम के आबंटन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

विवरण

छावनियों के लिए वित्तीय आबंटन

क्रम सं०	छावनी बोर्ड का नाम	1980-81	1981-82
1	2	3	4
1.	आगरा	13,50,000	12,14,000
2.	अदमदाबाद	8,75,000	12,27,500
3.	अहमदनगर	7,50,000	17,24,000
4.	अजमेर	4,20,636	2,97,000
5.	इलाहाबाद	12,58,425	15,91,600
6.	अल्मोड़ा	—	—
7.	अम्बाला	—	2,60,000
8.	अमृतसर	7,32,000	4,47,900
9.	औरंगाबाद	8,10,914	2,51,150
10.	बबीना	4,61,600	4,21,200
11.	बदामी बाग	4,19,000	8,90,050
12.	बकलोह	4,38,700	4,39,800
13.	बरेली	9,90,400	11,60,000
14.	बैरक पुर	22,34,100	20,40,700
15.	बेलगाम	4,72,000	4,13,000
16.	कन्नानौर	—	1,88,800
17.	चकराता	4,18,000	3,47,000
18.	क्लेमेन टाउन	3,67,000	4,64,000
19.	डगसाई	3,04,500	3,86,000
20.	डलहौजी	3,38,700	4,64,260
21.	देहरादून	22,10,000	23,56,000
22.	देहू रोड़	—	—
23.	दिल्ली	—	—

1 2	3	4
24. देवलाली	9,27,400	22,22,000
25. दानापुर	13,44,300	2,91,000
26. फैजाबाद	9,77,000	9,13,000
27. फतेहगढ़	11,09,000	21,79,00
28. फिरोजपुर	27,10,300	21,69,117
29. जबलपुर	1,20,000	10,65,000
30. जलपहाड़	2,78,100	4,36,474
31. जम्मू	2,56,200	2,25,000
32. झांसी	4,89,000,	362,500
33. जालन्धर	21,54,500	15,55,000
34. जतोंघ	4,79,200	5,62,200
35. काम्पटी	9,16,100	10,11,020
36. कानपुर	=	—
37. कसौली	7,17,050	9,37,200
38. खास योल	5,11,400	000
39. किरकी	—	—
40. लन्डोर	1,71,000	3,47,800
41. लेन्सडोन	8,30,000	3,48,000
42. लेबोंग	1,81,800	3,08,779
43. लखनऊ	17,61,000	22,63,000
44. मथुरा	4,05,000	5,72,800
45. मेरठ	17,71,100	41,65,360
46. मोरार	3,55,900	3,08,000
47. महू	13,22,900	9,67,000

1 2	3	4
48. नैनीताल	50,000	—
49. नसीराबाद	15,76,200	15,73,500
50. पचमढ़ी	6,82,400	6,98,000
51. पूना	—	—
52. रामगढ़	7,25,400	8,41,500
53. रानीखेत	—	87,000
54. रुड़की	2,38,100	13,50,560
55. सेंट थोमस माउन्ट	15,400	—
56. सागर	—	—
57. सिकन्दराबाद	28,96,900	17,55,800
58. सहारनपुर	16,17,400	4,08,000
59. शिलांग	4,57,300	1,97,000
60. सबाथू	3,05,000	3,82,900
61. वाराणसी	3,21,000	2,45,000
62. वेलिंग्टन	18,30,000	11,27,000
जोड़	4,53,54,325	5,06,27,470

सरकारी स्वामित्व के काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया में हानि

1063. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी स्वामित्व के कारण कारपोरेशन आफ इण्डिया को वर्ष 1982-83 में बड़ी धनराशि की हानि हुई ।

(ख) यदि हां, तो हानि के लिए क्या कारण जिम्मेदार हैं और उन कारणों से कितनी धनराशि की हानि हुई है ;

(ग) वर्ष 1983-84 से आगे लाभ कमाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) प्रश्न में माननीय सदस्य का अभिप्राय वित्तीय वर्ष 1982-83 से है और रुई वर्ष 1981-82 (सितम्बर, 1981-अगस्त, 1982) इसके बीच में आता है।

इस वर्ष के दौरान भारतीय रुई निगम को लगभग 26-65 करोड़ रु० की हानि हुई। हानि इस कारण हुई कि रुई वर्ष 1981-82 के दौरान देश में रुई की स्थिति, रुई का रिकार्ड उत्पादन, जो अनुमान 84 लाख गांठे था, के कारण काफी सलभ रही। दूसरी ओर बम्बई में मिलों में काफी अरसे से चली आ रही हड़ताल और साथ ही कुछ राज्यों में बिजली की कटौती तथा अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय रुई स्थिति के कारण निर्यातों में कठिनाई के कारण घरेलू खपत में अत्यधिक गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप, रुई की कीमतों में गिरावट आई। निगम को अलग-अलग राज्यों में कपास की खरीद करनी पड़ी ताकि रुई उत्पादकों को लाभकारी कीमतें मिल सकें जबकि इसके पास निपटान के सीमित साधन थे जिससे इसे लगभग 6-31 लाख गाँठों का बहुत अधिक स्टाक जमा रखना पड़ा और इसे 19.5% प्रति वर्ष के ब्याज सहित स्टाक बनाये रखने की अत्यधिक लागत देनी पड़ी जो कि लगभग 43.07 करोड़ रु० बैठती है।

निगम द्वारा लाभ अर्जित किये जाने के लिए किये गये महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिलित शामिल हैं :

1. मांग तथा पूर्ति स्थिति में सन्तुलन बनाये रखने हेतु न केवल रुई निगम बल्कि अन्य निर्यातक अभिकरणों को भी समय पर निर्यात कोटे रिलीज करना।

5. निगम ने समग्र राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार रुखों और इसकी वाणिज्यक क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक विपरण नीति बनाई है।

3. निगम ने समय-समय पर समीक्षा की जाने वाली मुद्रा सीमा के अन्तर्गत कपास खरीदने सम्बन्धी नीति अपनाई है जबकि अधिक मात्रा में खरीदारियां केवल मूल्य समर्थन कार्यों के अन्तर्गत की जाती है।

4. निगम का केवल एन० टी० सी० बल्कि राज्य वस्त्र निगमों, सहकारी कताई मिलों, खादी ग्रामीण उद्योग आयोग तथा निजी मिलों जैसे अन्य सस्थागत खरीदारों को अपनी बिक्री बढ़ाने का प्रस्ताव है।

5. अपनी बिक्री में वृद्धि करने के लिए निगम ने साख पत्र, मियादी बिलों आदि जैसी वित्तीय सुविधाओं के विस्तार और रियायत अवधि में छूट देने का निर्णय लिया है।

6. निगम अपने निर्यातों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए विदेशों में खरीदार मिलों के साथ सीधे सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास कर रहा है।

7. अन्त में समय-समय पर सरकारी स्तर पर नियमित रूप से इसके कार्य निष्पादन की समीक्षा की जा रही है और इसके कार्य संचालन एवं वित्तीय परिणामों में सुधार करने के लिए आवश्यक सुझाव दिये जाते हैं।

गणतन्त्र दिवस परेड में राष्ट्रीय तिरंगे झण्डे का न फहराना

1064. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 1983 को गणतन्त्र दिवस परेड के प्रारम्भ में राष्ट्रीय तिरन्गा झंडा न फहराया जा सका जब सम्पूर्ण राष्ट्र उसकी ओर देख रहा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि झंडे को भूमि से कई बार खींचने पर भी वह खुल नहीं सका और राष्ट्रपति उसे लिपटा हुआ छोड़कर अपनी कुर्सी की ओर चले गए ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) : यह सच है कि 26 जनवरी, 1983 को राष्ट्रगान की पहली धुन के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सका क्योंकि नीचे से झटका देने पर भी ऊपर की गांठ नहीं खुली थी। इसलिए ध्वज को एकदम नीचे उतारा गया और गांठ खोलने के बाद फहरा दिया गया।

अच्छी तरह से जांच की गई पिछली प्रणाली जो अब तक असफल नहीं रही थी 26 जनवरी, 1983 को भी अपनाई गई थी। ध्वज को एक नाईलोन के रस्से से सादी गांठ लगाई थी भारतीय थलसेना के एक कैप्टन ने ध्वजारोहण प्रक्रिया का कई बार पूर्वाभ्यास किया था। इन पूर्वाभ्यासों तथा एहतियातों के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी।

अकाली दल के आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन देने के लिए भूतपूर्व सैनिकों का अमृतसर में सम्मेलन।

1065. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 दिसम्बर, 1982 को अमृतसर में हुए 5,000 भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन में आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए आठ प्रस्ताव पास किए और सभी भूतपूर्व सैनिकों से कहा गया कि वे इस कार्य में अपने सभी संसाधनों सहित अकाली दल की सहायता करें।

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को निर्देश जारी किए हैं कि उनके राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने को भूतपूर्व सैनिकों के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा ;

(ग) यदि हां, तो निर्देशों के बावजूद भूतपूर्व सैनिक अकाली गतिविधियों में शामिल हुए ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो अब क्या कार्यवाही की जानी है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

आयात में त्रुटिपूर्ण क्षेत्रों का पता चलना

1066. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों के उच्चस्तरीय ग्रुप ने आयात में त्रुटिपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया है और आवेदन पत्रों को आगे मंजूर करते समय संघटकों के आयात के लिए आवेदन-पत्रों की ठीक-ठीक छानबीन करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उच्चस्तरीय ग्रुप ने आयात में त्रुटियां दूर करने के रास्ते निकालने के लिए कई बैठकें की हैं जिससे देश की विदेशी मुद्रा की स्थिति का पता चलता है ;

(ग)यदि हां, तो इस उच्चस्तरीय ग्रुप द्वारा सरकार को क्या उपाय और कदम सुझाये गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की गई ; चूककर्ताओं के विरुद्ध कहां तक कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) 1983-84 के लिए आयात व निर्यात नीति तैयार करने से सम्बन्धित मामलों में इस स्तर पर कोई ब्योरे नहीं दिये जा सकते ।

यूरोपियन आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार में घाटा

1067 **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत यूरोपियन आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार घाटा 1980-81 में 1300 करोड़ रुपये पहुंच गया है जो कि अब तक सबसे अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो 1975 से लेकर अब तक के व्यापार के आंकड़े क्या हैं ; और इस घाटे के कार्य के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि यह स्थिति भारी मात्रा में फैली माल के आयात और सर्विस के कारण उत्पन्न हुई है ; और

(घ) क्या सरकार के पास देश की अर्थव्यवस्था के रक्षण के लिए कोई ठोस योजना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) से (घ) 1975-76 से अब तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से किये गये आयातों और उनको किये गये निर्यातों के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष
1975-76	1096	854	—242
1976-77	1008	1395	+387
1977-78	1511	1594	—117
1978-79	2084	1560	—524
1979-80	2174	1751	—423
1980-81	2732	1464	—1268
1981-82 (अनन्तिम)	2924	1460	—1464

भारत में विकासात्मक प्रयासों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण ई० ई० सी० मशीनरी, उपस्कर तथा औद्योगिक कच्चे माल के आयातों में वृद्धि हुई है जबकि घरेलू बाधाओं, कुछ उत्पादों के सम्बन्ध में घरेलू तथा वैकल्पिक बाजारों के प्रभाव और कुछ अन्यों में ई० ई० सी० की प्रतिबन्धक नीतियों के कारण ई० ई० सी० को भारतीय निर्यातों की उतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई है ।

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही निम्नोक्त प्रकार है :—

(1) एक नये वाणिज्यक तथा आर्थिक सहयोग करार पर, जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारत के बीच घनिष्ट व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिये तैयार किया गया था, जून, 1981 में हस्ताक्षर किये गये हैं ।

(2) भारतीय निर्यातकों को क्वालिटी तथा पैकेजिंग आवश्यकताओं, विवरण चैनलों, डिजाइनों सम्बन्धी प्रवृत्तियों, टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बैरियरों आदि के बारे में बाजार आसूचना एवं जानकारी प्रदान करने के लिये ब्रुसेल्स में भारत व्यापार केन्द्र की स्थापना की गई है । केन्द्र पश्चिम यूरोप में मेलों में भाग लेने के लिये और व्यापार मिशनों को भेजने के लिये भारतीय संगठनों को समर्थन प्रदान करता है ।

(3) यूरोप में व्यापार मेलों में भारत की सहभागिता में वृद्धि करने, यूरोप में भारतीय उत्पादों के लिये कार्यशालायें आयोजित करने, भारतीय मदों के लिये व्यापार मिशन प्रायोजित करने, यूरोप में बाजार सर्वेक्षण आयोजित करने, ई० ई० सी० देशों में भारतीय कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के अलावा भारत को विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के लिये प्रतिवर्ष समुदाय की वित्तीय सहायता से एक भारत ई० ई० सी० व्यापार संवर्धन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ।

(4) सरकार अपने निर्यात संवर्धन प्रयासों को बढ़ाती रहेगी और ई० ई० सी० को वस्त्रों जैसे महत्वपूर्ण निर्यात उत्पादों के लिये अधिक उदार व्यापार नीतियां अपनाने के लिये राजी करेगी।

विदेशी मुद्रा संरक्षण हेतु स्थापित समिति

1068. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात करने और विदेशी मुद्रा में वर्तमान निर्गम को रोकने और पुनः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण पर निर्भर होने के लिए एक समिति बनाई थी (इकानामिक टाइम्स 2, 12, 82) और यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित इन द्वि-उद्देश्यीय नीतियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विदेशी मुद्रा के संरक्षण की आवश्यकता को सरकार ने सर्वप्रथम कब महसूस किया था और इस दिशा में कदम कब उठाए गए थे ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व बैंक की विभिन्न ऋण परियोजनाओं के अन्तर्गत उन मदों का आयात किया जा रहा है जो सरलता से उपलब्ध होती थीं और जो देश में फालतू है और यदि हां, तो सभी विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये आयातों का अब तक कुल मूल्य क्या है ; और

(घ) इस असंतोषजनक स्थिति पर सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार ने भुगतान शेष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयातों को कम करने का सुझाव देने के लिए अधिकारियों के दल का गठन किया है।

(ख) सरकार का लगातार यह प्रयास रहा है कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा साधनों का संरक्षण किया जाए और इन साधनों को केवल उन्हीं अनिवार्य आयातों के लिए खर्च किया जाए जो आर्थिक क्रियाकलाप को प्रोत्साहन प्रदान करने, उत्पादन बढ़ाने अथवा कीमतों के स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी हों।

(ग) और (घ) विश्व बैंक परियोजनओं के अन्तर्गत जो खरीद की जाती है वह देश के अन्दर न्यूनतम बोली के आधार पर तथा विश्व व्यापी टेंडरों के आमन्त्रण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के आधार पर दोनों प्रकार से की जाती है। विश्वव्यापी टेंडरों के मामले में, विश्व बैंक, कीमतों में, भारतीय बोलीकर्ताओं, उपस्करों और सामग्री के सम्बन्ध में 15 प्रतिशत की और सिविल निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में 7-1/2 प्रतिशत की तरजीह करता है। इसके अतिरिक्त सफल भारतीय बौलीकर्ताओं को उनके द्वारा सप्लाई किए गए माल को "निर्यात मान कर" प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अन्तर्गत भी, अधिकांश खरीद देश में से ही होती है। केवल उन मामलों में आयातों का सहारा लिया जाता है जब अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अन्तर्गत विदेशी बोलीकर्ता टेंडर जीत लेता है और इसलिए आयात की

उन-अनावश्यक मदों को, जो देश में सरलता से उपलब्ध है और यही फालतू है, बाहर से मंगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

महाराष्ट्र से अलफेन्सी आमों का निर्यात

1069. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से अलफेन्सी आमों का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्यात बढ़ाने तथा देश के लिए और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए आम-उत्पादकों को क्या सुविधाएं और रियायतें दी जाती हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारत से ताजे आमों का निर्यात निम्न प्रकार था :—

वर्ष	मात्रा (मे० टन)
1980-81	6692
1981-82	3280 (अनन्तिम)
अप्रैल-दिसम्बर 82	8040 (अनन्तिम)

निर्यात आंकड़े किस्म वार नहीं रखे जाते । ताजे आमों के कुल निर्यातों में अल्फेन्सों किस्म के आमों का मुख्य अंश रहता है ।

(ख) आमों तथा अन्य फलों के निर्यात बढ़ाने के लिये विभिन्न निर्यात संवर्धन उपाय किये गये हैं जैसे विशेष बस्तु हवाई भाड़ा दरों का निर्धारण व्यापार मेलों में भाग लेना, व्यापार प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित करना, बाजार सर्वेक्षण, पैकिंग सामग्री के आयात के लिये आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस देना तथा अन्य प्रोत्साहन ।

भारत द्वारा जनेवा में जी० ए० टी० टी० मंत्रालय स्तर की बैठक में भाग लेना

1070. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गत नवम्बर, में जेनेवा में जी० ए० ट० टी० मंत्रालय स्तर-की बैठक में भाग [illegible] था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे, और

(ग) यह बैठक भारत के उद्देश्य पूरे करने में कहां तक सफल हुई है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस बैठक में सर्वसम्पत्ति से एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय घोषणा पारित की गई जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में समरूपता की कमी, संरक्षणवादी दबावों

गाट नियमावली की अवहेलना तथा गाट प्रथाली के कार्यचालन में कमियों की बजह से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली गंभीर रूप से खतरे में है। तदनुसार, गाट सदस्य देशों ने बहुत से विनिश्चियों को स्वीकार किया जिनसे इन समस्याओं पर काबू पाने में सहायता मिलेगी। इन विनिश्चयों में अन्य बातों के साथ-साथ अन्य संरक्षणवादी दबावों को रोकने, ऐसे कोई उपाय न करने, जो गाट से मेल न खाते हों तथा ऐसे उपायों से बचने, जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सीमित बने अथवा उसमें विकृति आये, का वचन देना शामिल है। मंत्रिस्तरीय घोषणा में गाट के कार्य से सम्बन्धित विशिष्ट क्षेत्रों में बहुत से विनिश्चय भी शामिल हैं।

(ग) जबकि मंत्रिस्तरीय बैठक के समग्र निर्णय सन्तुलित रहे, विद्यमान मंदीवाली विश्व अर्थ व्यवस्था तथा व्यापार स्थिति में यह समझा जाता है कि इस बैठक में भारत सहित विकासशील देशों की विशेष चिन्ताओं के सम्बन्ध में कहा गया। संरक्षणबाद का प्रतिरोध करने तथा के रुकावट नियमों का पालन करने की सामान्य वचन बद्धताओं के अलाव सावधानी उपाय के बारे में समझौता तैयार करने वस्त्र तथा कृषि वस्तुओं के व्यापार का अध्ययन करने, मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों तथा अन्य गैर टैरिफ उपायों पर ध्यान देने तथा साथ ही विवादों को तय करने की गाट की व्यवस्था में और आगे सुधार करने के लिए जो विशिष्ठ निर्णय किये गये वे सभी विकासशील देशों के लिये लाभ की बातें हैं।

बी आईपी स्क्वेड्रन के लिए हैलीकोप्टर का चयन

1071. **श्री के० मालन्न।** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना अपने वी आई पी स्क्वेड्रन के लिए एक हैलीकोप्टर का चयन करने के लिए पाश्चात्य देशों से चार भिन्न-भिन्न प्रकार के हैलीकोप्टर का मूलयां-कन कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह इस समय प्रयोग में लाये जा रहे वी० आई० पी० उड़ानों के लिए सोवियत रूस द्वारा सप्लाई किए गए एम आई-8 हैलीकाप्टरों की तुलना में अधिक उपयोगी या मितव्ययी होंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अपतट कार्यों में सहायता पहुंचाने और भारतीय वायु सेना के संचार संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए चार पश्चिमी निर्माताओं से उपयुक्त हैलीकाप्टर सप्लाई करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) हैलीकाप्टर के नियम कार्यों को ध्यान मेंर खते हुए वायु सेना मुख्यालय [illegible] हैलीकाप्टरों की विशिष्टियां तैयार कर ली है और जो हैलीकाप्टर इन विशिष्टियों के अनुरूप हों, [illegible] खरीदने का प्रस्ताव है।

(ग) प्राप्त हुए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में और ब्यौरा बताना लोकहित में नहीं होगा।

भारतीय वायुसेना के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में सुधार

1072. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय वायुसेना को आधुनिक प्रोद्योगिकी विकास पर आधारित विमान और अस्त्रलैस प्रणाली की आवश्यकता की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो नए विचारों और डिजायनों को तैयार करने हेतु पुरानी डिजायनों और आकारों को बदलने के बारे में ब्यौरा क्या है, जो देश की सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ हो ; और

(ग) यदि हां, तो सुदृढ़ क्षमता का विकास करने में सफलता प्राप्त करने तथा आत्म निर्भरता का लक्ष्य पूरा करने हेतु सरकार द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए लघु लड़ाकू विमान बनाने तथा उन्नत लघु हेलीकोप्टर तैयार करने जैसे अनुसंधान और विकास कार्यों में उन्नित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय वायुसेना को पुन: सज्जित करना एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है और सुनियोजित योजनाओं के अनुसार पुराने और अप्रचलित विमानों तथा शस्त्र प्रणालियों को क्रमिक रूप से हटा दिया जाता है ताकि उपलब्ध साधनों के भीतर अति-आधुनिक और समसामायिक शस्त्रादि उनके स्थान पर लाए जा सकें। अभी हाल में मौजूदा पीढ़ी के विमान जैसे : मिग-23 और जगुआर लाए गए हैं और मिराज-2000 विमान के लिए हाल में एक संविदा की गई है।

(ख) नए उपस्कर लाने के बारे म फैसला करते समय देशी डिजाइन और स्वीकृत समय सीमा के भीतर ऐसे उपस्कर का विकास करने की व्यवहार्यता पर हमेशा विचार किया जाता है। देश में प्रौद्योगिकी आधार और मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के भी उपाय किए जा रहे हैं ताकि विमान तथा शस्त्र प्रणालियों की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका देश में ही विकास किया जा सके।

(ग) डिजायन क्षमताओं का विकास उन्नत लाइट हेलिकोप्टर और लाइट कम्बेट विमान परियोजनाओं में शामिल होता है।

बम्बई-सूरत-भावनगर-कच्छ के लिए वायुदूत सेवा

1073. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई-सूरत-भावनगनर-कच्छ आदि के लिए वायुदूत सेवा चलाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात-सौराष्ट्र को कुछ पिछड़े तथा अदिवासी क्षेत्र से जोड़ते हुए कुछ और वायुदूत सेवाएं चलाने का है ;

(घ) यदि हां, तो कैसे और कब;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सौराष्ट्र-अहमदाबाद, कच्छ-बड़ौदा को दिल्ली के साथ जोड़ने की निकट भविष्य में सरकार की कोई योजना है ताकि गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों को दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा मिल सके;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं है ।

(ग) और (घ) : वायुदूत दिनांक 15 मार्च, 1983 से बम्बई/कांडला/ अहमदाबाद/कांडला बम्बई सेवा शुरू करने की योजना कर रहा है ।

(ङ) : प्रश्न नहीं है ।

(च) (छ) और (ज) : इंडियन एयरलाइंस दिल्ली-अहमदाबाद-बम्बई से और दिल्ली बड़ौदा (बड़ौदरा) - बम्बई से प्रचालन कर रहा है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में अन्य स्टेशन अर्थात् भुज, पोरबन्दर, केशोड, भावनगर और राजकोट बम्बई से जुड़े हुए हैं, जहां से दिल्ली के लिए सुविधाजनक जोड़ने वाली विमान सेवा उपलब्ध है ।

कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात के हवाई अड्डों पर हवाई सेवाएं रद्द करना

1074. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कच्छ, सौराष्ट्र, और गुजरात के विभिन्न हवाई अड्डों पर 1.1.82 से 31.-1.83 तक की अवधि के दौरान कई हवाई सेवाएं अनेक बार रद्द की गई हैं या बिलम्ब से आरम्भ की गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : इंडियन एयरलाइन्स इस क्षेत्र में बम्बई से कई सेवाओं का परिचालन करती है जो निम्नलिखित स्टेशनों से होकर जाती है :-

— भावनगर — केशोद

—	भुज	—	पोरबन्दर
—	जामनगर	—	राजकोट

दिनांक 1.1.82 से दिनांक 31.1.83 की अवधि में लगभग 69% उड़ाने समय पर हुई। खराब मौसम, वाणिज्यिक विमान अनुरक्षण आदि जैसे कारणों से होने वाली प्रारंभिक देरियां, उड़ानों में होने वाली देरियों का 3.85% रहीं। प्रत्येक विमान दिन भर में अनुक्रम में कई उड़ाने करता है तथा इनमें से किसी भी उड़ान में होने वाली देरी के परिणामस्वरूप उस दिन उसके बाद में उस विमान से की जाने वाली सभी उड़ानों में देरी हो जाती है। इस प्रकार की परिणाम के स्वरूप होने वाली देरियां सबसे अधिक संख्या में लगभग 27% रही हैं।

राज्य कृषि मन्त्रियों का सम्मेलन

1075. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 19 दिसम्बर, 1982 को राज्य कृषि मंत्रियों का द्विदिवसीय सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में हुए निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) यह सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई थी कि कृषि वस्तुओं के निरन्तर तथा लगातार आधार पर किये जाने वाले निर्यात किसानों के हित में होंगे। वर्धित उत्पादन तथा उत्पादकता के जरिये कृषि वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ावा देकर आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा जा सकती है। वर्धित उत्पादन तथा उत्पादकता से निर्यात के लिए वास्तविक बेशी माल उपलब्ध हो जाएगा। निर्वाह कृषि से वाणिज्यक कृषि तथा निर्यात कृषि करने में प्रगति करने की आवश्यता है। प्रत्येक राज्य सरकार भूमि, मौसम परिस्थितियां तथा उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं के आधार पर स्वयं उन वस्तुओं का पता लगायेगी जिनमें यह निर्यातों को बढ़ा सकती है। कृषि वस्तुओं के निर्यातों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों पर कार्यवाही करने हेतु राज्य स्तर पर एक निर्यात प्रकोष्ठ स्थापति करने के लिए सर्वसम्पति व्यक्त की गई थी। वाणिज्य मन्त्रालय अपने अभिकरणों के जरिये विपणन जानकारी संबंधी आंकड़े आदि प्रदान करेगा।

राजनयिकों द्वारा तस्करी

1076. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी राजनयिक और उनके सम्बन्धी तस्करी में सम्मिलित पाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तस्करी में शरीक राजनयिकों के ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) उन राजनयिकों और उनके सम्बन्धियों की संख्या कितनी है जिन्हें जनवरी 82 से

जनवरी 83 तक तस्करी के आरोपों पर भारत से वापस भेज दिया गया है ; और

(घ) विदेशी राजनयिकों और सम्बन्धियों की इस पर की कार्यवाहियों को कारगार ढंग से रोकने के लिए सरकार का क्या करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) जनवरी, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि के दौरान, सीमाशुल्क अधिकारियों ने छह विदेशी राजनयिकों/दूतावास स्टाफ के अराजनयिक सदस्यों (जिनमें भारत के अप्रत्यायित दो राजनयिक शामिल हैं) का तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने का पता लगाया । भारत सरकार के अनुरोध पर इनमें से तीन व्यक्तियों को उनके अपने देशों द्वारा वापिस बुला लिया गया । सम्बन्धित देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों के हित को देखते हुए तस्करी में अन्तर्ग्रस्त राजनयिकों के नाम बताना उचित नहीं होगा ।

(घ) सरकार ने सम्बन्धित देशों की सरकारों के सहयोग से उचित कार्यवाही की है तथा इन सरकारों के साथ गोपनीय सम्पर्क साधे हुए है ताकि दुरुपयोग के ऐसे मामले फिर नहीं होने पायें ।

भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल कारटेल-300 के लिए पाकिस्तान-फ्रांस बातचीत और स्वीडन से आर० बी० एस०70 के लिए बातचीत

1077. **श्री अर्जुन सेठी** :

श्री बाल्लासाहिब बिखे पाटिल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल कारटेल-300 प्राप्त करने के लिए फ्रांस से बात-चीत कर रहा है और साथ ही भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल आर० बी० एस०-70 के लिए स्वीडन से बात कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान पहले से ही शस्त्रों से लैस है और उसके पास कारटेल मिसाइलें हैं, किन्तु कारटेल-300 अत्याधुनिक अस्त्र है ; और

(ग) यदि हां, तो जहां तक हमारे देश की रक्षा का सवाल है, सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की रिपोर्टें देखी हैं ।

(ग) हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली ऐसी सभी घटनाओं पर सरकार नजर रखती है और पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय करती रहती है । अधिक ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा ।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को वित्तीय सहायता ।

1078. **श्री जैनुल बशर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकार की एजेंन्सियों द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में यूनियन बैंक की प्रत्येक शाखा को वित्तीय सहायता देने के लिए कितने मामले भेजे गए हैं ;

(ख) उनमें से कितने मामलों को बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा सहायता प्रदान की गई ; और

(ग) सभी मामलों को जिन्हें संवीक्षा के बाद भेजा गया था, स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : बैंकों की सूचना प्रणाली से आँकड़े उस रूप में प्राप्त नहीं होते जिसमें मांगे गये हैं । विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत ऋण सहायता के वास्ते राज्य सरकार के विभिन्न अभिकरणों से आवेदन-पत्र प्रायोजित किए जाते हैं । लेकिन ऋण आवेदन,-पत्रों पर निर्णय करने से पहले शाखा प्रबंधकों द्वारा प्रस्तावित उपक्रमों की अर्थ-क्षमता आदि का मूल्यांकन किया जाता है । अलबत्ता, बैंकों से कहा गया है कि वे 10,000 रुपये से कम के छोटे ऋण, आवेदन प्राप्ति के 3-4 सप्ताहों के भीतर निपटा दें और छोटे ऋणकर्त्ताओं के ऋण आवेदन पत्रों पर, प्रतिभूति मार्जिन आदि पर जोर दिए बिना, विचार करें ।

सरकारी आवास समितियों के ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की दरों में कमी

1079. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जनवरी, 1983 को केन्द्रीय नगर विकास परिषद् और स्थानीय शासन की नई दिल्ली में कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख सिफारिश यह थी कि सहकारी आवास समितियों को दिए जाने वाले ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दरों को कम करने और प्रत्येक ऋण के लिए सरकारी जमानत की निर्धारित सीमा बढ़ाने के लिए जीवन बीमा निगम को निर्देश जारी किए जाएं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सुझाव को तत्काल क्रियान्वित कर लिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो हम सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है :

(ङ) सरकार के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि उसी फ्लैट अथवा मकान को दोबारा गिरवी रखने की अनुमति दी जाय, क्या व्यक्तियों और ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई निर्देश जारी किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो कितने बैंक ऋण उपलब्ध कराने को सहमत हो गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय स्थानीय शासन और नगर विकास परिषद् की एक बैठक 17 और 18 जनवरी, 1983 को हुई थी।

(ख) बैठक में पारित संकल्पों में से एक संकल्प के द्वारा परिषद् ने सरकार से जीवन बीमा निगम द्वारा शीर्षस्थ सहकारी आवास समितियों को दिए जाने वाले ऋणों के ब्याज की दर को कम करने का अनुरोध किया है। परिषद ने 8.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज वाले ऋणों के लिए सरकार द्वारा गारन्टी दिए जाने का भी सुझाव दिया है।

(ग) और (घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जीवन बीमा निगम के पालिसी-होल्डरों को अपनी पूंजी पर उचित आय प्राप्त हो, यह निश्चय किया गया कि जीवन बीमा निगम द्वारा इन समितियों को जो ऋण दिए जाते हैं वे सरकारी गारन्टी के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूति पर दिए जाने चाहिए और उनके ब्याज की दर उचित होनी चाहिए। इन ऋणों के ब्याज की दर 10 प्रतिशत है और यह दर तय करते समय बाजार में दीर्घावधिक ऋणों के ब्याज की मौजूदा दरों को ध्यान में रखा गया है। अतः इन परिस्थितियों में ब्याज की दरों में कमी करना व्यवहार्य नहीं है।

(ङ) और (च) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा रोजगार पद्धति का अध्ययन

1080. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने (एन० टी० सी०) ने साउथ इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एशोसिएशन को अपने सहायक निगमों और मिलों में कामगारों और अन्य कर्मचारियों की रोजगार पद्धति का अध्ययन करने को कहा है ;

(ख) क्या कार्यचालन में घाटे को कम करने के लिए एन. टी. सी. अथवा सरकार द्वारा कोई अन्य कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय निगम की मिलों के कार्यचालन परिणामों को सुधारने के लिए किये गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं :

1. मशीनरी का आधुनिकीकरण और जहां कहीं आवश्यक हो क्षमता का विस्तार :
2. कार्यभार तथा श्रमिक बल का सुव्यवस्थाकरण ;

3. केन्द्रीकृत आधार पर कच्चे माल की बल्क अधिप्राप्ति ;

4. उत्पादन पद्धति में विविधीकरण, और

5. बिजली की कमियों को पूरा करने के लिए कुछ मिलों में डीजल जैनरेटिंग सैटों की स्थापना ।

वर्तमान उत्पादकता से सम्बन्ध बोनस प्रणाली का पुनरीक्षण करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन

1081. **श्री जगदीश टाइटलर :**

श्री राम विलास पासवान : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्तमान उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस प्रणाली का पुनरीक्षण करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है,

(ख) क्या सरकार उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर इस योजना को लागू करने की संभाव्यता पर विचार कर रही है, जो अभी तक इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, और

(ग) यदि हां, तो क्या यह योजना सैनिकों पर भी लागू की जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) सनकार ने उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस स्कीम के प्रचालन की सभी पहलूओं से जांच करने और उसके सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए "अधिकारियों के एक समूह" का गठन किया है । "अधिकारियों के इस समूह" की शिफारिशें प्राप्त होने पर और आगे कार्यवाही की जाएगी ।

"1979 स्कीम कवर्स पाल पेशनर्स" शीर्षक समाचार :

1082. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 दिसम्बर, 1982 को "इण्डिन एक्सप्रैस" में प्रकाशित "1979 स्कीम कवर्स आल पेंशनर्स, सेस सुप्रीम कोर्ट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो मुख्य बातें क्या हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है और क्या वह निर्णय सरकार पर बाध्य है अथवा सरकार ने उस निर्णय के विरुद्ध अपील की है, और

(ग) क्या निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : क) जी, हां ।

(ख) न्यायिक-निर्णय में संक्षेप में, ऐसे व्यक्तियों, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 और जो सेना पेंशन विनियमों के अन्तर्गत प्रशासित होते हैं, के सम्बन्ध में पेंशन का हिसाब लगाने सम्बन्धी प्रक्रिया के मामले में 31 मार्च, 1979 को या उसके बाद और उस तारीख से पहले सेवा-निवृत होनेवाले व्यक्तियों के बीच अन्तर को समाप्त किया गया है ।

सरकार ने उक्त निर्णय की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की है और मामला उच्चतम न्यायालय के पास निर्णय के लिए पड़ा हुआ है ।

(ग) निर्णय की प्रतियां लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई मांगें

1083. **श्री निहाल सिंह : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने 10 से 15 जनवरी, 1983 तक बोट क्लब, नई दिल्ली पर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया था,

(ख) यदि हां, तो उनकी मागों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी प्रत्येक मांग पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) इस आशय की प्रेस रिपोर्ट और इश्तहार है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा बोट क्लब, नई दिल्ली पर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया था । परन्तु उनसे कोई औपचारिक अभ्यावेदन/ज्ञापन/मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) केंन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की मांगों की उनसे ऐसे ज्ञापन/अभ्यावेदन/मांग पत्र के प्राप्त होने पर जांच की जाएगी ।

निर्यात

1084. **श्री के० लक्कप्पा :**

श्री गुफरान आजम : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात, जो अपेक्षाकृत कम हुआ है, देश में योजना बनाने वालों के लिए गम्भीर चिंता का कारण है ;

(ख) यदि हां, तो किन चीजों का निर्यात कम हुआ है ; और

(ग) निर्यातकों को अपना निर्यात बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) भारत के कुल निर्यातों में 1981-82 में 16.2% और अप्रैल-अक्तूबर, 1983 के दौरान अनन्तिम आधार पर 17.8 % की वृद्धि हुई । तथापि, व्यापार घाटे के काफी बड़े स्तर को देखते हुए, प्रतिकूल व्यापार शेष की समस्या से एक बड़ी चुनौती पैदा हुई है । सरकार निर्यातों और साथ ही आयात के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिऐ सभी सम्भव प्रयास कर

रही है।

(ख) जिन मदों के निर्यात में 1982-83 के दौरान गिरावट आई, उनमें मुख्यतयातया ये शामिल हैं, चाय, काजू गिरी, इलायची, चमड़ा, तथा चमड़े का सामान, पटसन माल, सूती वस्त्र।

(ग) सरकार ने निर्यात बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं ;—

1. "लाइसेंसशुदा क्षमता" तथा "प्राधान्य" के प्रयोजनार्थ निर्यात हेतु उत्पादन का अलग किया जाना ;

2. वहां निर्यात हेतु नई वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति जहां उस वस्तु में भिन्नता हो जिसके विनिर्माण के लिये औद्योगिक एकक को लाइसेंस दिया गया हो ;

3 निर्यात उत्पादन के लिये प्रगतिशील तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी आयातों के लिये, जिनमें रायल्टी की एक मुश्त अदायगी अन्तर्ग्रस्त हो, अनुकूल व्यवहार प्रदान करना ;

4. सभी 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसा व्यवहार ;

5. निर्यातों हेतु उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजनार्थ उद्योगों की विस्तारित सूची में स्वत: विस्तार की अनुमति देना ;

6. इंजीनियरी की कतिपय मदों तथा अण्य निर्यात अभिमुख उद्योगों के सम्बन्ध में रियायती ब्याज दर पर लदान-पूर्व ऋण की अवधि को 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया जाना।

7. महानगरीय शहरों में ऐसे एककों को, जो निर्यात के लिये उत्पादन करते हैं, नये औद्योगिक उपक्रमों पर लगाए गए प्रतिबन्धों में चयनात्मक छूट देना ;

8. हाल ही में स्थापित एक्जिम बैंक से निर्यात वित्त का प्रावधान बढ़ाने की आशा है ;

9. इन्जीनियरी माल के निर्यातकों को उनकी स्टील की आवश्यकताओं की पूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर की जाती है। निर्यातकों को निर्यात हो जाने के बाद घरेलू कीमत तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के बीच अन्तर की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है ;

10. शुल्क वापसी के संवितरण में विलम्ब को कम करने के लिये नीतियों तथा प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाया जाना;

11. सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम के निर्यातों को बढ़ाने की सम्भावना का पता लगाना ;

12. नकद मुआवजा सहायता मन्जूर करने की नीति 31 मार्च, 1985 तक की तीन वर्ष

की और अवधिके लिये बढ़ा दी गई है ; और

13. वर्तमान आयात तथा निर्यात नीति, 1982-83 को "उत्पादकता वर्ष" और निर्यात क्षेत्र में और अधिक तेजी लाने की अत्यावश्यक जरूरत को ध्यान में रखाकर तैयार की गई है ।

साथ ही प्रमुख आयात मदों जैसे कि पी० ओ० एल० उर्वरकों, तिलहन आदि के सम्बन्ध में घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं।

केरल में विदेशी मुद्रा की आय और सहकारी संस्थाओं में निवेश

1085. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा प्रति वर्ष अर्जित विदेशी मुद्रा की कुल राशि कितनी है,

(ख) केरल द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है और भारत के कुल विदेशी मुद्रा अर्जन की तुलना में उसका प्रतिशत कितना है,

(ग) पूरे भारत में सरकारी संस्थाओं में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया हुआ है,

(घ) केरल में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है और उसका प्रतिशत कितना है,

(ङ) क्या सरकार का यदि आवश्यक हो, तो केरल की विदेशी मुद्रा अर्जन की प्रतिशत और जनसंख्या के अनुसार नए सरकारी क्षेत्र के संस्थान खोल करके सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में निवेश का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कदम उठाने का विचार है, और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82 दौरान भारत को निर्यात तथा आवक प्रेषणों के माध्यम से 10.350 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय हुई है । अर्जित विदेशी मुद्रा की जानकारी राज्यवार संकलित नहीं की जाती है, अतः यह बताना संभव नहीं कि सिर्फ केरल द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ।

(ग) 31.3. 1982 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सामान्य शेयर पूंजी तथा सावधिक ऋणों को मिलाकर कुल लगी पूंजी 24,761 करोड़ रुपये थी ।

(घ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित लगी पूंजी का राज्यवार ब्यौरा तैयार नहीं किया जाता है । किन्तु 31.3.1982 को प्रत्येक राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अचल परिसंपत्ति के सकल मूल्य के रूप में केरल में लगी पूंजी 535.50 करोड़ रुपये थी जो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों की अचल परिसंपत्ति के सकल मूल्य की 2.1 प्रतिशत थी ।

(ङ) और (च) केन्दीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना से ही उनमें लगी पूंजी में

निरन्तर वृद्धि होती रही है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नए उद्यमों अथवा वर्तमान उद्यमों में पूंजी लगाने संबन्धी निर्णय केवल उद्यम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की रकम के आधार पर ही नहीं किया जाता है ; बल्कि आर्थिक व्यवहार्यता, पिछड़े क्षेत्रों के विकास, अवस्थापना सम्बन्धी सुझावों आदि जैसी अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाता है।

सोवियत संघ और पौलैंड को अभ्रक का निर्यात

1086. **श्रीमती माधुरी सिंह : क्या वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ और पौलैंड के व्यापार शिष्टमंडलों ने इस वर्ष जनवरी के दौरान बिहार में अभ्रक उत्पादन केन्द्रों का दौरा किया था ;

(ख) क्या इन दोनों देशों को भारत से अभ्रक निर्यात करने के लिए किसी ठेके को अन्तिम रूप दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) से (ग) सोवियत संघ और पौलैंड के व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने जनवरी, 1983 में क्रमशः नई दिल्ली और कलकत्ता का दौरा किया था। सोवियत संघ को 1001 लाख रु० मूल्य के 270 मे० टन अभ्रक और पोलैंड को 156 लाख रु० मूल्य के 662 मे० टन अभ्रक अधिकांशतः स्क्रैप तथा स्प्लिटिंग्स की सप्लाई के लिये संविदायें सफल की गईं थीं।

पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों द्वारा की गई मांगें

1087. **श्री अमर राम प्रधान** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों ने अपना मांग पत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने चाय अधिनियम के अन्तर्गत बन्द और छोड़े गए चाय बागानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सस्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक छोड़े गए और बन्द चाय बागानों की संख्या क्या है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकार का राज्य व्यापार निगम चाय बोर्ड अथवा भारतीय चाय व्यापार निगम के माध्यम से ग्राहकों को सीधे चाय बेचने के लिए दार्जिलिंग में एक पैकिंग उद्योगस्थापित करने का विचार है, और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) सरकार को पश्चिम बंगाल के चाय कर्मकारों के मांग पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) बन्द और परित्यक्त चाय बगानों के प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए कोई सामान्य सरकारी निर्णय नहीं लिया गया है। चाय अधिनियम में कतिपय परिस्थितियों के अन्तर्गत चाय बागानों के प्रबन्ध ग्रहण के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है। इन अधिकारों का प्रयोग करने में सरकार प्रत्येक मामले के गुणावगुण की जांच के आधार पर समय-समय पर चाय बागानों के प्रबन्ध ग्रहण के बारे में निर्णय लेती है ।

(घ) बन्द बागानों की संख्या निम्नोक्त प्रकार है :—

पश्चिम बंगाल	—16
त्रिपुरा	—9
केरल	—3

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता

वस्त्र उद्योग का उत्पादन

1088. **श्री चित्त महोटा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों में वस्त्र उद्योग का उत्पादन कितना रहा ; और

(ख) छठी योजना अवधि में वस्त्र उद्योग का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) पिछले पांच वर्षों के लिये विकेन्द्रित क्षेत्र सहित वस्त्र उद्योग में कपड़े का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार है :—

	(मिलियन मीटर टन में)
1977-78	9513
1978-79	10769
1979-80	10454
1980-81	10988
1981-82	10981

(ख) जबकि किसी एक वर्ष में उत्पादन मांग, औद्योगिक सम्बन्ध, कच्चे माल, कीमत आदि पर निर्भर रहता है, सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिये किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नोक्त प्रकार रहे हैं :—

(1) आधुनिकीकरण के लिए सुलभ ऋण योजना की उपलब्धता ।

(2) विभिन्न मदों के विनिर्माण के लिए अधिक लोचशीलता की व्यवस्था करने वाले उदारीकरण के अन्य उपायों के साथ-साथ कतिपय प्रतिबन्धों के अध्यधीन कताई क्षमता स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग हटाना ।

(3) हथकरघा क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए योजनाएं ।

(4) अधिक देशी उत्पादन तथा साथ ही उदार आयतों के जरिए पर्याप्त रेशा उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए उत्पादन शुल्क नीति

1089. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने देश के आदिवासी क्षेत्रों के लिए कौन सी उत्पाद-शुल्क नीति अपनाई और क्रियान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजी है ; और

(ख) इस उत्पाद-शुल्क नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इसके क्रियान्वयन के लिए अब तक राज्य-वार क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) देश के आदिवासी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की अलग से कोई नीति नहीं है ।

(ख) ऊपर (क) में दिए उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

1090. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से सोडा एश और अन्य रसायन, कच्चा लोहा, चमड़ा, धागा, कपास और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं आयात करने के संबंध में सरकार के विचारों में कोई परिवर्तन आया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने हमारी सरकार के साथ आपसी आयात और निर्यात करार के विषय में कोई बात की है ;

(ग) क्या इस संबंध में हमारे देश द्वारा कोई पहल की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार द्वारा प्रत्येक

वित्तीय वर्ष के आरंभ में घोषित वार्षिक आयात नीति पाकिस्तान से आयातों पर भी लागू होती है ।

(ख) से (घ) : भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार करार जनवरी, 1978 में समाप्त हो गया और एक नया व्यापार करार करने के लिए बातचीत अनिर्णायक रही । विचार-विमर्श राजनयिक माध्यमों के जरिये जारी है ।

बजट से पूर्व सिगरेट तथा बीड़ी की कीमतों में वृद्धि

1091. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ती सिगरेटों तथा बीड़ियों की कीमतों में बजट के पूर्व ही वृद्धि कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) सिगरेटों को उन पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के एक भाग छूट से दी गई थी । यह छूट 30.11.1982 से वापस ले ली गई थी और सिगरेटों पर अब सांविधिक दर पर शुल्क लगता है । बीड़ियों पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दरों में हाल ही में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ख) बजट के समय कराधान में किए जाने वाले परिवर्तनों के अलावा, संबंधित ट्रैरिफ, वित्तीय और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्राय: समय-समय पर शुल्क दरों को समायोजित करना आवश्यक हो जाता है । इसी संदर्भ में, विगत समय के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क के संबंध में दी गई कुछ रियायतों को हाल ही में संशोधित किया गया है और सिगरेटों पर उद्ग्रहणीय रियायती शुल्क भी उनमें से एक है ।

विदेशों में जीवन बीमानिगम के व्यापार में कमी

1092. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में जीवन बीमा निगम का व्यापार पिछले कुछ वर्षों में लगातार घटता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशों में जीवन बीमा निगम व्यापार में प्रतिवर्ष किस हद तक कमी आई है और उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) विदेशों में जीवन बीमा निगम के व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) : जीवन बीमा निगम द्वारा पिछले पांच वर्षों में यूनाइटेड किंगडम, फिजी और मारिशस में तथा 26 जुलाई, 1979 तक केन्या में किए गए नए कारबार का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	पालिसियों की संख्या	बीमाकृत राशि करोड़ रुपए
1977-78	4242	15.85
1978-79	3809	15.92
1979-80	2756	11.23
1980-81	3628	14.23
1981-82	3560	15.74

(ग) इन देशों में परिस्तियों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों और प्रथाओं की बराबर समीक्षा करके जीवन बीमा निगम विदेशी शाखाओं में अपना कारबार बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है।

सन्डे टाइम्स, लन्दन के वरिष्ठ पत्रकार को दिया गया मुआवजा

1093. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री जगपाल सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में एयर इंडिया के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक श्री परेरिया द्वारा 1980 में कतिपय असत्य टिप्पणियां करने पर एयर इंडिया को सन्डे टाइम्स, लन्दन के एक वरिष्ठ पत्रकार को मुआवजा देना पड़ा था ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया गया था और असत्य टिप्पणियां करने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई, जिसके कारण सरकार को मुआवजा देना पड़ा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) : एयर इंडिया लन्दन के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक श्री इरिक परेरा ने टाइम्स समाचार पत्र के प्रबन्ध निदेशक तथा सन्डे टाइम्स के देशीय समाचार सम्पादक को लिखा था कि श्री एंथनी मैसकरेन्हास ने अपने लिए एयरलाइन से अधिमान्य व्यवहार/सुविधा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, एयर इंडिया, यू. के., के विरुद्ध अनुसूचित वाणिज्यिक कार्यों के संबंध में कुछ निराधार आरोप लगाए थे। श्रीमैसकरेन्हास द्वारा मामले को न्यायालय में ले जाया गया तथा ली गई कानूनी सलाह के आधार पर एयर इंडिया ने श्री मैसकरेन्हास के साथ अदालत से बाहर से एक समझौता किया। समझौते का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) क्षति के लिए श्री मैसकरेन्हास को नकद मुआवजे के रूप में 2000 यू. के. पौंड की राशि मिलनी चाहिए ।

(2) क्षति पर ब्याज के एवज में लन्दन/बम्बई/लन्दन सैक्टर के लिए एक किफायती श्रेणी का वापसी टिकट ।

(3) श्री मैसकरेन्हास द्वारा किए गए कानूनी खर्चों का भुगतान उनके वकील की फीस सहित 2000 यू. के. पौंड से अधिक नहीं होगा ।

(4) श्री परेरा की ओर से न्यायालय में खेद व्यक्त किए जाने वाला खुला बयान तथा श्री मैसकरेन्हास से यह आश्वासन कि वे मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे ।

श्री परेरा को इस समझौते में सम्मिलित किया गया था तथा वे 250 यू. के. पौंड की अदायगी करने पर सहमत हो गये थे । श्री परेरा ने अब एयर इंडिया से स्वैच्छिक सेवा निवृति ले ली है ।

कर-अपवंचकों पर नियन्त्रण रखने के उपाय

1094. **श्री राजनाथ सीनकर शास्त्री :**

श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष कर- अपवंचकों पर नियंत्रण रखने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बकाया राशि की वसूली में क्या प्रगति हुई है और बकाया राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) कर अपवंचन पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने नए कर निर्धारितयों का पता लगाने तथा विद्यमान कर निर्धारितियों के मामलों की जाँच करने दोनों के लिए उपयोगी सूचना को एकत्र करने, उसका मिलान तथा प्रसार करने के लिए तन्त्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए उपाय किये हैं । सतत आधार पर सर्वेक्षण करने के लिए विभाग ने एक स्थायी संगठन बनाया है । आयकर विभाग के गुप्तचर्या स्कन्ध को सुदृढ़ बनाया गया है । जहां कहीं उचित समझा जाता है प्रत्यक्ष कर अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए अभियोजन चलाये जाते हैं । इन उपायों के परिणामतः वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान 1.06 लाख नये मामलों में आयकर की कार्यवाहियां आरम्भ की गई थीं ; 1.92 लाख नए मामलों में आयकर विवरणिकां दाखिल की गई थीं ; 4282 तलाशियाँ ली गई तथा 30.66 करोड़ रुपये मूल्य की अप्रकट परिसम्पत्तियां पकड़ा ग ी थी और 390 अभियोजन चलाये गये थे ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपवंचन के विरुद्ध भी प्रभावशाली कदम उठाये गए थे । वर्ष 1982 के दौरान पकड़े गये कुल मामलों की संख्या 7108 है जिसमें अनुमानतः 59 करोड़ रुपये का शुल्क अपवंचन ग्रस्त है जबकि 1981 में 5257 मामले पकड़े गये थे और उनमें 50 करोड़ रुपये का शुल्क अपवंचन ग्रस्त था ।

जहाँ तक तस्करी निरोधी प्रयासों का संबंध है, 1982 के दौरान पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुओं का मूल्य लगभग 64.78 करोड़ रुपये बनता है जो 1981 की संगत अवधि के दौरान पकड़ी गई वस्तुओं के मूल्य (39.72 करोड़ रुपये) से लगभग 63 प्रतिशत अधिक है । वास्तव में, यह विगत दशक के दौरान पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुओं को अधिकतम मूल्य है ।

(ख) आयकर अधिनियम 1961 में, बकाया कर की उगाही तथा वसूली करने के लिए अर्थदन्ड लगाने, चूककर्ता को संदेय रुपयों की कुर्की करने, चल सम्पत्ति की कुर्की बिक्री करने अचल, सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री करने जैसे अनेक उपायों की व्यवस्था है। प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितिवों के आधार पर, बकाया की शीघ्र वसूली करने के लिए, संबंधित आयकर अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। वसूली की गति को तेज करने तथा अनिर्णीत अपीलों आदि के शीघ्र निपटान करने तथा बकाया राशि की कमी पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अनेक प्रशासनिक उपाय भी किये गये हैं। 1-4-1982 से 31-12-1982 की अवधि के दौरान 31-3-1982 की स्थिति के अनुसार बकाया आयकर मांग की बकाया राशि में से 376.09 करोड़ रुपये (29.74 प्रतिशत) की उगाही/कमी की गई है।

31-10-1982 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की और तथा सीमा शुल्क की राजस्व की बकाया राशि क्रमश: 324,26 करोड़ रुपये तथा 19.25 करोड़ रुपये थी।

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं को बाया राशि के परिसमापन के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्हें समझाने बुझाने के उपायों द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से बकाया राशि की वसूली करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

एशियाड की आवश्यकतओं को पूरा करने के लिए होटल

1095. **श्री बी०डी० सिंह :**
श्री रसीद मसूद :
श्री कृष्ण चन्द्र पाडे :
श्री मोहम्मद असरार अहमद :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री बापू साहिब परलेकर :
श्री मोती भाई अ र० चौधरी :
श्री एन०के० शेजवलकर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने होटलों का निर्माण करने की योजना थी और कितने होटल समय पर वास्तव में तैयार हो गए थे और लक्ष्य की तुलना में कितने कमरे उपलब्ध कराए गए थे;

(ख) एशियाड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य होटलों के समय पर पूरा न होने के क्या कारण हैं और क्या इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा इन होटलों को कोई विशेष सहायता दी गई थी और उसका स्वरूप क्या था;

(ग) ये होटल कब तक पूरी तरह तैयार हो जायेंगे ; और

(घ) एशियाड के दौरान पर्यटकों के संभावित लक्ष्य की तुलना में कितने पर्यटक आए और

एशियाड के दौरान पर्यटकों की संभावित संख्या में कमी यदि कोई हो तो उसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) : एशियाड की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौ नए होटलों और एक होटल विस्तार परियोजना के लिए योजना तैयार की गई थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

योजना बद्ध

होटल का नाम	कमरों की कुल संख्या	होटलों के अनुसार एशियाड के लिए तैयार कमरे
1. एशियन होटल	588	250
2. सुर्य इंटर नेशनल	258	200
3. सिद्धार्थ कांटीनेंटल होटल	156	120
4. मौर्य शेराटन (विस्तार)	122	122
5. ताज पैलेस होटल	500	200
6. सेन्टौर होटल	416	200
7. सम्राट होटल	300	136
8. भारत होटल	500	100
9. मैरिडियन होटल	425	100
10. पार्क होटल	231	50+

×अन्यत्र वैकल्पिक आवास की पेशकश की गई ।

एशियाड की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन होटलों द्वारा पर्याप्त संख्या में कमरे उपलब्ध कराए गए ।

होटल परियोजनाओं के प्रवर्तकों को नियमों और परिस्थितिओं के अनुसार सहायता प्रदान की गई थी ।

(ग) दूसरे होटलों को एक वर्ष से कम समय में पूरा हो जाने की संभावना है ।

(घ) 10000 अतिरिक्त प्रत्यासियों पर्यटकों के मुकालले इस अवधि के दौरान लगभग 3000 पर्यटकों की कमी रही और ऐसा समृद्ध देशों की अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी के कारण हुआ जैसाकि पर्यटक यातायात में विश्वव्यापी गिरावट से प्रतिबिम्बित होता है ।

अहमदाबाद और अन्य स्थानों में उद्योगपतियों के परिसरों पर छापा

1096. **श्री रामजी भाई पार्वाण** : क्या **वित्त** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद और सूरत, बम्बई और भिवानी (हरियाणा) के अन्य स्थानों पर कुछ मिल उद्योगपतियों के निवास और कार्यालय परिसरों पर हाल ही में मारे गए छापों में 6 करोड़ रुपयों के घोटाले का मामला प्रकाश में आया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान अहमदाबाद से प्रकाशित 2 फरवरी, 1983 के 'गुजरात समाचार' (गुजरात का एक गुजराती दैनिक) के समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें ब्यौरा प्रकाशित हुआ था;

(ग) यदि हां, तो गुजरात, बम्बई और हरियाणा में ऐसी तलाशियों का ब्यौरा क्या है और अघोषित धनराशि, वही, खातों, सोने चांदी, बैंक खातों आदि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उद्योगपतियों और अन्य सम्बद्ध लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ङ) : सरकार को अहमदाबाद से प्रकाशित 2 फरवरी, 1983 के "गुजरात समाचार (गुजरात का एक गुजराती दैनिक) में, टेक्सटाइल समूह में छापों के सम्बन्ध में छपे समाचार की जानकारी है। 22 जनवरी, 1983 और 30 जनवरी, 1983 के बीच आयकर विभाग ने, अहमदाबाद के पटेल मिल्स लि० और सी०टी०एम० टेक्सटाइल्स तथा सी० लाजपतराय (प्रा०) लि०, बम्बई तथा इन कंपनियों के निदेशकों श्री लाजपतराय चतुर्भुज अग्रवाल और श्री मोहनलाल चतुर्भुज अग्रवाल के मामलों में तथा अन्य संबधित मामलों में अहमदाबाद, बम्बई, भिवानी तथा सूरत में तलाशियां ली थीं। इन तलाशियों के परिणामतः 17 लाख रुपए की प्रथम द्रष्ट्या लेख बाह्य परिसंपत्तितां पकड़ी गई। पकड़ी (आन मनी के रूप में ली गई तथा दी गई रकमों तथा कराधान प्रयोजनों के लिए प्रकट नहीं किए गये गुप्त लाभों को दर्शाने वाले अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों की, जो इन तलाशियों के दौरान पकड़े गए थे, छानबीन की जा रही है तथा विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जाएगी।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यात

1097. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ घट बढ़ रहे प्रतिकूल व्यापार शेष को कम करने के लिए अपना निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अरब और प्रशान्त महासागरीय देशों को जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय

के सहयोगी हैं, दवाएं जिसमें भारत को विशेषज्ञता हासिल है, निर्यात करने के लिए सरकार ने पहल करने के क्या कदम उठाये है ताकि व्यापार शेष कम हो सके ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) ई० ई०सी के साथ प्रतिकूल व्यापार शेष को कम कम करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं :-

(1) एक नये वाणिज्यिक तथा आर्थिक सहयोग करार पर, जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारत के बीच घनिष्ट व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था, जून 1981 में हस्ताक्षार किये गये हैं ।

(2) भारतीय निर्यातकों को क्वालिटी तथा पैकेजिंग आवश्यकताओं, वितरण चैलान, डिजाइनों सम्बन्धी प्रवृतियों, टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बैरियरों आदि के बारे में बेजर आसूचना एवं जानकारी प्रदान करने के लिये ब्रूसेल्स में भारत व्यापार केन्द्र की स्थापना की गई है । केन्द्र पश्चिम यूरोप में मेलों में भाग लेने के लिए और व्यापार मिशनों को भेजने के लिये भारतीय संगठनों को समर्थन प्रदान करता है ।

(3) यूरोप में व्यापार मेलों में भारत की सहभागित में वृद्धि करने, यूरोप में भारतीय उत्पादों के लिये कार्यशालाये आयोजित करने, भारतीय पदों के लिये व्यापार मिशन प्रायोजित करने, यूरोप में बाजार सर्वेक्षण आयोजित करने, ई०ई०सी० देशों में भारतीय कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के अलावा भारत को विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति के लिये प्रतिवर्ष समुदाय की वित्तीय सहायता से एक भारत-ई०सी०सी० व्यापार संवर्धन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ।

(4) सरकार अपने निर्यात संवर्धन प्रयोगों को बढ़ाती रहेगी और ई०ई०सी० को वस्त्रों जैसे महत्वपूर्ण निर्यात उत्पादों के लिये अधिक उदार व्यापार नीतियां अपनाने के लिये राजी करेगी ।

(ख) कैरीबियन देशों में सामान्यतः भारतीय ओषधियों और भेषजों के लिये अच्छी संभावनाएं हैं । 1982 के दौरान रसायन तथा संबद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा सं. रा. अमरीका, कनाडा तथा वैस्ट इन्डीज के लिये प्रायोजित किये गये उच्च अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि-मंडल ने बताया है कि परिषद् के निर्यातों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त गुंजायश है और यह बताया कि वे इन बाजारों को औषधि उद्योग से निर्यातकों के विशेष दल भेजने के अलाव कैरीबियन देशों में विस्तृत बाजार सर्वेक्षण करेंगे । इसके अलावा परिषद् का स्वास्थ्य मंत्रालयों बिशेषतया ट्रिनीडाड और बारबडोस के अधिकारियों को भारतीय भेषजीय उद्योग का दौरा करने के लिये आमंत्रित करने का विचार है । यह आशा की जाती है कि इन उपायों से भारत में औषध तथा भेषजों के निर्यातों में निश्चित रूप से सुधार होगा तथापि ई०ई०सी० के साथ इन देशों का सम्बद्ध स्थिति भारत के निर्यातों को बढ़ाने में सहायता नहीं कर सकती है क्योंकि इससे केवल उन देशों के उत्पादों के लिये ई०ई०सी० बाजार में बेहतर स्थान प्राप्त होता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा भारत का ऋण संबंधी शर्तों का कठोरता से पालन करने के लिए नये निदेश

1098. **श्री हन्नान मौल्लाह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष अधिकारियों ने ऋण सम्बन्धी शर्तों का कठोरता से पालन करने के बारे में केन्द्र सरकार को कोई नए निदेश भेजे है;

(ख) यदि हां, तो नये निदेश क्या हैं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

चाय का उत्पादन और निर्यात

1099. **श्री हन्नान मौल्लाह** :
श्री चित महाटा :
श्री सोममाथ चटर्जी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में चाय कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उपरोक्त अवधि में, प्रति वर्ष, कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ग) सरकार का चाय के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाने का विचार है, क्योंकि चाय उद्योग में 1983 में 70 लाख किलोग्राम कम उत्पादन होने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) : अपेक्षित आंकड़े नीचे दिये गये हैं :-

वर्ष	चाय का उत्पादन (मि० कि० ग्रा०)
1980	571.66
1081	560.72 (अनन्तिम)
1982	564.00 (अनुमानित)

(ख) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	निर्यात आय (करोड़ रु०)
1980	429.00
1981	432.14 (अनन्तिम)
1982	343.69 (तत्काल अनुमान)

(ग) 1981 की तुलना में 1982 के दौरान चाय का उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई। दूसरी ओर 4 मि० कि०ग्रा० की मामूली वृद्धि हुई। चाय इस समय लघु उपजकर्ताओं के लिए चाय उत्पादन के सुधार के लिए विभिन्न विकास योजनाओं अर्थात् चाय बागान वित्त योजना, चाय मशीनरी तथा सिचाई उपस्कर किराया खरीद योजना, पुनर्रोपण तथा नवीकरण उपदान योजना और अन्य विकास संबंधी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

काफी का उत्पादन और निर्यात

1100. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में काफी का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में, प्रति वर्ष निर्यात से कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में काफी का उत्पादन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

काफी वर्ष	**उत्पादन**
पहली अक्टूबर से 30 सितम्बर	**(मे० टन)**
1979-80	149.233
1980-81	118.048
1981-82	150.907

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान काफी के निर्यात से हुई आय निम्नलिखित तालिका में दी गई है :-

वित्तीय वर्ष	**आय**
(पहली अप्रैल से 31 मार्च)	
1979-80	178-97 करोड़ रु०
1980-81	215.77 करोड़ रु०
1981-82	162.20 करोड़ रु0

निर्यात लक्ष्य

1101. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री नवीन रावणी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का वर्ष 1982-83 के दौरान 8650 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या मन्त्रालय ने देश की आर्थिक स्थिति और निर्यात लक्ष्य की प्रगति में असफलता के कारणों के बारे में एक नोट तैयार किया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ; और

(ङ) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं और उनके क्या परिणाम प्राप्त होने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) : अन्तिम आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् अप्रैल-अक्तूबर, 1982 के पहले सात महीनों के दौरान भारत के समग्र निर्यात 4664.55 करोड़ रु० के हुये जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान 3959.89 करोड़ रु० के हुये थे, इस प्रकार 17.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वृद्धि की इस दर पर निर्यातों के 1982-83 के लिए निर्धारित 8650 करोड़ रु० के निर्यात लक्ष्य से बढ़ने की संभावना है ।

वायुदत सेवा द्वारा डाक ले जाया जाना

1102. **श्री हरिजन सोरेन .**

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किन्हीं रूटों पर डाक ले जाने का काम वायुदूत सेवा के माध्यम से करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन रूटों के नाम क्या हैं और किन-किन महत्वपूर्ण स्थानों के लिए डाक ले जाने का काम वायुदूत सेवा के माध्यम से किया जाएगा ;

(ग) क्या कलकत्ता-राउरकेला रूट भी उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आएगा; और

(घ) यदि हां, तो वायुदूत के माध्यम से उक्त सेवाएं कहां से उपलब्ध की जाएंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) और (ख) वायुदूत निम्नलिखित मार्गों पर पहले से डाक ले जा रहा है :-

तेजू — डिब्रूगढ़ — तेजू

गौहाटी — अगरतला — गौहाटी

गौहाटी — सिलचर — गौहाटी

दिल्ली — लुधियाना — दिल्ली

दिल्ली — देहरादून — दिल्ली

(ग) और (घ) डाक-तार महानिदेशालय ने इस विषय में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

वाणिज्यिक बैंकों की नेपाल में शाखाएं खोला जाना

1103. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने कुछ विदेशी वाणिज्यिक बैंकों को देश में कार्य करने की अनुमति दी है ;

(ख) क्या किसी भारतीय वाणिज्यिक बैंक ने नेपाल में अपनी कोई शाखा खोली है अथवा खोलने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उन भारतीय बैंकों के नाम क्या हैं जिनका उस देश में अपनी शाखायें खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार नेपाली प्राधिकारियों ने नेपाल में शाखा खोलने के लिए किसी विदेशी बैंक को अनुमति नहीं दी है।

(ख) और (ग) इस समय नेपाल में कोई भारतीय बैंक कार्यरत नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक ने काठमांडू में एक शाखा खोलने का प्रस्ताव किया था परन्तु नेपाली लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा इसकी स्वीकृति दिया जाना अभी बाकी है।

आयकर विभाग के पास उपलब्ध जन-बल

1104. **श्री रतन सिंह**

श्रीमती मोती भाई आर० चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग के पास उपलब्ध जन-बल चुनौती पूर्ण कार्य के लिए पर्याप्त है ; यदि नहीं, तो सरकार का जन-बल में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि आयकर विभाग के सारे तन्त्र का उपयोग कर-निर्धारण मामलों के निपटाने के लिए ही किया जाता है;

(ग) क्या कर-निर्धारण कार्य का स्तर इतना गिर गया है कि उससे काले धन को रोकने के स्थान पर उसमें वृद्धि को बल मिलता है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) सर्वेक्षण और आसूचना कार्य के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा आरम्भ कर दी गई है।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में आयकर कार्यालय में श्रेणी II अधिकारियों की कमी

1105. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने पत्र क्रमांक एफ संख्या ए-11-*013/6/80*-ए०डी०-7 दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 के द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया था कि श्रेणी II के अधिकारियों की कमी है और पश्चिम बंगाल प्रभार की तुलना में गुजरात प्रभार वास्तव में 1/3 कर्मचारियों के साथ कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) कर निर्धारण कार्य पर कितने आयकर अधिकारी नियुक्त हैं और पश्चिम बंगाल, बम्बई, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात प्रभारों में उन्होंने 31 मार्च 1982 तक कितने कार्य का निपटान किया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1981-82 के दौरान पूरे किए गए कर निर्धारणों और कर-निर्धारण कार्य के लिए लगाए गए आयकर अधिकारियों/निरीक्षी सहायक आयुक्तों की संख्या दर्शाने वाला विवरण पत्र

आयकर आयुक्त प्रभार	1980-81 के दौरान कर-निर्धारण कार्य के लिए लगाए गए आयकर अधिकारी/निरीक्षी सहायक आयुक्त	1980-81 के दौरान पूरे किए गए कर-निर्धारण		
		कम्पनी	गैर कम्पनी	जोड़
1-पश्चिम बंगाल	471	11568	4825श6	494104

1	2	3	4	5
2-कलकत्ता (सैन्ट्रल)	36	480	840	1320
3-बम्बई सीटी	352	10829	628952	639781
4-बम्बई (सैन्ट्रल)	41	333	1553	1886
5-तमिलनाडु	248	4529	416425	420954
6-मद्रास (सैन्ट्रल)	20	83	1419	1502
7-दिल्ली	199	4903	305879	310782
8-दिल्ली (सैन्ट्रल)	25	229	778	1007
9-गुजरात	241	2316	452169	454485
10-गुजरात (सैन्ट्रल)	14	69	1220	1289

कृषि वस्तुओं का वर्ष 1984-85 के दौरान निर्यात दो गुणा करने की योजना

1106. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कृषि वस्तुओं का वर्ष 1984-85 के दौरान निर्यात दो गुणा करने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) 1984-85 के दौरान कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यात दुगुने करने की कोई विशेष योजना नहीं है। कृषि वस्तुओं के उत्पादन तथा उत्पादकता को निरन्तर बढ़ाकर निर्यात अधिकतम करने का प्रस्ताव है।

छोटे तथा मध्यम रेशों वाली कपास का निर्यात

1107. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा मध्य रेशों वाली कपास का निर्यात करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले कपास सलाहाकर बोर्ड ने छोटे तथा मध्यम रेशों वाली कपास के निर्यात की अनुमति देने के विरुद्ध परामर्श दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) कपास के निर्यात की अनुमति देश में मांग तथा सप्लाई स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद ही दी जाती है और तदानुसार समय समय पर निर्यात कोटे रिलीज किये जाते हैं जबकि, रूई सलाहाकार बोर्ड ने 24 सितम्बर 1982 को (रूई मौसम आरम्भ होने पर) प्रारम्भिक प्राक्कलन में छोटे तथा मध्यम रेशे की रुई के निर्यात की सिफारिश नहीं की थी, इस सम्बन्ध में सरकार की नीति, उत्पादन, कीमतों तथा रुई के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित सहित विद्यमान स्थिति द्वारा नियन्त्रण होती है ।

सितम्बर, 1982 में सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क छापे

1109. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

श्री भीम सिंह : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभाग ने सितम्बर 1982 में चार बड़े नगरों में छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो जिन फर्मों पर छापे मारे गये उनके स्थान-वार ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) छापों के दौरान पता लगी अनियमितताओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग सारे देश में विभिन्न आधारों पर छापे मारने की कार्यवाही करता है । जिन "फर्मों" के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित हो, उनका उल्लेख किये जाने पर सूचना एकत्र करके प्रस्तुत की जा सकती है ;

पश्चिम बंगाल राज्य रेशम उत्पादन उद्योग को सहायता

1110. **श्री रेणुपद दास** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वरहामपुर (पश्चिम बंगाल) स्थित केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसन्धान संस्थान कहाँ तक और किस सीमा तक 1981-82 तथा 1982-83 में पश्चिम बंगाल रेशम उत्पादन उद्योग को अनुसन्धान सुविधाओं के बारे में अपनी सहायता प्रदान कर सका , और

(ख) उक्त सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, बरहामपुर अपने अनुसंधान निष्कर्षों का लाभ अपने विस्तार केन्द्रों के माध्यम से और पश्चिम बंगाल सरकार के रेशम उत्पादक विभाग के माध्यम

से पश्चिम बंगाल के रेशम उत्पादकों पहुंचता है। संस्थान ने शहतूत की अनेक समुन्नत किस्में विकसित की हैं जिनमें से ए० 1 तथा एस० 799 बहुत लोकप्रिय हैं। इसने दो समुन्नत बाइ-वोल्टाइन रेशमकीट प्रजातियां अर्थात कलीनपोंग बी० तथा पम्पोर 5 भी रिलीज की हैं। संस्थान स्नातकोत्तर तथा साथ ही कृषक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। अन्य गतिविधियों में हैं। यूजी मक्खी के प्रकोप की निगरानी तथा समुन्नत पालन पद्धतियों के बारे में जानकारी प्रदान करना।

आटोमोबाइल पुर्जों और अतिरिक्त पुर्जों पर आयात शुल्क में कमी

1111. **श्री तारिक अनवर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आटोमोबाइल पुर्जों और अतिरिक्त पुर्जों पर वर्तमान 150 प्रतिशत आयात शुल्क को कम करके 25 प्रतिशत करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां; तो क्या आयात शुल्क में इस कमी का आटो अतिरिक्त पुर्जों का निर्माण करने वाले भारतीय निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ग) क्या इसके कारण कीमतों में कमी होगी ; और

(घ) इस निर्णय के क्या लाभ होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) ईंधन-क्षम छोटी कारों और दो पहिए वाली मोटरगाड़ियों के लिए असली उपस्कर हिस्से-पुर्जों के रूप में अपेक्षित संघटकों पर आयात शुल्क में कमी करके मूल्यानुसार 40% करने का फैसला किया गया है।

(ख), (ग) और (घ) : आटो स्पेयर के स्वदेशी निर्माताओं के हितों को ध्यान में रखा गया है। सरकार को पुर्जों के स्वदेशी निर्माताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है। क्योंकि (1) रियायती दर केवल ऐसे संघटकों पर लागू होती है। जिनकी असली उपस्कर हिस्से-पुर्जों के रूप में जरूरत हो और यह दर प्रतिस्थापना इस्तूमाल के लिए अभिप्रेत हिस्से-पुर्जों पर लागू नहीं होगी ; (11) यहाँ तक कि इन असली संघटकों का आयात एक अनुमोदित चरण-वद्ध निर्माण-कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाना होता हैं जिसमें आयातित संघटकों की क्रमिक घटौती की परिकल्पना की गई है ; (111) विकसित प्रौद्योगिकी और व्यवहार्य मितव्ययिता बरते जाने से पूर्जों और उपांचों की मांग बढ़ने की आशा है। ईन्धन-क्षम वाहन प्रारम्भिक लागत और संचालन लागत, दोनों, के हिसाब से सस्ते होने की आशा है।

बैंकिंग सेवा चयन आयोग (पश्चिम समूह) द्वारा लिपकों/टाइपिस्टों/स्टेनोग्राफरों की भर्ती

1112. **श्री तारिक अनवर** : क्या **वित्त** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवा चयन आयोग (पश्चिम समूह) ने जून, 1982 में लिपकों, टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफर के पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा क्षेत्र-वार कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी है ;

(ग) क्या आयोग ने उपरोक्त पदों में से कुछ पदों पर भूतपूर्व-सैनिकों को नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व सैनिकों को आयोग द्वारा अपने विज्ञापन में अधिसूचित आरक्षण के अनुसार नियुक्त किया जायेगा ;

(ङ) यदि हां, तो इस वर्ग के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को चुना गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो इस बारे में विशेष उपबन्ध करने का प्रयोजन क्या है?

वित्त मन्त्रालय में उपवित्त मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकिंग सेवा बोर्ड (पश्चिम समूह) बंबई और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (पश्चिमी समूह) बड़ौदा दोनों ने लिपिक वर्गीय काडर के कार्मिकों के चयन के लिए जून,1982 में लिखित परीक्षा आयोजित की थी।

(ख) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों (बी० एस० आर० बी०) द्वारा नियुक्ति के लिये प्रस्तावित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है :—

बोर्ड तथा क्षेत्र का नाम	नियुक्त किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
1. बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, बम्बई	
1. महाराष्ट्र	3500
2. गोवा	125
1. बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, बड़ौदा	
1. गुजरात	1192
2 राजस्थान	907

(ग) और (घ) : उपर्युक्त में से कतिपय रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार के इन उम्मीदवारों में से जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में सफल होते हैं उन्हें नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं।

(ङ) और (च) : बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड बम्बई ने उन भूतपूर्व सैनिकों में से जिन्होंने लिखित तथा साक्षात्कार परीक्षाओं में भाग लिया था, 50 उम्मीदवारों का चयन किया है। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड बड़ौदा द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम अभी घोषित किये जाने हैं। दोनों बोर्डों ने सूचित किया है कि इसके अलावा, उन्होंने अपने संबद्ध कार्यक्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिपिक वर्गीय काडर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित बचे हुए पदों को भरने के लिए मार्च/अप्रैल 1983 में आयोजित की जाने वाली विशेष भर्ती परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी किये हैं।

राजस्थान में अफीम की खेती

1113. **श्री चतुर्भुज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा और झालावाड़ जिलों में (राजस्थान) के कितने किसानों को अफीम की खेती के पट्टे पर जमीन आबंटित की गई है और कुल कितनी जमीन आबंटित की गई ;

(ख) कोटा और झालावाड़ में 1982 में कुल कितनी अफीम पैदा हुई ;

(ग) कोटा और झालावाड़ जिलों में 1982 में अफीम की तस्करी के कुल कितने मामले दर्ज किए गये ;

(घ) वर्ष 1983 में अफीम उत्पादकों की प्रति व्यक्ति कितने किलोग्राम अफीम दी जायेगी और क्या मूल्य वृद्धि एवं उर्वरकों तथा नाम की बढ़ी दरों को ध्यान में रखते हुए प्रति व्यक्ति अधिक किलोग्राम के हिसाब से अफीम देने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी/पूर्ण ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) फसल वर्ष 1981-82 में में कोटा और झालावाड़ जिलों (राजस्थान) में काश्तकारों की कुल संख्या 22720 थी और अफीम की काश्त के लिए लाइसेन्सशुदा भूमि का रकबा 4260 हेक्टेयर था ।

(ख) वर्ष 1982 में कोटा और झालावाड़ जिलों में उत्पादित अधीम की कुल मात्रा 156.268 मी० टन थी ।

(ग) इन जिलों में वर्ष 1982 में 266 किलोग्राम अफीम की तस्करी के 23 मामले पकड़े गए थे ।

(घ) तथा (ङ) : अफीम उत्पादकों को, वर्ष 1983 में प्रस्तावित की गई प्रति किलोग्राम अफीम की दरें निम्नानुसार हैं :—

प्रतिहेक्टेयर पैदावार	70 गाढ़ता वाली अफीम के प्रति किलोग्राम पर रुपयों में अदा किया गया मूल्य	
30 किलोग्राम प्रतिहेक्टर से कम	130.00	
30 किलोग्राम अथया इससे अधिक किन्तु 45 किलोग्राम से कम।	240.00	उच्चतर दरों पर अदायगी केवल इन खण्डों में अतिरिक्त मात्रा के बारे में ही की जानी होगी, न कि सम्पूर्ण मात्रा पर
45 किलोग्राम अथवा इससे अधिक किन्तु 60 किलोग्राम से कम ।	280.00	
60 किलोग्राम अथवा इससे अधिक ।	300.00	

विश्व भर में अफीम की कच्ची सामग्री की अधिक सप्लाई होने से हमारे पास अफीम का बहुत बड़ा भण्डार जमा हो गया है, इसलिए काश्तकारों को देय उन दरों में इस समय बढ़ोतरी करना मुमकिन नहीं समझा गया है, जो पर्याप्त रूप से लाभकर हैं ।

जम्मू तथा काश्मीर तथा पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं का जमाव

1114. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तथा भारत के साथ पश्चिमी सीमा पर अपनी सशस्त्र सेनाओं का जमाव कर रखा है और अड्डे बना रखें हैं जो अमरीकी एवं चीनी विशेषज्ञों की सहायता के साथ अत्यधिक आधुनिक हथियारों से सुसज्जित है ;

(ख) क्या इसमें गिलगित में सर्वाधिक शक्तिशाली स्वचालित प्रक्षेपणास्त्र भी लगा रखे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान से इस खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तानी सैनिकों का जम्मू तथा कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर या पश्चिमी सीमा पर असाधारण जमाव हो गया है ।

पाकिस्तान ने कुछ वर्षों के अन्दर भारत से लगने वाली सीमा के पास ही हवाई अड्डे बना लिए हैं । सरकार ने कुछ ऐसी प्रेस रिपोर्टें भी देखी हैं जिनमें पाकिस्तान में कुछ स्थापनाओं में विदेशी विशेषज्ञों के काम करने का उल्लेख है।

(ख) गिलगित क्षेत्र में प्रक्षेपास्त्र लगाए जाने के बारे में कोई विश्वस्त सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर नजर रखती है और पूरी तैयारी बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू करती है ।

इण्डियन एयरलान्स तथा एयर इंडिया के कर्मचारियों का सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय

1115. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के कर्मचारियों ने हाल ही में सांकेतिक हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या है ;

(ग) सरकार की उन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) मामले के निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां।

(ख) उनकी मुख्य मांगें द्विपक्षीय बातचीत/समझौते में सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा हस्तक्षेप न करने, महंगाई भत्ते की अधिकतम सीमा पर मौजूदा रोक को वापस लेने, मजदूर संघ (ट्रेड यूनियन) संबंधी अधिकारों को बहाल करने और वेतन संबंधी बातचीत/समझौते को फिर से शुरू करने से सम्बन्धित हैं।

(ग) और (घ) यूनियनों को यह सलाह दी गई थी कि उनके द्वारा प्रस्तावित कार्रवाही अनुशासन संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। प्रबन्ध मंडल को यह सलाह दी गई है कि वे यूनियनों से पारस्परिक सहमति के आधार पर समझौता करें।

थल सेना तथा नौसेना में जाति के आधार पर भर्ती

1116. **श्री जैनुलबसर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थलसेना तथा नौसेना में अभी भी जाति तथा समुदाय के आधार पर भर्ती की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) वर्तमान भरती नीति के अनुसार थलसेना में भरती सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के लोगों के लिए खुली है बशर्ते वे शारीरिक, शिक्षा और स्वास्थय संबंधी निर्धारित स्तर को पूरा करते हों। कुछ रेजीमेंटों के नाम ऐतिहासिक कारणों से कोई नई रेजीमेंट नहीं बनाई जा रही है।

नौसेना में भरती जाति, समुदाय, वर्ग या धर्म पर विचार किए बिना सभी वर्गों के लिए खुली है।

दिल्ली-जोधपुर के बीच नियमित विमान सेवा

1117. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से जोधपुर और जोधपुर से दिल्ली तक की विमान सेवा सप्ताह में केवल चार दिन उपलब्ध होती है ;

(ख) इस सेवा को एक नियमित सेवा करने में विभाग को क्या परेशानियां हैं ;

(ग) क्या इस सेवा की वरीयता प्रदान करने की अपेक्षा विभाग इसकी उपेक्षा कर रहा है ; और

(घ) इस सेवा को किस तारीख तक नियमित कर दिया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय होने वाला यातायात इतना पर्याप्त नहीं है कि उससे जोधपुर को एक दैनिक उड़ान का औचित्य सिद्ध हो सके ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यातायात में वृद्धि होने पर अतिरिक्त बार उड़ानें प्रचालित की जाएंगी ।

जैसलमेर और कोटा के लिए वायुदूत सेवा

1118. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :**

श्री राम अवध : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन स्थानों क लिए वायुदूत सेवा लागू करने का कार्यक्रम है और यह सेवा किस तारीख से लागू की जाएगी ;

(ख) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में देरी होने के पहले क्या कारण थे और अब क्या कारण हैं ; और

(ग) राजस्थान राज्य के जैसलमेर और कोटा में किए निश्चित तारीख से वायुदूत सेवा चालू हो जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) उपयुक्त विमान उपलब्ध होने तथा अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं का होने की स्थिति में वायुदूत की प्रावस्थाबद्ध रूप में निम्नलिखित स्टेशनों को जोड़ने की योजनाएं है :—

गाजीपुर, पंतनगर, रायबरेली, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुडा, पूर्निया, भागलपुर, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर, सूरत, कांडला, दमण (दीव सहित तीन स्टेशन गुजरात सरकार के परामर्श से शामिल किए जाने हैं) , कुड्डपा, राजमुन्दरी, वारंगल, नांदेड़, तंजावूर, चेट्टीनाडु, तिरुनलवेली, मैसूर, हुबली रायचूर, कालिकट, कूच बिहार, अलोंग, जेरी, दापोरिजो, पास्सीघाट ।

(ख) वित्तीय बाध्यकारिताओं के कारण आधार संरचनात्मक सुविधाओं के विकास में कुछ समय लगेगा । इसलिए वायुदूत सेवाओं का विस्तार प्रावस्थाबद्ध रूप में किया जा रहा है ।

(ख) जैसलमेर और कोटा को वायुदूत सेवा शुरू करने के लिए इस समय कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती है ।

हवाई अड्डों के आस-पास के इलाकों में गन्दगी

1119. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में हवाई अड्डों के आस-पास के इलाकों में गन्दगी फैली होती है और मरे हुए जानवरों के शव खुले स्थानों में पड़े रहते हैं जिससे वहां गिद्ध और अन्य शिकारी पक्षी एकत्र हो जाते हैं ;

(ख) क्या इस गन्दगी की स्थिति के कारण अनेक पक्षी विमानों से टकरा जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ; और

(घ) हवाई अड्डों के आस-पास के इलाकों में पक्षियों को एकत्र होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शेद आलम खान) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में पक्षियों से टकराने के कारण तीन अधिसूचनीय दुर्घटनाएं हुई । परन्तु पिछले तीन वर्षों में पक्षियों से टकराने की घटनाओं की कुल बंख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	एयर इण्डिया	इण्डियन एयरलाइन्न
1980	32	141
1981	34	131
1982	20	135

(घ) पक्षियों से टकराने की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए नागर विमानन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति इस समस्या के नियन्त्रण के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों का आवधिक निर्धारण करती है तथा इनके कार्यान्वयन का प्रबोधन करती है। इस सम्बन्ध में आरम्भ किए गए उपायों में पर्यावरणीण प्रबन्ध, घास का काटना, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, खतरनाक पक्षियों को समाप्त करना सम्मिलित हैं ।

पोर्ट ब्लेयर में यात्रियों की सुविधा के लिए और अधिक विमान सेवा

1120. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि पोर्ट ब्लेयर में मौजूदा उड़ानों में जगह न मिलने के कारण अनेक व्यक्तियों को आम-तौर पर लौट जाना पड़ता है ;

(ख) पोर्ट ब्लेयर से भारत तक यात्रा करने वाले यात्रियों को और अधिक विमान सेवा की सुविधा प्रदान करने में क्या कठिनाई है और क्या उपचारी उपाय किए गए हैं ; और

(ग) क्या पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है, यदि हां, तो किस प्रकार ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं ।

(ख) पोर्ट ब्लेयर के लिए और सेवाओं की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं है । परन्तु मांग सामयिक होती है इसलिए अतिरिक्त उड़ानें यातायात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिचालित की जाती हैं ।

(ग) पर्यावरण सम्बन्धी तथा भौतिक कठिनाइयों के कारण मौजूदा उड़ानपथ के विकास से परिचालनात्मक-दक्षता में सुधार नहीं किया जा सकेगा । तथापि, इसके नजदीक ही स्थित कालीकट (पीर्ट ब्लेयर) में एक नए हवाई अड्डे का विकास किए जाने का निर्णय किया गया है ।

भारतीय तम्बाकू का चीन को निर्यात

1121. **श्री के० ए० राजन :**
श्री नारायण चौबे :
श्री हरीकेश बहादुर : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चीन को तम्बाकू निर्यात करता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) कितना तम्बाकू निर्यात किया गया ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ बेईमान गैर-सरकारी निर्यातिकर्ता अनुसूचित कार्य में लगे हुये हैं जिसके कारण चीन के आयात करने वाले संगठन-चाइना नेशनल नेटिव प्रोडयूस एण्ड एनिमत वाइप्रोडक्टस-ने दोषी पार्टियों पर 70 लाख डालर का दावा किया है । और

(घ) यदि हाँ, तो निर्यातकों का नाम तथा पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान चीन को निर्यात किये गये भारतीय तम्बाकू की मात्रा नीचे दी गई है :--

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (मे० टनों० में)
1978-79	3250
1979-80	1800

1	2
1980-81	11177
1981-82 (अनन्तिम)	28841
1982-83 (अनन्तिम) (अप्रैल-दिसम्बर)	2850

(स्रोत : तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर)

(ग) तथा (घ) कुछ निर्यातकों द्वारा चीन को निर्यात किये गये तम्बाकू की क्वालिटी के बारे में कुछ शिकायतें रही हैं। तम्बाकू बोर्ड के अनुसार, निम्नलिखित भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध लगभग 5 मिलियन अमरीकी डालर के दावे हैं :—

क्रमांक निर्यातकों का नाम

1. मैं० श्री जयलक्ष्मी टुबैको क० प्रा० लि०, गुन्टुर ।
2. मैं० श्री जयलक्ष्मी टुबैको इंटरनेशनल
3. मैं० गोगिनैनी टुबैको
4. आई० टी० सी० लि०
5. मैं० मादी लक्ष्मैया एण्ड क० प्रा० लि०
6. मैं० मादी वैंकटरत्नम एण्ड क० (प्रा०) लि०

दिल्ली के गैर-सरकारी होटलों के कमरों की संख्या

1122. **श्री के० ए० राजन :**

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड के लिए तैयार किये गये दिल्ली के प्रत्येक गैर-सरकारी होटल में कमरों की कितनी संख्या है और इनमें से प्रत्येक होटल में इस प्रयोजन के लिए कितने कमरे उपलब्ध थे ;

(ख) क्या समय पर कमरा न देने के कारण होटलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) दिल्ली में 8 गैर-सरकारी होटलों की कक्ष-क्षमता और उपलब्ध किए गए कमरों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :—

होटल का नाम	कमरों की संख्या	उपलब्ध किए गए कमरे होटलों के अनुसार
1. एशियन होटल	588	250
2. यूथ इंटरनेशनल होटल	252	200
3 सिद्धार्थ कान्टीनेन्टल होटल	156	120
4. मौर्य सैरटन (विस्तार)	122	122
5. ताज होटल	500	200
6. मैरिडियन होटल	425	100
7. भारत होटल	500	100
8. पार्क होटल	231	50*

*वैकल्पिक आवास अन्यत्र अर्पित किए गए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाड के दौरान आशा से कम पर्यटक आना

1123. **श्री के० ए० राजन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाड के दौरान जितने पर्यटक आने की आशा थी उतने नहीं आये ;

(ख) एशियाड अवधि के दौरान भारत पर्यटक विकास निगम के विभिन्न होटलों में कितने प्रतिशत कमरे प्रयुक्त रहे तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में स्थिति क्या है ; और

(ग) पर्यटकों के कम संख्या में आने के क्या कारण थे।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां।

(ख) एशियाई खेलों की अवधि के दौरान दिल्ली और जयपुर में भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों में कमरों के प्रयोग का प्रतिशत पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में नीचे दिया गया है :—

होटल का नाम	आकुपेंसी की प्रतिशतता	
	1982	1981
अशोका होटल नई दिल्ली	78.8	84.2
अकबर होटल नई, दिल्ली	82.8	91.0
कुतब होटल, नई दिल्ली	78.4	71.8
होटल जनपथ, नई दिल्ली	96.5	100.2
रणजीत होटल, नई दिल्ली	94.9	100.2
लोधी होटल, नई दिल्ली	97.2	101.1
होटल सम्राट, नई दिल्ली	58.9	—
होटल कनिष्क, नई दिल्ली*	93.3	—
अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली*	79.7	—
होटल जयपुर अशोक, जयपुर	100.0	49.5

*1982 में आंशिक रूप से शुरू किए गए।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन यह समझा जाता है कि वर्ष के दौरान पर्यटन के क्षेत्र में वार्षिक गिरावट की प्रवृत्ति ही इसका कारण है ।

"मुस्लिमपुर इन्टरेस्ट फ्री करोर्स इन बैंक्स" शीर्षक समाचार

1124. **श्री के० ए० राजन** : : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1982 के "पैट्रियोट" में "मुस्लिमपुर इन्टेरेस्ट फ्री करोर्स इन बैंक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो केरल की अनुसूचित बैंकों में ऐसी जमा राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार धनराशि जमा कराये जाने के क्या आकर्षण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास कोई सूचना नहीं हैं कि केरल स्थित बैंक ब्याजमुक्त बचतें अथवा सावधिक जमा के लिए राशियां स्वीकार करते हैं । ब्याज तभी देय नहीं होता जब राशियां चालू (करेंट) खातों में जमा करायी गयी हों । किसी विशिष्ट समुदाय को करेंट में जमा रकमों के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) हालांकि जमाकर्त्ता को अपने करेंट खाते पर ब्याज नहीं मिलता पर उसके पैसे की

सुरक्षा सुनिश्चित करा लेता है और वे अन्य सुविधायें प्राप्त करने का हकदार होता है जो बैंकों द्वारा अपने जमाकर्ताओं को प्रदान की जाती हैं। जमाकर्त्ता, बैंकों में जिस तरह का खाता रखना चाहते हैं उसका चयन करते समय वे संचालन संबंधी सुविधा, अवसर निकासी करने की सुविधा, अस्थायी तौर पर ओवरड्राफ्ट आदि प्राप्त करने की संभावना को ध्यान में रखते हैं।

धनबाद के लिये हवाई पट्टी का निर्माण और विमान सेवा

1125. **श्री ऐ० के० राय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि बिहार में धनबाद हवाई पट्टी का निर्माण युद्धस्तर पर किया जा रहा है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या धनबाद में शीघ्र ही विमान सेवा चालू होने वाली है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ; यदि नहीं, तो हवाई पट्टी बनाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के किन-किन नगरों को विमान सेवा से जोड़ा जाएगा और उससे संबन्धित तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) नागर विमानन विभाग की धनबाद हवाई पट्टी का विकास करने की कोई योजना नहीं है जो बिहार सरकार की है।

(ख) इस सम्बन्ध में निर्णय उपयुक्त विमान क्षेत्र तथा विकास सक्षम यातायात की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) वायुदूत का उपयुक्त तथा विकाससक्षम विमान उपलब्ध होने की स्थिति में छठी पंचवर्षीय योजना में भागलपुर तथा पूर्निया को विमान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

1126 **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित बैंकों के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में ऋण-जमा राशि के अनुपात और निरपेक्ष धनराशि का क्या ब्यौरा है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में इस अनुपात में कोई अन्तर आया है ;

(ग) क्या इनमें कोई क्षेत्रीय अन्तर है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिसम्बर, 1979-80 तथा 1981 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्यवार

जमाराशियां अग्रिम और ऋण जमा अनुपात अनुबंध [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5917/83] में दिये गए हैं ।

(ख) से (घ) बैंक ऋणों के संवितरण में एक सीमा तक क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है । बैंक ऋणों के वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन मूल रूप से आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को परिलक्षित करता है, विशेष रूप से उद्योगों तथा व्यापार के संगठित क्षेत्रों में जहां कि विकास परिवहन, उर्जा आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, निकटतम स्थानों से कच्चे माल की उपलब्धता, सामान्य उद्योगिक वातावरण, बाजारों की बहुलता तथा इस प्रकार के अन्य बहुत से पहलुओं से प्रभावित होता है । इसके अतिरिक्त बड़े संगठनों जैसे भारतीय खाद्य निगम राज्य व्यापार निगम, भारतीय कपास निगम आदि का महानगरों में स्थित होना भी बैंक ऋणों के स्थानगत विवरण में दीख पड़ने वाला असंतुलन उत्पन्न कर देता है, यद्यपि इस प्रकार के संगठनों के परिचालनों से, सभी क्षेत्रों को लाभ होता है ।

बैंक ऋणों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलनों को घटाना सरकार की स्वीकृत नीति का एक अभिन्न अंग है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे छोटे उद्यमों को निर्धारित करके एवं उन्हें सहायता प्रदान करके ऐसे राज्यों में अपने ऋणों के संवितरण को बढ़ाने का प्रयास करें जहां ऋणों के वितरण का स्तर बहुत कम है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे मार्च,1985 तक अपने कुल ऋणों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के अन्श को 40 प्रतिशत तक पहुंचा दें । ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की उपलब्धि में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से यह कहा गया है कि वे अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में ऋण जमा अनुपात को 60 प्रतिशत तक पहुंचा दे । लाभप्राप्तकर्त्ताओं को ऋण सहायता पहुंचाने के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जिला स्तर पर सम्बद्ध सभी एजेंसियों के कार्य को समन्वित करने की सुविधा के उद्देश्य से बैंकों ने जिला ऋण योजनाए. बनानी शुरू कर दी हैं । राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे कमजोर वर्गों के लिए, विशिष्ट योजनाओं के अधीन, निर्धारित लाभप्राप्तकर्त्ताओं को बैंक ऋण सुलभ कराने के वास्ते अपने संस्थागत मूलभूत ढाचे को मजबूत बनाएं । आशा है कि इन उपायों से बैंक ऋणों के संवितरण में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में सहायता मिलेगी ।

परमाणु बम के संबंध में लीबिया-पाकिस्तान का गुप्त समझौता

1127. **श्री चित्त बसु** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परमाणु बम के संबंध में लीबिया पाकिस्तान के गुप्त समझौते की जानकारी है, जिसके बारे में दिनांक 18 जनवरी, 1983 को दिल्ली में प्रकाशित "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है । परन्तु ऐसे समझौते के बारे में सरकार के पास कोई पक्की सूचना नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र उद्यमों के ब्यूरो का पुनर्गठन

1028. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के विचार से सरकारी क्षेत्र उद्यमों के ब्यूरो के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये जा चुके हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में गठित सरकारी उद्यमों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा सरकारी उद्यम कार्यालय के बारे में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से है। इस विशेषज्ञ समिति ने सरकारी उद्यम कार्यालय के संठनात्मक ढांचे और व्यवसायिक संसाधनों को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं, ताकि यह कार्यालय अपनी "कारगरता और बढ़ा" सके समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

भारतीय तम्बाकू निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र के संस्थानों से इण्डिया सीमेंट के शेयरों की खरीद

1129. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तम्बाकू निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र के संस्थानों से इण्डिया सीमेंट के शेयरों की भारी मात्रा में खरीद की गई है ;

(ख) यदि हां, तो शेयर बेचने वाले सरकारी क्षेत्र संस्थानों के क्या नाम हैं ; और मूल्य आदि के बारे में अन्य सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा नीति में परिवर्तन करना नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में बचने की स्वीकृति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) और (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने इण्डिया सीमेंट्स लिमिटिड (आइ० सी०/ एल०) की शेयर धारिता में अपने अन्श के/भाग के रूप में, सितम्बर, 1982 में, 5 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 32.64,770 शेयर 30रु० प्रति शेयर के मूल्य पर इण्डिया टोबैको कं० (आई० टी० सी०) समूह की कंपनियों को बेचे थे। इन संस्थाओं ने इन्डिया सीमेंट्स लि० के अपने शेयरों को आई० सी० एल०के दीर्घावधि हितों और साथ ही अशोक पेपर मिल के पुनरुज्जीवन के लिए एक सामूहिक (पैकेज) व्यवस्था की सुविधा की दृष्टि से बेचा था क्योंकि अशोक पेपर मिल, जो दो कागज यूनिटों वाली एक बड़ी रुग्ण कंपनी है। जिनमें इन संस्थाओं के बड़े वित्तीयहित दांव पर लगे हुए हैं। इन शेयरों की बिक्री बातचीत के बाद और संस्थाओं द्वारा अपने शेयर बेचने की सामान्य प्रथा के मुताबिक तथा साथ ही आई० सी०

एल० और अशोक पेपरमिल्स के समग्र दीर्घावधि हितों एवं इन दो कंपनियों में सस्थाओं के दांव पर लगे हितों को ध्यान में रखते हुए की गई थी ।

पारादीप बन्दरगाह के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात

1130 . **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाराद्वीप बन्दरगाह के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया है ;

यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुारी सिन्हा) (क) से (ग) सरकार द्वारा पारादीप पतन पर लोह अयस्क चढ़ाने-उतारने सम्बन्धी सुविधाओं में सुधारलाने के लिए निम्नोक्त प्रयास किये जा रहे हैं ।

(1) ऐसी आशा है कि पारादीप पत्तन पर लोह अयस्क चढ़ाने-उतारने के संयंत्र का वार्षिक निष्पादन बढ़ाकर 4 मिलियन मे० टन करने के लिए उसके विस्तार तथा आधुनिकीकरण का काम मई, 1983 तक पूरा हो जायेगा ।

(2) रात्रि के समय में जलयानों का संचालन करने के लिये रात्रि नौसंचालन आरम्भ किया गया है ।

उद्यगिरि, रतनगिर और ललितगिरी में पर्यटक आकर्षित करने की सम्भावनायें

1131 **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उद्यगिरि, रतनगिरि और लालगिरि में पर्यटक आकर्षित करने की सम्भावनाएं बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए 1983-84 में क्या कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) मंत्रालय ने महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों के रूप में एकीकृत विकास के लिए उद्यगिरि, ललितगिरी और रतनागिरी को उड़ीसा राज्य के यात्रा परिपथ सं० 1 में शामिल किया है ताकि भुवनेश्वर, पुरी औरकोर्णाक जैसे परंम्परागत केन्द्रों पर आने वाले पर्यटक यातायात को उक्त केन्द्रों तक मिलायाजा सके ।

(ख) और (ग) इस केन्द्रों के विकास के लिए, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने मास्टर प्लान (भूमि-उपयोग प्लानतैयार करने का काम निर्माण और आवास मंत्रालय ने नगर और ग्राम आयोजन संगठन को सौपा है। नगर और ग्राम आयोजन संगठन ने प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है जिनके अगले वित्त वर्ष के दौरान लगभग पूरा हो जाने की आशा है।

सिक्किम में गंगटोक के निकट भारतीय वायुसेना के चेतक हेलीकोप्टर की दुर्घटना

1132. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्कम में गंगटोक के निकट 29 दिसम्बर, 1982 को भारतीय वायुसेना के चेतक हेलीकोप्टर के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के प्रमुख कारण हैं ,

(ख) इस दूर्घटना में मारे गए वायुसेना के अधिकारियों का क्या नाम हैं ;

(ग) मृतक अधिकारियों के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति को कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) इस दुर्घटना के कारणों की जांच एक जांच अदालत द्वारा की जा रही है।

(ख) दुर्घटना में मारे गए वायुसेना के कार्मिकों के नाम ये हैं :

(1) विंग कमांडर वाई० प्रकाश

(2) फ्लाइंग अफसर एस० सिंह

(3(ग्रुप कैप्टन आर० टंडन

(4) विंग कमांडर के० एस० चीमा

(ग) और (घ) समूह बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजे का ब्यौरा इस प्रकार है :

विंग कमांडर के० एस० चीमा:3,11'360 रु० (अदा किए जा चुके हैं)

विंग कमांडर वाई० प्रकाश : 3.11 360रु०(अदा किए जा चुके हैं)

ग्रूप कैप्टन आर० टंडन : 2,71,870 रु०(इसका शीघ्र गतान किया जा रहा है)

फ्लाइंग अफसर एस० सिंह : 3,08,880 रु० (इसके दावे की अभी प्रतीक्षा है)

इसके अलावा मृत अफसरों के रिश्तेदार 1 लाख रु० अनुग्रह पूर्वक अदायगी, मृत्यु तमा सेवानिवृत्ति उपदान, परिवार उपदान, विशेष परिवार पेंशन और संतान शिक्षण भत्ता तथा इन पर ग्रेडिड राहत पाने के भी हकदार हैं। पूसाइंग अफसर एस० सिंह अविवाहित थे इसलिए उनके माता-पिता आश्रित पेंशन पाने के हकदार हैं।

इन चारों मासलों में वायुसेना मुख्यालय ने इन अफसरों के रिश्तेदारों के पास परिवार पेंशन/ आश्रित पेंशन के आवेदन प्रपत्र भेज दिये हैं। आवेदन प्रपत्र भरकर प्राप्त होते ही नियमों के अन्तर्गत देय राशि के भुकतान के लिए अधिकार पत्र जारी कर दिए जाएंगें।

राज्यों में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें खोलना

1133. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983-84 में विभिन्न राज्यों में कुछ राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में इनमें से प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक की कितनी शाखायें खोली जायेंगी ;

(ग) इस वर्ष के दौरान उड़ीमा के किन-किन विभिन्न स्थानों में इन बैंकों की शाखायें खोलने का विचार है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1982-83 से 1984-85 की तीन वर्षों की शाखा लाइसेंसिंग नीति ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखा खोलने की ओर लक्षित है जिससे कि ग्रामीण /अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंए व्याप्ति सुधर कर 17,000 व्यक्तियों के पीछे एक शाखा के स्तर तक पहुंच जाए। इस मानदण्ड को प्राप्त करने के वास्ते, देश के, बैंकों की कमी वाले क्षेत्र में, 7540 ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाएं खोलने को आवश्यकता है। इसके अलावा, विशिष्ठ विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते कमी वाले क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में 808 शाखाएं खोले जाने का भी अनुमान है।

(ख) भारतीत रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 की अवधि के वास्ते शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत, उडीसा में राज्य सरकार द्वारा विनिर्धारित 288 स्थानों पर शाखाए खोलने के वास्ते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी क्षेत्र के आठ बैंकों को आबंटन पत्र जारी किए गए हैं। उपयुक्त आवंटनों के अलावा, राज्य में कार्यालय खोलने के वास्ते, सवकार क्षेत्र के बैंकों के पास 50 प्राधिकृतियां मौजूद थीं।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में जिलावार-केन्द्रवार और बैंकवार ब्यौरे मालूम किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे।

उड़ीसा में यात्रा सर्किट

1134. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राज्य में कुछ यात्रा सर्किट स्था -पित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को पूरा करने की लक्षित अवधि क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार से परामर्श करके इस राज्य में एकीकृत विकास के लिए निम्नलिखित यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं ;

1. भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, धौली, रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, भद्रेक, चांदीपुर, किंचिंग, जोशीपुर, (सिमलीपाल) और वापस

2. भुवनेश्वर, चिल्क झील गोपालपुर समुद्रतट पर,तप्तापानी, कोरापुत, बोलनगीर, झारसगुडा, अंगुन, तिकरपारा, तलचेर, भुवनेश्वर जहां तक संभव हो सकेगा, सुविधाओं का विकास पहले इन निर्धारित यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले केन्द्रों पर ही धन-राशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के संसाधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से प्रारम्भ किया जाएगा और काम को छठी और सातवीं योजनाओं के दौरान किया जाएगा । छटी पचंवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें प्रारम्भ की गई हैं/ प्र रम्भ करने का प्रस्ताव है :—

1. केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने भुवनेश्वर में भारत सरकार का एक पर्यटक कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी दे दी है ।

2. सिमलीपाल में एक वन गृह का निर्माण ।

3. निर्माण तथा आवास मन्त्रालय के नगर व ग्राम आयोजन संगठन के माध्यम से ललित-गिरी और उदयगिरि की मास्टर प्लान तैयार कराना ।

4. भारतीय यात्री आवास विकास समिति के माध्यम से पुरी में एक धर्मशाला का निर्माण ।

नगर व ग्राम आयोजन संगठन के माध्यम से कोणार्क के विकास की मास्टर प्लान तैयार कराई गई है और इसे राज्य सरकार को अनुमोदित और अधिसूचना करने के लिए भिजवाया गया है ।

6. चिल्का झील में जल क्रीड़ाएं प्रारम्भ करना ।

7. नन्दन कानन में लायन सफारी पार्क का विकास ।

भारत पर्यटन विकास निगम

1. होटल कलिंग (अशोक) भुवनेश्वर का विस्तार

2. पुरी में 3-स्टार होटल और कोणार्क में समुद्रतट कुटारों का निर्माण करने के लिए उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से संयुक्त उद्यम परियोजना ।

"स्कोप फार साइकिल एक्सपोर्ट्स टू चायना"

1134. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 2 नवम्बर, 1982 को "पैट्रीयट" में "स्कोप फार साइकिल एक्सपोर्टस टू चायना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए, साम्यवादी चीन का दौरा करने वाले भारतीय शिष्ट मंडल के नेता और अन्य सदस्यों का क्या नाम है और उनकी पदवी क्या है ; और उस देश के नेताओं के साथ हुई वार्ता का क्या निष्कर्ष निकला ?

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय निर्यातकों द्वारा निर्धारित समय पर निर्यात न किये जाने तथा माल की किस्म को ठीक न रखने के कारण पहले हुआ ठेंका रद्द कर दिया गया था; और

(घ) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ठेका रद्द न हो क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) फैडरेशन आफ इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज आफ इन्डिया (एफ० ई० आई० आई०) नई दिल्ली द्वारा अक्टूबर, 1982 में हांगकांग, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को भेजे गये प्रतिनिधिमंडल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम तथा पद दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

एफ. ई. आई. आई. प्रतिनिधिमंडल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :
एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में भारत की छवि प्रस्तुत करना और भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की क्षमता के बारे में बेहतर जानकारी देना ।

इंजीनियरिंग क्षेत्र में अधिक घनिष्ठ सम्पर्कों का विकास करना और दो तरफा व्यापार बढ़ाने की गुंजाइश का पता लगाना ।

औद्योगिक सहयोग के लिये क्षेत्रों का पता लगाना और भारत में अथवा तीसरे देशों में चुनिन्दा इंजीनियरिंग क्षेत्रों, परियोजना निर्यातों और इंजीनियरी परामर्श में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाना ।

चीन में अनेक प्रवास के दौरान चीनी अधिकारियों से मिलने के बाद, प्रतिनिधिमंडल का यह अनुमान है कि चीन धीरे-धीरे विदेशी निवेश शुरू कर रहा है और अपने विद्यमान सयंत्रों और उपकरणों में सुधार करके अपनी टेक्नोलोजी को अधतन करना चाहता है ।

(ग) सरकार को चीनी प्राधिकारियों द्वारा भारतीय निर्यातकों को दी गई किसी संविदा के

रद्द किये जाने की जानकारी नहीं है । उपलब्ध जानकारी के अनुसार नेशनल बाइबिल कारपोरेशन बम्बई ने चीन को 30,000 साइकिलों की सप्लाई करने का एक क्रयादेश पहले ही पूरा कर लिया है। इसके बाद मे० रोडमास्टर इंडस्ट्रीज, राजपुरा ने 70,000 साइकिलें सप्लाई करने का क्रया देश प्राप्त किया। संविदा की शर्तों के अनुसार राजपुरा पार्टी को सप्लाई आरम्भ करने से पहले अनुमोदिन के लिये हांच नमूने सप्लाई करने थे चीनी क्रताओं ने नमूने में कुछ त्रुटियां बताई है और भारतीय पार्टी से त्रुटियों को दूर करने के बाद नये नमूने सप्लाई करने के लिये कहा गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

चीन को एफ. ई. आई. आई. प्रतिनिधि मंडल का गठन

1.	श्री सत्यपाल अध्यक्ष, एफ. आई. आई. आई.	नेता	अध्यक्ष, एपीजय प्रा० लि० नई दिल्ली
2.	श्री बाल कृष्ण अग्रवाल	उपनेता	प्रबन्ध निदेशक मैको प्रा० लि० नई दिल्ली
2.	एम. डी. जिन्दल	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक मैकीनो टेक्नो (सेल्स) प्र० लि० कलकत्ता
4.	श्री गुरशरन सिंह	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक, जी एन. ए. एन्टरप्राइसेज प्रा० लि० गोराया (पंजाब)
5.	श्री एस. के. गुप्ता	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक, इन्दिरा आयरन एंड स्टील वर्क्स, मद्रास
6.	श्री वी. एन. उपाध्याय	सदस्य	एम. डी. उपाध्याय वाल्व मेन्यू प्रा० लि० कलकत्ता
8.	श्री एस. के. मल्होत्रा	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक, फैन्ड्स आटो इन्डस्ट्रीज फिल्लौर (पंजाब)
8.	श्री के. महादेवन	सदस्य	जनरल परचेज मनेजर, टैक्टर एंड फार्म इक्वपमैंट लि० मद्रास
9.	श्री बी. एल. थाम्ब	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक, बैल्का इंजीनियर्स (प्रा०) लि० सोनीपत (हरियाणा)
10.	श्री पी. आर. वकील	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक, अशोक ट्रांसफार्म प्रा० लि० उधाना, जि० सूरत गुजरात
11.	श्री ए. स्वामीनाथन	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक, हम्फ्रे एंड ग्लासगो कन्सलटैंट प्रा० लि० बम्बई
12.	श्री एच. एल. भारद्वाज	सदस्य	सदस्य सचिव

चीन में भारत के इंजीनियरी सामान का भविष्य

1136. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन में भारत के इंजिनियरी सीमा की अच्छी मांग है जैसाकि 14 नवम्बर, 1982 को "इकोनोमिक्स टाइम्स" में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो साम्यवादी चीन का दौरा करने वाले भारतीय शिष्ट मंडल के नेता और अन्य सदस्यों का नाम और पदनाम क्या हैं और इस संबंध में चीनी नेताओं के साथ हुई वार्ता का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) साम्यवादी चीन को आयात किये जाने वाले इंजीनियरी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और कितना मूल्य होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) फैडरेशन आफ इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज आफ इन्डिया (एफ.ई.आई.) नई दिल्ली द्वारा अक्तूबर, 1982 में हांगकांग, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को भेजे गये प्रतिनिधि-मंडल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम तथा पद दर्शाने वाला **विवरण संग्लन है** ।

एफ.ई.आई.आई. प्रतिनिधिमंडल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :

— एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में भारत की छवि प्रस्तुत करना और भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की क्षमताओं के बारे में बेहतर जानकारी देना ।

— इंजीनियरिंग क्षेत्र में अधिक घनिष्ठ सम्पर्कों का विकास करना और दो तरफ व्यापार बढ़ाने की गुंजाइश का पता लगाना ।

— औद्योगिक सहयोग के लिए क्षेत्रों का पता लगाना और भारत में अथवा तीसरे देशों में चुनिन्दा इंजीनियरिंग क्षेत्रों परियोजना निर्यातों और इंजीनियरी क्षेत्रों, परामर्श में सयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाना ।

चीन में अपने प्रवास के दौरान चीनी अधिकारियों से मिलने के बाद, प्रतिनिधिमंडल का यह अनुमान है कि चीन धीरे-धीरे विदेशी निवेश शुरू कर रहा है और अपने विद्यमान संयंत्रों और उपकरणों में सुधार करके अपनी टैक्नालोजी को अधतन करना चाहता है ।

(ग) एफ.ई.आई.आई प्रतिनिधि मंडल का यह निष्कर्ष है कि चीन की इंजीनियरी माल निर्यात करने की अच्छी गुंजाइश है, जिसमें कृषि मशीने, मोटर गाड़िया और उनके पुर्जे, पाइप और ट्यूब, डीजल इंजिन तथा बाइसिकल और उनके संघटक शामिल हैं । चीन को निर्यात किये जाने वाले माल के मूल्य की जानकारी नहीं है ।

विवरण

चीन का एफ.ई.आई.आई. प्रधिनिधि मंडल का संगठन

1.	श्री सत्यपाल	नेता	अध्यक्ष, एपीजय प्रा०

	अध्यक्ष,एफ.आई.आई		लि० नई दिल्ली
2.	श्री बाल कृष्ण अग्रवाल	उपनेता	प्रबन्ध निदेशक मैको प्रा० लि० नई दिल्ली
3.	श्री एम.डी.जिन्दल	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक मैकीनो टेक्नो (सेल्स) प्रा०लि० कलकत्ता
4.	श्री गुरशरन सिंह	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक जी.एन. ए. एन्टर प्राइसेज प्रा० लि० गोराया (पंजाब)
5.	श्री एस.के. गुप्ता	सदस्य	प्रबध निदेशक इन्दिरा आवरन एंड स्टील वकर्स मद्रास
6.	श्री वी.एन.उपाध्याय	सदस्य	एम.डी. उपाध्याय वाल्व मैन्यू प्रा०लि०कलकत्ता
7.	श्री एस.के.मल्होत्रा	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक फैन्ड्स आटो इन्डेस्ट्रीज फिल्लौर (पंजाब)
8.	श्री के. महादेवन	सदस्य	जनरल परचेज मनेजर टैक्टरएंड फार्म इक्वमपैंट लि०मद्रास
9.	श्री वी०एल०थाम्ब	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक बैल्कां इंजीनियर्स (प्रा०) लि. उधाना, जि०सूरत गुजरात
10.	श्री पी.आर.वकील	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक अशोक ट्रांस्फार्म प्रा.लि. उद्यान जि.सूरत गुजरात
11.	श्री ए.स्वामीनाथन	सदस्य	प्रबन्ध निदेशक हम्फ एंड ग्लासगो कन्सलटेंट प्रा०लि० बम्बई
12.	श्री एच.एल. भारद्वाज	सदस्य	सदस्य सचिव

"इंडिया साइंस टू एक्सपोर्ट कन्ट्रेक्ट्स विद यू०एस०एस०आर" शीर्षक समाचार

1137. **श्री एन०के०शेजवलकर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 2 नवम्बर, 1982 के "पैट्रियट" इण्डिया सांइस टू एक्सपोर्ट कन्ट्रेक्टस विद यू०एस०एस०आर०" शीर्ष के प्रकाशित समाचार पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में आने वाले दिनों सोवियत शिष्टमंडलों के नेताओं और अन्य सदस्यों के नाम और पदनाम क्या थे, भारत के समतुल्य अधिकारियों के साथ हुई वार्ता का क्या निष्कर्ष निकला, और किन-किन भारतीय फर्मों के साथ ठेका हुआ था किन-किन मदों का निर्यात किया जायेगा और उनका क्या मूल्य होगा;

(ग) सोवियत संघ को भारत में खनिज तथा धातु व्यापार निगम राज्य व्यापार निगम या अन्य सरकारी उपक्रमों के माध्यम से ठेके देने के बजाय गैर सरकारी फर्मों के साथ सीधे ठेके करने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत सरकार ने अन्य देशों को भारत की गैर सरकारी संस्थाओं के साथ सीधे ठेके करने की अनुमति देने की इस प्रक्रिया को अपनाया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) हमें उन सोवियत प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों अथवा उन भारतीय पार्टियों के नामों जिनके साथ इस प्रेस रिपोर्ट में निर्दिष्ट मदों के लिये संविदाएं की गई थी कोई सरकारी जानकारी नहीं है ।

तथापि, सोवियत व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने ही भारत से निर्यात का जाने वाला मदों का वह सूचना दे दी है जिनके लिए नई दिल्ली में नवम्बर, 1982 में हुए भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान संविदाएं की गई हैं **सूची की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है ।**

(ग) तथा (घ) : चूंकि विदेशी व्यापार भारत में राष्ट्रीयकृत नहीं है इस लिये कोई भी विदेशी व्यापारी भारत का आयात तथा निर्यात नीति के प्राचलों के भीतर गैर सरकारी फर्मो अथवा सरकारी अभिकरणों के साथ संविदाएं कर सकता है ।

विवरण

राशि मिलियन

क्रमांक मद	इकाई	मात्रा	रु० में
1. एल्यूमीनियम पावर केबल्स	किलोमीटर	400	58.6
2. हैड टूल्स	मिलियन रु०		0.9
3. पानी साफ करने का संयंत्र	मिलियन रु०		13.9
4. हस्तशिल्प	मिलियन रु०		27.0
5. स्टील तार के रस्से	हजार मेटन	7,3	66,3

1	2	3	4
6. सिलेसिलाए परिधान	मिलियन रु०		89,9
7. लैदर हैबरडैशरी	मिलियन रु०		12,8
8. बैड लिनन	मिलियन रु०		89,9
9. ट्रैवल रम्स स्कार्फ	मिलियन रु०		38,5
10. ब्लेड्स	मिलियन रु०		12,8
11. चमड़े का माल	मिलियन रु०		12,8
12. सिलाई की सूइयां	मिलियन रु०		5,1
13. काफी	हजार टन	16,0	336,5
14. इन्सटोट काफी	हजार टन	1,5	182,9
15. पैकेट चाय	हजार टन	0,2	11,6
16. मसाले	हजार टन	0,4	5,1
17. काली मिर्च	हजार टन	3,3	41,1
18. फलों का रस			
19. डिब्बा बन्द फल	मिलियन रु०		168,3
20. ताजी प्याज	हजार टन	1,50	12,8
21. आलू लच्छा तथा आलू माश पाउडर	हजार टन	2,0	33,0
22. शुअपर्स	मिलियन रु०		299,1
23. तैयार चमड़ा	मिलियन रु०		79,6
24. सूती कपड़ा	मिलियन मीटर	64	385,1
25. पटसन कपड़ा	मिलियन मीटर	0,7	2,7
योग			2085,4

खरीदरों को 5 अप्रैल, 1983 तक 5,000 मे० टन अतिरिक्त लेने की छूट है।

काण्डला नि:शुल्क व्यापार क्षेत्र में निर्यातोन्मुख एककें

1138. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

सूर्य नारायण सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काण्डला नि:शुल्क व्यापार क्षेत्र के निर्यातोन्मुख एककों ने अपने

पूरे उत्पादन को देश के ही बाजारों में बेचने के लिये केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के कुछ एकक सरकार को अभ्यावेदन देते रहे हैं घरेलू बाजार में उनके उत्पादन का कुछ भाग बेचने की अनुमति दी जाये । सरकार ने इन एककों को वैध जी० सी० ए० आयात लाइसेंसों के आधार पर डी० टी० ए० में उनके उत्पादन का 25 प्रतिशत बेचने की अनुमति देने का निर्णय लिया है ।

ऐशियाड के दौरान रंगीन टी० वी० सेटों का आयात

1139. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री मोहन लाल पटेल :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री डी० पी० जदेजा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड के दौरान ओपन जनरल लाइसेंस के अधीन नवम्बर तथा दिसम्बर, 1982 में कितने रंगीन टी० वी० सेटों का आयात किया गया ;

(ख) प्रति सेट कितना मूल्य वसूल किया गया था ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न हवाई अड्डों पर जाँच-पड़ताल के बाद ले जाये जाने की अनुमति मिलने में विलम्ब के कारण वहां टी० वी० सेटों के ढेर लग गये थे और वर्षा के कारण कुछ तो खराब हो गये थे;

(घ) मित्रों तथा संबन्धियों से टी० वी० सेट आयात करने सम्बंधी नीति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) निर्बन्धित सामान्य लाइसेंस उपहार योजना लागू होने की अवधि में आयातित रंगीन टेलीविजन सेटों की संख्या 62,360 थी ।

(ख) निकासित प्रति टी० वी० सेट पर वसूल की गई सीमा शुल्क की औसत राशि 9,176/-रुपये है ।

(ग) ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(घ) इस समय मित्रों अथवा सम्बन्धियों से रंगीन टी० वी० सेट आयात करने के लिए आयात नीति में कोई प्रावधान नहीं है ।

सीमा शुल्क-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण के लिए ट्रिबुनल में अनुसूचित जातियों जनजातियों के उम्मीदवारों का चयन न होना

1140. **श्री भीखाभाई** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण सम्बन्धी नव गठित ट्रिब्यूनल में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों का चयन न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इस ट्रिब्यूनल के लिए इन जातियों हेतु यदि कोई आरक्षित कोटा है तो उसे किस प्रकार भरा जाएगा ; और

(ग) क्या कार्मिक विभाग और प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुदेशों के अनुसार कोई आरक्षित पद बनाये गये थे अथवा नहीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) : सही स्थिति यह है कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण के 2 सदस्य 2 सहायक रजिस्ट्रार और लिपिक वर्गीय स्टाफ के 7 सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

भर्ती नियमों को अभी बनाया जाना है। अधिकरण में तैनात अधिकारी और कर्मचारी, अपने-अपने मूल विभागों से, अपने-अपने पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं । जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, तब तक अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लिए जारी किए गये आरक्षण आदेश उन पदों पर नियतित नियुक्ति के सभी मामलों में लागू होंगे जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है।

भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा हाथ में ली गई विदेशी/देशीय परियोजनायें

1141. **श्री भीखाभाई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने अपनी स्थापना के आरम्भ सेब अ तक, प्रति वर्ष कितनी विदेशी तथा देशीय परियोजनायें हाथ में लीं ;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाओं में क्रियान्विति के बाद वित्तीय लागत स्वीकृत सीमा से अधिक हो गई तथा तत्सम्बन्धी वर्षबार तथा परियोजना वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) व्यवहार्यता प्रतिवेदनों में दिखाए गये खर्च से अधिक खर्च होने के लिए चीफ इंजीनियर तथा परियोजना निदेशक कहां तक उत्तरदायी हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

बम्बई हवाई अड्डा चरण-एक परियोजना के लिए समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति

1142. **श्री भीखा भाई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई हवाई अड्डा चरण-एक परियोजना की पूर्ति के लिए 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना ही उस पर सीमा से अधिक राशि खर्च कर दी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच पड़ताल की है ;

(घ) चीफ इंजिनियर/परियोजना निदेशक द्वारा पूर्वानुमति न लिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त अनियमित खर्च के लिए कौन जिम्मेवार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री : (**श्री खुर्शीद आलम खान**) : (क) जी हाँ, । सरकार ने यह परियोजना 16.79 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित की थी ।

(ख) (ग) (घ) और (ङ) : यह परियोजना 18.48 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की गई थी । इस लागत में आधिक्य भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 1981 के पत्र संख्या बी० पी० ई०/बी० एल०-004/पी० यू० सी० 1/80 के अन्तर्गत निर्धारित अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर है ।

भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की परियोजनाओं के प्राक्कलनों को बढ़वाना

1143. **श्री भीखाभाई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी तकनीकी विशेषज्ञ दल अथवा किसी एक तकनीकी व्यक्ति से इस बारे में जांच कराई है कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की परियोजनाओं के मूल प्राक्कलनों में क्यों और कैसे बढ़ोतरी हो जाती है ।

(ख) क्या इसका कारण प्राधिकरण के अधिकारियों में लागत के प्रति सचेत न रहना है अथवा योजनाओं के मूल व्यवहार्यता प्रतिवेदनों का उल्लंघन किया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या योजनाओं में कोई परिवर्तन करने हेतु समक्ष प्राधिकारी से तत्संबंधी पूर्वानुभूति मांगी गई थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) जी नहीं । अभी तक इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी । भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण परियोजनाओं की लागत पर निरन्तर निगरानी रखता है । लागत में वृद्धियां सामान्यतः सीमा-शुल्क में वृद्धि, मुद्रा की परिवर्तन/विनियम दर में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, मूल्यों में वृद्धि जैसे ऐसे कारणों से होती हैं, जो भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर हैं ।

(ग) योजना में कोई भी आशोधन करने के लिए समक्ष प्राधिकारी/प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है ।

एशियाड के लिए निर्मित नये होटलों में अधिवास

1144. **श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी :**

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाड के लिए दिल्ली में अनेक नये होटलों के निर्माण की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा वहां कितने विस्तरों की क्षमता हैं ; और

(ग) इन होटलों के बन जाने के बाद प्रत्येक होटलों में प्रति माह कितना-कितना अधिवास हुआ ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग)

होटल का नाम	प्रस्तावित क्षमता	उपलब्ध कमरों में औसत अधिवास
1. सेन्टौरहोटल	416	85·0 प्रतिशत
2. सिद्धार्थ कान्टीनेन्टल होटल	156	55.6 प्रतिशत
3. सूर्य इन्टरनेशनल होटल	258	78·0 प्रतिशत
4. मौर्य शैराटन (विस्तार)	122	78·0 प्रतिशत
5. सम्राट होटल	300	65.5 नेतिशत
6. एशियन होटल	588	
7. ताज पैलेस होटल	500	
8. पार्क होटल	231	
9. मैरिडियन होटल	425	
10. भारत होटल	500	

इनमें से कुछ होटलों को अभी सम्पूर्ण रूप से पूरा किया जाना है।

क्रम सं० 6 से 10 तक के होटल एशियाई खेलों के पश्चात् बन्द कर दिए थे ताकि उन्हें पूरा किया जा सके।

सैनिक कर्मचारियों को लाभ

1145. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सेवारत सैनिक कर्मचारियों को शान्ति पूर्ण क्षेत्रों में मुफ्त राशन की सुविधा देकर उनके सेवा सम्बन्धी लाभों में वृद्धि की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इसके फलस्वरूप प्रत्येक श्रेणी के सेवारत सैनिक कर्मचारी को कितना वित्तीय लाभ पहुंचेगा, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इसकी जानकारी से सैनिक कर्मचारियों को अवगत कराने का है ताकि उन्हें कम-से-कम यह तो मालूम हो कि सरकार ने वस्तुतः उन्हें कितनी राशि का लाभ पहुंचाया है ।

(घ) क्या उक्त लाभ सभी श्रेणियों को मिलेंगे ; और यदि नहीं, तो ऐसा कब कर दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां । सरकार ने थलसेना में पूर्ण कर्नल रैंक सहित इस रैंक तक के सेना अफसरों और वायुसेना तथा नौसेना के समक्ष अफसरों को भी शान्ति क्षेत्रों में निःशुल्क राशन देने का फैसला किया है ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और अन्तिम रूप से तैयार कर लिए जाने पर सम्बन्धित कार्मिकों को उसकी जानकारी दे दी जाएगी ।

(घ) अन्य श्रेणियों के अफसरों पर इसे लागू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

महाराष्ट्र के धोवाल गाँव में एक भूतपूर्व सैनिक की आवंटित भूमि जब्त करना

1146. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भूतपूर्व सैनिक जिसे उसकी सराहनीय सेवाओं के लिए सात पदकों से सम्मानित किया गया था । महाराष्ट्र के ठाणे जिला में बसाई तालुका के धोवाल गांव में खेती के लिए उसे आवंटित चार हेक्टेयर भूमि को बिना किसी वैध कारणों से जब्त कर लिए जाने पर अपने 10 सदस्यीय परिवार के साथ भूखे मरने की हालत में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योद्धा की भूमि को उसे वापिस दिलाया जायेगा तथा केन्द्रीय सरकार मामले में हस्तक्षेप करेगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जमीन आबंटित करना या उसे जब्त करना राज्य सरकार का विषय है । मालूम हुआ है कि भूतपूर्व सैनिक एम० ए० फौजी को खेती के लिए दो वर्ष के पट्टे पर एक भू-खण्ड दिया गया था । परन्तु श्री फौजी ने जमीन के आबंटन की तारीख से लेकर तीन वर्ष की अवधि तक उसमें खेती नहीं की । जमीन का उपयोग न करना आबंटन आदेश की शर्तों का उल्लंघन था इसलिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने वह जमीन वापस ले ली है ।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों के न उतरने और उड़ान न भरने सम्बन्धी नियम

1147. **श्री तारिक अनवर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन हवाई अड्डों पर रात को विमान उतारने की सुविधाएं हैं वहां इंडियन एयरलाइंस के विमानों के न उतरने और उड़ान न भरने के लिए आसमान में बादलों का छाया रहना पर्याप्त कारण है ;

(ख) क्या कुछ समय पहले ऐसा हुआ था जब केवल आसमान में बादल होने के कारण ही इंडियन एयरलाइंस की बहुत सी उड़ानों में विलम्ब किया गया था अथवा पटना के ऊपर से मोड़ दिया गया था ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चित कानून/नियम है अथवा केवल प्राधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है कि वे स्थिति के अनुसार स्वयं निर्णय करें ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद अलाम खान) : (क) जी, नहीं । वायुयान को उस समय उड़ान भरने/उतरने की अनुमति नहीं दी जाती है जब मौसम की दशाएं सबसे नीचे के बादल के आधार और/या उड़ान पथ की दिशा में क्षैतिज दृश्यता की दृष्टि में इंडियन एयरलाइंस के न्यूनतम परिचालन स्तर से भी कम हों ।

(ख) दिसम्बर/जनवरी, 1983 में पटना की उड़ाने गहरा कोहरा होने के परिणामस्वरूप कम दृश्यता होने के कारण ही देर से की गई और कुछ बार वहां बिना उतरे ही चली गयीं

(ग) जी, हाँ । अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नियम बनाए गए हैं तथा सभी परिचालकों को उनका अनुपालन करना होता है ।

एशियन देशों की तुलना में भारत की विकास दर

1148. **श्री तारिक अनवर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियन देशों की तुलना में आय को लगभग प्रत्येक सूचक स्तर पर भारतीय कर की दरें अधिक हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल के वर्षों में एशियन देशों में विकास की दर 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक के करीब पहुंच गई है जबकि भारत में यह दर 3.4 प्रतिशत रही है ; और

(ग) भारत के कम विकास तुलना की में "एशियन" देशों के इस शानदार विकास के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विभिन्न देशों के करों का दरों और उनके ढांचे में

अन्तर होता है, इसलिए उनकी सही-सही तुलना नहीं की जा सकती। ये आय के स्तरों, उनके वितरण के स्वरूप एवं अर्थव्यवस्था की अन्य स्थितियों, विशेषताओं और आवश्यकतओं पर निर्भर करती है।

(ख) विश्व बैंक की "विश्व विकास रिपोर्ट 1982" के अनुसार एशियन देशों की वार्षिक विकास दरें 1970-80 की अवधि में 6.3 प्रतिशत और 8 5 प्रतिशत के बीच थीं जिसकी तुलना में भारत में दर 3.6 प्रतिशत थी।

(ग) भारत और एशियन देशों के आर्थिक कार्य परिणामों की तुलना करना कठिन है क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं के आकार में और उनके ढांचे एवं ऐतिहासिक, आर्थिक और अन्य तत्वों में भी अन्तर है।

आणविक हथियारों का उत्पादन करने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या में वृद्धि

1149. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आणविक हथियारों के उत्पादन की क्षमता वाले देशों की संख्या में वृद्धि हो रही है ; यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या सरकार ने देशों के चारों ओर घटनाक्रम को देखते हुए आणविक हथियारों का उत्पादन करने की वांछनीयता पर विचार किया है। यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकार ने समाचार माध्यम से मिली रिपोर्टें देखी हैं परन्तु उसके पास इस बारे में कोई विश्वासनीय सूचना नहीं है।

(ख) सरकार आणविक शक्ति का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों में करने के लिए वचनबद्ध है।

सरकार द्वारा एयर इंण्डिया के एक भूतपूर्व अधिकारी को पर्यटन लाने हेतु मुख्य प्रयोजक नियुक्त किया जाना

1150. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने युरोप से पर्यटन लाने हेतु, अपनी योजना के मुख्य प्रायोजक के रूप में एयर इण्डिया के एक भूतपूर्व अधिकारी को नियुक्त किया है ;

(ख) उक्त अधिकारी एयर इण्डिया का सक्रिय वेतन भोगी अधिकारी किस तारीख तथा वर्ष में था ; और

(ग) इस व्यक्ति को सरकार की पर्यटन योजना की क्रियान्विति का दायित्व किस तारीख को सौंपा गया था तथा जिस आधार पर उसे नियुक्त किया गया उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेनलेस स्टील मेल्टिंग स्क्रैप पर शुल्क से छूट के मामले में भ्रष्टाचार

1151. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 दिसम्बर, 1982 के इकोनामिक टाइम्स में स्टेनलैस स्टील के मेल्टिंग स्क्रैप पर शुल्क से छूट के मामले में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या हाल में, 45 दिन पूर्व, स्टेनलैस स्टील के मेल्टिंग स्क्रैप को आयात से छूट दी गई थी ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) कितनी मात्रा में स्क्रैप देश में आयी और उपरोक्त अवधि के दौरान इसकी कितनी मात्रा आबद्ध (बान्डेड) भांडारणों से जारी की गई और आयात शुल्क में छूट के कारण राजकोष की कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या कुछेक लोगों ने केवल स्क्रैप बेचकर ही करोड़ों रुपया कमाया था ;

(ङ) अधिकतम 6 × 4 × 4 तक स्क्रैप के आकार की परिभाषा का लाभ उठाते हुए आयातित माल को बड़े टुकड़ों (ब्लाक) के साथ मिला दिया गया था जिसे कि बर्तन बनाने के लिए दोबारा इस्तेमाल के योग्य बनाया जा सकता था ; और

(च) क्या सरकार इस मामले की जांच के आदेश देगी और समुचित कार्यवाही करेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) स्टेनलेस स्टील पिघलन रद्दी को 2.11.1982 की अधिसूचना सं० 236/82-सीमा-शुल्क जारी करके उस स्थिति में आयात-शुल्क से छूट दी गई थी जब उसका आयात 500 किलोग्राम तक की क्षमता वाली प्रेरण भट्टियों में प्रयोग के लिये किया गया हो । यह छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि 500 किलोग्राम तक की क्षमता वाली प्रेरण भट्टियों का इस्तेमाल करने वाले अपेक्षाकृत छोटे एककों के बारे में यह बताया गया था कि उनकी उत्पादन लागत अलाभकारी है । तथापि,यह 17.12.1982 से इस प्रश्न पर और आगे विचार किए जाने तक वापस ले ली गई थी कि क्या अपेक्षाकृत उच्च क्षमता वाली प्रेरण भट्टियां भी कोई रियायत पाने की पात्र हैं ।

(ग) अधिसूचना के अधीन निकासित स्टेनलैस स्टील पिघलन रद्दी की मात्रा और राजस्व प्रभाव संबंधी ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभापटल पर रख दिए जाएंगे ।

(घ) स्टेनलैस स्टील पिघलन रद्दी की शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति 82 की अधिसूचना सं० 236 के अधीन बन्ध-पत्र निष्पादित करने पर दी गई थी ताकि यह निश्चित किया जा सके

कि आयातित स्टेनलैस स्टील पिघलन रद्दी का इस्तेमाल विशिष्ट अन्त्य प्रयोग के लिए किया जाता है और इन बंध-पत्रों के संबंध में बैंक शत-प्रतिशत गारन्टी देता है। सरकार के ध्यान में दुरुपयोग के मामले लाए जाने पर कानून के उपबंधों के अधीन समुचित कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) स्टेनलैस स्टील पिघलन रद्दी एक सरणीवद्ध मद है और इसका आयात मैटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन के माध्यम से किया जाता है। बर्तन बनाने के लिए दुबारा रोल किये जा सकने वाले स्टेनलेस स्टील के बड़े-बड़े ब्लाकों के आयात किए जाने के संबंध में सूचना नहीं मिली है।

(च) उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए, इस मामले में जाँच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री गांडगिल साहब, संचार मंत्री के खिलाफ प्रिवलैज मोशन दिया है। जब संसद का सत्र चल रहा है और इस पीरीयड में उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राम के दाम बढ़ाकर मर्यादा को भंग किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इस बारे में दो-तीन दफा बतला दिया है।

श्री राम विलास पासवान : कहने से क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे उनके खिलाफ प्रिवलैज मोशन बना दूं।

श्री राम विलास पासवान : आपने हजार बार कहा है कि इम्प्रोप्रायटी।

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कहता हूं, ठीक कहता हूं। मैं अपनी जगह नहीं बदलता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : (मुजफ्फरपुर) : महोदय, उस विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ जो मैंने रेल मंत्री तथा रेलवे बोर्ड के विरुद्ध दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बात करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, असम की स्थिति बिगड़ रही है। फौज बुला ली गई है, मगर वहां फिर भी शान्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बताइए, मैं क्या करूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राहत के लिए कुछ नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप और बता दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप गृह मंत्री जी से असम की स्थिति के बारे में बयान देने के लिए कहें।

श्री के० लकप्पा (दुमकुर) : महोदय, महोदय, मैंने हरिजनों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कर्नाटक राज्य में बेलावी गोली कांड में लोगों की हत्या, पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां कुछ नहीं कह सकता। सभी प्रस्ताव मेरे पास विचाराधीन पड़े हैं।

अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यक उपक्रम (लोक उद्यम सर्वेक्षण) वर्ष 1981-82

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों (लोक उद्यम सर्वेक्षण) के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन (खंड 1 से 3) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.-5871/83]

हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी विवरण

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल रखता हूं।

(1) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(2) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 5872/83]

इण्डियन इंस्टीच्यूट आफ पेकिंग, बम्बई के वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्य कारण की समीक्षा, प्रोजेक्टस एंड इक्वपमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा आदि।

वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1)(एक) इंडियन इंस्टीच्यूट आफ पैकेजिंग बम्बई, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रति-

वेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) इंडियन इंस्टीच्यूट आफ पैकेजिंग, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त 1 में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 5873/83]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 5874/83]

(ख) (एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 5875/83]

(ग) (एक) राष्ट्रीय कपड़ा निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के एक और इसके नौ सहायक निगमों के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कपड़ा निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का और इसके नौ सहायक निगमों का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 5876/83]

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा, भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड का वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि ।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं श्री पी. ए. संगमा कि

ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 5877/83]

(ख) (एक) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 5878/83]

(ग) (एक) निर्यात ऋण तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1981 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) निर्यात ऋण तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1981 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 5879/83]

(3) (एक) मूल रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) मूल रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल०टी० 5880/83]

(4) (एक व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 5881/83]

(5) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(द) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 5882/83]

तट-रक्षक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं तट रक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तट-रक्षक प्राधिकारी (तकनीकी) भर्ती नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभापटल पर रखता हूं, जो 20 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 254 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5883/83]

रंगीन टेलीविजन रिसीवर सेटों के लिए औद्योगिक तथा लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति

विज्ञान तथा औद्योगिकी आणविक उर्जा अन्तरिक्ष इलैक्ट्रोनिकी तथा सामुद्रिक विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं रंगीन टेलीविजन रिसीवर सेटों के लिए औद्योगिक तथा लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5884/83]

इन्स्टीच्यूट आफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन इन्स्टीच्यूट आफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टैक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन बम्बई मद्रास, कलकत्ता आदि फूड क्राफ्ट इन्स्टीच्यूट बंगलौर आदि के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन

पर्यटन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : मै निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यट्रिशन, नई दिल्ली, के

वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टैक्नालोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे ।

(तीन) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, मद्रास, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे ।

(चार) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, कलकत्ता के, वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे ।

(पांच) फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे ।

(छः) फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट, पूणे, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे ।

(सात) फूड क्राफ्ट इंस्टीक्च्यूट, चण्डीगढ़ के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे ।

(आठ) फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट भोपाल, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे ।

(नो) फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट, त्रिचिरापल्ली, के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास, और कलकत्ता स्थित होटल मेनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, इंस्टीच्यूटों, तथा बंगलौर, पूणे, चण्डीगढ़, भोपाल और त्रिचिरापल्ली फूड क्राफ्ट इस्टीच्यूटों के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 5885/83]

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, आय-कर अधिनियम की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत सभी आदेशों के सभा पटल पर रखे जाने का मैं विरोध करता हूं जिसके द्वारा कई न्यासों को रियायते प्रदान की गई हैं। विभिन्न संसदीय समितियों का सदस्य रहने के नाते मुझे यह जानकारी है कि इस समय धारा 223 ग के अन्तर्गत प्राप्त रियायतों से राष्ट्रीय धन को बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा लूटा जा रहा है। अतः जब तक दी गई रियायतों को उन

रियायतों से लाभ प्राप्त करने वालों तथा न्यासों के स्वरूप को सदन में नहीं बताया जाता है तब तक मैं ऐसे सभी आदेशों का सभा पटल पर रखे जाने का विरोध करूंगा।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों का ध्यान रखा जायगा।

राय-बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राय-बरेली गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज के प्रतिवेदन आदि भारतीय साधारण बीमा निगम बम्बई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, आदि के वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, अब मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) रायबरेली क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, रायबरेली, का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज, का 31 दिसम्बर 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन।

(तीन) बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती, का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; शिवपुरी का 31 दिसम्बर 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 5886/83]

(2) भारतीय साधारण बीमा निगम, बम्बई और उसकी सहायक कम्पनियों के 31 दिसम्बर,1981 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 5887/83]

(3) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 23 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 30, जून 1982 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा सामान्य निधि और विकास सहायता निधि के लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल. टी. 5888/83]

(4) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गतभारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1982 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा निगम की अस्तियां और दायित्व तथा लाभ और हानि लेखे दर्शाने वाला विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 5889/83]

(5) पूर्त विन्यास अधिनियम 1890 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अद्यतन-कृत पूर्त विन्यास (केन्द्रीय) नियम,1942* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 5890/83]

(6) समुद्री पोत (1976) की युद्ध जोखिम बीमा योजना की 1982 तक यथासंशोधित पुनरीक्षित रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 5891/83]

(7) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (छठा निर्गम) संशोधन नियम, 1982, जो 10 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 751 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (सातवाँ निर्गम) संशोधन नियम, 1982, जो 10 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 752 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 5892/83]

(8) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 90 (अ), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, जो 19 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 7 से 11 मार्च, 1983 तक नई दिल्ली में होने वाले गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले शिष्टमंडलों के प्रमुखों, उनके पतियों पत्नियों, शिष्ट मंडलों के सदस्यों (अधिकारियों समेत) और विदेशी प्रचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को विदेशी यात्रा कर की अदायगी से छूट दी गयी है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 5893/83]

*पूर्त विनयास (केन्द्रीय) नियम, 1942, 31 मार्च, 1942 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या 84/42 में प्रकाशित हुए थे और नियमों के संशोधन 27 अगस्त, 1970 और 21 अगस्त, 1981 को क्रमश: अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1277 और का० आ० 661 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 47 (अ), जो 1 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसके द्वारा सभी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों को 1 फरवरी, 1983 से सिक्किम राज्य में लागू किया गया है।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1983, जो 1 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 48 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 5894/83

(10) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का० आ० 1080, जो 19 फरवरी, 1983 के भारत के राजप में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 और 1983-84 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "श्री छत्रपति शिवाजी महाराज मैमोरियल नेशनल कमेटी, नई दिल्ली" को छूट देने के बारे में है।

(दो) का० आ० 1081, जो 19 फरवरी, 1983, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत निर्धारण बर्षों 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "ग्रेटर मद्रास लिग्रोसी ट्रीटमेंट एण्ड हैल्थ एजुकेशन स्कीम" को छूट देने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 1082, जो 19 फरवरी, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1981 की धारा 10 (23 ग) अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'इण्डियन मर्चेन्ट्स चैम्बर्स" को छूट देने के बारे में है।

(चार) का० आ० 1083, जो 19 फरवरी 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "इमेनुफुल गौस्पल, मिशन सेलम" को छूट देने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 1084, जो 19 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत

निर्धारण वर्षों 1974-75 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए [आल इण्डिया पिंगलवाड़ा सोसाइटी (रजिस्टर्ड)] को छूट देने के बारे में है।

(छः) का०आ० 1085, जो 19फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'सेंटर फार पब्लिक सैक्टर स्टडीज, को छूट देने के बारे में है।

(सात) का० आ० 1086, जो 19 फरवरी 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'सरदार वल्लभभाई समाज सेवा ट्रस्ट' को छूट देने के बारे में है।

(आठ) का० आ० 1087, जो 19 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और आयकर अधिनियम, 1961 की 10धारा (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1981-82 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए सहकारिता प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद' को छूट देने के बारे में है।

(नौ) का० आ० 1088, जो 19 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1977-78 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए विवेकानन्द मिशन आश्रम' को छूट देने के बारे में है।

(दस) का० आ० 1089, जो 19 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और आयकर अधिनियम, की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1980-81 से 1983-84 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'बम्बई विजिलेंस एसोसिएशन' को छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का० आ० 1090, जो 19 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'श्रद्धाजन्द महिलाश्रम' को छूट देने के बारे में है।

(बारह) का० आ० 1091 जो 19 फरवरी, के भारत के 1983 राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए हरियाणा एमेल्गेमेटिड फण्ड फार दि वेल्फेयर ऑफ एक्स-सर्विसमैन' को छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का० आ० 1092, जो 19 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तिर्गत निर्धारण वर्ष 1983-84 और 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए जोइंगप्लान्ट कमेटी को छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का० आ० 1093, जो 19 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1980-81 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'श्री गाडगे महाराज मिशन' को छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का० आ० 1094, जो 19 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट' को छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का० आ० 1095, जो 19 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'श्री श्री विजयकृष्ण आश्रम रिलीफ सोसाइटी' को छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का० आ० 4288 जो 25 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'दि राजस्थान पुलिस परसोनल वैलफेयर ट्रस्ट' को छूट देने के बारे में है।

(अट्ठारह) का० आ० 4289 जो 25 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1973-74 से 198-283 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'कोफनी डांक लेबर बोर्ड' को छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का० आ० 4290 जो 25 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'कनज्यूमर एज्यूकेशन एन्ड रिसर्च सेंटर' को छूट देने के बारे में है।

(बीस) का० आ० 4291 जो 25 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1976-77 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'श्रद्धानन्द महिला आश्रम' के छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का० आ० 4292 जो 25 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'इण्डियन काउन्सल आंफ चाइल्ड वैलफेयर' को छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का० आ० 4293 जो 25 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1981-82 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'हिन्दुस्तान चैरिटी ट्रस्ट' को छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का० आ० 4294 जो 25 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम,1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'केरल गांधी स्मारक निधि' को छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का० आ० 4295 जो 25 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'एस० ओ० एस० चिल्ड्रन्स विलेजीस वैस्ट बंगाल' को छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का० आ० 4296 जो 25 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1983-84 और 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'लक्ष्मण झूला लेपरसी डिसपेन्सरी एन्ड रिहेबीलिटेशन सेन्टर' को छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का० आ० 4297 जो दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1981-82 और 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'श्री दयाभाई देवसी चौहान चेरीटेबल ट्रस्ट' नासिक रोड़ को छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का. आ. 4298 जो 25 दिसम्बर,1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए 'गुरुदेव सिद्धपीट गणेशपुरी' को छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का. आ. 4299 जो 25 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनितम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1982-83नाबाज भाई रत्न टाटा ट्रस्ट के अन्तर्गत आने वाली अवधि केलिए छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का. आ. 430ष जो 25 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1683-84 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'दयानन्द एन्गलो-वैदिक कालेज मैनेजमैंट सोसाइटी' को छूट देने के बारे में है ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 5895/83]

(11) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा. का. नि. 686 (ङ) और 689 (ङ), जो 11, नवम्बर, 1982 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा वायुयान इन्जनों, उपसाधनों और संघटकों के आयात पर छूट दी गई है ।

(दो) सा. का. नि. 726 (ङ), जो 30 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 208/81-सीमा-शुल्क से संलग्न अनुसूची में कतिपय औषधियों/दवाइयों/उपकरणों को शामिल /प्रतिस्थापित किया गया है ।

(तीन) सा. का. नि. 715 (ङ), 22 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 11 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या 146/82-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं जिनसे पोलिस्टर तन्तु के आयात पर उपसंगी सीमा-शुल्क को बढ़ाया गया है।

(चार) सा. का. नि. 733(ङ), 2 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 318/76-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं जिनसे 11 अक्तूबर, 1982 के निर्बन्धित सामान्य लाइसेंस 23/82 के अन्तर्गत 4 दिसम्बर 1982 को अथवा उससे पूर्व डार या वायुयान द्वारा आयात किए गए ऐसे रंगीन टेलीविजन सेटों पर, जिनकी निकासी 4 दिसम्बर, 1982 के बाद की गई हो, प्रति-संतुलनकारी सीमा शुल्क उद्ग्रहणीय होगा ।

(पांच) सा. का. नि. 755 (ङ), जो 13 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा भारतीय पर्वतारोही प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, को केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से पर्वतारोहण के उपस्करों तथा समान को आयात शुल्क के बिना खरीदने की अनुज्ञा दी गई है ।

(छह) सा. का. नि. 756(ङ), जो 13 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा विस्कोस स्टेपल फाइबर पर मूल सीमा-शुल्क की दर

बढ़ायी गई है, पोलीनोसिक फाइबर पर सीमा-शुल्क लगाया है और उच्च किस्म के विस्कोस स्टेपल फाइबर और पोलोनोसिक फाइबर पर सहायक सीमा-शुल्क की वर्तमान छूट को जारी रखा गया है ।

(सात) सा. का. नि. 32 (ङ), जो 19 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना 431-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, ताकि नारियल के तेल पर शुल्क की दर निश्चित की जा सके.

(आठ) सा. का. नि. 44 (ङ) और 45 (अ), जो 31 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा कपूर के निर्माण हेतु आयातित आइसोबीनिल ऐसेटेट पर सीमा-शुल्क की छूट को वापस लिया गया है ।

(नौ) सा. का. नि. 54 (ङ), जो 4 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 215-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, जिनसे अधतैयार द्रव नाइट्रोजन पात्रों के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क की रियायत को वापस लिया गया है ।

(दस) सा. का. नि. 55 (ङ), जो 4 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 163- सी. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है, जिससे सीमा-शुल्क की छूट मोलीडेनम-99 और टेकनेटियम-99 एम. आइसोटोप पर लागू की गई है ।

(ग्यारह) सा. का. नि. 56 (ङ), जो 4 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 23 अगस्त, 1982 की अधिसूचना संख्या 197-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(बारह) सा. का. नि. 62 (ङ) तथा 63 (ङ), जो 11 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा दिल्ली में मार्च, 1983 में होने वाले गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के सातवें शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले शिष्ट मंडलों द्वारा लाये जाने वाले व्यावसायिक उपस्करों और अन्य अपेक्षित माल को, जो सामान्यतया (क) विदेशी रेडियों, टेलीविजन, प्रेस फोटों और फिल्म तथा अन्य माध्यमों और (ख) दिल्ली में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचार माध्यमों के प्रतिनिधियों या संगठनों के लिए अपेक्षित होते हैं, उनको उद्ग्रहणीय आयात शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा. का. नि. 80 (ङ) और 81 (ङ), जो 14 फरवरी, 1983 के भारत के राज-

पत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एथिलीन डाइक्लोराइड को, जब उसका भारतमें आयात किया जाये, उस पर उद्ग्रहणीय मूल अतिरिक्त और उपसंगी सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा. का. नि. 82 (ङ) जो 15 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा क्रोमाइट पर निर्यात शुल्क की दर को कम करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा. का. नि. 83 (ङ) जो 5 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा मूंगफली निस्सारणों पर, जब उनका भारत से बाहर निर्यात किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय निर्यात शुल्क से पूर्ण छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[**ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या** एल० टी० 5896/83]

(12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा. का. नि. 643 (ङ) से 655 (ङ), जो 1 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा. का. नि. 656 (ङ) और 657 (ङ), जो 3 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा विनिर्दिष्ट मौटरयानों के पुर्जों को छूट देने के बारे में प्रक्रिया को सरल करने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा. का. नि 690 (ङ) से 700 (ङ) जो 13 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा सैल्यूलोस क्सेंथेट को उत्पाद शुल्क लगने से छूट देने आदि के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा. का. नि. 665 (ङ) से 676 (ङ), जो 8 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा सूती वस्त्रों के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा. का. नि. 714 (ङ), जो 22 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा स्ट्रा बोर्ड, मिल बोर्ड और क्राफ्ट पेपर (बिटुमनयुक्त जल रोधक क्राफ्ट पेपर सहित) से पूर्णतः बनाये गये छपे हुए डिब्बों तथा कार्टनों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (13 वां संशोधन) नियम, 1982, जो 27 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि 723 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा. का. नि. 724 (ङ), जो 27 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा. का. नि 728 (ङ) जो 30 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 1 मार्च 1979 की अधिसूचना संख्या 30/79/-सी. शु. में विहित, सिगरेटों पर उत्पाद-शुल्क की रियायती दरों को वापस लेने के बारे में है ।

(नौ) सा. का. नि. 26 (ङ), जो 13 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं को सप्लाई के सम्बन्ध में बौंड के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क लगने योग्य सामान को उत्पादन-शुल्क की अदायगी के बिना, भारतीय रुपयों में अदायगी किये जाने पर भी नेपाल को निर्यात करने की अनुज्ञा दी गई है ।

(दस) सा. का. नि. 5 (ङ) से 7 (ङ), जो 1 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा विद्युतचालित दो पहियों वाले मोटरवाहनों आदि के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली परमानेंट मेगनेट फील्ड डी० सी० मोटरों पर सीमा-शुल्क की छूट को 31 दिसम्बर, 1983 तक जारी रखा गया है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी. 5897/83]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : श्रीमन्, क्या कोई अन्य उपचार नहीं हैं ? यह प्रश्न सदन में रखा जाये । अगर हम कुछ पत्रों को सभापटल पर रखने का विरोध करते हैं, तो आप मन्त्री के यह कर रखने देते हैं कि इसे नोट कर लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : हम क्या कर सकते हैं ? वे सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों सम्बन्धी समिति के पास भी जा सकते हैं···

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : श्रीमन्, इस मामले की छानबीन के लिए एक अलग संसदीय समिति होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम हमारे यहां ऐसी समिति है और हम इसे अब भी भेज सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, सभा पटल पर रखे गये सभी पत्रों की अवश्य जांच होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : एक समिति है । आपको सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों सम्बन्धी समिति के पास जाना होगा ।

श्री सतीश अग्रवाल : लेकिन वह समिति किसी मामले के औचित्य के बारे में जांच नहीं करती ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : लेकिन एक काम आप करवा सकते हैं—जो पेपर ले—डाउन होता है, कम से कम पहले हमें उसकी कापी मिल जाय कि क्या ले—डाउन हो रहा है । इस समय ले—डाउन होने के बाद पता चलता है कि क्या ले—डाउन हुआ है ।

लोक लेखा समिति

123 वां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, मैं एक वायुयान के निर्माण हेतु अधिप्राप्त सामग्रियों में निरर्थकता के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 66 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 123 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ;

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

28 वां तथा 29 वां प्रतिवेदन

श्री ए० सी० दास (जाजपुर) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) संचार मंत्रालय—डाक और तार विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन के सम्बन्ध में समिति के 24 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 28 वां प्रतिवेदन ।

(2) संचार मंत्रालय—इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन के सम्बन्ध में समिति के 12 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 29 वां प्रतिवेदन ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

15 वां प्रतिवेदन

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का

पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बी० शंकरानन्द को वक्तव्य देना है ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री बी० शंकरानन्द को परिवार कल्याण पर वक्तव्य देने का कोई नैतिक अधिकार नही है, क्योंकि उनके आठ बच्चे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस कार्यक्रम को लागू करने से पहले हो चुके थे ।

श्री सतीश अग्रवाल : यह नीति पिछले 25 वर्षों से चल रही है और जिस मन्त्री के आठ बच्चे हैं उनको इस विषय पर वक्तव्य देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि श्रीमती गांधी ने इनके विभाग को नहीं बदला । उन्हें यह विभाग या तो श्री वेंकटरामन को देना चाहिए था या कुमारी कुमुद जोशी को ।

अध्यक्ष महोदय : जो पहले हो चुका है उसे अब बदला नहीं जा सकता क्या हम ऐसा कर सकते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उनके निर्धारित सीमा से अधिक सभी बच्चों को अपने अधिकार में ले लीजिए ।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, आप टिप्पणी करने में शरमाते क्यों हैं ? आपके तो केवल पांच ही बच्चे हैं उनके आठ हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर यह न किया होता, तो यह वेलफेअर क्या होता यह सोचो ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी०शंकरानन्द) : मैं कहना चाहता हूं कि यह वक्तव्य देने से पहले श्री सतीश अग्रवाल ने यह बात सभा में दर्जनों बार कही और मैं इसका कई बार उत्तर दे चुका हूं और मैं दोबारा कह सकता हूं कि मेरा सबसे छोटा बच्चा 18 वर्ष का है ।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मैं उनसे छोटा हूं और मेरा सबसे छोटा बच्चा 24 वर्ष का है ओर मेरे केवल तीन बच्चे हैं । मैं कांग्रेस (इ) का सदस्य नहीं हूं और मैं संजय गांधी का अनुनायी होने का दावा नहीं करता । हम इसका उपदेश देते रहे हैं । मेरा सबसे छोटा बच्चा 24 वर्ष से अधिक का है । जरा कल्पना कीजिए ।

श्री बी० शंकरानन्द : श्री सतीश अग्रवाल मुझे आप पर दया आती है। क्योंकि आपको केवल यही बातें आती हैं और कुछ नहीं आता ।

एक माननीय सदस्य : यह अच्छी बात है कि सतीश अग्रवाल संजय गांधी का अनुसरण कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से कोई रोक हो सकती है तो कर सकते हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : इसमें स्पीकर की रूलिंग चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इससे काम बनता हो तो कर दें ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : श्रीमन, जैसा कि आपको विदित है, भारत सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम को, जो नये बीस सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है, अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। इन निर्णयों के द्वारा जिन बातों पर मुख्य रूप से बल दिया गया है वे हैं-इसमें लोगों की सहभागिता बढ़ाना; परिवार नियोजन को अपनाने वाले व्यक्तियों और राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना, शहरों की गन्दी बस्तियों और घने बसे क्षेत्रों में सेवाओं को दूर-दूर तक अधिकाधिक सुलभ करना, जन-प्रचार साधनों और लोगों में परस्पर सम्पर्क और सम्प्रेषण के द्वारा शैक्षिक प्रयासों में तेजी लाना और दो बच्चों वाले उन माँ-बाप को अधिक मान्यता देना जो परिवार नियोजन के लिए गर्भाविसान वाले तरीके अपनाये। ये निर्णय मुख्यतः इस प्रकार हैं :-

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम को अमल में लाने के कार्यों में सक्रियता से जुटे संगठित और स्पष्ट पहिचान वाले वर्गों को संजायती सम्पति के रूप में वित्तीय पुरस्कार।

(2) इस दिशा में सर्वोत्तम कार्य करने वाले राज्यों को नकद पुरस्कार दिये जायेंगे। इसके लिए राज्यों को प्रजनन के प्रति सुरक्षित किये गए दम्पत्तियों के आधार पर तीन वर्गों में बांट दिया जायेगा। प्रत्येक वर्ग में दो-दो पुरस्कार दिये जायेंगे प्रथम पुरस्कार 2.5 करोड़ रुपये का और द्वितीय पुरस्कार 1.00 करोड़ रुपये का होगा। पुरस्कार की इस राशि का उपयोग परिवार कल्याण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का विस्तार करने के लिए किया जाना है।

(3) औद्योगिक श्रमिक वर्गों के लिए प्रोत्साहनों की एक योजना चलाकर संगठित क्षेत्र में इस कार्यक्रम को और अधिक तेजी से चलाया जायेगा।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(4) अभियानों के आधार पर खास-खास क्षेत्रों में नवीनता लाने वाले प्रचार-कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे। सेवाओं और सामग्री के साथ-साथ इसका उपयुक्त सामंजस्य स्थापित किया जायेगा।

(5) परिवार नियोजन तथा माताओं तथा शिशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के संगठनात्मक तंत्रकों और दूर-दूर तक इन सेवाओं को पहुंचाने के तंत्र को अधिक क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से शहरों की गन्दी बस्तियों और घने बसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य चौकियाँ खोली जायेंगी जिनमें नर्स-मिडवाइफें और स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम करेंगे।

(6) दो बच्चों के बाद गर्भ के अवसानक तरीकों को अपनाने वालों को मान्यता के और उनकी ओर प्राथमिकता से ध्यान दिये जाने के प्रमाण स्वरुप 'हरा कार्ड' देने की एक योजना बनाई जायेगी। इस कार्ड को दिखा कर ऐसे व्यक्तियों को उन

योजनाओं में जिनमें प्राथमिकता दिये जाने का विधान हो, प्राथमिकता मिल सकेगी ।

(7) राज्यों से अनुरोध किया जायेगा कि वे नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों को अगली ड्रा के 5 राज्य-लाटरी टिकट दे दें ।

(8) नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों को दिये जाने मुआवजे की राशि 30 रुपये बढ़ा दी जायेगी ताकि उन्हें वर्तमान समय में मिल रहे 70 रुपये के स्थान पर 100 रु० मिलने लगें ।

(9) गर्भाशयी गर्भरोधक लगवाने वाली माताओं को इस समय मिलने वाले 6 रुपये बढ़ा कर 9 रुपये कर दिये जायेंगे ।

मैं इस अवसर पर सदन को यह भी बतला देना चाहूंगा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम दस महीनों में 28 लागू नसबन्दियां की गई जो गत वर्ष इतनी ही अवधि में दी गयी नसबन्दियों से 43 प्रतिशत अधिक हैं । वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस संख्या के 40 लाख तक पहुंच जाने की संभावना है । इसी प्रकार गर्भाशयी गर्भरोधक अपनाने वाली महिलाओं की संख्या भी 7.6 लाख है जो गत वर्ष की इतनी ही अवधि की संख्या से 35 प्रतिशत अधिक है । इसके भी 10 लाख से अधिक होने की आशा है जो इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से अब तक की सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि होगी । जहां तक प्रचलित गर्भरोधकों का प्रश्न है इस कार्यक्रम ने इस क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ना शुरु कर दिया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक हमें आशा है कि इनके अपनाने वालों की संख्या भी अब तक की सर्वाधिक संख्या अर्थात् लगभग 60 लाख हो जायेगी । इन सब उपलब्धियों से दम्पतियों को गर्भ-धारण के प्रति सुरक्षित करने की दर मार्च, 1983 के अन्त तक 26.5 प्रतिशत हो जायेगी जबकि अप्रैल, 1982 में यह 23.7 प्रतिशत ही थी ।

माननीय सदस्यों को विदित ही है कि गत तीन वर्षों में देश ने परिवार कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है । इसका जनसंख्या वृद्धि दर पर निश्चित ही प्रभाव पड़ा है और मुझे यह बतलाते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान अनुमानों के हिसाब से हमारी जनसंख्या कि वार्षिक वृद्धि दर अब 1.9 प्रतिशत है । यद्यपि इस शताब्दी के अन्त तक इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना शेष है, फिर भी अंधरे के पार रोशनी दिखायी तो देने ही लगी है । मुझे विश्वास है कि समाज के सभी वर्गों के साथ और सहयोग से हम जन्म, मृत्यु और शिशु-मृत्यु दरों को घटाने के अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगें और इस प्रकार भावी पीढ़ी का सुन्दर, स्वस्थ्य और सुखी जीवन सुनिश्चित कर सकेंगे ।

———

सभा का कार्य

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : बम्बई वस्त्र उद्योग के कर्मचारियों की हड़ताल का चौदहवां महीना चल रहा है। उत्पादन की हानि के अलावा हड़ताल करने वाले कर्मचारियों तथा उनके परिवारों द्वारा सही जा रही पीड़ा अवर्णनीय है। मिल मालिक तथा सरकार ऐसी नीति का अनुसरण करते रहे हैं जो कि एक न्यायोचित व सम्मान पूर्ण समझौते को पूर्ण रूपसे अस्वीकार हुए श्रमिकों के हितों के बिल्कुल विरूद्ध है बड़े दुःख की बात यह है कि बम्बई की राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें भी व्यक्तिगत मिलों जैसा ही व्यवहार कर रही हैं। यद्यपि इस मामले को सभा में कई बार उठाया गया है परन्तु सरकार ने सदस्यों की इच्छा की उपेक्षा की है।

आन्ध्र प्रदेश में तेलगू देशम् के तथा कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार के चुनाव से अन्य बातों के साथ-साथ हमारे राजतन्त्र की संघीय प्रकृति को उचित रूप से समझने की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ गया है। भारत में विभिन्न राजनैतिक मतों वाले वर्गों द्वारा राजनैतिक तथा आर्थिक शक्तियों के और अधिक विकेन्द्रीयकरण तथा शक्ति के अन्तरण की मांग पर आवाज उठायी जा रही है। पंजाब में अकाली आन्दोलन ने भी इस प्रश्न को उठाया है। शक्ति प्राधिकार के अन्तरण की इन मांगों को गुमराह करने वाली तथा राष्ट्र विरोधी कहकर टाल देना देश की एकता के लिए हानिकारक है।

इन प्रश्नों का इतना अधिक महत्व हो गया है कि इन पर तुरन्त चर्चा की आवश्यकता है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मिली है कि प्रधान मंत्री ने अपने हाल ही में किये गये आसाम के दंगा ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के बाद जो 50 लाख रुपये की राहत प्रदान की थी वह अभी-तक भी दंगों से प्रभावित लोगों को नहीं पहुंची है।

मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि यह राहत तुरन्त आसाम के लोगों तक पहुंचे।

मैं सूझाव दूगाँ कि इस मामले को अगले सप्ताह में चर्चा के लिए सम्मिलित किया जाय।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : वसुदेव बलवन्त फडके—मृत्यु शताब्दी -समारोह) :

स्वर्गीय क्रान्तिवीर वसुदेव बलवन्त फड़के हमारे देश के अग्रणी स्वतन्त्रता सेनानियों तथा क्रान्तिकारियों में से एक थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह संगठित करके लड़े थे। वे 17.2.1983 को 'अदन' जेल में स्वर्गवासी हो गये थे जहां पर वे आजीवन कारावास भोग रहे थे।

उनकी शहीद-शताब्दी को देश भर में मनाया जाना चाहिए तथा उनके स्मृति में एक उचित स्मारक बनाया जाना चाहिए। मैं सरकार से इस बारे में संसद में एक विशेष बैठक आयोजित करने का निवेदन करती हूं।

राष्ट्रीय प्रसारण

राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रम के बारे में विभिन्न राज्यों में क्षोभ व्याप्त है। वे न केवल असन्तोष जनक हैं बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों का अतिक्रमण भी करते हैं।

तलिनाडु हिन्दी समाचार प्रसारण करना बन्द कर चुका है।

बम्बई दूरदर्शन द्वारा मराठी कार्यक्रमों के प्रति किये जा रहे अन्याय के विरुद्ध सबसे पहले मुम्बई मराठी ग्रन्थ सग्रहालय ने आवाज उठायी थी।

बम्बई नगर निगम ने राष्ट्रीय प्रसारण की आलोचना करते हुये एक संकल्प पारित किया है और बम्बई दूरदर्शन को चेतावनी दी है कि यदि वे निगम के वकाया कर नहीं दे पाते तो उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जायेगी। मैं सरकार से राष्ट्रीय प्रसारण पर एक पूरी चर्चा रखने का निवेदन करती हूं।

श्री अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं संसदीय कार्यमंत्री को अगले सप्ताह के कार्यक्रम के लिए सुझाव देना चाहता हूं।

पहला सुझाव तंबाकू के निर्यात में गिरावट की संभावना के बारे में है। भारत में 1.20 लाख टन वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन होता है। यह सारा निर्यात व्यापार निजी क्षेत्र में है। चीन ने भारतीय तंबाकू निर्यात बाजार में 1977 में प्रवेश किया था तथा प्रत्येक वर्ष चीन को भारतीय तंबाकू के निर्यात में निरंतर वृद्धि हो रही थी। किंतु हाल के दिनों में निजी निर्यातकों की अनियमितता के कारण इसमें गिरावट आने की संभावना है। कमी का मुख्य कारण नमूनों के विपरीत घटिना स्तर के माल की आपूर्ति है।

भारत के लिए तंबाकू निर्यात की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा नहीं रहा है। हमारे पास इस वर्ष 30 से 40 हजार टन तंबाकू अतिरिक्त पड़ा हुआ है तथा हम चीन जैसे विस्तृत बाजार को खोने का स्थिति में नहीं हैं। अतः सरकार को इस दिशा में समय रहते सचेत हो जाने की आवश्यकता है। अगले सप्ताह में इस पर विशेष रूप से चर्चा होनी चाहिए।

दूसरा विषय है "कृषि का संकट"। वर्ष 1981-82 में रेकार्ड कृषि उत्पादन के बाद योजनाकारों को इस वर्ष कम पैदावार होने की अशंका नहीं थी। मानसून के प्रतिकूल होने के कारण गेहूं का उत्पादन अन्य सभी वर्षों से कम, मात्र 3.7 करोड़ टन हुआ और खरीद उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से काफी कम हुआ है। देश का बहुत बड़ा हिस्सा अनावृष्ठि से प्रभावित रहा और बिहार राज्य के कई भागों से तो भुखमरी की खबरें भी आई हैं। खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार को एक करोड़ तीस लाख टन के बफर स्टाफ के अलावा 40 लाख टन गेहूं के आयात का अनुबंध भी करना पड़ा है। खेतों को मानसून की कृपा से मुक्त करने के लिए अरबों रुपये की योजनाएं बनी और हरित क्रान्ति का नारा दिया गया किन्तु स्थिति वैसी ही बनी रही।

अतः सरकार को सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूरा करने और

उपलब्धियों का मूल्यांकन करने पर विचार करने के लिए समय निकालना चाहिए ।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : अगले सप्ताह में चर्चा के लिए मेरा पहला सुझाव देश में व्याप्त एवं दिनोंदिन फैल रहे भ्रष्टाचार के बारे में है ।

आज देश में व्याप्त भ्रष्टाचार हमारे जन जीवन को जिस प्रकार त्रस्त कर रहा है, उसकी जितनी भर्तसना की जाए कम है । दिनोंदिन अंकुश रहित यह भ्रष्टाचार फैलता हुआ हमारे स्वस्थ जीवन मूल्यों को विनष्ट करता जा रहा है । जिस प्रकार कोई नहीं चाहता कि वह रोगग्रस्त हो, परंतु बाध्यवश हो जाता है, उसी प्रकार से संक्रामक रोग की भांति यह भ्रष्टाचार सामान्य नागरिकों, सीधे-सादे अनभिज्ञ श्रमशील ईमानदारों को भी अपने नापाक पंजों में जकड़ता जा रहा है । आज यह सर्वतोन्मुखी हो चुका है और हमारी राष्ट्रीय प्रणाली को जरजरित कर रहा है । यदि इस पर पूरी निष्ठा के साथ अंकुश लगाने का प्रयास न किया गया तो परिणति बड़ी भयावह हो सकती है ।

अतएव मैं चाहता हूं कि इस ज्वलंत समस्या पर अगले सप्ताह सदन में विचार किया जाए और इसकी अबाध गति को नियंत्रित करके इसके निराकरण के उपाय निकाले जायें ।

मेरा दूसरा विषय अविवेकपूर्ण तरीके से किया जा रहा वन-विनाश के बारे में है ।

मान्यवर, आज देश में स्वार्थ परस्त लोगों द्वारा अनियमित ढग से चोरी छिपे वनों का अविवेकपूर्ण तरीत से विनाश किया जा रहा है । वन विनाश किस प्रकार पर्यावरण को असंतुलित करता है और यह असंतुलन किस प्रकार जन-जीवन पर कुप्रभाव डालता है, कहने की आवश्यकता नहीं है । यह प्रकरण और भी गंभीर हो जाता है जब राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से प्रभाव -कारी लोग इस प्रकार के हथकण्डों में शरीक हो जाते हैं । हिमाचल प्रदेश, केरल तथा कई अन्य स्थानों का उदाहरण हमारे समक्ष है । वनों के ठेकेदार किस प्रकार वन अधिकारियों की सांठगांठ से अनैतिक तरीके से निजी स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं यह आए दिन की कहानी है । इस कुचेष्ठा पर प्रभावकारी नियंत्रण राष्ट्र की तात्कालिक आवश्यकता है ।

अतएव इस गंभीर समस्या पर अगले सप्ताह सदन में चर्चा की जाए और इस क्षति को रोकने के उपायों की समीक्षा की जाए ।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : इन्दौर से दिल्ली तथा इन्दौर से बम्बई के बीच सीधी रेल सेवा प्रारम्भ करने की मांग की ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना जाहिए । खण्डवा-अजमेर के बीच मीटरगेज पर चलने वाली रेलसेवा को विगत कुछ समय से खण्डवा-चित्तोड़गढ़ के बीच सीमित कर दिया है तथा महू चित्तोड़गढ़ के बीच चलने वाली यात्री रेल गाड़ी के पूर्ववर्ती समय चक्र में परिवर्तन कर दिया गया है जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है । "सर्वोदय" एक्सप्रेस का "स्टापेज" नागदा जंक्शन पर दिया जावे । "अवध एक्सप्रेस" को रतलाम तक बढ़ाने की मांग को पूरा किया जाना चाहिए । उज्जैन-गुना के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को इन्दौर

तक बढ़ाया जाना चाहिए। उज्जैन-इन्दौर-उज्जैन के बीच "शटल ट्रेन" चलाने की आवश्यकता है।

देश में दूरभाष सेवा में पर्याप्त सुधार एवं विस्तार की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में दूरभाष सुविधा होने वाले व्यक्तियों के नाम प्रत्येक स्थान पर प्रतीक्षा सूची में नाम पंजीबद्ध है। उज्जैन में लगभग 500 व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में है। जिसकी पूर्ति दूरभाष केन्द्र के विस्तार से की जानी है जिसके लिये आवश्यकउपकरणों की आवश्यकता है। उज्जैन जिले के भाट-पचलाना को बड़नगर से दूर-संचार से जोड़ने का कार्य काफी समय से प्रतिक्षित है। देश की राज-धानी से उज्जैन को एस०टी० डी० सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। रतलाम और नीमच के दूरभाष केन्द्रों का स्वचलीकरण और आधुनिकीकरण के कार्य को उपकरणों के अभाव में पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब हो गया है।

अतएव केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि दूर-संचार सेवा का आधुनिकीकरण, स्वचली-करण, क्षमता विस्तार कार्य को प्राथमिकता देते हुए उज्जैन दूरभाष केन्द्र का विस्तार किया जाए भाटपचलाना को बड़नगर से दूरसंचार से जोड़ा जावे, दिल्ली से उज्जैन के लिए एस०टी०डी० सेवा शीघ्र उपलब्ध कराई जाय तथा रतलाम और नीमच के दूरभाष केन्द्रों का स्वचलीकरण कर "डायलिंग" प्रणाली स्थापित की जाय। उपरोक्त विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाए।

श्री नीरेन घोष (दम दम) : 1950 वें दशक के बाद से कलकत्ता बन्दरगाह, जो कि भारत का मुख्य बन्दरगाह है, की गहराई लगातार कम होती जा रही है और केन्द्रीय सरकार ने इसे बनाये रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाये।

कमी के समय गंगा का बहाव लगभग 1,50,000 क्यूसेक्स होता है। उत्तर प्रदेश जैसे ऊपरी तटवर्ती राज्य लगभग एक लाख क्यूसेक्स पानी ले लेते हैं तथा कलकत्त बन्दरगाह तथा बंगलादेश के लिए केवल 55,000 क्यूसेक्स पानी रह जाता है, यद्यपि वहां गहरी नलकूप सिंचाई के लिए पर्याप्त भूमिगत पानी है। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य स्थिति है। भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में तेजी से रेत जमा हो रहा है जो कि हावड़ा पुल तक पहुंच गया है। इन परिथितियों में फरक्का समस्या कब तक सुलझ पायेगी यह किसी को नहीं मालूम।

अतः अन्तरिम उपायों के रूप में रूपनारायण नदी को, जो हल्दिया के निकट हुगली में गिरती है, गहरा और संकीर्ण किया जा सकता है जिसे कुछ हद तक रेत साफ हो सकती है।

इस पूरे प्रश्न पर पूर्ण चर्चा की आवश्यकता है। अतः मैं इस बात पर जोर देता हूं कि उपरोक्त विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाये।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आवंला) : मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में सरकार बराबर टालमटोल कर रही है और इस आयोग के उद्देश्य को समाप्त करना चाहती है। पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी उत्सुकता से इस मंडल कमीशन पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर

रहे हैं इसलिये इस आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिये आगामी सप्ताह में सदन में चर्चा के लिये कार्यवाही में सम्मिलित किया जाये ।

देश में बेरोजगारी बराबर बढ़ती जा रही है । करोड़ों पढ़े एवं अशिक्षित लोग बेरोजगार हैं और काम की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं । हमें इस बेरोजगारी की समस्या पर आगामी सप्ताह संसद में चर्चा करनी चाहिये ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं चाहता हूं कि निम्नलिखित दो मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाये :

(1) **असम में अद्यतन स्थिति :**

नए क्षेत्रों में हिंसा फैल गई है जिसके कारण सब लोग भयभीत और चिन्तित हैं । लोगों ने सुरक्षित स्थानों और राहत की खोज में अपने गांव छोड़ने शुरु कर दिए हैं । असम से लगभग 6000 शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आ गए हैं । अधिक चिंता का विषय यह है कि करीब 50,000 और शरणार्थी विभिन्न रेल मुहानों पर रह रहें हैं और पश्चिम बंगाल जाने का इन्तजार कर रहें हैं ।

कुछ दूसरे, देश विशेषकर, साऊदी अरब इन्डोनेसिया और अन्य देशों ने असम की घटनाओं के संबंध में कुछ विचार व्यक्त किए हैं जिससे विश्व पर गलत प्रभाव पड़ा है । कृपया अगले सप्ताह असम की अद्यतन स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य दिया जाये ।

2. **पंजाब की स्थिति**

पंजाब समस्या का समाधान करने के लिए लम्बी बातचीत हुई है । वार्ता के परिणाम के संबंध में परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए गए हैं । अतः पंजाब की अद्यतम स्थिति के संबंध में वक्तव्य दिया जाना आवश्यक है ।

अतः सदन को पंजाब की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने के लिए अगले सप्ताह एक वक्तव्य दिया जाये ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : महोदय, मैंने उस पक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को ध्यान से सुना है । उनके द्वारा उठाए गए कुछ मामले निश्चय ही राष्ट्रीय महत्व के हैं, लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं, इस सदन की कार्य प्रणाली के अनुसार, कार्य का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति द्वारा ही किया जाता है । मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मामलें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा और यह देखने का प्रयत्न करूंगा कि उनको सत्र के कार्यकाल के दौरान कैसे मौका दिया जाएगा ।

महोदय, आसाम के संबंध में, जैसा कि आप जानते हैं, पुनः विपक्ष के नेताओं और विशेषकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पर, हमने असम की स्थिति पर चर्चा की (**व्यवधान**) ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, उसका यह अभिप्राय नहीं है कि

सदन में नवीनतम स्थिति की जानकारी न दी जाये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, चुनाव समाप्त हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी जी, आप यह मामला कार्य मंत्रणा समिति में उठा सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी नहीं, महोदय, इस संबंध में सरकार को ही वक्तव्य देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को कार्य मंत्रण समिति की अगली बैठक में उठा सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि यह मामला पूरे सदन को उत्तेजित कर रहा है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): महोदय, आपने मामले को गलत समझा है। हम यह मामला कार्य मंत्रणा समिति को नहीं भेज रहे हैं। चूंकि संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं इसलिए हम उन्हें एक रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं कि अब तक बहुत सा राहत-कार्य किया गया है और प्रधानमन्त्री कोष से भी राहत दी गई है। सेना भेजी गई है क्या इस सबका और क्या दी गई राहत सामग्री का उचित उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं ; इस पर उस समय तक प्रतिदिन संक्षेप में एक वक्तव्य देना होगा जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। उन्हें इसे नोट करने दीजिए।

श्री बूटा सिंह : महोदय, मैंने अपनी बात यह कहते हुए आरंभ की है कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है और मैं उनके विचार संबंधित मंत्रियों तक पहुंचा दूंगा लेकिन इन मुद्दों को कार्य सूची में सम्मिलित करने के संबंध में समारे समक्ष एकमात्र कार्य मंत्रणा समिति ही है और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की बात पर सहमति दी थी कि जो कुछ भी चर्चा में शामिल किया जाना है उस पर स्वयं नेताओं द्वारा अथवा कार्य मंत्रणा समिति में ही इसकी चर्चा की जा सकती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने यहां चर्चा नहीं की है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

श्री बूटासिंह : माननीय मित्रों विशेषकर प्रो० मधु दंडवते और श्री वाजपेयी द्वारा जिन बातों का उल्लेख किया गया है, मैंने उन पर ध्यान दिया है। मैं संबंधित मन्त्रियो से इस बारे में बात करुंगा और देखूंगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विदेशों में भारत-विरोधी प्रचार किया जा रहा है और सरकार विश्व को इससे अवगत नहीं करा पायी है कि असम में क्या हो रहा है

भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बनातवाला के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं कि उन्होंने कल सारी बातें कह दी थीं और अब वहा इसपर केवल दो-तीन मिनट ही बोलेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : कल मैं सदन से बाहर चला गया था। प्रेस ने इस बारे में नहीं लिखा है कि मैं भी सदन से बाहर चला गया था।

एक माननीय सदस्य : घबराइये नहीं, वह इसका उल्लेख आज कर देंगें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सदन छोड़कर चले गए थे तो यह मेरी गलती नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 की उपधारा (5) के अनुसरण में, भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 को, जो 21 फरवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 93 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 24 फरवदी, 1983 को सभापटल पर रखे गए थे, रद्द किया जाये।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो"

पहले मैं अध्यक्ष महोदय और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें वित्तीय बजट को मुख्य बजट से अलग करने की निन्दनीय प्रथा पर चर्चा करने का प्रथम अवसर सदन को दिया। यह सचमुच आपकी सहृयता है, कि आपने संसदीय लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए इस सदन को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर चर्चा करने का अवसर दिया है। शुद्धि के अध्याधीन, मैं समझता हूं संसदीय परंपरा में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के प्रस्ताव पर इतनी शीघ्र चर्चा की जा रही है; संभवतः इससे पहले कभी ऐसा नही हुआ। लेकिन यह सच है, क्योंकि डाक-तार और दूर-संचार के शुल्कों में की गई वृद्धि 1 मार्च 1983 से ही आरंभ हो जायेगीं। इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने संसदीय प्रक्रिया, उसकी गरिमा और महत्व को बनाए रखा है। लेकिन यह बहुत ही चिंता की बात है कि सरकार संसदीय लोकतंत्र और उसकी प्रक्रिया का उतना सम्मान नहीं करती।

मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट प्रस्तुत किये जाने से पूर्व अधिसूचना जारी करना टैरिफ मैं संशोधन करने के प्रस्तावों को केन्द्र के बजट से अलग करना संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से एक निन्दनीय प्रथा है। मुझे यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि यह हमारे संसदीय लोकतंत्र को पतन की ओर ले जाने से कम नहीं है। मैं तो कहूंगा कि यह हमारी संसदीय प्रक्रिया पर कुठारा घात है।

हम सरकार द्वारा कानून को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रस्ताव पेश करने और शुल्कों में

वृद्धि करने को सरकार के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं । उस अधिकार को चुनौती नहीं धी दी जा रही है। हम यह कह रहे हैं कि इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए घोषणा पहले सदन में जानी चाहिये थी और उसके बाद ही अधिसूचना जारी करनी चाहिये थी । केवल इतना ही नहीं, स्थिति इतनी नाजुक इसलिए है कि संसद का सत्र चालू होने के बावजूद अधिसूचना जारी करके बाहर इसकी घोषणा कर दी गई है और जारी किए जाने के दूसरे या तीसरे दिन दिनांक 21 फरवरी की यह अधिसूचना सभापटल पररर खी जा रही है। स्थिति इसलिए और गंभीर है , क्योंकि यह बजट सत्र है ।

कुछ ही दिनों में बजट प्रस्तुत किया जायेगा और इन प्रस्तावों को बजट में ही रखा जाना चाहिए था । जैसा कि मैंने कहा है कि टैरिफ में संशोधन को बजट से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि एक गलत परंपरा है ।

इसके अतिरिक्त ये प्रस्ताव पहली मार्च से ही प्रभावी होंगे । अतः इन प्रस्तावों को बजट में रखना बिल्कुल संम्भव था । इसके अलावा ऐसी बाध्यकारी परिस्थितियों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है जिनकी वजह से मंत्री को मर्यादा का इतना गम्भीरता से भंग करने के लिए बाध्य होना पड़ा हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना चाहिए कि सरकार की अनौचित्य के बारे धारणा राजनैतिक कार्यसाधकता की बातों पर आधारित है । कल हमारे सामने रेल बजट प्रस्तुत किया गया था । उसके बाद रेल बजट के प्रस्तावों का स्पष्टीकरण देने के लिए प्रेस सम्मेलन बुलाया गया । प्रैस ने कुछ सीधे सादे स्पष्टीकरण मांगे । सरकार ने अपने आपको बड़ी परेशानी की स्थिति में महसूस किया और माननीय रेल मंत्री ने बस यही कहा कि मैं संसद से बाहर कुछ नहीं कह सकता । हम इन भावनाओं का बहुत अधिक सम्मान करते हैं । हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री श्री वी० एन० गाडगिल जिनका मैं बहुत अधिक सम्मान करता हूं औचित्य और अनौचित्य की भावना पर उतना ही ध्यान दें । इसलिए मेरी पहली आपत्ति और बहुत ही भारी आपत्ति इस अनौचित्य पर, प्रस्तावों को बजट से अलग किये जाने के घृणित अपराध पर है । मेरी आपत्ति संसदीय प्रजातंत्र पर किये गये आक्रमण से सम्बन्धित है । महोदय, बजट के आये बिना ही हमने लगभग बजट चर्चा प्रारम्भ कर दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस प्रक्रिया के अलावा कोई नई प्रक्रिया का सुझाब दे रहे हैं

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने ऐसा ही कहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :इसकी घोषणा बजट में की जानी चाहिए । क्या आप यही कहना चाहते हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : किश्तों में कटाधान नहीं होना चाहिए ।

श्री जी० एम० बनातवाला : हमने 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के

लिए डाकतार तथा टेलीफोन प्रशुल्क में वृद्धि की है इस 70 करोड़ रुपयों में से 10.5 करोड़ रुपये डाक राजस्व से आयेगा और 59.5 करोड़ रुपये दूर-संचार सेवाओं से आयेगा। महोदय, मुझे कहना चाहिए कि डाक और तार की दरों में वृद्धि तथा दूर-संचार सेवाओं में वृद्धि करना वर्तमान स्थिति में पूर्णतया टाला जा सकता था। ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं थी जिनसे इतनी अधिक वृद्धि करना आश्यक हो गया हो।

हमें स्थिति पर विचार करना चाहिए। हमें बतलाया गया है कि वर्ष 1982-83 के दौरान कुल राजस्व 1,358 करोड़ रुपये था। कुल खर्च 1103 करोड़ रुपये था। इस प्रकार वर्ष 1982-83 में 255 करोड़ रु० का राजस्व अधिशेष रहा। माननीय मंत्री ने इस विशेष परिस्थिति के बावजूद भी इतनी अधिक वृद्धि करना उचित समझा।

जहाँ तक वित्तीय परिव्यय का सम्बन्ध है योजना आयोग ने 1983-84 में डाक सेवाओं के विस्तार के लिए 36 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन दिया।

ये सही तथ्य है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे ऊपर भार बढ़ रहा है जैसा कि कल घोषित पैट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि और रेल भाड़ों में हुई भारी वृद्धि से स्पष्ट है। यह ऐसी स्थिति थी जहाँ पर सरकार को धैर्य से काम लेना चाहिए था और कोई अन्य उपाय अपनाने चाहिए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने तोअभी शुरू ही किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव डाक तार अधिनियम के सम्बन्ध में है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने उससे अलग कुछ नहीं कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन सब बातों को बजट भाषण के लिए सुरक्षित रखें।

श्री जी० एम० बनातवाला : उन्होंने अपने प्रस्तावों को सुरक्षित नहीं रखा। मैं क्या करूँ ?

श्री चित्त बसु : (बारसाट) : यह बजट पूर्व भाषण है और यह आपका पूर्व बजट है।

श्री जी० एम० बनातवाला : फिलहाल यह वृद्धि टाली जा सकती थी। हमें बतलाया गया है और कुछ दावे किये गये हैं कि परिचालन लागत में वृद्धि हो गई है सभा को इस सम्बन्ध में विश्वास में नहीं लिया गया कि कितनी वृद्धि हुई है। नहीं हमें यह बतलाया गया कि क्या सरकार ने दूसरे उपायों को अपनाने के बारे में सोचा था प्रशुल्कों में वृद्धि करना बहुत ही समान्य तथा आसान है। हमें बतलाया गया है कि उद्योगों के किसी भी कार्य व्यापार की लागत से कोई खास वृद्धि नहीं होगी हम जानना चाहेंगे कि क्या उद्योग या व्यापार की लागत में इसके प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए कोई लागत विश्लेषण किया गया है। बड़े ही मनमाने ढंग से और संचार मन्त्री के नियन्त्रण से बाहर की बातों से यह वृद्धि की गई है। मुझे यह भी कहना

चाहिए कि यह वृद्धि अकार्य कुशलता पर दिया गया पुरस्कार भारत को एक विकास शील देश होने के नाते एक कुशल तथा स्थिर डाक सेवा की आवश्यकता है जबकि डाक सेवा सुस्ती तथा उपेक्षित तरीके से कार्य करने की वजह से दयनीय हालत में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिये ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं कुछ मिनट और लूंगा और समाप्त कर दूंगा कुछ उपाय जो जान बूझकर अपनाये गये हैं उनके परिणामस्वरूप यह दयनीय हालत हो गई है जैसे कि दैनिक डाक वितरण की संख्या में कमी करना रात्रि में तथा विभिन्न आर० एम० एस० अनुभागों में डाक की छटाई बन्द कर देना आदि । अतः मैंने यह कहा है कि जो वृद्धि हुई है वह अकुशलता पर दिया गया पुरस्कार है । आम आदमी तथा मध्यम वर्ग के लोगों के साथ एक क्रूर मजाक किया गया है । हमें बताया गया है कि यह वृद्धि न्यूनतम है और आम व्यक्ति या मध्यम वर्गीय वेतन भोगियों पर कोई प्रभाव नही पड़ता है । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार का आम आदमी या मध्यमवर्गीय वेतन भोगियों के बारे में क्या विचार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में कि श्री बनात वाला बजट चर्चा में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह नहीं कर सकेंगे ।

श्री जी० एम० बनातवाला : हमें की गई वृद्धि को देखना चाहिए । मनीआर्डर फार्म की कीमत 5 पैसे की बजाय 10 पैसे होगी दुगुनी वृद्धि हुई है क्या आम आदमी अपनी छोटी मोटी राशि को गाँव में अपने लोगों को मनीआर्डर द्वारा नहीं भेजता है पोस्टलआर्डर पर कमीशन 2% से 3% तक की वृद्धि कर दी गई है । तारों के मामले में, अन्तर्देशीय साधारण तार तथा एक्सप्रैस तार दोनों के मामले में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । साधारण तार के मामले में पहले 10 शब्दों के लिए दर 3रु० से बढ़ाकर 3.50 कर दी गयी है । ये तारों और मनीआर्डरों के सम्बन्ध में है ।

पोस्टल आर्डर्स को भी जो बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा अपने आवेदन पत्रों के साथ भेजे जाते हैं सरकार द्वारा नहीं छोड़ा गया । अतः मैंने बहुत ही व्यथित होकर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री भी उठकर इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामविलास पासवान ।

श्री सूरज भान : खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बोलना चाहते हैं ? उन्होंने लिखित रूप में दिया है यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं आप को बुला लूँगा ।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मैं प्रक्रिया के बारे में समझना चाहता हूं । सूची में श्री सूरजभान का नाम है आप किसी और को कैसे बुला सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप देखिये, यह उस प्रयोजन से नहीं हैं । यह प्रश्न

वे सभी ऐसे सदस्य हैं जो बोलना चाहता है चाहे उनके नाम सूची में हैं या नहीं परन्तु उन्होंने लिखित रूप में दिया हुआ है ।

श्री एन०के० शेजवलकर : उपाध्यक्ष महोदय, यदि प्रक्रिया नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव के प्रस्तावक ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

श्री एन०के० शेजवलकर : कृपया समझने की कोशिश करिए । यह प्रक्रिया नहीं है । आखिर प्रस्ताव देने का तात्पर्य है कि वह इस पर बोलना चाहते हैं । कृपया गलत प्रक्रिया मत अपनाइए मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा यदि वे पहले बोलें । परंतु कृपया इस बात का ध्यान रखिये कि कोई गलत प्रक्रिया न अपनायी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है । अन्य सदस्य यहाँ अपना नाम देते समय अपनी पार्टी के अनुसार अपना अवसर लेते है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : नाम सूची में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह ठीक नहीं है प्रस्तावक वह होता है । जो प्रस्ताव प्रस्तुत करते है । अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि दलवार अपने नाम दे सकते हैं और उसका तात्पर्य यह नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : मुझे खेद है यह सूची में दिए गये नामों के अलावा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्पष्ट कहें देता हूं । इसका अर्थ यह नहीं है कि उनको इसलिए बुलाया जायेगा कि उनके नाम उसमें हैं । सम्बन्धित पार्टियाँ अपने उन सदस्यों के नाम दे सकती हैं जो बोलना चाहते हैं ।

श्री एन० के० शेजवलकर : फिर पूर्व सूचना की किसलिएअ वश्यकता पड़ती है ? फिर तो केवल प्रस्तावक को ही सूचना देने की आवश्यकता है । भगवान के लिए कोई वित्त विनिर्णय दें जब तक···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं मैं केवल अनुसरण की जा रही प्रक्रिया के के बारे में बतला रहा हूं । प्रस्ताव श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किया गया है जब इसको प्रस्तुत किया जा चुका है तो वे सभी सदस्य प्रत्येक दल से जो बोलना चाहते हैं । बोल सकते हैं श्री चित्त वसु अपना नाम दे चुके हैं । श्री रामविलास पासवान दे चुके हैं, श्री जाकायन दे चुके हैं ।

श्री एन० के० शेजवलकर : आप उस व्यक्ति की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं जिसने पूर्व सचना दे रखी हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी पार्टी के लोगों ने कोई नाम नहीं दिए हैं यदि वह चाहते हैं तो

उनका नाम रखा जा सकता है।

श्री रसीद मसूद : (सहारनपुर) : किसी भी सदस्य को जिसका नाम सूची में है अवसर दिया जाना चाहिए जब तक की पार्टी किसी अन्य के नाम के बारे में निर्णय न ले। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मसूद, कृपया मेरी बात सुनिये, यहाँ पर इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जाता और यदि आप प्रक्रिया को बदलना चाहते हैं तो आप यह भी कर सकते हैं। परन्तु जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है। मैं केवल प्रक्रिया का पालन कर रहा हूं।

श्री रसीद मसूद : फिर पूर्व सूचना देने का क्या लाभ है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल प्रस्तावक के लिए है। मैंने यह नहीं कहा कि वह बोल नहीं सकते। प्रस्तावक उपस्थित हैं। मान लीजिए श्री बनातवाला अनुपस्थिति हैं फिर श्री सूरजभान को प्रस्तावप्रस्तुत करने के लिए बुलाया जायेगा। यदि वह भी अनुपस्थित हैं तो श्री पासवान को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जायेगा। परन्तु प्रस्ताव पर बोलना भिन्न बात है। आपको नोटिस देनी चाहिए।

श्री रसीद मसूद : तीन नाम पहले से ही दिए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है।

यह एक सांविधिक प्रस्ताव है। श्री बनातवाला ने प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया किसी भी पार्टी के किसी भी सदस्य को अनुमति दे दी जायेगी तीन चार सदस्यों ने पहले ही सूचना दे दी है कि वे प्रस्ताव पर बोलना चाहेंगे। श्री निरेटेन घोष बोलना चाहते हैं, श्री पासवान ने भी नोटिस दिया है। कि वह बोलना चाहते हैं, हम केवल उसी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। अगर आप प्रक्रिया में परिवर्तन चाहते हैं तो आप प्रक्रिया को बदल सकते

श्री एन० के० शेजवलकर : जब नाम दिये जा चुके हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुनः नाम देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए है। यदि श्री बनात बाला अनुपस्थित हैं तो श्री सूरज भान को बुलाया जायेगा और यदि वह भी अनुपस्थित हैं तो श्री वाजपेयी को बुलाया जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मेरा नाम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके नाम का उल्लेख दल का नेता होने की वजह से कर रहा हूं। यदि आप प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं और मुझे इसका अनुकरण करने के लिए कह सकते हैं। मैं ऐसा ही करूंगा।

अब, श्री सूरज भान बोलना चाहते हैं। उन्हें भी बुलाया जायेगा। श्री पासवान पहले ही

लिखित रूप में नोटिस दे चुके हैं। यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया का अनुकरण किया जा रहा है। मैंने कार्यालय से इसका पता किया है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब कल प्रिविलेज मोशन मंत्री जी के खिलाफ दिया था, तो चेअर के द्वारा उसको अस्वीकृत कर दिया गया। चैअर की जो रूलिंग है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन क्यों मैंने प्रिविलेज मोशन मूव किया था, उसके सम्बन्ध में मैं दो तीन बातें अर्ज करना चाहूंगा।

आपको पता होगा कि स्पीकर महोदय ने बार-बार इसी सदन में रूलिंग दी है कि जब कोई बजट का सेशन हो, तो उस के पहले चीजों के दामों को बढ़ाया जाय और अगर ऐसा किया जाता है, तो वह इमप्रोप्रायटी है, अनुचित और अनैतिक कार्य है और अमर्यादित कार्य वह हो जाता है। इसके बावजूद इसी बात को दोहराया जाता है। इसलिए मैंने प्रिविलेज का मोशन दिया था। उस मोशन का ड्राफ्ट इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने उसमें जान-बूझ कर शब्दों का प्रयोग किया है। अगर जान-बूझ कर ऐसा किया जाता है, तो फिर वह अमर्यादित बात है और वह प्रिविलेज का प्रश्न बनता है यदि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : इन रेट्स को बढ़ाने का मंत्री जी का कानूनी अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास, आपने अपना नाम यहाँ नहीं दिया है।

श्री रामविलास पासवान : वह युवा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैं यह कह रहा था कि जान-बूझ कर ऐसा किया गया है। पार्लियामेंट का सेशन शुरू है। दो दिन पहले चैअर द्वारा यह कहा जाता है कि यह अमर्यादित चीज है, अनैतिक है और फिर उसी बात को सरकार दोहराती है, तो यह ठीक नहीं किया गया है। 21 तारीख को नोटीफिकेशन होता है और पार्लियामेंट का सेशन 18 तारीख को शुरू हुआ था। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट की मर्यादा को मंत्री जी ने तोड़ा है और सरकार पार्लियामेंट की सैंक्टीटी को खत्म करना चाहती है और इसलिए मैंने यह कहा है कि निश्चित रूप से यह प्रविलेज का प्रश्न बनता है।

आपकी तरफ से यह रूलिंग है कि सरकार के अधिकार की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अधिकार एक अलग चीज है लेकिन उस अधिकार को मर्यादित ढंग से पालन करना और परम्परा को निभाना भी बहुत जरूरी है।

गाडगिल साहब हमारे अच्छे मित्र हैं और जितने भी मिनिस्टर हैं उनमें किसी से भी उनकी मर्यादा कम नहीं है। इसलिए उनको इस सदन की मर्यादा का पालन करते हुए अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आपने 70 करोड़ रुपये बढ़ा दिये हैं। मैं डिप्टी स्पीकर साहब, कौल और शकधर की किताब से आपके सामने कोट करना चाहता हूं - उनकी किताब संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार के पेज 594 में कहा गया है कि- वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट भी कहा जाता है, दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है अर्थात् रेलवे बजट, जो कि रेलवे वित्त के सम्बन्ध में होता है और सामान्य बजट, जिसमें, रेलों को छोड़, भारत सरकार की वित्तीय स्थिति का समूचा चित्र दिया जाता है।

इसमें बजट को दो भागों में बांट दिया गया है। रेलवे का बजट पेश किया जाएगा और दूसरा अद देनर रेलवे बजट। आपने यहां कह दिया कि यह सरकार के अधिकार की बात है। सरकार ने पोस्टल का, टेलीग्राम का रेट बढ़ा दिया है। कल को फाइनेंस मिनिस्टर आयेंगे, वह कहेंगे कि मैं बजट के बजाए, अलग से एक्साइट ड्यूटी बढ़ाऊंगा। इस तरह से सरकार एडहाक ढंग से यह बढ़ा रही है। इसका मतलब हुआ कि बजट नाम की कोई चीज ही नहीं रही। कल को आप कह सकते हैं कि मैं बजट पेश नहीं करूंगा, प्रत्येक चीज अलग-अलग तरह से रखूंगा।

ये सारी चीजें जो एडहाक चल रही है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। आप डाक तार को अलग कर रहे हैं, रेलवे को आपने अलग रखा हुआ ही है। इससे कैसे काम चलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बजट में डिस्कशन के लिए आपकी डिमाण्ड्स आती हैं, जब आपकी डिमाण्ड्स आयेंगी तो उस समय हम आपकी कैसे मदद करेंगे ? जब संचार मंत्रालय की डिमाण्ड्स आयेंगी तो हम कैसे आपकी मदद देंगे ? डिमाण्ड्स में यह सामने आता है कि आपके मंत्रालय के अन्तर्गत इस-इस क्षेत्र में इतना-इतना खर्च किया जाएगा। मंत्रालयों के डिमाण्ड्स के समय एक-एक इशू पर कट मोशंस आते हैं और उनमें कहा जाता है कि सरकार इस पर इतना पैसा खर्च नहीं करे। आपने बाहर से ही 70 करोड़ रुपया बढ़ा कर इन चीजों को बहस में आने से रोका है। जब बहस चलेगी तो हम आपकी क्या मदद करेंगे ? यह तो आपका पूरा का पूरा बजट ही हो गया।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो बजट अधिवेशन होता है, उसमें बजट पेश करने के बाद सरकार की इकोनोमी की, देश की इकोनोमी की एक ओवरआल पिक्चर सामने आती है कितने हमारे पास रिसोर्सिज हैं कितना पैसा है और कितना खर्च करना है। आप उसको अब अलग-अलग मुद्दे में बांटना चाहते है।

मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा 2 बजे के बाद उठाया जा सकता है।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2 बजकर 9 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। अनुच्छेद 112 (1) में कहा गया है—

"प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक वित्त-विवरण" नाम से निर्दिष्ट किया गया है।"

वार्षिक वित्तीय विवरण के परिभाषा के अनुसार यह सरकार का बजट है अन्य शब्दों में

यह विशेष अनुच्छेद बजट के प्रस्तुतीकरण का उल्लेख करता है। प्रथम जिस मुद्दे पर मैं आपका विनिर्णय लेना चाहता हूं वह यह है कि क्या सरकार द्वारा कल भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत नियम के संशोधन के रूप में सभा पटल पर रखी गई अधिसूचना अनुच्छेद 112 में ही आती है। दूसरे शब्दों में क्या भारतीय तार अधिनियम के संशोधन के परिणाम स्वरूप अब जो ये शुल्क लगाए जा रहे हैं वे अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत आते हैं ? क्या अब जो धन प्राप्त होगा वह अनुच्छेद 112 में बताई गई स्थिति के फलस्वरूप सरकार को प्राप्त 'प्राप्ततियों का विवरण' का अंग होगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नियम है कोई भी व्यक्ति इसमें भिन्नता पैदा करने का प्रयत्न कर सकता है और कह सकता है कि भारतीय तार अधिनियम है और यह सरकार को इसकी अनुमति है, सरकार को किसी भी समय मूल्यों में वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वह टेलिफोन शुल्क हो अथवा डाक-तार शुल्क या रेलवे प्रभार हो। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है। हमारे पास लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियम हैं और मैं आपका ध्यान नियम 204 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो अनुच्छेद 112 की ही व्याख्या करता है।

इसमें कहा गया है :

अध्याय 19 वित्तीय कार्य

अध्याय का शीर्षक है — 'बजट'

मैं उद्धृत करता हूं

204 (1) "प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण (जिसे इसके पश्चात् "आय-व्ययक" कहा गया है। सभा में ऐसे दिन उपस्थित किया जायेगा जैसा कि राष्ट्रपति निदेश दें।"

अन्य शब्दों में, यह नियम जो इस अनुच्छेद विशेष अर्थात् अनुच्छेद 112 की ही व्याख्या है बहुत स्पष्ट है इसमें कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण सभा में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि राष्ट्रपति निदेश दें। अब यदि वे शुल्क जिसका इस संशोधन के अधीन लगाने का प्रस्ताव किया गया है, आय तथा व्यय के वार्षिक विवरण (जो संविधान के अनुसार इस सरकार द्वारा सभा में एक दिन उपस्थित किया जाता है) का अंग है तो नियम 204 में कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में ऐसे दिन उपस्थित किया जायेगा जैसा कि राष्ट्रपति निदेश दें।

क्या अब सरकार ने राष्ट्रपति से इस विशेष मद को पृथक बजट के रूप में पेश करने की स्वीकृति ली है ? मैं समझ सकता हूं कि सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य नियम 213 का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि बजट कई भागों में प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं उद्धत करता हूं :—

"इससे पहले अन्तर्विष्ट किसी नियम को सभा में आय-व्ययक के दो या अधिक भागों में उपस्थित किये जाने से रोकने वाला नहीं समझा जायेगा और जब ऐसा उपस्थापन हो तो प्रत्येक भाग पर कार्यवाही की जायेगी जैसे कि वह आय-व्ययक हो।"

महोदय, मैं पुनः आपका विनिर्णय लेना चाहता हूं कि क्या यह बजट का भागों में पेश किया जाना है, जैसा कि नियम 213 में व्यवस्था है जहाँ तक डाक-तार का संबंध है क्या सरकार वह भी हमारे समक्ष पृथक बजट प्रस्तुत करने जा रही है और जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है एक अलग बजट प्रस्तुत करने जा रही है वास्तव में जो भी अवशिष्ट विषय है। क्या उनके लिए अलग बजट प्रस्तुत किया जायेगा ? मैं इस प्रश्न पर आपका विनिर्णय चाहता हूं।

महोदय, इस प्रश्न को उठाते हुए एक मुद्दा उठाया जा सकता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है जो सरकार को अलग-अलग समय पर विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अलग-अलग शुल्क के लिए संसद में आने से रोकता हो। यह परंपरा का मामला है और परंपराएं बनाई जाती हैं। परंपराए सांविधानिक उपलब्ध नहीं हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जहां तक रेल बजट का सम्बन्ध है संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि रेलवे बजट पृथक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। मुझे विश्वास है, मंत्री महोदय, जो हर एक उस बात के बारे में जिसे सभा पवित्र मानती है, विश्वास-भंग के न्यायोचित मानने का प्रयत्न करेंगे रेल बजट का सहारा ले सकते हैं और कह सकते है कि संविधान में रेल बजट के बारे में कहाँ कहा गया है क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण में रेलवे के आय और व्यय का भी विवरण होता है फिर भी जब कि बजट इस महीने की 28 तारीख को प्रस्तुत किया जा रहा है, रेल बजट 24 तारीख को प्रस्तुत किया गया था।

मैं अब कौल और शकधर पुस्तक का उल्लेख करूंगा। कृपया कौल और शकधर की संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार को देखिए। मैं 29 वे अध्याय के पहले दो पैराग्राफ पढ़ूंगा।

> "प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण" या प्राक्कलित आय तथा व्यय का विवरण रखवाता है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है और यह दो भागों में रखा जाता है अर्थात् रेल बजट, जो कि रेलवे वित्त के संबंध में होता है और सामान्य बजट, जिसमें, रेलों को छोड़ कर भारत सरकार की वित्तीय स्थिति का समूचा चित्र दिया जाता है।

हर व्यक्ति बड़ी आसानी से तर्क देकर कह सकता है कि यह परंपरा का मामला है। मेरा निवेदन यह है कि यह परंपरा का मामला नहीं है। यदि आप अगला पैराग्राफ देखें तो आपको उन परिस्थितियों का पता चलेगा जिसके अन्तर्गत 'पृथककरण अभिसमय' स्वीकार किया गया।

> "रेलवे वित्त को सामान्य वित्त से अलग करने की सिफारिश सबसे पहले 1920-21 में की गयी और इस पृथककरण अभिसमय को केन्द्रीय विधानसभा ने 20-9-1924 को एक संकल्प के माध्यम को स्वीकार किया। इस पृथककरण का मूल उद्देश्य यह था कि रेलवे राजस्व से निश्चत रूप में सामान्य राजस्व को अंशदान दिये जावे की व्यवस्था करके प्राक्कलनों में स्थायित्व लाया जाये और रेलवे वित्त के प्रशासन में नम्यता लाई जाये।"

अतः महोदय, यदि रेलवे बजट को प्रथक रूप से प्रस्तुत करने को यह परंपरा है, तब रेलवे

बजट का समान्य बजट से प्रथककरण केन्द्रीय विधान सभा के प्रस्ताव के आधार पर है। अन्य शब्दों में, इसकी कुछ संवैधनिक प्रष्ठ भूमि है और इसीलिए यह मात्र प्रथा का ही मामला नहीं है बल्कि इसे काफी सोच विचार के बाद ही तत्कालीन विधान सभा ने इसे स्वीकार करने का निर्णय लिया था। अतः मैं इस भाग (1) पर निर्णय चाहता हूं कि जिन शुल्कों को मंत्री महोदय पहली मार्च से अप्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य तरीके से लगाना चाहते हैं, जैसे कि श्री बनातवाला ने भी कहा है; उन्हें कैसे लागू किया गया है। (2) क्या शुल्क भारत सरकार के वित्तीय विवरण तथा भारत सरकार के आय तथा व्यय का भाग है और (3) यदि हां, तो क्या ये शुल्क बजट के अंग हैं क्योंकि बजट भी ऐसा ही कहता है? अब क्या मंत्री महोदय की कार्यवाही नियम 214 अथवा 213 के अन्तर्गत है? क्या यही समूचा बजट है? मैं अनुरोध करता हूं कि आप इन तीन प्रश्नों पर अपना ठोस निर्णय देंगे।

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मेरा संक्षिप्त उत्तर यह है कि आप भारतीय डाकघर अधिनियम की प्रथम अनुसूची को देखें। इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन यह प्रावधान है कि इस अनुसूची को यदि संशोधित करना हो तो इसका संशोधन, एक ऐसे संशोधन द्वारा किया जा सकता है, जो वित्त विधेयक का भाग होगा और यह कहना उचित ही होगा कि केवल इसी भाग को बजट का भाग कहा जा सकता है। जिस अधिसूचना पर हम अभी चर्चा कर रहे है, वह किसी भी प्रकार इन मदों से सम्बन्धित नहीं है और इसीलिए वे वित्त विधेयक के अंग नहीं है।

दूसरे, माननीय सदस्यों ने कहा है कि क्या यह प्रक्रिया का एक भाग है। अब आप तकनीकी दृष्टि से कह सकते है कि इस साधान से भारत सरकार को जो कुछ मिलता है, वह प्राप्तियां ही हैं मेरे तर्कों की प्रत्याशा में उन्होंने स्वयं कहा है कि संविधान में पृथक रेल बजट की व्यवस्था नहीं है; संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्तीय विवरण के बारे में कहा गया हैं कुछ और नहीं। इसमें किसी विशेष विभाग के व्यय तथा आयके बारे में कुछ नहीं कहा गया है और किसी भी प्रकार उस पर किसी भी तरह रोका नहीं गया है। अतः संविधान के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की रोक नहीं है।

अंत में यह मानते हुये कि उन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक है अथवा गलत है यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी संवैधानिक प्रावधन का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, जिसका यहां निर्णय नहीं हो सकता, उसके लिये कोई अन्य मंच है, क्या किसी संवेधानिक प्रावधान का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, इसके लिए उचित प्रावधान है; इसका निर्णय न्यायलय ही कर सकता है, इस मुद्दो को बार-बार इस सभा में उठाया गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि उनके व्यवस्था के प्रश्न में कोई सार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : भारतीय तार अधिनियम को धारा 7 में कहा गया है :-

"सरकार का इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्तियों द्वारा स्थापित रखरखाव किये गए या क्रियागत उन सब या किन्हीं तार यंत्रों से संचालन के लिए नियम, जो कि इस अधिनियम से संगत ही केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राजकीय राजपथ में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और उपरोक्त प्रावधानों संविधेक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए मन्त्री महोदय ने इसे पहले सभापटल पर भी रख दिया है।

फिर धारा 7, उपखंड 5 में कहा गया है :

"इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर जब उसका सत्र कुल 30 दिन की अवधि का हो रखा जायेगा । (जो एक सत्र में हो अथवा दो में अथवा बाद के अधिक सत्रों में और यदि सत्र समाप्त हो गया हो तो सत्र के तुरन्त बाद के सत्र में या आने वाले सत्रों में यदि दोनों सदन नियम में संशोधन के लिए सत्रों सहमत होते हैं अथवा दोनों सदन सहमत होते हैं कि नियम न बनाये जायें, तो नियम केवल उस प्रकार के संशोधित रूप में लागू होंगे अथवा लागू नहीं होंगे, जैसी भी स्थिति हो, फिर भी उस प्रकार का संशोधन अथवा उसका रद्द किया जाना उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रभाव डाले बिना होगा"।

अतः मैं, समझता हूं कि सरकार ने संविधिक दायित्वों को पूरा कर दिया है और सभा को भी इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिल गया है ···

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : और उन्हें मर्यादा भंग करने का अवसर मिला

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्वीकार नहीं करता । अतः मैं यही निर्णय देता हूं कि जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है वह अनावश्यक है ।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : हम वास्तव में केवल भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना जी० एफ० आर० 93 (ई) पर चर्चा कर रहे हैं । न कि भारतीय डाक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना पर चर्चा कर रहे हैं । उस पर आज विचार नहीं हो रहा है ।

श्री सूरज भान (अम्बाला) मैंने इसका नोटिस भी दिया है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13 वां) की धारा 7, उपखंड (5) का हवाला देता हूं । मुझे आशा है कि आपके पास उसकी प्रति होगी । इसमें कहा गया है ।

"इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम ···"

ये दावा करते हैं कि उन्होंने इसे इस धारा के अन्तर्गत बनाया है । ···बनाये जाने के तुरन्त बाद, संसद की प्रत्येक सभा के पटल पर रखा जायेगा, जब भी हम कुल 30 दिनों के सत्र में हो यह बात स्पष्ट किया गया है ।

"···जो एक सत्र में हो अथवा दो में अथवा बाद के अधिक सत्रों में और यदि सत्र समाप्त हो गया हो तो तुरन्त बाद के आगमी सत्र में या आने वाले बाद के सत्रों में, यदि दोनों सदन नियम में संशोधन के लिये सहमत होते हैं अथवा दोनों सदन सहमत होते हैंकि नियम न बनाये जायें"··· यहां तीस दिनों का समय दिया गया है । इसमें

यह व्यवस्था है कि नियम 30 दिनों केबाद में नोट करें कि यह पहली मार्च, 1983 से प्रभावी होगा।"

यदि इस अधिसूचना को पहली मार्च से लागू करना है, तब इस प्रावधान का कोई महत्व नहीं रह जता है। तीस दिन की अवधि का कोई महत्व नहीं होता है। यह अधिनियम के उद्देश्य के भी विपरीत है। अतः तीस दिन की अवधि को समाप्त होने दीजिए और इस अधिनियम को 30 दिनों की अवधि के पश्चात् ही किसी तिथि से लागू किया जाना चाहिए। जहाँ तक संवैधानिक औचित्य अथवा अन्य बातों का सम्बन्ध है, उसके बारे में बोलने के लिए मेरे अन्य मित्र मौजूद हैं; और वे पहले बोल चुके हैं तथा पीठासीन अधिकारी ने भी यह टिप्पणी की है — क्या अधिकार उपयुक्त हैं, क्या की गई सेवा सही है अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अपका मुद्दा यह है कि 30 दिन के अन्दर-अन्दर इसको सभापटल पर क्यों रखा गया था ?

श्री एन० के० शेन्वलकर : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय :क्या आपके कहने का यह तात्पर्य है कि इसको 30 दिनों के पश्चात् लागू किया जाना चाहिए ?

श्री एन० के० शेजवलकर : जी हां, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। सदन को इसकी पुष्टि करने अथवा यह जो भी कुछ है, उस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता है। क्योंकि सरकार को शक्ति के प्रत्यायोजन का अधिकार प्राप्त है इसलिए उन सभी को अभि-युष्टि के लिये सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए। मतलब यह है कि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी प्राधिकरणों द्वारा जो नियम बनाये जा रहे हैं, उन पर संसद को उनके पक्ष अथवा विपक्ष में अपना विचार-व्यक्त करने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए अतः यह बात स्वयं सिद्धान्त के विरुद्ध है। 30 दिनों से पूर्व किसी तिथि को लागू करना सिद्धान्त के खिलाफ है, जैसा कि धारा 7 (5) के उपबन्धों के अन्तर्गत बताया गया है। अतः मेरा यह निवेदन है कि ये नियमों के विरुद्ध है।

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, मैं दोबारा यह कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था केप्रश्न में कोई खास बात नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था है कि प्रत्येक नियम जो इस धारा के अन्तर्गत बनाया जाये उसे यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रखा जाये, जब सत्र चल रहा हो तो इसको 30 दिन के अन्दर-अन्दर रखना होता है और यदि सत्र की अवधि समाप्त होने से पूर्व दोनों सदन संशोधन करने के लिए सहमत हो जायें तो वे ऐसा कर सकते हैं। अतः इसके लिये तीस दिन की अवधि का प्रावधान है। यदि इस पर विचार-विमर्श 31 मार्च के पश्चात् किया जाता तो मैं इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर सकता था। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कुछ बात महत्वपूर्ण हैं। लेकिन 1 मार्च से पूर्व सदन को संशोधन करने स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अवसर प्रदान किया गया है : अतः इसका यही तात्पर्य है। मैं यह दावा नहीं करता कि मुझे बहुत अधिक जानकारी हासिल है, लेकिन मैं अपने मित्र श्री शेजवल्कर को यह सूचित करना चाहता हूं कि मैं भी राज्य सभा के अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का दो वर्ष तक अध्यक्ष रह

चुका हूं और मुझे अधीनस्थ विधान की अपेक्षाओं की जानकारी प्राप्त है। सारा अभिप्राय यह है कि अधिकतम समय दिया जाये। इसीलिए इसमें विभिन्न सत्रों के बारे में कहा गया है। यही उद्देश्य है। अतः उसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री एन० के० शेजवलकर : दूसरी अधिसूचना जी. एस. आर 92 के सम्बन्ध में मैं क्या यह समझूं कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न ठीक है ? क्या मैं ऐसा मानूं क्योंकि इस पर चर्चा करने का अभी तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है ? यदि मैं उनकी बात को सही समझा हूं, तो क्या यह मान लिया जाये कि ...

(व्यवधान)

श्री वी० एन० गाडगिल : यह कोई तर्क नहीं है।

श्री एन० के० गाडगिल : अतः मैंने इस ओर ध्यान दिलाया है कि अन्य प्रचार के बहुत से मामले मौजूद हैं। मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि यदि उदाहरण के तौर पर प्रस्ताव को आज वापस ले लिया जाता है, तो क्या स्थिति होगी ? उन्होंने विलोपन के लिए प्रस्ताव दिया है। यदि इसको वापस ले लिया जाता है, तो क्या इसका यह तात्पर्य है कि इसे अमान्य समझा जायेगा ?

श्री वी० एन० गाडगिल : यह कोई तर्क नहीं है, फिर कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

श्री एन० के० शेजवलकर : यदि कोई प्रस्ताव नहीं है, तो ऐसी स्थिति मे अधिसूचना पर यह बात लागू होती है जिसका मैंने नम्र निवेदन किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके सन्दर्भ में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : शेजबल्कर साहब से ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नहीं महोदय, मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी मुझे अवगत करायें। महोदय मंत्री जी ने यह कहा है कि इसके लिए 30 दिन के नोटिस की आवश्यकता है और हम लोग जनता के प्रतिनिधियों के रूप में यहां पर मौजूद हैं, और चर्चा की जा रही है। उन्होंने यह कहा है कि इसका महत्व यह है कि इस विषय पर सदन में चर्चा की जाये। महोदय, सदन वाद-विवाद करने की एक सोसायटी नहीं है। यह एक विधायी निकाय है। मान लीजिये सदन इसको अस्वीकृत कर देता है और इन निर्णय पर पहुंचता है कि इन अधिकारों को नहीं लगाया जायेगा दूसरे शब्दों में इस सदन में एक संकल्प है जिस पर इस समय चर्चा की जा रही है और इस संकल्प को स्वीकार कर लिया जाता है। थोड़ी देर के लिये हम यह मान लेते हैं कि अध्यक्ष महोदय यह निर्णय करते हैं कि इस विषय पर आज ही चर्चा की जायेगी। इसके अलावा आप यह भी मान लीजिये कि इस विषय को आज के बजाय अगले महीने की 2 अथवा 3 तारीख को लिया जाता है। उस समय तक आपका यह अधिकार लागू हो जायेगा। नया महसूल कर लागू कर दिया जायेगा तथा डाक अधिकारों में वृद्धि हो जायेगी और यदि 30 दिन की अवधि के अन्तर्गत संसद में एक ऐसे संकल्प को स्वीकार करने की बात होती जिसमें यह कहा हुआ होता कि "हम इससे सहमत नहीं

हैं और हम यह चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले" तब क्या होगा ? क्या इस देश की जनता को सरकार की असावधानी तथा औचित्य का उल्लंघन करने के कारण हानि उठानी पड़ेगी ? क्या इसी बात की आशा की जाती है ? क्या इस नियम की यही भावना है ? क्या इस नियम में ऐसा लिखा भी है ?

मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी इसको स्पष्ट करें, क्योंकि केवल इतना कह देना ही पर्याप्त नहीं है कि हमने इसको 30 दिन की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत कर दिया है और आप इस पर विचार कर सकते हैं ।—वह मुद्दा नही हैं । चर्चा के पश्चात् सदन इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि "इसको वापस लिया जाये ।" उस स्थिति में क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शेजवल्कर साहब क्या आप श्री फर्नान्डीस की बात का उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री एन० के० शेजवलकर : नहीं ।

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है मैं फिर कहता हूं कि 30 दिन का समय देने का उद्देश्य यह है कि सभा को 30 दिनांक के भीतर इसे स्वीकार संशोधन करने अथवा अस्वीकार करने का अवसर मिले वह एक कल्पनिक मामला उठा रहे हैं । मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं हैं लेकिन फिर भी मान लें कि किसी कारण-वश यह अस्वीकार हो जाये तो पहली मार्च के बाद क्या होगा ? यह कानून का एक सिद्धान्त है कि किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत किये गये किसी कार्य के बाद में यदि गल्त अथवा गैर कानूनी पाया जाये तो इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक उचित कानून के अन्तर्गत इस काम को उचित ढंग से किया गया । अत :इसमें कोई सार नहीं है ।

श्री सूरजभान : खड़े हुए —

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहते हैं ? क्या इस व्यव-वस्था के प्रश्न द्वारा आप मेरी सहायता कर रहे हैं—केवल उस पर ?

श्री सूरजभान (अम्बाला) : लेकिन मुझे बाद में भी बोलने का चांस मिलेगा । मेरा मोशत पोस्टल टेरिफ और टेलिग्राम टैरिफ दोनों के बारे में था, चूंकि बनातवाला साहब का मोशन पहले आ गया था, इसलिए वह एडमिट हो गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस व्यवस्था के प्रश्न पर नहीं । कृपया··· मैं आपकी बात बाद में सुनूगा यह उस व्यवस्था के प्रश्न के आधार पर नहीं है । मैं तार अधिनियम की धारा 5 को पढ़ता हूं :—

> "इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल तीस दिनों तक के अधिवेशन, के दौरान रखे जायें"

अधिवेशन कम से कम कुल 30 दिन की अवधि के लिए होना चाहिये और यहां जो कुछ कहा गया है, वह यह है :—

श्री सूरज भान : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे पढ़ें । "जब इसका कुल— दिनों की अवधि तक के लिये अधिवेशन हो" । अधिवेशन कुल 30 दिनों की अवधि के लिये नहीं ··· (**व्यवधान**)

श्री सूरज भान : यह एक सप्ताह के लिये हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो यह अगले अधिवेशन में होगा । आपको जानना चाहिये कि यह 30 दिन की अवधि अधिवेशन की कुल अवधि है (**व्यवधान**) यह अधिवेशन, जैसा कि आप जानते हैं, मई तक चलता है और इसे सभापटल पर रखने के लिये कोई समय सीमा नहीं है और जब इसे सभापटल पर रखा जाता है और सभा सहमत हो जाती है···(**व्यवधान**) कल मैंने विपक्ष के सदस्यों बधाई दी कि वे सतर्क हैं । उन्होंने इसे उठाया और प्रस्ताव को अनुमति दी गयी । मैं सहमत हूं लेकिन प्रश्न यह है जो कुछ सरकार ने किया, वह सांविधिक जिम्मेवारी है और मैं निर्णय देता हूं कि यह व्यवस्था के अनुसार है···(**व्यवधान**)

श्री एन० के० शेजावलकर : खड़े हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपके प्रश्न का जिक्र किया है कोई उपबन्ध नहीं है । कृपया मुझे दिखायें कि ऐसा कहां कहा गया है कि इसे 30 दिनों से पहले सभा-पटल पर रखा जाये ।

श्री एन० के शेजवलकर : मुझे खेद है कि मैं बात स्पष्ट न कर सका । मेरा व्यवस्था का प्रश्न केवल यह था । अधिसूचना में कहा गया है कि पहली मार्च से प्रभावी होगा । इसके द्वारा सभा-पटल पर रखे जाने से लेकर 30 दिन का समय नहीं बनता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा था । 30 दिन का समय इस संशोधन को सभा पटल पर रखे जाने के लिये नहीं है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : इससे संसद की धारा 7 (5) के अन्तर्गत दी गयी शक्तियां समाप्त होतीं हैं । मैं यही कह रहा हूं कि आप इस पर कोई भी निर्णय लें लेकिन मेरा व्यवस्था का प्रश्न वह है ।

श्री आचार्य भगवान देव (अजमेर) **:** उपाध्यक्ष जी, ये कल्पना के आधार पर क्यों चलते हैं ?

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : यह कल्पना नहीं है ।

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष जी, यह सारा पढ़ लिया है, हमने इनकी बात सुन ली है और यह सारी कल्पना की बात है । हाउस सर्वोपरि है । आप क्यों सदन का समय नष्ट करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर काल्पनिक ढंग से दिया है

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसके बारे में कल्पना वाली कोई बात नहीं है। यह सभा का विशेषाधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह हो सकता है। मन्त्री ने यही कहा है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : शुल्क लगने से पहले कम से कम 30 दिन का समय होना चाहिये। बात यह है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। यह 30 दिन की अवधि क्या है ? यह 30 दिन वह है जब सभा सत्र में होनी चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियमों का अध्ययन करें। क्या कोई समय अथवा अवधि इसे सभा-पटल पर रखने के लिये निश्चित है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें उन्हें संतुष्ट करना चाहिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : 30 दिन का समय किसलिये दिया गया है ? संशोधन पेश करने के लिये ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास पुस्तक पड़ी है। आप इसे स्वयं पढ़ें। इसमें कहा गया है, "जब यह कुल 30 दिनों की अवधि के लिये अधिवेशन में हो।"

श्री एन० के० शेजवलकर : किस लिये ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत स्पष्ट है। अधिवेशन 30 दिनों के लिये होना चाहिये।

श्री आचार्य भगवान देव : ये बेकार की बात कर रहे हैं और समय बरबाद कर रहे हैं। समझते ये भी हैं इस बात को।

श्री एन० के० शेजवलकर : जहां तक सभापटल पर रखने का सम्बन्ध है, यह बहुत स्पष्ट है। इसमें यह कहा गया है :—

> "इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये हर नियम को बनाये जाने के तुरन्त बाद संसद के प्रत्येक सदन में रखा जायेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर हम दोनों सहमत हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : वैसा किया जा चुका है। फिर उसमें इस प्रकार कहा गया है :—

> "जब यह कुल तीस दिनों के अधिवेशन में हो । जो एक सत्र में हो अथवा दो में अथवा बाद के अधिक सत्रों में और यदि सत्र समाप्त होने से पहले आगामी सत्र में या आने वाले बाद के सत्रों में), यदि दोनों सदन नियम में संशोधन के लिये सहमत होते हैं कि नियम न बनाये जायें तो नियम केवल इस प्रकार के संशोधित रूप में लागू होंगे अथवा लागू नहीं होंगे..."

जब प्रस्ताव को परिवर्तन के लिये पेश किया जाना हो तो उसके लिये कम समय होता है। यह 30 दिन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब प्रस्ताव पेश किया जाता है । तो उसके लिये कोई समय सीमा नहीं होती । प्रस्ताव कल पेश हुआ था ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम सभापटल पर रखा गया था । वैसा सरकार की ओर से किया गया था ।

श्री एन० के० शेजवलकर : जरूरी यह है कि ऐसे नियमों को 30 दिनों के सत्र तक चलने वाली सभा के सामने रखा जाना चाहिये ; चाहे वह एक सत्र में हो अथवा दो सत्रों में अथवा जारी रहने वाले सत्रों में । उद्देश्य यह है कि उन 30 दिनों के अन्दर प्रस्ताव के निकारण या संशोधन के लिये पेश किया जा सकता है उसे केवल उसी समय पेश किया जा सकता है । हां, बात नहीं है, इसी कारण 30 दिनों का समय निर्धारित किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, इसे केवल सभापटल पर रखा जाता है अतः इसे सभापटल पर रखा गया और सभा ने इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का कोई निर्णय नहीं लिया । चर्चा चल रही है और माननीय सदस्य श्री बनातवाला द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर बोल रहे हैं और संसद ने इसे अस्वीकार या स्वीकार करने के लिये कोई भी निर्णय नहीं लिया । अतः मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं ।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह 3 मिनट से अधिक समय न लें, क्योंकि 3-30 म० प० पर यदि मन्त्री उत्तर नहीं देंगे, तो हम अगले विषय को लेंगे । श्री पासवान ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जब से यह सरकार पावर में आई है, तबसे इसने एक मिनी बजट बनाना और पेश करना शुरू कर दिया है । एक बजट अलग होता है, अब एक समानांतर बजट तैयार होने लगा है । उसके बाद इस तरह से नये कर लगने लगे हैं । अब सरकार का यह ढंग हो गया है कि जब मन आवे, नये कर लगा दो । जब बजट आवे, उस समय यह कह दो कि हमने कोई कर लगाया ही नहीं । सरकार के द्वारा मिट्टी के तेल, डीजल और टेलीफोन का दाम बढ़ा दिया गया, डाक-तार विभाग के चीजों के दाम

बढ़ा दिये गये । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बजट के समय क्या चीज पेश करने जा रहे हैं ? मैंने बजट के सम्बन्ध में कोल-शकधर की पुस्तक से हवाला दिया था और कहा था कि बजट से हमारे कन्ट्री का एक ओवरआल पिक्चर सामने आता है । आप अब अलग-अलग इशु पर अलग-अलग बजट ला रहे हैं । इसलिये मैंने कहा कि आप एक पैरेलल बजट शुरू कर रहे हैं

आपने कहा कि ये रेट्स एक मार्च में लागू होंगे जब 28 तारीख को आपका बजट आने वाला है और आप यह रेट्स एक मार्च से लागू करना चाहते हैं तो क्या आप इसको बजट के पेश होने तक नहीं रुक सकते थे ? सबसे ज्यादा पिंच करने वाली बात यह है कि कल इन्होंने इसको जिस तरीके से रखा अध्यक्ष महोदय पीटासीन थे और उन्होंने रेल मन्त्री का नाम लिया ।

यह एजेण्डे की तीसरी आइटम था । उसके बाद एजेण्डे में एक इम्पार्टेंट आइटम थी कि 12 बजे रेलवे बजट पेश किया जाएगा । क्वेश्चन अवर के बाद स्पीकर साहब ने श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी का नाम बोला था । लेकिन सरकार ने बहुत हल्के ढंग से स्पीकर से कहा कि यह आइटम ले करने दीजिए । इसका मतलब यह हुआ कि कल को कोई सीरियस चीज पार्लियामेंट आयेगी तो उसके बारे में क्या हम सरकार पर विश्वास करेंगे ?

मैं बूटा सिंह जी से कहना चाहूंगा कि आपको पार्लियामेंटरी प्रोसीजर मालूम है और यह आपका काम है कि आप अपोजिशन को कांफिडेंस में ले कर चलें । अगर अपोजिशन को यह भरोसा हो जाएगा कि उसके साथ धोखाबाजी हो रही है तो कैसे वह आपको साथ देगी । आप जो आइटम नम्बर तीन को इस तरह से लाए इससे क्या पता लगता है ? आप सीधे-सीदे ढंग से उसको लाते । आपके पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी है ।

श्री बूटा सिंह : यह बात सही नहीं है । इससे दो दिन पहले भी यह प्रश्न उठा था और आप ही ने इस सदन में उठाया था । उस पर स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दी थी । उसके बाद मैंने मन्त्री जी से बात की थी और स्पीकर साहब की अनुमति ली थी । यह चुपके से नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि यह चुप के से हुआ ।

श्री रामविलास पासवान : स्पीकर साहब का रूलिंग मैं आपको बताता हूं—

उपाध्यक्ष महोदय : सभी पत्र सभापटल पर रखे गये और वह पत्र भी सभापटल पर रखा गया । आप ऐसा क्यों कहते हैं । यह मन्त्री महोदय से सम्बन्धित नहीं है सभी पत्र सभा पटल रखे गये और अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अनुमति दी थी ।

श्री रामविलास पासवान : आप कल की कार्यवाही वृत्तांत देखें ।

कल की प्रोसीडिंग्स में यह था कि स्पीकर साहब ने रेलवे मिनिस्टर का नाम काल किया था, उस समय सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इसे हम रखना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको समाप्त करना चाहिये । आप सामान्य चर्चा कर रहे हैं । आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं ।

श्री रामविलास पासवान : यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिये, आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी प्रस्ताव के मामले में आप केवल उस प्रस्ताव के विषय पर ही बोल सकते हैं। आपके भाषण में कई अप्रसंगिक बातें आ रहीं हैं। आपको केवल इस तरह कहना चाहिये कि यह इसका संकल्प करती है कि धारा 7 की उपधारा (5) के अनुसरण में इसका उल्लंघन कैसे हुआ है और कैसे नहीं हुआ है।

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, धोखाधाड़ी शब्द कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री राम विलास पासवान : धोखा-धड़ी अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मुझे इसे संक्षिप्त करना पड़ेगा। लगभग 8 से 9 सदस्यों ने अपने नाम दिये हैं

श्री जगीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : एक बार जब वह अध्यक्ष के निर्णय से सहमत हो गये हैं तो प्रश्न क्या है ?

श्री रामविलास पासवान : मैं प्रस्ताव पर बोल रहा हूं मैं व्यवस्था के प्रश्न पर नहीं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया समाप्त करें। आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। सामान्य बजट भी है।

श्री राम विलास पासवान : मेरा कहना यह है कि अगर सरकार दाम बढ़ाना चाहती है। तो उसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि यह परिस्थिति है और इन परिस्थतियों में हम दाम बढ़ा रहे हैं। मैं जिस लीगल प्वाइंट पर बोल रहा हूं वह यह है कि 21 तारीख को नोटीफिकेशन हुआ, 22 तारीख को पेपर में आया, 23 तारीख को पार्लियामेंट में मामला उठाया गया। दण्डवते जी यहां बैठे हुए है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से पूछा-क्या आप मानते हैं कि यह अनुचित है ? अध्यक्ष महोदय मैं, पहले ही कह चुका हूं। इसमें यह कहा गया कि इसका कोई औचित्य नहीं है, अमर्यादित है, अनैतिक है और उसके बाद दूसरे दिन आपने दाम बढ़ा दिए। अध्यक्ष महोदय के बार-बार निर्देश के बाद यह सरकार जनता पर रोलर चला रही है, दाम बढ़ा रही है। यह कदम असंवैधानिक है टेलीफोन काम नहीं करते हैं, लेकिन उसका पैसा बढ़ा दिया गया है। आप लोगों को ठग रहे हैं। यह पेरलर मिनि बजट है। मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे बड़े अच्छे आदमी हैं, अभी-अभी आए हैं। वे जब अभी जवाब दें तो इस बढ़ौतरी को वापिस ले लें, चाहे फिर उन्हें मिनिस्ट्री से ही क्यों न जाना पड़ें। इस तरह का धब्बा अपने ऊपर न लगने दें। मिनिस्ट्री से बाहर जाएंगे लेकिन जनता के सामने उनका चेहरा साफ रहेगा। इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इसको वापिस लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव पर बोलने वाले आठ-नौ सदस्य हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को केवल तीन मिनट तक बोलने की अनुमती दूंगा। यदि वह कठोरता से उसका पालन नहीं करेंगे

तो अतत: तीन बजे मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कहूंगा। यदि आप नहीं चाहते कि मंत्री महोदय उत्तर दें, तब आप चर्चा 3.30 बजे तक जारी रख सकते हैं। तथ्य पश्चात् हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा करेंगे अब, श्री सूरज भान आप दो मिनट बोलेंगे।

श्री सूरज भान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय पर डिस्कशन अलाऊ कर दी है। लगभग दो साल से स्टीफन साहब ने यह परिपा चलायी कि अमेंडमेंट करो और बजट में लाने की बजाय ऐसे ही डाक-तार का रेट बढ़ा दो और उसका शिकार होकर गाडगिल साहब को भी यह लाना पड़ा है। मैं समझता हूं, यह पार्लियामेंट के अधिकार पर छापा है, गलत किया है। हम यह कहते हैं कि सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट करो जो कि डिटीरियोरेट हो रही है और आप दर बढ़ाते जा रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह रेलीवेंट है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा, अतः आप कोई असंगत बात नहीं कह सकते।

श्री सूरज भान : मैं एक सीरियस बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कल गाडगिल साहब ने जी.एस.आर. -93 का जिक्र किया लेकिन जी.आर.एस. -92 का कोई जिक्र नहीं किया।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह रेलीवेंट है क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही वह कह चुके हैं, इसका निर्णय उन्हें करना है।

श्री जी० एन० बनातवाला : (पोन्नानी) कार्यकुशलता उनके लिए संगत नहीं है ?

श्री सूरज भान : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ टेलीग्राफ टेरिफ के बारे में जी.एस.आर.-93 का जिक्र किया है और पोस्टल टेरिफ के बारे में कुछ नहीं किया है और न ही इसका नोटिफिकेशन यहाँ रखा है। मैंने अपने मोशन में टेलीफोन्स के बारे में भी कहा था। मैं यह पूछना चाहूंगा। कि क्या जो पोस्टल रेट्स बढ़ाए हैं, वे आज भी डिसकस नहीं हो सकते ? मैं यह मानता हूं कि बनात वाला सहाब की मोशन पहले आई थी लेकिन मेरी मोशन तो कम्पलीट थी उस पर डिस्कशन तो पूरी हो जाती। अगर यह दफ्तर की गलती है कि कम्पलीट मोशन को बनातबाला साहब के नाम से नहीं लाए तो उसके लिए पार्लियामेन्ट को पैनेलाइज मत कीजिए। पोस्टल टेरिफ को डिस्कस करने की इजाजत दीजिए।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : मैं समझता हूं आपको शुल्कों की अधिक चिंता होनी चाहिये।

श्री जी० एन० बनातवाला : ऐसा लगता है माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हो गई है। जब हमने कहा है कि संशोधन रद्द किया जाय, तो क्या रद्ध किया जाता है ? डाक प्रशुल्क, जिस पर चर्चा की जा रही है इसे रद्द किया जायेगा

श्री जगदीश टाइटलर : श्री बनातवाला, आप उन्हें समझाइये।

श्री सूरज भान : इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि बजट से पहले पोस्टल और टेलीफान के रेट बढ़ाकर एक शांक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं ताकि बजट में बड़े टेक्स लगाने के लिए तैयार रहें। दूसरा यह कि ··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सूरज भान के लिए हमेशा मेरे मन में स्नेह रहा है क्योंकि कभी वह डाक-विभाग में कर्मचारी थे।

श्री सूरजभान : उपाध्यक्ष महोदय, रेट्स बढ़ाए किस-किस चीज पर हैं। एक तो पोस्टल आर्डर, जिसको सिर्फ अन- एम्पलायँड आदमी ज्यादातर अपनी दरख्वास्तों के साथ भेजते हैं। यह खर्चा उनके जिम्मे ही डाला गया है। मनीआर्डर फार्म पहले पाँच पैसे का था। पाँच पैसे का मनीआर्डर फार्म खरीदने के बाद वह अमाउन्ट एम० ओ० कमीशन में ही एडजस्ट हो जाती थी इसलिए यह कीमत रखी गई थी ताकि कोई मिस- यूज न करे। लेकिन अब आपने पांच के बजाय दस पैसे कर दिया। ··· (**व्यवधान**)

एन्वेलप की कीमत क्या पांच पैसे बढ़ा दी जिससे लिफाफे की कीमत उसमें शामिल नहीं होगी। इसका फायदा उन आदमियों को होगा जो अपना लिफाफे खरीदते हैं और पोस्टेज लगा देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पुनः विस्तार में जा रहे हैं आपको समय का ध्यान रखना चाहिए मान लीजिये, यदि अन्य सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता तो क्या वह मुझे नहीं कहेंगे ?

श्री सूरजभान : आप समय बढ़ा सकते हैं। टेलीग्राम की उपाध्यक्ष महोदय, बात समझ में आ सकती थी। वह पैसे वाले ही इस्तेमाल करते है। लेकिन टेलीग्राम भी म्यूटिलेटड होते हैं या रौंग डिलिवरी होती है और उसके बाद उनके रेट्स बढ़ाना उचित नहीं है। टेलीफोन के बारे में इतना कहना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब विस्तार में जा रहे हैं। आठ सदस्य अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते है। मंत्री महोदय को हस्तक्षेप करना है। और प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार है।

श्री सूरज भान : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। माननीय स्टीफन से जब टेलीफोन के सुधार के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा टेलीफोन रिटर्ज कर दो। और गाडगिल साहब कहते हैं कि टेलीफोन इस्तेमाल न करो।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अजले वक्ता को बुला रहा हूँ।

श्री सूरज भान : मैं मांग करता हूं कि यह सारे रेट्स अनल होने चाहियें।

श्री नीरेन घोष : (दमदम) यह बहुत ही अभूतपूर्व है कि सरकार अध्यक्ष के दिर्देशों की बार-बार अवहेलना कर रही है। यह विनिर्णय नहीं है तथापि यह अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्देश है।

उपाध्यक्ष महोदय — यह टिप्पणी है ।

श्री नीरेन घोष: यह निर्देश है । सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, यह टिप्पणी है ।

श्री नीरेन घोष : मेरा समय मत लीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं यह निर्देश नहीं है बल्कि यह केवल टिप्पणी है ।

श्री नीरेन घोष : मैं कहता हूं, यह निर्देश है, विवियर्थ नहीं, सरकार द्वारा बार-बार इसकी अवहेलना की जा रही है जो कि अभूतपूर्व है ।

एक सरकार द्वारा डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये बसूल किये जा रहे हैं अब इस आदेश द्वारा सरकार को 70 करोड़ रुपये की आमदनी होगी । और रेलवे बजट में 500 करोड़ रुपये का कर लगाया गया है अतः जनता पर 1500 करोड़ रुपये का भार पहले ही डाला जा चुका है । यह बजट का एक भाग है । अब श्री प्रणव मुखर्जी आयेंगे और कहेंगे कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अधिक कर नहीं लगा रहे हैं । इस तरह से, वे जनता तथा संसद दोनों को धोखा दे रहे हैं ।

अन्तरसमावाधियों में इस तरह के मूल्य वृद्धि के आदेश पहले कभी नहीं दिये गये । जब कभी ऐसा हुआ वह अपवाद था क्योंकि परिस्थितियों की विवशता के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा । अब बिना कोई कारण बताए ऐसा करना सरकार ने एक नियमित प्रथा ही बना ली है । अब संसद के समक्ष जो मूल्यों में वृद्धि की गई है वह निश्चय ही आपत्तिजनक है यह संसद की अवहेलना है तथा लोगों के साथ छल किया जा रहा है । इसे समाप्त किया जाना चाहिए ।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका उत्तर दें कि हाउस आफ कामन की पद्धति क्या है क्योंकि सामान्यतः हमारी संसद हाउस आफ कामन द्वारा स्वीकार की गई पद्धति का ही अनुकरण करत. है ? यदि वहां काफी अर्से से ऐसा नहीं है, तब कराधान के मामले में यहां नया तरीका क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है ? बिना मत लिए कर लगाना असंगत है । मान लीजिए आपने सत्र आरम्भ होने से 40 दिन पहले कर लगाया है । इसी बीच आपको कुछ वसूली हुई होगी । सापेक्षतः संसद ने उसे रद्द कर दिया होगा । तब उस मामले में आपने जो वसूली की, वह रद्द हो गई ।

यदि आप इस तरह गुप्त रूप से चुपचाप और चोरी छिपे इसे बजट का अंग बनाए बिना जनता पर कर लगाने की पद्धति अपनाते हैं तो आप बजट प्रस्तुत करने की पद्धति ही समाप्त कर दें अतः मैं पूरी तरह से इसका विरोध करता हूं ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में नम्बर 2 का धन्धा बहुत चलता है । हमारी सरकार भी इस तरह के तरीके अपनाकर, कीमतें बढ़ाकर जनता के साथ और संसद के साथ भी नम्बर 2 का धन्धा कर रही है । जब सेशन चल रहा है, बजट सेश

होने को है, उससे पहले इस तरह से कीमतें बढ़ा ली जायें, यह संसद की बहुत बड़ी अवहेलना है, प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा कुठाराघात है । इसको हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए ।

हमारे माननीय सदस्यों ने इसके औचित्य के लिए जो कानूनी मुद्दे उठाये हैं इसके कंसीडरेशन के लिए, हमको चाहिए कि मामले को हम सुप्रीम कोर्ट को भेजें और वहां से परामर्श लें कि इस तरह की जो परम्परा पड़ रही है वह हमारे संविधान और संसदीय प्रणाली,दोनों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है ।

लोगों को अब यह लगने लगा है कि दो तरह के बजट पेश होते हैं, एक संसद में आता है और एक संसद के पीछे गुपचुप तरीके से आ जाता है । यह जो डाक-तार की दरें बढ़ाई गई हैं, यह आम लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव रखेंगी । लोगों को समाचार-सूचनाए भेजनी होती हैं, बातचीत करनी होती है, मरने-जीने की सूचना भेजनी होती है, इन सब पर जब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और देश के लोग इसका स्वागत नहीं करेंगे ।

मैं एक ही बात यह कह सकता हूं कि इन्हें सजग हो जाना चाहिए, ये जनता के वरडिक्ट की बारबार अवहेलना करते हैं । दक्षिण में अभी इन्होंने देखा है, वहां जनता ने बता दिया है कि आपका तरीका ठीक नहीं चल रहा है । आप यदि उस तरीके को अभी भी नहीं बदलेंगे तो उत्तर भारत में भी आपको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

***श्री एस० टी० के० जक्कायन** (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार की हाल की उस अधिसूचना, पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए कुछ शब्द कहना चाहता हूं जिसके द्वारा डाक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की गई है । यह वृद्धि लोकतांत्रिक परपराओं का घोर उल्लंघन है। संसद के दोनों सदनों का सत्र जारी है और लोगों के प्रतिनिधियों पर इस अधिसूचना द्वारा अत्याचार किया गया है जो कि उनके पीछे जारी की गई है । यह अनुचित है लोकतंत्र में कुछ परम्पराओं का आवश्यक रूप से निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए । मंत्री महोदय इस बात का सहारा नहीं ले सकते कि भारतीय तार अधिनियम में उन्हें इस प्रकार की वृद्धि करने की शक्ति दी गई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 36 वर्षों में, जबकि इस अधिनियम को लागू किया गया, डाक मूल्यों में वृद्धि हमेशा केन्द्रीय सरकार के आम बजट के द्वारा की जाती रही है । मैं जानना चाहता हूं कि सुस्थापित परंपराओं का इस वर्ष सरकार द्वारा उल्लंघन किये जाने का क्या कारण है ?

हमारे सुविख्यात नेता, श्री एम० जी० आर० का दृढ़ विश्वास है कि लोगों की आवाज ईश्वर की आवाज है और उनके अनुयायी होने के कारण मैं डाक मूल्यों में की गई इस वृद्धि की निन्दा करूंगा, जो मेरे नेता के मूल सिद्धान्तों के विपरीत हैं ।

महोदय, मुझे आशा है कि इस वृद्धि से सरकार को इस वर्ष 70 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है । मुझे यह कहना है कि इस आय का अधिकांश भाग आम जनता से वसूल किया जायेगा । हाल ही में एक अन्य अधिसूचना के द्वारा मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि की गई है क्या

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

सरकार 70 करोड़ रुपये की यह रकम कर-अपवंचकों, काला बाजारियों से तथा बकाया करों की बसूली करके पूरी नहीं कर सकती। चालू वर्ष में रेल के किरायों में वृद्धि होने के कारण आम जनता रेल गाडियों में यात्रा नहीं कर सकती। वे एक-दूसरे की कुशलता की जानकारी अब केवल डाक आदि से प्राप्त कर सकते हैं। अब इनको भी महंगा कर दिया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मनीआर्डर के फार्म का मूल्य 5 पैसे से 10 पैसे करके किसे लूटा जा रहा है मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि इस सरकार ने, जो आम जनता का प्रतिनिधि होने का दावा करती है। आम जनता की आखों में धूल झोंकी है। यह बिलकुल गलत है। मैं यह क कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि यदि सुस्थापित नियमों और इस सदन की प्रक्रिया के विपरीत कुछ कार्य करती है, तो इसका अर्थ है कि इस देश में लोकतंत्र को कमजोर बनाया जा रहा है।

श्री एन० के० शेजवल्कर (ग्वालियर) इस प्रस्ताव पर नियम 235 के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है। इसमें कहा गया है -

> "अध्यक्ष, सदन-नेता के परामर्श से संशोधन पर विचार करने या उसे पारित करने के लिए एक या अधिक दिन या दिन का कोई भाग जैसा कि वह ठीक समझे, निश्चित करेगा।"

मैं नहीं जानता कि इसके लिए क्या समय निश्चित किया गया है क्योंकि कार्य सूची में कुछ नहीं कहा गया है और आप मामले को जल्दी समाप्त करना चाहते है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष महोदय ने कोई समय निश्चित किया है क्योंकि शब्द का प्रयोग किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा आज के लिए निश्चित की गई है। मुझे सदस्यों का भाषण सीमित रोकने का अधिकार प्राप्त है। मुझे आज यह चर्चा अवश्य समाप्त करनी है।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो ऐसा प्रयास किया है, समझ में नहीं आता ऐसा करने की क्या आवश्यता थी जबकि उसके पास पूरा बहुमत है और पूरा अवसर है। सरकार ने कौन सी परेशानी मससूस की जिसके कारण उसने ऐसी कार्यवाही की यह बात समझ में नहीं आई। जैसा कि डिस्कशन में यहां पर बतलाया गया है कि अगर एक मार्च को यह एप्लीकेबल हो जाता है तो देश की जनता को यह भुगतना ही पड़ेगा। जिस प्रकार किसी आदमी को सजाए मौत देने के बाद उसकी जिन्दगी वापिस नहीं लायी जा सकती, उसी प्रकार से इसके सारे प्राविजन्स एक बार लागू हो जाने के बाद उसको अनडन करना सम्भव नहीं होगा। यह 70 करोड़ का भार जो जनता पर डाला जा रहा है। इसको बजट के माध्यम से यहां पर लाया जाना चाहिए था। पुरानी परम्परा की अवहेलना करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से इस भार को लाना मैं समझता हूं एक प्रकार से जनता की जेब काटने के सामान है। किसी भी प्रजातान्त्रिक सरकार के लिए यह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। असाधारण राजपत्र के माध्यम से इसको लाकर सरकार ने एक असाधारण कार्य किया है। बजट सत्र में यहां पर अगर सरकार प्रकट रूप में इसको लाती तो इसको पास कराने में उसको कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि उसके पास बहुमत है परन्तु जिस प्रकार से उसने जनता पर बडेन डाला है। वह प्रजातान्त्रिक तरीका नहीं है। अगर प्रजातांत्रिक और सांविधानिक तरीके से इसको लाया जाता तो बेहतर होता। भविष्य में

सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया दोहराई नहीं जानी चाहिए और यह जो सारी कार्यवाही की गई है उसको वापिस लिया जाना चाहिए ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : इसके लिये केवल विपक्ष ही पर्याप्त नहीं होगा लेकिन पीठासीन अधिकारी तथा विपक्ष मिलकर सचमुच बहुत शक्तिशाली होगी । विपक्ष ने इस मूल्य वृद्धि को अनुचित बताया है और पीठासीन अधिकारी ने भी इसे अनुचित बताया है । लेकिन हम बजट को विम्बडित करने तथा 70 करोड़ रुपये एकत्र करने के लिये लोगों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने जैसे कि पिछले साल 100 रुपये का शुल्क लगाया गया, के बारे में चिंतित नहीं हैं । हम इसके उद्देश्य के बारे में चिंतित है । सबसे पहले ऐसे तरीके से कुछ काम किया जाना चाहिये जिससे सरकार इस तरीके से चुपके तथा चोरी छिपे न अपना सके जैसेकि मेरे साथियों ने कहा है ।

दूसरे, आने वाले बजट को नई शक्ल देने का प्रयास किया जा रहा है जिसका अर्थ यह है कि मुख्य बजट में ही अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिये काफी प्रावधान होंगे । औचित्य उल्लघंन से "अनौचित्य" उत्पन्न होता है और बार-बार अनौचित्य पूर्ण कार्य एक तरह से असंसदीय हो जाता है । इसके अतिरिक्त जब आप इसे अनुचित कहते है तो इसका अर्थ 'गबन' है । बजट के बाद विनयोग विधेयक आता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : "आपके अनुसार "अनौचित्य", "गबन" है ।

श्री ए० के० राय : आपने कहा है कि यह उचित नहीं है । यह अध्यक्ष महोदय का विचार है कि इस प्रकार की मूल्य वृद्धि उचित नहीं है । जो उचित न हो, वह एक तरह से गबन होता है । बजट के बाद विनियोग विधेयक आता है । इस मामले में यह गबन विधेयक होगा । हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या हम गबन के भागीदार बनेंगे ।

हमारे मित्रों के अनुसार हम आपको भ्रम में डाल रहे हैं । मैं भी आपको भ्रम में ही रखना चाहूंगा । जब आप इसे अनुचित समझते हैं तो आप नियम 389 भी देख सकते है क्योंकि सदस्यों को अधिक भ्रम में पड़ने के लिये कुछ और देखने की सलाह दी जाती है । जिससे आपको शेष शक्तितां मिलती है । महोदय क्या आप उस समूची प्रक्रिया, जिसकी चर्चा मन्त्री महोदय ने की है, को रद्द करने में हमारा साथ देंगे ?

श्री वी० एन० गाडगिल : आप द्वारा कही गयी बात को ध्यान में रखते हुये मैं अपनी बात संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि श्री बनातवाला के पास उत्तर है ।

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, उस पर कल चर्चा कर चूके हैं । अतः मैं इसे दोहराना नहीं चाहता ।

मैं श्री बनातवाला से सहमत हूं कि हमें अध्यक्ष महोदय तथा आपको इस पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करने के लिये धन्यवाद देना चाहिये । लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हम भी इसके

लिये अपना योगदान दिया है क्योंकि हमने शीघ्र ही अध्यक्ष महोदय को कहा कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। अतः यह बात अच्छी है कि सभा को इस पर चर्चा करने के लिये अवसर मिला है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।

प्रो० मधुदंडवते : हम उनका भी धन्यवाद करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको पहले ही धन्यवाद दे चुके हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : दूसरे मैं ब्यौरे को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि उनका जिक्र कल हो चुका है। मैं इसका जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि श्री बनातवाला ने कहा है कि हम इसे पृथक रूप से लाकर कोई ऐसा काम ला रहे हैं जो बजट के विरुद्ध है। ये बम्बई विधान सभा के सदस्य थे और अब यहां है। अतः उन्हें जानना चाहिये कि कोई सीमा होती है वित्त विधेयक द्वारा केवल कुछ ही मद, बजट प्रस्तावों के भाग के रूप में लायी जा सकती हैं क्योंकि एक अधिसूचना वित्त विधेयक का भाग नहीं बन सकता। यह बात स्पष्ट है।

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, अधिकांश सदस्यों ने औचित्य के बारे में कहा है। अतः मैं उस प्रश्न पर नहीं बोलूंगा।

श्री बनातवाला ने कहा है कि अधिशेष के होते हुये इसकी क्या आवश्यकता थी। अब यह कुछ त्रुटिपूर्ण है। डाक विभाग के वित्त का जहाँ तक सम्बन्ध है उसके बारे में मैं कुछ बातें संक्षेप में कहना चाहूंगा। डाक विभाग में 97 करोड़ रुपये का घाटा है छठी पंचवर्षीय की योजनाओं इस वर्ष और अगले वर्ष, के लिये धन उपलब्ध होना चाहिये। कम से कम छः लाख लोग टेलीफोन का इंतजार कर रहे हैं। अधिक से अधिक आवेदन पत्र आयेंगे। हम विकास संबंधी पहलू को नजरअन्दाज नहीं कर सकते। अतः उसके लिये अन्तरिक साधन जुटाये जाने चाहिये। यदि आप इसके दूर-संचार भाग को लें तो आपको पता चलेगा कि अधिकतम राशि टेलीप्रिंटर, स्पीडसर्कय तथा अन्य यन्त्रों से आती है जिनका उपयोग सर्वसाधारण नहीं करता और यहां तक कि सर्वसाधारण भी नहीं करता। इनका उपयोग व्यापारिक फर्में करतीं हैं। सबसे अधिक प्रभाव उन पर पड़ता है। मैं इसके विस्तार में जा सकता हूं लेकिन यह जरूरी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : समाचार-पत्रों की स्थिति क्या है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : समाचार-पत्रों पर कुछ नहीं, यह केवल सामवधिक समाचार पत्रों पर है। उसके लिये भी मैं बताना चाहता हूं कि कितनी राज सहायता दी जाती है।

प्रस्तावित दर 30 पैसे है और संचालन लागत 75 पैसे है। इसी प्रकार वी.पी. की संचालन लागत 3.96 रुपये है। और हम केवल एक रुपया ले रहे हैं। इन सब बातो के बारे में मैं यह सिद्ध करने के लिए ब्यौरा दे सकता हूं कि सर्वसधारण से सम्बन्धित ये सब वस्तुऐं बहुत ही रियायती दरों पर दी जाती हैं और इसलिये हमें टेलीफोन तथा दूर-संचार से कुछ आय प्राप्त करनी है जो हम अमीर वर्ग, व्यापार कम्पनियों, निगम आदि से प्राप्त कर रहे हैं।

अतः मेरा पहला अनुरोध यह है कि सर्व साधारण इन शुल्कों से प्रभावित नहीं है। दूसरे,

हमने प्रेस पर लगने वाली लेवी को भी टाल दिया है। टेलीप्रिंटरों का उपयोग प्रेस करता है, हमने प्रेस को इससे बाहर रखा है, तारे प्रेस द्वारा भेजी जाती हैं, प्रेस तारें खास तौर पर इससे बाहर रखी गई हैं। अतः प्रेस तथा प्रेस की आजादी को प्रभावित करने वाली कोई भी शुल्क नहीं है।

तीसरी बात, जो मैं कहना चाहूंगा, यह है कि जब तक इस प्रौद्योगिकी युग में, जबकि सभी अन्य देश यहां तक कि विकासशील देश, इलैकट्रानिक्स को अपना रहे हैं, हम इस प्रकार के विकास की व्यवस्था न करें तब तक हम काफी पीछे ही रहेंगे और इसी कारण कुछ साधनों को जुटाना पड़ेगा और इसी कारण ये शुल्क लगाये गये हैं। कोई बात छिपाने का कोई उद्देश्य या इच्छा नहीं है।

मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा जिसे मेरे मित्र राम विलास के अलावा और किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा-अनुदन की माँगों के लिए कहां मौका है और हम कटौती प्रस्ताव कब पेश करें? तार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्ताव का मूल्य उद्देश्य सभा को स्वीकार, अस्विकार अथवा संशोधित करने का अवसर देना है। अतः इस प्रस्ताव द्वारा बजट चर्चा की जरूरत पूरी की गयी है। अतः मेरे विचार में विपक्ष द्वारा कही गयी किसी भी बात में सार नहीं है और अतः मैं उचित दावे के साथ कहता हूं कि जो कुछ भी किया गया है वह उचित है और लोगों के हित में है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला।

श्री राम विलास पासवान : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कोई स्पष्टीकरण नहीं। मैं किसी को अनुमती नहीं दे रहा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगी। अब श्री बगातवाला बोलेंगे। केवल उनका ही उत्तर कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जायेगा। ···**(व्यवधान)****

उपाध्यक्ष महोदय : वह लक्ष्मण से राम को है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मंत्री का एक गलत वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित होगा। अतः मैं इसे आपकी अनुमती से कहना चाहता हूं

उन्होंने कहा है कि राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से कुछ किया जा सकता वह वास्तव में वित्त विधेयक का अंग नहीं बन सकता। यहां मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह स्वतंत्र रूप से एक अधिसूचना जारी कर सकते हैं। मै मानता हूं कि ऐसा अधिकार है लेकिन साथ ही शुल्कों में से ऐसी वृद्धि के प्रस्ताव वित्त मन्त्री को बजट में सम्मिलित करने चाहिए क्योंकि विगत में जब भी पोस्ट कार्डो तथा अन्तर्देशीय पत्रों के दाम बढ़ाये गये उन्हें बजट प्रस्तावों में सम्मिलित किया गया ··· **(व्यवधान)**

श्री वी० एन० गाडगिल : यह एक तरह से गलतफहमी ही है, पोस्ट कार्ड के बारे में

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं समझ सकता हूं। कृपया डाकघर अधिनियम की अनुसूची देखें। उस अनुसूची को केवल वित्त विधेयक से संशोधन द्वारा ही बदला जा सकता है। जहां तक तारघर अधिनियम का सम्बन्ध है, इसे वित्त विधेयक के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसे एक अधिसूचना द्वारा किया जाना चाहिये और कल मैंने श्री रफी के दफतरी की बात का हवाला "दिया है, क्या आप वित्त विधेयक को पशु अतिक्रमण अधिनियम द्वारा संशोधित कर सकते है?" कुछ बातें वित्त विधेयक के अन्तर्गत की जा सकती हैं अधिसूचना द्वारा नहीं।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया है। मैं मन्त्री महोदय से भी हस्ताक्षेप करने तथा स्थिति स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद देता हूं। किन्तु मुझे खेद है कि माननीय सदस्य श्री सूरजभान ने आरोप लगाते हुए यह कहा है कि मुझे प्रस्ताव पेश करने का पहला अवसर दिया गया।

श्री सूरजभान : नहीं, नहीं आप इसके हकदार हैं ··· (व्यवधान)

श्री जी० एन० बनातवाला ; मैं आपकी बात सुन चुका हूं।

श्री सूरज भान : मेरा प्रस्ताव है ··· (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : हां, मैं आपकी बात सुन चुका हूं।

वह शिकायत कर रहे थे कि उनके द्वारा एक अन्य प्रस्ताव भी था जो बहुत विस्तृत था और मेरे प्रस्ताव के कारण उनके तथाकथित विस्तृत प्रस्ताव के मार्ग में बाध्य आदि आपकी। मैं नहीं जानता कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर कोई संशोधन क्यों नहीं दिये। मैं यह नही जानता कि इन्होंने मेरे प्रस्ताव पर प्रतिस्थापन प्रस्ताव क्यों नहीं दिया और यही कहते रहे कि बनातवाला को प्रस्ताव पेश करने का अबसर मिला। अतः मैं इस बात का खेद प्रकट करता हूं कि इन्होंने— के दौरान इसका जिक्र किया है।

श्री सूरज भान : मैं स्पष्टीकरण दे सकता हूं। मेरी शिकायत यह थी कि डाक शुल्क सम्बन्धी पत्रों को सभा पटल पर नहीं रखा गया है। यह कठिनाई है।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप उसे प्रतिस्थापन प्रस्ताव में दे सकते थे।

श्री सूरजभान : वह प्रस्ताव वहा है।

श्री जी० एम० बनातवाला : इन्होंने नहीं दिया। फिर इन्होंने सभा के सामने जो प्रस्ताव है उसके बारे में शिकायत की।

हमने मन्त्री महोदय की बात बड़े ध्यान से सुनी है और वह किसी को भी संतुष्ट न कर पाये। वे बार-बार कानून के उन प्रावधानों का जिक्र करते रहे जिसके द्वारा इन्हें बजट के होते तथा अधिसूचना जारी करके वृद्धि करने का अधिकार मिला। मैं बहुत आदर के साथ अनुरोध करता हूं कि सरकार ने कानून को तो बनाये रखा लेकिन संसदीय प्रजातन्त्र तथा बजट की पवि-

प्रथा की भावना का उल्लंघन किया है। हम यही बात कहते आ रहे हैं कि घोषणा बजट भाषण में की जा सकती थी और अधिसूचना इन घोषणाओं के अन्तर्गत बाद में जारी की जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसके द्वारा ही बजट का उल्लंघन हुआ है। हम कहते हैं कि ऐसा जानबूझ कर किया गया। राष्ट्र को बजट प्रस्तावों के असली प्रभावों के बारे में गुमराह करने के लिये जानबूझकर कर यह मार्ग अपनाया गया।

इन्होंने वित्तीय स्थिति का जिक्र किया है। मैं मानता हूं कि जहां तक 1982-83 के आंकड़ों का सम्बन्ध है, डाक लेखा राजस्व में 97 करोड़ रुपये का घाटा है लेकिन प्रस्ताव पेश करते हुये मैंने कहा था कि समूची स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिये। कुल राजस्व अर्थात् 1982-83 की डाक-दरों तथा दूर संचार-दरों का डाक राजस्व 1350 करोड़ रुपये बनता है- डाक से 393 करोड़ रुपये और दूर संचार से 965 करोड़ रुपये कुल व्यय 1103 करोड़ रुपये है अर्थात डाक दरों से 490.20 करोड़ रुपये और दूर-संचार से 612.80 करोड़ रुपये। अतः यह बात स्पष्ट है कि डाक दरों के कारण 97 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा है लेकिन सारी स्थिति ध्यान में रखते हुये हमें पता चलता है कि राजस्व लेखे में 265 करोड़ रुपये का अनुमानित अधिशेष है।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं बीच में बोलना चाहता हूं।

इन्होंने स्वयं 551 करोड़ रुपये के विकास संबंधी योजना व्यय का जिक्र किया है। राजस्व अधिशेष में भी आप 235 करोड़ रुपये विकास के लिये लेते हैं तो आपको 216 करोड़ रुपये और चाहिए और शुल्क केवल 70 करोड़ रुपये के लगाये गये। **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला : अतः यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि विकास योजनायें अव्यवस्थित स्थिति में हैं और राशि बजट के अन्तर को पूरा करने के लिये नहीं जुटायी गयी जहां तक विकास योजनाओं का सम्बन्ध है, बजट प्रबन्ध की कार्यकुशलहीनता के कारण अव्यवस्थित स्थिति में हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया है।

मैंने मन्त्री महोदय से विशेषकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं क्या विकास तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिये कुछ अन्य उपाय करने की जरूरतों की ओर ध्यान दिया गया है? इन सब बातों का अनुमान किस आधार पर लगाया गया?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब आप संचार मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कह सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : राष्ट्रपति अभिभाषण की चर्चा के दौरान भी हो सकता था।

श्री जी० एम० बनातवाला : अतः मैंने कहा था कि एक टाले जा सकने वाला बोझ राष्ट्र पर डाल दिया गया है। मैं यह भी कह चुका हूं कि सर्वसाधारण की परिभाषा मन्त्री महोदय के अनुसार कुछ विचित्र सी है। वह कहते है कि शुल्क का सर्वसाधारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां तार की दरों में वृद्धि हुई है। मनीआर्डर फार्म तथा अन्य फार्मों के मूल्य में भी वृद्धि

हुई है। इन चीजों का उपयोग सर्वसाधारण के अलावा और कौन करता है? मुझे इस बात का खेद है कि सर्वसाधारण की परिभाषा विचित्र है। सारे शुल्क सर्वसाधारण पर लगाये गये हैं और मैं इस सभा से प्रस्ताव स्वीकार करने तथा सारे संशोधन विधेयक को रद्द करने का अनुरोध करता हूं इस शुल्क को रद्द करने का यह सही समय है···

श्री राम विलास पासवान : सरकार सहित ।

श्री जी० एम० बनातवाला : हमें रेलवे के बोझ पेट्रोलियम उत्पादकों के दरों के बोझ से दबे राष्ट्र पर और अधिक बोझ नहीं डालना चाहिये। हमें भय है कि बजट में भी ऐसा ही होगा।

मैं सभी सदस्यों से सर्वसाधारण तथा संसदीय प्रजातंत्र के उचित कार्यकरण के हित में राजनैतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव के पारित करने का अनुरोध करता हूं । धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) की धारा 7 की उपधारा (5) के अनुसरण में, भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 को, जो 21 फरवरी, 1983 की अधिसूगना संख्या सा० का० नि० 93 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 24 फरवरी, 1983 को सभा-पटल पर रखे गए थे, रद्द किया जाये।,यह राज्य सभा से भी सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

पक्ष में

आचार्य, श्री वसुदेव

बनातवाला, श्री जी० एम०

बसु, श्री चित्त

चतुर्भुज, श्री

दंडवते, प्रो० मधु

दत्त, श्री अमल

गिरि, श्री सुधीर

होरो, श्री एन० ई०

जटिया, श्री सत्यनारायण

मैत्रा, श्री सुनील कुमार

मंडल; श्री सनत कुमार

मुखर्जी, श्रीमती गीता

निहाल सिंह, श्री

पाल, प्रो० रूपचन्द

पंडित, डा० वसन्त कुमार

परुलेकर, श्री बापूसाहिब

पासवान, श्री रामविलास

*काजी सलीम, श्री

रसीद मसूद, श्री

रियान, श्री बाजूबन

राय, श्री ए० के०

साहा, श्री गदाधर

सेन, श्री सुबोध

शाक्य, श्री दयाराम

शेजवलकर, श्री एन० के०

सिंह, श्री बी० डी०

सिन्हा, श्री धर्मबीर

सूरज भान, श्री

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री विजय कुमार

विपक्ष में

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

बैठा, श्री डूमर लाल

बन्सी लाल, श्री

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भीखाभाई, श्री

भोई, डा० कृपासिंधु

बूटा सिंह, श्री

चक्रधारी सिंह श्री

चव्हाण, श्री एस० बी०
दलबीर सिंह, श्री
दुबे श्री बिन्देश्वरी
गायकवाड़, श्री आर० पी०
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
झा०, श्री कमल नाथ
कौशल, श्री जगन्नाथ
लास्कर, श्रीनिहार रंजन
मल्लु, श्री अन्नत रामुलु
मिश्र, श्री नित्यानन्द
नायडू, श्री पी० राजगोपाल
निहाल सिंह, श्री
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र
पाटिल, श्री ए० टी०
फुलवारिया, श्री विरदा राम
प्रधानी, श्री के०
राममूर्ति श्री, के०
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्री एम० सत्यनारायण
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
साही श्रीमती कृष्णा
सत्यदेव सिंह, प्रो०
शक्यवार, श्री नाथूराम
शर्मा, डा० शंकरदयाल
शास्त्री, श्री हरि कृष्णा

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
दास, श्री अनादि चरण
गाडगिल, श्री बी० एन०
गमांगो, श्री गिरिधर
जमीलुर्रहमान, श्री
कर्मा, श्री लक्ष्मण सिंह
कुवंर राम, श्री
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मोहिते, श्री यशवन्तराव
नामग्याल, श्री पी०
पांडे, श्री केदार
पनिका, श्री राम प्यारे
पारधी, श्री केशवराव
पाटिल, श्री उत्तमराव
पुजारी, श्री जनार्दन
राम, श्री रामस्वरूप
रंगा, प्रो० एन० जी०
राव, श्री जगन्नाथ
रथ, श्री रामचन्द्र
रौत, श्री जयनारायण
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सेठी, श्री पी० सी०
शर्मा, श्री कालीचरण
शास्त्री, श्री धर्मदास
सोरन, श्री हरिहर

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०	सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
तिवारी, प्रो० के० के०	थुगोन, श्री पी० के०
टाईटलर, श्री जगदीश	वैराले, श्री मधुसूदन,
वेंकटरामन, श्री आ०	वर्मा श्री दीनबंधु
व्यास, श्री गिरधारी लाल	वाध, डा० प्रताप
यादव, श्री डी० पी०	याजदानी, डा० गोलम
जैनल बशर, श्री	

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में = 30

विपक्ष में = 75

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य आरम्भ करते हैं। श्री० वी० श्री निवास प्रसाद।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

53 वाँ प्रतिवेदन

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 23 फरवरी, 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गये 53 वें प्रतिवेदन से सहमत हूं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 23 फरवरी, 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गये 53 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा। अनुपस्थित।

विधेयक

(1) निःशुल्क विधिक सहायता विधेयक

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपराधिक मामलों में

अन्तर्ग्रस्त गरीब और जरूरतमन्द व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए उपबन्द करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त गरीब और जरूरतमन्द व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(2) **कार्मिक संघों की मान्यता विधेयक**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारियों में कार्मिक संघ की भावना को प्रोत्साहित करने तथा नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि कार्मिक संघों के बीच सामूहिक हित साधन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारियों में कार्मिक संघ की भावना को प्रोत्साहित करने तथा नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि कार्मिक संघों के बीच सामूहिक हित साधन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1983

(धारा 8 आदि का संशोधन)

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

(4) **फल तथा सब्जी बोर्ड विधेयक**

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि फलों और सब्जियों तथा उनके उत्पादों के विकास भंडारण और बिक्री के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि फलों और सब्जियों तथा उनके उत्पादों के विकास भंडारण और बिक्री के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा । अनुपस्थित ।

(5) **विवाह व्यय सीमा विधेयक**

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाह व्यय सीमा निर्धारित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विवाह व्यय सीमा निर्धारित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ .

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(6) **अनिवार्य जनसंख्या-नियन्त्रण (छोटा परिवार अभिवृद्धि तथा अभिप्रेरण) विधेयक**

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसंख्या-नियन्त्रण के लिए छोटा परिवार अभिवृद्धि और अभिप्रेरण तथा अन्य उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जनसंख्या-नियन्त्रण के लिए छोटा परिबार अभिवृद्धि और अभिप्रेरण तथा अन्य उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बी० वी० देसाई : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

(7) कृषि कर्मकार (पेंशन देना, न्यूनतम मजदूरी नियतकरना, अनिवार्य बीमा और अन्य सुविधाएं) विधेयक

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों के लिए पेंशन, भविष्य निधि, न्यूनतम मजदूरी और अन्य सुख-सुविधाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि कर्मकारों के लिए पेंशन, भविष्य निधि, न्यूनतम मजदूरी और अन्य सुख-सुविधाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बी० वी देसाई : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 10 ख आदि का अन्तःस्थापन)

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

देवदासी तथा मुरली प्रथा (उन्मूलन) विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी द्वारा 5 नवम्बर, 1982 को प्रस्तुत किए गये निम्नांकित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात्

"कि भारत में देवदासी तथा मुरली प्रथा को समाप्त करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व सेशन में मैंने यह प्रस्ताव रखा था और यह बिल मूव किया था कि भारत में देवदासी प्रथा और मुरली प्रथा

को समाप्त करने हेतु विधेयक पर विचार किया जाय । अब मैं इस सदन में इस विषय पर प्रतिपादन करना चाहती हूं । मेरी सदन से प्रार्थना है कि इस विषय पर गंभीरता से और मानवता की दृष्टि से विभिन्न दलों, धर्म और जाति तथा विचारों को छोड़कर सभी सदस्यगण सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ।

मुझे दुख है कि आजादी के बाद भी सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग अगर कोई रहा है तो महिलायें रही हैं । उन्हीं में से एक वर्ग है देवदासी का जिसको भगवान के नाम परअर्पित किया जाता है और उसकी मर्यादा सिर्फ भगवान तक ही नहीं रहती उसके बाद उस गांव का बड़ा आदमी उसकी बोली लगाता है जैसे बाजार में जानवर की बोली लगती है, और उसे खरीदा जाता है और उसके बाद जब तक उसके मन में रहा तब तक उसको रखता है और बाद में जब उसको छोड़ देता है तो उस औरत के सामने प्रोस्टीट्यूट बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है । मैं बताना चाहती हूं कि आजादी के बाद भी इस देश में देवदासी बनाई गई महिलाओं की संख्या डेढ़ लाख है ।

जब मैंने यह बिल डाला तो बाहर जो राजनीति में और सामाजिक कार्यकर्ता हैं वह मुझसे पूछते थे कि देवदासी प्रथा क्या है ? प्रान्तों में, कर्नाटक, महाराष्ट्र में कानून होने के बाद और केन्द्र में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के संरक्षण के लिये कानून होने के बाद भी डेढ़ लाख तक महिलायें देवदासी बनायी गयीं । वर्षों पहले यह प्रथा केवल भारत में ही नहीं थी बल्कि यूनान, बेबीलोन में भी थी । और हमारे देश में खासकर के दक्षिण में धर्म का बड़ा प्रभाव था, बड़े-बड़े मन्दिरों राजसत्ता और धर्मसत्ता का प्रभाव रहा । वह सिर्फ राजसत्ता से ही जुड़ा हुआ नहीं है । एक ही समय में इस देश के समाज के सबसे पिछड़े हुए वर्ग का राजसत्ता और धर्मसत्ता दोनों ने उनका शोषण किया। इसी का एक उदाहरण यह देवदासी प्रथा है । उस जमाने में धर्म गुरु, पुजारी या जमींदारों ने महिला को उपभोग की वस्तु बनाकर उनका दूरुपयोग किया । कहा जाता है शुरू में जब यह प्रथा चली महाभारत काल से लेकर बाद में भी तो इन्सान के दिल में सेवा की भावना हुई अर्पित करने की अपने को भगवान के लिये और समाज के लिये । उसी से इस प्रथा का उद्‌गम हुआ । इसके लिये महिलाओं को और साथ-साथ लड़के और लड़कियों, दोनों को अर्पित किया जाता था । लेकिन महिलाओं की संख्या अधिक है इसीलिये हमारे मन में आता है कि क्या यह सर्पाण धर्म के नाम पर केवल महिलाओं के लिये ही था ? मैं इसको नहीं मानतीं हूं । इतिहास चाहे कुछ भी बताये, लेकिन आज जो सच्चाई हम देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, और जो धर्म, संस्कार, परम्परा मानवता के उद्‌धार के लिये नहीं बल्कि मानव को खड्डे में डालने के लिये है उस पर भरोसा नहीं करते हैं । इस परम्परा को हमें स्वतन्त्रता के माहौल में खत्म करना चाहिये जिससे किसी वर्ग की महिलाओं की आबरू की विडम्बना हो रही है ।

इस प्रथा की शुरूआत अंध श्रद्‌धा से हुई । एक तो मनौती मानते थे, किसी के अगर बच्चा नहीं हुआ देहात में अनपढ़ लोग मानते थे कि अगर बच्चा हुआ तो एक बच्चे को भगवान को अर्पित करेंगे···कोई धन के लिये; कोई नब्ज के लिये इन्सान की बलि भगवान को देते थे । उसी का यह दूसरा स्वरूप है, महिलाओं को नर्क में ढकेल दिया जाता था ।

अन्ध-विश्वास की दुनिया है जिसके कारण यह देवदासी प्रथा चली आ रही है आज हम देखते हैं कि गरीब लड़कियों को बालों में लगाने के लिये तेल नहीं है, किसी की मां मर गईहै, वह दिन भर भीख मांगती रहती है और मजदूरी करती रहती है, उनको बाल संवारने का कहां ध्यान आता है। उनके बालों की जब जटा बन जाती है तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बार्डर पर एक भावना है कि इसके बालों में जटा बन गई है अब येलमा की मर्जी हो गई है, उसको अर्पण कर देना चाहिए। उसको मंदिर में छोड़ दिया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूं। कामती पुरा की एक देवदासी ने मुलाकात में कहा कि हमारा सुन्दर परिवार था, हम पति-पत्नी और बच्चे प्यार से रहते थे। एक दिन पति की नजर में मेरे बालों में जुड़ी जटा आ गई। वह अनपढ़ था घवड़ा गया। बोला यैलम्मा की मर्जी हो गई है, शायद अपनी प्यारी पत्नी अब हमसे विछड़ जायेगी। दूसरे दिन वह पुजारी के पास चुपचाप गया और बोला कि मेरी पत्नी के बालों में जटा बन गई है, गुमटा बन गया है। दोपहर को पुजारी आकर उसको देवदासी बनाकर ले गये। यह सच्ची घटना है जिसे मैं आपके सामने रख रही हूं। देवदासी बनाने के बाद उसको कला-नृत्य कला-शिक्षक के जरिये सिखाया गया। कला-नृत्य और संगीत का ज्ञान देते थे। मंदिर में नाचना, गाना और भगवान की पूजा करना उनका फर्ज था। उसके बाद देवदासी बनाकर उसकी बोली लगाकर कोई उसको अपनी कीप करके रखता था, उसकी पालना करता था पूरी आयु भर। उस जमाने में उसकी थोड़ी सी उज्जत होती थी। इस सप्ताहिक हिन्दुस्तान में उसकी तस्वीर नहीं छपवाई है। हमारे मन में देवदासी की तस्वीर ऐसी है कि गहने पहने हुए है, सुन्दर पोशक है, भगवान के सामने नाच कर रही है, भगवान की पालकी के सामने उसकी इज्जत है लेकिन आज देवदासी की कोई इज्जत नहीं है। आप हमारे साथ यैलम्मा के मंदिर में चलिए मैं एक दो महीने पहले जाकर देखकर आई हूं फिर मैंने इस बिल को यहां रखा है। हमने वहां देखा है कि महिलाएं भिखारी की तरह फटे कपड़े में पैरों में घूंघरू बांधकर भिक्षा मांग रही हैं और वह बहुत पीड़ित हैं। ऐसी देवदासियों को धर्म के नाम पर भिखारी बनाने का काम कुछ विद्रोही लोगों ने किया है। इसे आज हमें रोकना है।

वर्षों पहले तंजावर मंदिर में 400 देवदासियां थी, सोमनाथ पुरम में 500 थीं और यैलम्मा का इतिहास तो ऐसा है कि वहां देवदासियों का बाजार है। महिलाओं की बिक्री का बहुत बड़ा बाजार है। अपने देश में हम लोग इसको बन्द करना चाहते हैं या नहीं, मैं आज आपसे यह सवाल पूछ रही हूं। हर साल आज भी कर्नाटक के यैलम्मा मंदिर में मेले के अवसर पर5,000 देवदासियां बनाई जाती हैं। अपने देश में उड़ीसा कर्नाटक, गोवा, आन्ध्र, और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों में देवदासियों की बड़ी प्रथा है और सब जगह अलग-अलग नाम से है। महाराष्ट्र में खंडवा को अपर्ण करते हैं, उसको मुरली कहते हैं। गोवा में भाविनी बोलते हैं, कर्नाटक में यैलम्मा की ज्योतिनी बोलते हैं। अलग-अलग नाम से, अलग-अलग स्वरूप में ये देवदासियों आज हमारे समाज में हैं।

बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में आप देखेंगे कि प्रास्टीट्यूट्स में 35 प्रतिशत ऐसी देवदासियां लगाई गई हैं। आज तो कुछ लोगों का बिजनस हो गया है कि प्रास्टीट्यूशन में लाने के लिये उनको बोलते हैं कि देखो यैलम्मा की मरजी हो गई। कोई अच्छी लड़की गांव में

दिखाई दी, गरीबी के कारण उसको अर्पित किया जाता है। और बाद में उसका वेश्या के व्यवसाय की तरफ ले जाया है। यह बड़े दुख की बात है।

आज हम देखेंगे कि जो गरीब अनपढ़ लोग हैं, हरिजन और आदिवासी हैं, उन्हीं की लड़कियां ज्यादा इसमें देखी जाती हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी दरिद्रता के कारण कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे में इस कुप्रथा को बन्द करने के लिये कोई कदम उठाए ही नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है। शासन हर बार कोशिश करता रहा है। पहला प्रयत्न 1910 में मैसूर गर्वमेंट ने कानून बनाकर किया। उसके बाद 1924 में भारतीय दण्ड विधान की धारा 372 और 375 को इस प्रथा के निवारण के लिए लागू किया गया। तीसरी बार 1927 में उनकी मुक्ति के लिए ऐसा ही एक विधेयक पास किया गया। 1939 में कर्नाटक में मंदिर की जमीन का पट्टा देवदासियों को देने की व्यवस्था की गई इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी कानून बनाकर ऐसा प्रयास किया गया और अभी कुछ महीने पहले 1972 में कर्नाटक शासन ने एक प्रभावी कानून पास किया है। समयाभाव के कारण उसका ब्यौरा मैं यहां पर नहीं दे सकती लेकिन पांच हजार रुपए जुर्माना और पांच वर्ष के कारावास तक का प्रावधान उसमें किया गया है। इसको बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि अभी इस साल कर्नाटक के एलमा मेले में कई हजार लड़कियों का अर्पण होने जा रहा था इसलिए कर्नाटक गर्वमेंट पहले से ही सोच रही थी ऐसा कानून बनाया जाए। अतः कर्नाटक सरकार ने पहले से ही कानून बना दिया ताकि वहां पर विक्रय या भगवान के नाम पर अर्पण न किया जा सके। मैं समझती हूं कर्नाटक की सरकार ने यह एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है और इसके लिए इस देश की सभी महिलायें कर्नाटक शासन की अभारी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने पार्लमेंट में इस बिल को इन्ट्रीड्यूस किया तो उसके बाद कर्नाटक गर्वमेंट ने निर्णय लेकर यह कानून बनाया और उससे हमारा विश्वास दुगना हुआ। अब केन्द्रीय सरकार भी जरूर इस बात को मानेगी कि इस प्रकार की समस्या है। कर्नाटक गर्वमेंट ने अब रास्ता खोल दिया है। हमें यहां पर बताया जायेगा कि 1956 का जो कानून है उसके अन्तर्गत महिलाओं का व्यापार या विक्रय नहीं हो सकता है परंतु देवदासी का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। देवदासी के लिए उसमें कोई स्पेशल प्राविजन नहीं है। यह भूल-भुलैया जैसा यह कानून महिलओं के लिए बनाया गया है यह हमारे काम का नहीं है क्योंकि उसमें गुनाहगार छूट जाते हैं।

इसी संसद में बलात्कार और दहेज के खिलाफ जो संशोधन विधेयक पेश किया गया उसको सभी दलों ने अपनी स्वीकृति प्रादन की। हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वयं एक स्त्री हैं, उन्होंने भी महिलाओं के संरक्षण को बढ़ावा दिया है इसलिए मैं समझती हूं महिलाओं के संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा कड़े कानून बनाकर उनका इंप्लीमेम्केशन किया जाना चाहिए और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार इसके लिए पूरा प्रयास करेगी।

मैंने यहां पर जो बिल पेश किया है, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वह मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। यदि किसी भी मंदिर में किसी देवता के नाम पर किसी स्थी को अर्पित किया जाए तो इस कानून के अन्तर्गत उसको देवदासी माना जायेगा और यह एक गुनाह समझा जायेगा। देवदासी प्रथा के अन्तर्गत पुत्री आदि समर्पित करने के लिए तीन वर्ष तक का कारावास हो सकेगा।

इस प्रथा के अन्तर्गत लड़कियों को स्वीकार करने के लिए कम से कम दो वर्ष और ज्यादा से ज्यादा पांच वर्ष तक की सजा हो सकेगी और पांच हजार तक जुर्माना होगा। इस प्रथा के अन्तर्गत व्यक्तियों को लड़कियां समर्पित करने में सहायता देने के लिए पांच वर्ष तक का कारागार और पांच हजार तक जुर्माना हो सकेगा। देवदासी या इस प्रकार के नाम से वैश्यावृत्ति चलाने के लिए जो दोषी पाया जायेगा उसको पांच हजार रुपये तक जुर्माना और दो वर्ष से लेकर पांच वर्ष तक का कारागार हो सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं इस बिल में रखी गई हैं। 1956 के अधिनियम के उपबन्ध 104 को भी, जहां कहीं जरूरत हो, महिलाओं पर अत्याचार को रोकने तथा उनकी सुरक्षा के लिए लागू किया जा सकता है।

इसके साथ-साथ जो महत्व का मुद्दा है, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यदि हम किसी भिखारी को कहते हैं कि तुम कल से भीख मत मांगों, तो वह कहेगा कि कल से हमारे लिए रोजी.रोटी की व्यवस्था कर दो, तो फिर हम भीख नहीं मांगेगे। समाज में जो गरीब है, उपेक्षित है, जब उनके सामने क्रान्ति की बात, परिवर्तन की बात, की जाती है, तो रोटी का सवाल सामने आ जाता है। इसलिए यदि हम यह कहें कि कल से इस देवदासी की प्रथा को बन्द करो, तो यह हो नहीं सकता है, जब तक कि इसके लिए प्रभावी कदम न उठाये जायें। इस संबंध में महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े-बड़े साहित्यकारों ने बड़ा-बड़ा साहित्य लिखा है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। में चाहती हूं कि सरकार को इस संबंध में कानून बनाना चाहिए। आप यह भी जानते हैं कि वे पति का नाम अपने बच्चों के साथ नहीं लगा सकती हैं। इसी बजह से कई मातायें बच्चों को लेकर स्कूल नहीं जा सकती हैं। कि इनका नाम स्कूल में क्या लिखाया जाए। आप जानते हैं कि यह प्रथा रही है कि बच्चों के नाम के साथ पिता का नाम लिखा जाता था। अब भी लिखा जाता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि वह अधिकार माता को दे दिया जाए, ताकि वह माता अपने बच्चे का हाथ पकड़कर स्कूल ले जा सके। इस गर्व के साथ कि यह मेरा बच्चा है, पिता का नाम नहीं है, तो क्या हुआ। उपेक्षित वर्ग के लिए नेशनल रूरल एम्पलायमेंट स्कीम है, जिसको सरकार पूरा करती है, उसी प्रकार इनके लिए सरकार को योजनायें बनानी चाहिए। कर्नाटक में कई संस्थायें हैं, उनको सरकार हाथ में लेकर, मदद देकर, उनके जरिये इस काम को करवा सकती है, जो कि अच्छा काम करके दिखाये।

मैं आपके सामने दो उदाहरण और पेश करना चाहमी हूं। पूना में कुछ वर्ष पहले महानगर पालिका की तरफ पांच हजार देवदासियों को आरोग्य कार्ड दिया गया था, उनकी जांच करके दवाई की व्वयस्था की गई थी। कर्नाटक शासन ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि जो देवदासी की लड़की के साथ सादी करेगा, उसको पांच हजार रुपया दिया जायेगा। जिस प्रकार हम इन्टरकास्ट मैरिज को बकोवा देते हैं, उसी के साथ-साथ यदि देवदासी की लड़की से शादी करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा, तो देवदासी की लड़की भी अपना घर बसा सकेगी और सम्मान के साथ समाज में जीवन व्यतीत कर सकेगी।

(श्री एन० के० शेजवल्कर पीठासीन हुए)

पुनर्वास पर बात करते हुए, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि किसी भी काम को करने के लिए, गलत या सही, राजनीतिक समर्थन जरूर प्राप्त होना चाहिए। यदि सैन्टर का समर्थन प्राप्त

रहेगा, तो हर प्रान्त को, चाहे प्रान्त में किसी भी पार्टी की सत्ता हो, उनको वह बात माननी पड़ेगी और उस कानून का इम्पलीमेंटेशन करना पड़ेगा। मैं यह भी समझती हूं कि सिर्फ कानून से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। पिछले साल हमने एक अखिल भारतीय सम्मेलन किया था, जिस-में स्त्री मुक्ति परिसंवान पर चर्चा की गई थी। जिसमें काभी बड़े,बड़े लोगों ने अपने-अपने विचार रखे थे। जिसमें एम देवदासी के लड़के ने भी भाषण दिया था। उसने कहा कि सरकार हमें रिज-र्वेशन देगी, मकान बनाकर देगी, सर्विस देगी लेकिन पिता का नाम नहीं देगी। ऐसा कानून तो दुनिया की कोई भी सरकार नहीं बना सकती है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि वे लोग समाज में जीवन कैसे व्यतीत करें। वे लोग सन्मान से कैसे रहें-इस दृष्टि से यह कानून जल्द से जल्द बने और आगे चल कर देवदासियां न बन सकें। कर्नाटक के येलम्मा मन्दिर में देव-दासी नहीं बनने दिया गया तो उनके घर जा कर बना रहे हैं, घर जाकर उनको दीक्षा दे कर इस धन्धे में लगा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं। यदि हम इस प्रथा को बन्द नहीं कर पाये तो आगे चलकर इन के अन्दर पैदा होनेवाली युवापीढ़ी हम से सवाल करेगी, लड़कियां हम से पूछेगी कि हमारे साथ कौन शादी करेगा, लड़के पूछेंगे कि हमारा बाप कौन बनेगा ? इसलिए इस कानून का बनाना बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है, जिस तरह महिलाओं के हित में बनने वाले अन्य कानूनों का इस सदन ने समर्थन किया था, इसका भी आप पूर्ण समर्थन करेंगे, जिससे कि देवदासी प्रथा इस देश से समाप्त हो सके।

मैं जानती हूं - कि हमारे मंत्री महोदय पहाड़ी क्षेत्र के हैं, जहां के लोग यद्यपि कम-पढ़े-लिखे हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, वहां इस तरह की प्रथा नहीं है। लेकिन मुझे दुख है कि देश के इस भाग में अपने स्वार्थ, अपनी लालसा की पूर्ति के लिए इस तरह की प्रथा को जीवित रखा गया है। मैं यह भी जानती हूं इनको ढूढना, इनको कन्ट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास है - यदि आप इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो हम इस प्रथा को समाप्त करने में अवश्य सफल हो सकेंगे।

मैं आप से एक बात शिक्षा पद्धति के बारे में पूछना चाहती हूं - यदि आप शिक्षा पद्धति पर गौर से ध्यान दें तो आज समाज में जो विषमता है, शोषण है, उसको दृष्टि में रख कर क्या आप अभ्यास-क्रम में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या नहीं ? मैं जानती हूं कि इसमें कुछ लोगों के दिल दुखेंगे धर्म वाले लोगों को वह सहन नहीं होगा, लेकिन हमें जो भी काम करना है वह देश के उपेक्षित और पिछड़े हुए लोगों के लिये करना है, उन को साथ लेकर आगे चलना है। इसी लिये आज मैंने इस कानून को यहां पेश करके आप से इसे पास करने का अनुरोध किया है।

मेरा आखरी मुद्दा यह है कि भारत मानवता में विश्वास रखने वाला देश है। आज दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो छोटे-छोटे राष्ट्र हैं, शिक्षा और संस्कृति में पीछे हैं, गरीबी में बहुत पीछे हैं, आज उनका नेतृत्व हम करने जा रहे हैं, इसलिए समाज में जो भी गन्दी चीजें हैं, गन्दी पर-म्परायें हैं, उनको उखाड़ने का पहला कदम भी हमको ही उठाना पड़ेगा ताकि न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के बाजार कहीं भी इस तरह की महिलाओं से भर न पायें। इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा।

मैं आशा करती हूं कि सारा सदन मेरे इस बिल का समर्थन करते हुए इसको पास करायेंगे।

सभापति महोदय : इसके अलावा श्री मूलचन्द्र डागा का एक संशोधन प्रस्ताव है। वह सदन में उपस्थित नहीं हैं। अब श्री अमलदत्त बोल सकते हैं।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : सभापति महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में, जिसके द्वारा निराशाजनक तथा निन्दक प्रणाली को समाप्त करने का प्रस्ताव है, एक सुखद बात यह है कि इसे सदन की एक महिला सदस्य द्वारा रखा गया है। हमने हाल ही में यह देखा है कि महिलायें अपनी अन्य गरीब बहनों के अधिकारों को दिलाने के पक्ष में प्रत्येक तरीके से आगे आई हैं। अब वे उनको संरक्षण प्रदान करने का प्रयत्न कर रही हैं। वे एक प्रतिज्ञा, तीक्ष्णता तथा दृढ़ता के साथ आगे आई हैं। जिसको हमने न केवल इस सदन बल्कि बाहर भी देखा है। अभी हाल ही में एक मामले में महिलाओं के संगठन द्वारा एक भाग्यहीन लड़की के अधिकारों की रक्षा की गई है। जिसको कि उसके परिवार के सदस्यों द्वारा ही तंग किया जा रहा था। वे पुलिस में चले गये थे ताकि महिलाओं के संगठन को पुलिस द्वारा परेशान किया जा सके। लेकिन महिलाओं का संगठन इन परेशानियों के खिलाफ लड़ा और अन्त में न्यायालय में जाकर मामले को जीता तथा भाग्य-हीन लड़की को उसकी यंत्रणा से बचाया। इस निराशाजनक स्थिति का यह बहुत ही ढ़ाढ़स प्रदान करने वाला पक्ष है।

लेकिन जिस प्रथा के बारे में माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है, वास्तव में वह हम सभी के लिये चिन्ता का विषय है। यह एक सामाजिक बुराई है जिसका सभी राजनैतिक सिद्धान्तों तथा अड़चनों से कोई वास्ता नहीं है। यह एक मानवीय चिन्ता का विषय है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि किसी एक विशेष बुराई की हजारों अभिव्यक्तियों में से यह भी एक है। जो एक मौलिक बुराई है, जिसका तात्पर्य है उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा जनता के किसी व्यक्ति का शोषण करना। यह एक प्रकार का आर्थिक शोषण है। जिसके द्वारा इस प्रकार की बुराई उत्पन्न होती है। यह स्थिति हमारे सामने है जो संभवतः सदियों से है। क्योंकि हमारे यहाँ पर शोषण करने वाली एक सामन्तवादी सोसायटी थी और इन सामन्तवादी स्वामियों ने अपने इस शोषण को न केवल अपने द्वारा नियन्त्रित आर्थिक उपायों के द्वारा बल्कि धार्मिक तरीकों से भी किया है।

धर्म पर हमेशा से पूंजीपतियों तथा सामन्तवादियों का अधिकार रहा है। इन लोगों ने समाज के गरीब वर्गों का इस गैर-मानवीय तरीके से शोषण करने के लिये हमेशा से धर्म का इस्तेमाल किया है। इस बात को समझा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम केवल देवदासी पृथा को समाप्त करने से ही उन अभागी महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने में सफल हो जायेंगे। देवदासी एक ऐसी पृथा है जो देश में कम से कम हमारे राज्य के लिये एक विदेशी बात है, यह वहाँ नहीं है, यह मुख्यतः दक्षिण भाग तक ही सीमित है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महिलाओं का अवैध-व्यापार किसी महानगर में अथवा जहाँ पर देवदासी पृथा प्रचलित नहीं है, किसी भी रूप में कम है।

माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और मेरे विचार से वे सही हैं। उन्होंने यह बताया है कि महानगरों की वेश्याओं में से 35 प्रतिशत वे महिलाएं हैं, जिन्हें पहले देवदासी बनाया

गया था और उसके पश्चात् वेश्यावृति करने के लिये बेच दिया गया था। इसके बावजूद भी इसका यह तात्पर्य है कि महानगरों में जो महिलाएं वेश्यावृति करती हैं उनमें से 65 प्रतिशत महिलाओं को देवदासी पृथा के अलावा अन्य तरीकों से लाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम जिसे बहुत समय पहले 1956 में पारित किया गया था, और तब से लेकर अब तक दो अथवा तीन बार संशोधित किया गया है, वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से असफल रहा है। ऐसी स्थिति में इसका यह तात्पर्य है कि जब तक हमारा समाज तथा हमारी आर्थिक व्यवस्था वर्तमान स्थिति में रहेगी, तब तक यह समाजिक बुराई जारी रहेगी।

मैं इस उपाय का समर्थन करता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह बुराई किसी अन्य बुराई में परिवर्तित हो जाये। यदि होती हैं, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। यह मेरा विचार अथवा मेरे दल का विचार नहीं है। यह मामला मानवीय समस्या का है और हमें इसका समर्थन करना चाहिए। धर्म के नाम पर जो यह भ्रष्ट करने की प्रथा बुराई के रूप में है उसको समाप्त किया जाना चाहिए और जो व्यक्ति इसके लिये जिम्मेदार हैं, उनको कठोर कारावास की सजा दी जानी चाहिए जैसा कि इस विधेयक में प्रस्तावित किया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद द्वारा इस विधान को अधिनियमित कर देने से भी हम इस बुराई को समाप्त करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। मुझे पता चला है कर्नाटक विधान सभा इस बुराई को समाप्त करने के लिये पहले ही एक अधिनियम पारित कर चुकी है, लेकिन इसको अभी तक समाप्त नहीं किया जा सका है। अन्यथा इस विधेयक को इस सदन में लाने की कोई आवश्यकता न रहती। लेकिन इसको इस उम्मीद के साथ किया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी कार्यवाही के करने से शायद इस प्रथा को रोकने अथवा कम से कम इस विशेष प्रथा के कुपरिणामों को कम करने में मदद मिल सके। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अधिनियम के द्वारा हम इस बुराई को समाप्त नहीं कर पायेंगे। दुर्भाग्यवश हमने अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के लागू होने से यह देखा है कि वह बहुत ही कम प्रभावी रहा है। यदि एक शहर में एक रात्रि में वेश्यावृत्ति के कार्य को एक हजार बार किया जाता है तो उनमें से केवल एक मामले में मुकदमा चलाया जाता है और उसमें भी सफलता नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के अधिनियम को कार्यान्वित करना असंभव होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसका समर्थन करता हूं और यह कहता हूं कि हम सभी को एक साथ मिलकर इन अधिनियमों-अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम और यह अधिनियम जहां पर भी पास किया गया है, लागू करना चाहिए। यदि इस अधिनियम को आज इस सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो इस अधिनियम को भी यथासंभव अधिक से अधिक उत्साह से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात पर बल देने के लिए पुनः कहता हूं कि यह सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था में व्याप्त सैकड़ों हजारों बुराइयों में से एक बुराई है। हमें ऐसी व्यवस्था से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए अन्यथा यह बुराई किसी अन्य रूप में व्याप्त हो जायेगी। ईश्वर के नाम पर एक लड़की को बेचा जाता है और यह भली भाँति जानते हुए उसे समर्पित किया जाता है कि वह ईश्वर के पास नहीं पहुंचेगी। वह अभागी कुछ रात पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधियों-पुजारी-के साथ सोयेगी और उसके पश्चात् उसकी नीलामी कर दी जायेगी। मेरे विचार से इस प्रथा का यही सारांश है। यह सब जानते

हुए भी कि उसकी क्या दुर्दशा होगी परिवार के लोग अन्ध-विश्वास अथवा अज्ञान के कारण ऐसा करते हैं?

सभापति महोदय, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि वे लोग केवल अन्ध-विश्वास अथवा उपेक्षा के कारण ही ऐसा करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी बेहूदे लोग मौजूद हों जो रात्रि को यह स्वप्पन देखते हों कि जब तक अपनी पत्नी अथवा पुत्री का इस तरीके से बलिदान नहीं किया जाताहै तब तक गुप्त रूप से नुकसान तथा कष्ट भगवान के नाम पर होता रहेगा लेकिन इस प्रकार की परिथितियाँ बहुत कम होती हैं। इस प्रकार की एक अथवा दो घटनायें समाचार-पत्रों में प्रकाशित होती है और इस प्रकार की धारणा बनाई जाती है। यही कारण है जिसकी वजह से लोग अन्ध-विश्वास तथा रूढ़िवादिता के कारण ऐसा करते हैं। नहीं, महोदय ऐसी स्थिति नहीं है। स्थिति वह है कि इन लोगों को अपनी पुत्री अथवा पत्नी को बेचने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है, कि वे उनका गुजारा नहीं कर सकते। इस प्रकार की आर्थिक स्थिति में हमें उनको कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए। आज सरकार को सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए और हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जब तक उसको पूरा नहीं किया जाता है तब तक केवल इस प्रकार का विधान बना कर हम इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को नहीं रोक सकेंगे। जब तक उनका आर्थिक शोषण किया जाता रहेगा, और उनकी गरीबी की हालत नहीं सुधरेगी तब तक यह जारी रहेगा।

देश्यावृति के कारणों का विभिन्न तरीकों से विश्लेषण किया जा सकता है। कुछ कहते हैं कि इसका कारण आर्थिक है कुछ कहते हैं कि यह आर्थिक तथा सामाजिक कारणों की वजह से है, और कुछ यह भी कहते हैं कि इसका कारण आर्थिक सामाजिक तथा धार्मिक है, लेकिन यह अन्ततः आर्थिक परिस्थिति के कारण है। यदि आप इसका गहराई से विश्लेषण करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसका अन्ततः कारण आर्थिक परिस्थिति के अलावा कुछ भी नहीं है। कभी-कभी हम उजड़े घरों के उदाहरण देते रहते हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा बड़ी उत्सुकता से इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। एक पति अपनी पत्नी का परित्याग कर देता है और इस कारण से उसकी पत्नी को एक वेश्या बनने का अवसर मिलता है अथवा एक अव्यवस्थित परिवार में जहाँ पत्नी तथा पति अलग-अलग रहते हैं और उनकी पुत्री को भी किसी पक्ष से कोई लगाव नहीं है, वह एक आवारा लड़की हो जाती है और इस प्रकार एक वेश्या बन जाती है। लेकिन ये परिस्थितियां जो आर्थिक विषमता के अतिरिक्त हैं एक अथवा दो ही मामलों में होंगी जिनमें महिलाएं बुरी संगत में पड़ जाती हैं और इस प्रकार का जीवन अपना लेती हैं लेकिन हम इस प्रकार के स्पष्टीकरणों पर ही भरोसा नहीं कर सकते। इसका मूल कारण आर्थिक शोषण,तथा जीवन की आधारभूत सुविधाओं की कमी होना है, जिसके अभाव में एक महिला वेश्या बन जाती है।

इसके अतिरिक्त लोग कभी-कभी यह भी पूछते हैं कि यदि इसका मुख्य कारण आर्थिक परिस्थिति है, और यदि इसके कारण ही एक महिला को मुख्य रूप से बाध्य होकर वेश्या बनना पड़ता है, तो अमेरिका में इसके होने के क्या कारण हैं? यूरोप में इसके प्रचलन के क्या कारण हैं?

वहां लोग समृद्ध हैं। सिर्फ इस कारण कि वहां पर राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वहां सभी अमीर हैं, सभी पूंजीवादी देशों में प्रति व्यक्ति आय में भ री

विषमता है । वहां पर ऐसे भी लोग हैं जो सामाजिक और आर्थिक स्तर से नीचे हैं और जिनका कोई और साधन नहीं है। पिछले तीन या चार वर्षों में सभी पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कई महिलाओं को यह रास्ता अपनाना पड़ा है ।

मैंने समाचार पत्रों की कतरनों से देखा है कि इंग्लैंड में वेश्याओं का सम्मेलन हुआ था । वहां की महिलाएं हमारे देश की महिलाओं से ज्यादा आगे हैं । वेश्याओं ने उस बैठक को पुलिस के उत्पीड़न को रोकने के लिए बुलाया था और उन्होंने कहा था । कि अगर इसे न रोका गया तो उनके यहां आने वाले 'महत्वपूर्ण व्यक्तियों' के नाम वे बता देंगी । उन्होंने मैनाड्रिड की अपनी बहनों से संवेत प्राप्त किया था, जिन्हें कि पुलिस परेशान करती थी । बाद में पेरिस में भी ऐसा ही किया गया ।

ये वेश्याएं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थीं लेकिन उन्होंने बैठक में यह भी कहा कि अपनी आर्थिक स्थिति के कारण ही वे इस प्रकार का जीवन बिता रही हैं । जबवे इस पेशे में आई तो उनके लिए जीविका अर्जन करने के लिए कोई अन्य पेशा अपनाना सम्भव न था । अगर कोई औरत कुछ माह तक भूखीं रहती है तो यही एक रास्ता उसके लिए रह जाता है, खास-कर जब उसे बच्चे भी पालने होते हैं, इसलिए वह यहरास्ता अपनाती है इस खोज का यह परिणाम निकलता है कि पश्चिमी देशों में बच्चों वाली अकेली औरतें ज्यादातर इस पेशे को अपनाती हैं । सिर्फ अपनी ही जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने उन बच्चों को पालने की नैतिक जिम्मेवारी को निभाने के लिए भी जो कि अपने पिताओं से अलग हो गये हैं, चाहे वे (पिता) कोई भी हो, यह पेशा अपनाती हैं ।

मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यह बात सिद्ध करना चाहता हूं कि औरत की आर्थिक स्थिति ही उसे वेश्या बनने के लिए मजबूर करती है । जब तक हम अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए मार्गोपाय नहीं खोजते और वर्तमान शोषणवादी व्यवस्था को खत्म नहीं कर देते, तब तक यह समस्या बनी रहेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, हमारी संसद सदस्य श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ने जो देवदासी और मुरली प्रथा की समाप्ति के लिए विधेयक सदन में उपस्थापित किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं । हमारे दूसरे माननीय सदस्य ने इसके बारे में कहा है कि इसके पीछे आर्थिक कारण है । मेरा कहना यह है कि कुछ अंश में आर्थिक कारण जरूर है लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने उलटते हैं तो पता चलता है कि दो हजार वर्ष पहले से यह प्रथा है । पुराणों में भी इसकी चर्चा मिलती है, लेकिन महाभारत में यह कहीं नहीं देखने को मिलता है कि ये देवदासियां मंदिरों के लिए ही होती थीं, लेकिन यह प्रथा उस समय भी अप-रोक्ष-परोक्ष रूप से विद्यमान थी । यह प्रथा कुछ प्रांतों में है, लेकिन भिन्न-भिन्न रूप में दूसरे प्रांतों में भी यह प्रथा अभी भी विद्यमान है ।

नारी हमेशा से शोषिता रही है । यह आज कोई नई बात नहीं है । इन्हें "आंचल में है दूध

औरआंखों में पानी" के रूप में भी देखा जाता है। हमारे देश में हमारे समाज की बुराईयों को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गये हैं। हजारों वर्ष पहले तो नहीं, लेकिन सैकड़ों वर्षों से जो बुराइयां और कुरीतियाँ नारी के शोषण के लिए चली आ रही हैं, उनके विरूद्ध आवाजें उठती आ रही हैं।

राजा राम मोहन राय की बात सभी जानते हैं कि वे किस तबके के समाज सुधारक थे। महात्मागाँधी ने और सभी ने महिलाओं के विकास और उन्नति के लिए समय-समय पर अपनी आवाजें उठाई हैं और कानून भी बनते रहे हैं। लेकिन, हमेशा यह बात कही गई है कि कानून बनने से कुछ नही हो सकता है। यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक समाज में जागृति नहीं आयेगी और लोगों को यह नहीं बताया जायेगा कि हमारा समाज इस बुराई से कितना प्रभावित होता है। परम्परा और रूढ़िवादिता की शिकार महिलाएं ही रही हैं।

हमारे यहां धर्म के नाम पर और धर्म की ओट में बहुत सारे गलत काम किए जाते हैं जो हमारे समाज में कलंक है। जैसे अभी कुछ साल पहले ही वेश्यावृत्ति की रोकथाम के लिए हमारे यहां कानून बनाए गए हैं। इसे हमारे समाज में काला धब्बा समझा गया, तभी इसके लिए विधेयक बनाए गए। इसी प्रकार धर्म की ओट में देवदासी प्रथा भी समाज का कलंक है। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि समाज के हरेक वर्ग के लिए कलंक है।

यह देश की समस्या अभी भी हमारे यहां है और जैसा कि हमारी बहन ने पहले कहा कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में ये देवदासियां भारत में हैं विशेषकर दक्षिण में अगर स्वत: कोई महिला ऐसा काम करती है तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन, उसे बाध्य किया जाता है और धर्म के नाम पर मन्दिरों में इसलिए उसकी कुर्बानी की जाती है क्योंकि वह महिला है।

नारी को हमेशा से ही शोषित किया गया है। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि समाज और धर्म के नाम पर यह करना है। हमारे यहां जब औरतें विधवा हो जाती हैं तो उन्हीं पर यह पाबन्दियां होती हैं कि वे मांस, मछली नहीं खाएं, रंगीन कपड़ों की बजाय सफेद कपड़े पहनें, उनके बाल काट दिए जाते हैं। यह पुरुषों के लिए नहीं होता है। (व्यवधान) सब लोगों को मालूम है कि ऐसा होता है। क्या ऐसी स्थिति में महिलाओं का यह कर्तव्य नहीं होता कि इसके लिए आवाज उठाए, सदन में इसके लिए विधेयक लाएं ? आप देखेंगे कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने महिलाओं के उद्धार, उनकी उन्नति हेतु ऐसे कानून बनाए हैं जिससे उनका विकास हुआ है। मैं तो यह समझती हूं कि देवदासी प्रथा के विरुद्ध जो भी कानून बनाया जाए यहां संसद में ही बनाया जाए ताकि सभी जगह यूनिफार्म ढंग से इसका पालन हो एक कानून भारतवर्ष के लिए हो। परोक्ष या अपरोक्ष, डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट, जहाँ भी इस प्रकार की बात होती है उसके ऊपर पाबन्दी लगाई जाए।

सबसे बड़ी बात यह है कि जब ह्यून-सांग भारत में आए थे तो सबसे पहले वे इस बात को सबके सामने लाए और उन्होंने इतिहास में भी लिखा है कि संभवत: ग्रीक या यूनान से यह प्रथा भारत में आई है। इसका मतलब यह होता है कि हमारे यहां इस प्रथा की शुरूआत नहीं हुई, कहीं और से हमने इसको ग्रहण किया। हमारी संस्कृति और सभ्यता में यह प्रथा बाद में आई है।

जिस संस्कृति और सभ्यता के लिए हम सारे विश्व में इतना पुराना और महत्व पूर्ण स्थान रखते हैं, उसको देखते हुए इस विज्ञान के युग में सारे लोग कहां से कहां जा रहे हैं और अभी हम देवदासी प्रथा को ही समाप्त कर रहे हैं यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है। इसलिए, मैं सदन से अपील करती हूं कि सब लोग इसके ऊपर एकमत से विचार करें और इस विधेयक को हम सब पारित करें।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं माननीया श्रीमती ऊषा जी के इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि इन्होंने समाज की एक पुरानी कप्रथा के ऊपर नियंत्रण करने की अपनी इच्छा जाहिर की गई है। वस्तुत कुप्रथायें देश में इतनी हैं जो अन्ध विश्वास, अशिक्षा और गरीबी के कारण चल रही हैं और इन कुप्रथाओं के पीछे सदियों के पुराने जो सामन्त होते थे उनका विलास लिपा होता है। उन्हीं लोगों ने धार्मिक आड़ में शिकार करने की इस कुप्रथा का श्रीगणेश किया और इसी के परिपेक्ष में ऐसे कुकर्म करते रहे। यह प्रथायें हमारे देश के लिए कलंक का विषय है। वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं में से 35 प्रतिशत महिलायें इस देवदासी प्रथा से पीड़ित महिलायें हैं। यह गंभीर चिन्ता का विषय है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह प्रथा हजारों साल से चली आ रही है, इसे जनप्रिय और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जगह नही होनी चाहिए।

यह सही है कि अभी तक जितना शिक्षा का विस्तार हमारे देश में होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। आज तक 25,30 प्रतिशत ही शिक्षा हो पायी है, जिस देश में 70 प्रतिशत लोग अशिक्षित हों वहां इस प्रकार की कुप्रथाओं का होना स्वाभाविक है। अत: ऐसे क्षेत्र में जब तक शिक्षा का विस्तार नहीं होगा तब तक यह प्रथा दूर नहीं होगी। आज भी विज्ञान के युग में ऐसे अन्ध विश्वास में जकड़े हुए लोग हैं जो सोचते हैं कि परिवार में से एक लड़की को योवनावस्था प्राप्त करते ही देवदासी या जोगनी के रूप में नहीं दिया जायगा तो उसके परिवार का अनिष्ट होगा। जहां इतना अन्धकार है वहां ऐसी कुप्रथा को नष्ट करने के लिए जब तक कानून का हाथ नहीं जायेगा तब तक यह गलत परम्परा पर कुठाराघात नहीं हो सकता है। इसलिए यह लिधेयक सभीचीन है और सरकार तथा सभी सनस्यों को इसका समर्थन करना चाहिए ताकि यह कुप्रथा दूर हो। यह बिल तो सरकार द्वारा लाया जाना चाहिए था। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्या इसको वापस न लें। हम इसको सर्वसम्पत्ति से पास करेंगे क्योंकि यह कुप्रथा नारी समाज के लिए भयंकर कलंक का विषय है और इसको समाप्त ही होना चाहिए। इसलिए सरकार को हर तरह से विचार करना चाहिए और इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, या सरकार की ओर से आश्वासन मिलना चाहिए कि इस विधेयक की जगह दूसरा विधेयक सरकार की ओर से इसी सत्र में लाया जायगा और इसका उन्मूलन किया जायेगा। जैसा अभी इन्होंने बताया है, अगर 35 फीसदी औरतें वेश्यालयों में देवदासी प्रथा से बनी हैं तो यह कम बड़ी बात नहीं है। मैंने देखा है। जी० बी० रोड में जहां वेश्याएं रहती हैं, उसमें बहुत सी लड़कियां खोखे और झोपड़ियों में रहती हैं। हमने अपने क्षेत्र में भी देखा है ऐसी जगहें हैं जहां सैकड़ों लड़कियां उधर से लाई जाती हैं और यह चलते फिरते वेश्यालय चलाये जा रहे हैं।

प्रो० सत्य देव सिंह (छपरा) : उसके विरोध में आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जब तक यह कानून नहीं बनता है तब तक हम कर ही क्या सकते हैं ? जो विवश महिलाएं हैं वह क्या करें ? उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता है, जब उनको समाज में लाने के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है तो उस विवशता के अलावा और कोई रास्ता उनके पास नहीं रहता है। किस कानून के द्वारा उनका पुनर्वास किया जाय। ये लोग गरीब हैं, दुर्बल हैं और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, उनके पुनर्वास के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। अभी तक यह कमी रही है।

मैं बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं कहना चाहता, लेकिन अपना हार्दिक समर्थन इसमें देता हूं और मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि चाहे वह इसी बिल को पास कर दें अथवा इसकी जगह पर दूसरा बिल लाकर इस प्रथा को समाप्त करें।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, यह देवदासी एंड मुरली प्रैक्टिस (एबोलीशन) बिल माननीय सदस्या श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ने यहां रखा है, मैं उसको हृदय से समर्थन करता हूं। इस प्रकार की प्रथा इस देश में हजारों सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। हमारे राजस्थान में भी एक प्रथा थी।

हमारे यहां सामन्तों की जब शादी होती थी तो उसके साथ दहेज में इस प्रकार की लड़कियां दी जाती थी जिनको बांदी कहा जाता था। उनका भी कोई शादी विवाह नहीं होता था और उनके जो बच्चे होते थे, उनके पिता का नाम नहीं होता था। इस प्रकार की प्रथा का जब तगड़ा विरोध राजस्थान में किया गया तो यह प्रथा समाप्त हुई और इस प्रकार के लड़कियों के लेन-देन की प्रथा समाप्त हो गई। इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही वहां पर अब नहीं होती है।

अभी माननीया सदस्या बोल रही थीं कि महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता है। हमारे यहां जो भी सती प्रथा थी, उसमें भी उनके साथ बड़ा अत्याचार होता था जिसको राजा राम मोहन राय ने बड़ा भारी आन्दोलन चलाकर समाप्त किया और औरतों के साथ जो अन्याय होता था, उसको समाप्त किया।

इसी प्रकार से जो अन्याय और अत्याचार यहां होते हैं देवदासियों के सम्बन्ध में जिसमे परिवार की एक लड़की को मंदिर में सुपुर्द कर दिया जाता है और उसके बाद नृत्यु, संगीत में प्रवीण किया जाता है और फिर उसके बाद जिस प्रकार की हरकतें उसके साथ होती हैं, उन सब को बन्द किया जाना चाहिए। आज यह हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है। इसे हम समाप्त करना चाहिए।

आज हमारे देश में स्त्री-पुरुष को समान अधिकार है ऐसी स्थिति में एक समाज को एक कलंकित करना या उनके किसी मेम्बर को मंदिर में इसलिए सुपुर्द करना कि वह आगे चलकर वेश्या बने और वेश्यावृत्ति को इस देश में ज्यादा से ज्यादा फैलाये, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश और समाज पर बहुत बड़ा कलंक है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

अभी हमारे वर्मा साहब बोल रहे थे कि गांव में, देहात में जो गरीब होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं होती, जिनमें शिक्षा का आभाव होता है, अन्धविश्वास होता है, उस

प्रकार के लोगों को वहका और फुसलाकर मंदिरों में देवदासी बनाकर भयंकर दुरुपयोग किया जाता है। इस समाज में इस प्रकार के बहुत लोग हैं। यहां देवदासी की बात कही जाती है, लेकिन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों में जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं जिनके पास बहुत धन है, वह अपनी वासना के लिए इस प्रकार की जो अव्यवस्था चला रहे हैं, सरकार को इस सम्बन्ध में भी ध्यान रखना चाहिए। और समाप्त करना चाहिए। सरकार को इस सम्बन्ध में भी ध्यान रखना चाहिए। (**व्यवधान**) जैसे इस सम्बन्ध में हमारी सरकार जागरूक भी है क्योंकि कईयों के खिलाफ कार्यवाही भी ती गई है। ऐसी गलत परम्परायें समाज में जो पड़ गई हैं और जो हमारे पैसे वाले नौजवान है, जिनके पास काफी धन है वे जिस प्रकार से इसका दुरुपयोग करते हैं, साथ ही आचरण खराब करते हैं, अपना करैक्टर खराब करते हैं, समाज की प्रतिष्ठा को भी गिराते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय सदस्या के इस बिल के अन्तर्गत जो लोग ज्यादा पैसा देकर देवदासी ले लेते हैं और उसको कानक्यूबाइन या वाइफ की तरह से रखते हैं, उनके सबम्न्ध में ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि उसको पत्नी के सारे अधिकार प्राप्त हो सकें। यदि उसको प्रापर्टी और हेरिडेट्री सम्पत्ति में अधिकार और हिस्सा मिलेगा तभी समाज में उसकी कुछ प्रतिष्ठा बन सकेगी।

सबसे पहले तो कानून के जरिये देवदासी प्रथा को बिल्कुल इल्लीगल करार दिया जाना चाहिए और माननीय सदस्या ने इस बिल में जो प्रावधान रखे हैं उनसे भी अधिक कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। दूसरे जो प्रापर्टी राइट की बात कही गई है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब तक उसको पत्नी के सारे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब तक प्रापर्टी कहां से मिल सकेगी इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी हायस्ट बिडर देवदासी को ले वह उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे तथा उसकी सम्पत्ति में पत्नी की हैसियत से उसको अधिकार मिले। इस सम्बन्ध में वैसे तो कई राज्य सरकारें कानून बनाने की बात सोच रही हैं लेकिन माननीय सदस्या ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भारत सरकार को स्वयं आगे आकर कानून बनाना चाहिये। या तो सरकार इसी बिल को स्वीकार कर ले या इस बिल में अगर उसको कुछ कमियां नजर आयें तो एक दूसरा बिल लाकर यहां पर प्रस्तुत करे ताकि उचित प्रकार से सारी व्यवस्थायें की जा सकें।

इसके साथ ही साथ उनके रिहैबिलिटेशन की भी कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिए हमने बान्डेड लेबर के सम्बन्ध में कानून बनाया है और उनको लोन, मकान, जमीन देकर सहायता पहुंचा रहे हैं। इनकी हालत तो बान्डेड लेबर से भी बदतर है। इसलिए जब तक इनको रिहैबिलिटेट करने की व्यवस्था नहीं की जाएगी तबतक समाज में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकेगी अतः उनको रिहैबिलिटेट करना नितान्त आवश्यक है। आज के युग में इज्जत उसी की होती है जिसके पास कुछ पैसा या सम्पत्ति हो। आज पैसा ही सबसे बड़ा है। जिसके पास धन है, सम्पत्ति है, वह चाहे जैसा भी आदमी हो, तब भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। जब इस प्रकार की व्यवस्था समाज में है, पैसे की कदर होती है, तो इस प्रकार के लोगों के लिए समाज में निश्चित तरीके से पैसा या अन्य प्रकार की सुविधाओं को मुहैया करना नितान्त आवश्यक है। तब जाकर वे समाज में प्रतिष्ठा पा सकेंगे। इसीलिए उन्होंने जिस प्रकार के लड़के-लड़कियों की शादी के सम्बन्ध में

जो सुझाव प्रस्तुत किए हैं, उनके मुताल्लिक सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि जो भी देवदासी के लड़के-लड़की से शादी करेगा, उसको यह इनाम दिया जाएगा। जब तक इस प्रकार की सुविधा या प्रोत्साहन उनको नहीं मिलेगा, तब तक वे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नहीं तो जिस प्रकार की हीनता उनके मन में व्यापत है, वह व्याप्त ही रहेगी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए बहुत सारे कारगर कदम उठाने चाहिए, ताकि समाज में इस प्रकार की प्रथायें समाप्त हो सकें और समाज में सम्मानजनक प्रतिष्ठा उन महिलाओं को मिले और वे भी अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एस० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्या, श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी जी, को मुबारकबाद देता हूं, कि वे इस प्रकार का बिल सदन में विचार करने के लिए लाई हैं।

लेकिन आज सिर्फ यह बिल बल्कि उनका भाषण सुनने के बाद इतनी खुशी हुई। इधर से भी महिलायें अब संसद की डिबेट में भाग लेने लगी हैं। उधर की तरफ से श्रीमती प्रमिला दंडबते काफी हिस्सा लेती है, लेकिन इधर से लोग ज्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं। हम नहीं जानते थे, लेकिन उनका भाषण सुनकर बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने जो कारण और सुझाव दिये हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

सभापति जी, यदि आप हिस्ट्री को देखें, तो आप को पता चलेगा कि देवदासी कैसे आई। पहले जमाने में तो यह सुपर-स्टेशन था, लेकिन आज-कल तो हम फैमिली प्लानिंग की ओर ध्यान दे रहे हैं। पहले जमाने में बड़े-बड़े लोगों, राजा-महाराजाओं के बच्चे नहीं होते थे। उस जमाने में योगी लोग कह दिया करते थे कि यदि आप भगवान को या किसी देवता को यह कह दें कि मैं अपना पहला बच्चा आपको अर्पित करूंगा, तो भगवान खुश हो जाएंगे और आपके यहां बच्चे होंगे। बच्चों की खातिर वे भगवान से यह माँगते थे कि भगवान आप मुझे बच्चा दो, अगर आप मुझे बच्चा दोगे, तो मैं आपको अर्पित करूंगा। इस सम्बन्ध में ऊषा जी ने और श्री व्यास जी ने अभी अपने-अपने विचार रखे हैं। इस प्रकार यह प्रथा बढ़ती गई और आज सुनकर यह ताज्जुब हुआ कि ऐसे लोग डेढ़ लाख हैं। मेरे ख्याल से इतनी संख्या नहीं होगी। खास तौर से जहां तक मुझे पता है, यह प्रथा दक्षिण हिन्दुस्तान में है। बचपन में मैंने देखा था, राजा ही नहीं, मामूली-मामूली जमींदार लोग, जो गांवों में रहते हैं, वे अपने यहां दासियां रखा करते थे। जो ज्यादा दासियों को रखता था वह बड़ा आदमी समझा जाता था इसी लिये उस वक्त आन्ध्र प्रदेश में दासिया बनाने का सिस्टम था। इसके लिए वहां कोई कानून तो नहीं बना, लेकिन बगैर कानून के ही यह चीज बहुत कम हो गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है - अभी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिलनाडू और उड़ीसा में यह सिस्टम प्रेवलेन्ट हैं। इसके लिए ऊषा जी जो बिल लाई हैं, सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने है, मैं समझता हूं - सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट को इस बिल को पास करने में कोई ऐतराज होना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है - यह प्रथा पूरे हिन्दोस्तान में नहीं है, सिर्फ

तीन-चार प्रान्तों तक ही महदूद है, इसलिए शायद उनको कुछ मुश्किलात हो सकती हैं—लेकिन जैसा मैंने अभी मालूम किया है—महाराष्ट्र, तामिलनाडु और कर्नाटक इसके खिलाफ कानून बना चुके हैं, सिर्फ उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश बाकी हैं।

श्री सत्ययारायण जटिया (उज्जैन) : मध्य प्रदेश में भी है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मध्य प्रदेश में थोड़ा सा बार्डर पर है। यू० पी० में आदिवासी सिस्टम नहीं है, लेकिन दूसरे रूप में है। बहरहाल जहां भी है, अगर स्टेट्स अपने-अपने लेजिस्लेशन बनायें तो ज्यादा अच्छी बात होगी और मैं समझता हूं इसमें उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। आप सभी जानते हैं, यह सिर्फ देवदासी सिस्टम ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे पुराने जमाने की कुछ बुराइयां भी छिपी हुई थीं। आपको याद है—हमारे यहां पहले सती प्रथा थी, जब किसी औरत का शौहर मर जाता था तो बीवी को उसकी चिता में उसके साथ जलने का सिस्टम था। लेकिन राजा राम मोहन राय और विलियन बैन्टिन्क ने कानून लाकर इसको समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन कानून के बावजूद भी उस वक्त सती सिस्टम चलता रहा, बाद में जमाने के साथ-साथ कम हो गया।

अभी एक मेंबर साहब बतला रहे थे-हमारे यहां विधवा के साथ भी बड़ी दिक्कतें थी। बचपन में हम देखते थे कि अगर कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उसकी सूरत खराब करने के लिये उसके बाल कटवा दिये जाते थे। शादी के मौके पर उसको नजदीक नहीं आने दिया जाता था, मन्दिर में जाने के लिये भी इजाजत नहीं दी जाती थी। तुम विडोहो, इसलिये तुम को यहां आने की जरूरत नहीं है। एक तरह से अन-सोशल-एलीमेंट बनाकर रख दिया था। हमारे यहां आंध्र में एक "श्री वीरेशलिंगम पंतुलु" नाम के बहुत बड़े सोशल रिफार्मर हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इस रिफार्म को चलाया, खुद विधवा से शादी करने को तैयार हुए और उनकी वजह से यह सिस्टम वहां खत्म हो गया। इसी तरह से तामिलनाडू में श्री सुब्रह्मण्म भारती, पोएट हुए हैं, जिनकी सैन्टिनरी अभी हाल में मनाई गई है। उन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। समाज में जितने सोशल-ईविल्ज थे उनको दूर करने के लिए इस महापुरुष ने बहुत कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद भी यह दुर्भाग्य की बात है—35 साल की आजादी के बाद भी हम यह सुनते हैं कि देवदासी सिस्टम प्रेवलेन्ट है। मैं एक बात कहना चाहता हूं—सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, कानून काफी नहीं है। समाज में जितनी महिलायें हैं, चाहें किसी भी पार्टी की हों, प्रमिला दंडवते जी हैं, आप हैं, सब मिलकर जहां कहीं भी औरतों के खिलाफ कोई ऐसा काम होता है, जैसे ट्रैफिकिंग-इन-वुमेन या दूसरी बुराइयां हैं, सब एक आवाज में उसके खिलाफ आवाज उठायें। अभी व्यास जी ने भी कहा था और हमें मालूम है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में क्या हो रहा है। किसी ने कहा कि नाम बतलाओ, नाम की जरूरत नहीं है, इसके लिये तो किताबें छपी हुई है, इन शहरों में बड़े-बड़े लोग औरतों को रखकर क्या-क्या तमाशे कर रहे हैं। इसके खिलाफ कानून है, लेकिन वे इतने ताकतवर हैं कि कानून की जद से भी बच जाते हैं। इसलिये आप सब लोगों को मिलकर इसके खिलाफ आन्दोलन करना चाहिये। इतना ही नहीं, औरतों के खिलाफ और जो दूसरी जो चीजें हैं, जैसे शौहर अपनी बीवी को ठीक तरह से नहीं देखता है, लोग यह समझते हैं कि महिला तो एक अबला है। इससे क्या होता है। आज हमारे

देश की प्रधान मन्त्री एक महिला हैं और हमारे देश की ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी महिला प्रधान मन्त्री हैं। पिछले जमाने को हम देखते हैं तो रानी लक्ष्मी बाई जैसी वारयर हमारे देश में हुई हैं। जो लोग यह समझते हैं कि औरतें अबला हैं और कुछ नहीं कर सकती हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। इसलिए मैं इस बिल का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

मैं एक मिनट में खत्म करूंगा। इसी से संबन्धित एक दूसरा सवाल है और कल यहाँ पर बेगर्स के मुत्ताल्लिक सवाल आया था। वह भी एक सोशल इविल है और बेगर्स का सम्बन्ध केवल दिल्ली से ही नहीं है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को ही उस के बारे में कुछ करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। यह तो पूरे देश की समस्या है और एक सोशल इविल है जो कि एक न्यूसैंस बन गया है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कोई काम नहीं कर सकते हैं। वे अन्धे हैं, उनके टांगें नहीं हैं या उनके हाथ नहीं हैं और वे मन्दिरों के पास बैठकर भीख मांगते हैं लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक प्रोफेशन बनाया हुआ है और आज हम यह देखते हैं कि एक-एक बैगर लखपति हो गया है और इस धन्धे से उसने लाखों रुपया कमाया है। पैसा कमाने के लिए बच्चों को उठाकर ले जाया जाता है और उनसे भीख मंगवाई जाती है, जो कि एक बड़ी खराब बात है। ऐसी जितनी भी बुराईयां हमारे देश में हैं, उनको जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम नहीं समझते कि हमारा देश सही मानों में आजाद है। देश ने काफी तरक्की की है लेकिन सब कुछ होने के बावजूद हम को समाज से ऐसी बुराइयों को दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।

आपका ज्यादा समय न लेते हुए, मैं श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वे बहुत मेहनत करके इतना अच्छा बिल लाई हैं।

सभापति महोदय : इस विधेयक को निपटाने के लिए दो घंटे निर्धारित किये गये थे। अब केवल 40 मिनट रह गये हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात कम से कम शब्दों में कहें।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसका सम्बन्ध सामाजिक परिस्थितियों से है। आप कृपया सदस्यों को बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई भी न बोलें। माननीय सदस्यों को वही बात दुबारा से नहीं कहनी चाहिए और अपना भाषण पांच मिनट के अन्दर खत्म कर देना चाहिए।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : इसको आज ही समाप्त नहीं कर देना चाहिए।

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति महोदय, हम इस संसद के माध्यम से समय-समय पर कुछ अच्छे विधेयकों पर चर्चा करते हैं और ऐसे विधेयकों में से यह भी एक अच्छा विधेयक है, जिसको बहन श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ने इस सदन में रखा है।

हमारे देश के अन्दर समाज में जो कमियां हैं और बुरी प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को तोड़कर नई अच्छी प्रथाओं को स्थापित करना हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। हमारे देश की

आजादी की कल्पना तब तक अधूरी है जब तक हम सही अर्थों में देश के सभी लोगों को समान रूप से समानता के अधिकार दिला नहीं पाते । मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक ऐसा नही होता तब तक सही अर्थों में हमारी आजादी की कल्पना हमारी आजादी का सपना पूरा नहीं होगा । हम जिसे अबला कहते हैं, उस पर शासन करने की प्रवृत्ति सबल व्यक्ति की होती है । ऐसा मनुष्य अपनी सुविधा के लिए बड़ा खुदगर्ज होकर, स्वार्थी होकर दूसरे का शोषण करने के नजरिये से खुद नये नियम बनाता है और समाज को उसमें इन्वोल्व करके, किस प्रकार से उसमें उसका हित हो सके, इस प्रकार से इनको बनाता है और उससे ऐसी परम्परा बन जाती है, जो कि निश्चित रूप से हमारे लिए कंलक की बात होती है । समय-समय पर हमारे देश में अच्छे लोग हुए हैं उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया था कि इस तरह की सामाजिक बुराइयों पर फतह पाई जाए ।

यह बात केवल कुछ प्रांतों तक ही सीमित है । ऐसा मैं नहीं मानता । यह मनुष्य की दुष्प्रवृत्ति हम कहीं भी देख सकते हैं और हमें पता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी ऐसा होता है । अभी अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था किस तरह से लड़कियों को जोकि जिन्दा लाशों के समान है, बेचने और खरीदने का धन्धा चलता है । कई लोग इस काम में लगे हुए थे । उस सारी बात का पर्दाफाश हुआ । कुछ बातें छिपी हुई हैं । जब तक बात छिपी होती है उससे भी हानि होती है ।

प्रकट में हम यह बात समझते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सड़कों के किनारों पर लोग छोटी-छोटी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं । उनकी जीविका का और कोई धन्धा नहीं होता है । उनके यहाँ लड़कियाँ अपने शरीर को बेचकर अपने पेट की आग को बुझाती हैं । यह कोई अच्छा धन्धा नहीं है । यह भी बात नहीं है कि यह सब वहीं होता है । ऐसी परिस्थितियां सारी जगहों पर है । मध्य प्रदेश में भी इस तरह की सारी बातें हैं । वहां भी सड़क के किनारे पर झोपड़ी डाल कर लोग धन्धा चलाते हैं । सबसे बड़ी लड़की इस काम को करने वाली होती है और वह इसलिए यह काम करती है कि उसकी शादी नहीं होती है । अगर उसकी शादी न हो तो उसका जीवन किस तरह से बीते । जैसे उसका युवापन समाप्त होता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, तब जाकर उसे पता लगता है । उम्र बढ़ने के साथ-साथ उसकी समस्याएं बढ़ती है । यह सारे देश के लिए कंलक की बात है ।

इस प्रकार के सामाजिक अपराध सारी जगह होते हैं । चाहे देवदासी प्रथा हो चाहे बाछड़ा (दहेज प्रथा) प्रथा हो चाहे लड़कियों को बेचने और खरीदने का तरीका हो, यह सारा असभ्य समाज का तरीका है । हमें अपने समाज से इन सारी कुप्रथाओं को समाप्त करना होगा । देश में ऐसी कोई भी प्रथा हो, उस पर काबू पाना होगा ।

हमारा देश निश्चित रूप से मातृप्रधान देश है । हम माता के कल्याण की बात करते हैं । हम इस देश को भी मां के रूप में स्वीकार करते हैं । इस देश की मिट्टी को भी मां मानते हैं । फिर जो जानदार है, उसको हम मां के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते हैं ।

हमारे यहां तो संस्कृत में कहा गया है—

यत्र नारी पूज्यन्ते
तत्र रमन्ते देवता

लेकिन आज नारी की पूजा कहां हो रही है ? नारी की पूजा करना यह हमारे समाज के लिए आवश्यक है । मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा कि—

नारी शक्ति की प्रतीक
नारी देश का मान
नारी न होती तो
होता न यह जगत्

श्री ए० बी० सिदनाल (बेलगाम) : सभापति महोदय, मैं श्रीमती उषा चौधरी को बधाई देता हूं कि वे विचार-विमर्श के लिए यह विधेयक लायी हैं । कई वर्षों से देवदासी, ज्योति या जो भी नाम इसे दिया जाये, यह प्रथा के परंपरागत तरीके से चलती आ रही है । इस प्रथा के बारे में मेरी बहन ने विस्तार से उद्धृत किया है और मैं भी उसी क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं यानि कर्नाटक के बेलगांम जिले से, यल्लम्मा मंदिर से । पिछले 100 वर्षों से यह वहां पर हो रहा है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है । लेकिन कर्नाटक सरकार द्वारा इस विषय पर बनाये गये कानून और कुछ सामाजिक चेतना के फलस्वरूप इसमें काफी कमी आई है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है ।

श्रीमन् इस समस्या को कई पहलुओं से देखा जाना है । मात्र कानून बनाने से ही यह बातें खत्म नहीं हो जातीं । इसको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और समाज के नजरिये से देखना होगा । इसका हल ढूंढने के लिए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा । मिसाल के तौर पर यह प्रथा केवल समाज के छोटे तबके तक ही सीमित है, न कि उच्च समाज में । वे ही इसके क्यों शिकार हैं और वर्षों से इसे क्यों परंपरागत ढंग से अपनाते आ रहे हैं ? सरकार द्वारा कानून बना देने से ही ये बातें खत्म नहीं की जा सकतीं । उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि पिछले 100 वर्षों से भारतीय दंड संहिता और अपराधिक दंड संहिता हैं, लेकिन अभी भी जुर्मों पर नियंत्रण नहीं किया जा सका है । मैं यह कहना चाहता था कि सामाजिक वातावरण को पूरी तरह से बदलना होगा ।

उदाहरण के तौर पर शिक्षा पर सबसे पहले ध्यान देना होगा । सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है लेकिन समुदाय विशेष और स्थान विशेष पर राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा इस विषय पर विशेष ध्यान देना होगा । उपायुक्त जैसे या इसी ग्रेड के अन्य विशेष अधिकारियों और उनके कर्मचारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आदेश देना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ घर-घर जाकर लोगों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षित करना चाहिए । तभी हम कुछ परिणामों की आशा कर सकते हैं । यह प्रथा सारे देश में नहीं पाई जाती है । यह देश के केवल कुछ एक हिस्सों में ही पाई जाती है ।

वेश्यावृत्ति का अन्य रूप, नियमित रूप से बड़े नगरों में भी पाया जाता है । यह प्रथा कभी भी खत्म नहीं हो सकती । इसे कानून और सामाजिक परिस्थियों द्वारा कम किया जा सकता है ।

यह समाज की इच्छा पूर्ति का एक माध्यम है। मुझे डर है कि यदि इसे पूरी तरह से रोका जाये तो इससे अन्य सामाजिक समस्यायें पैदा हो सकती हैं। मैं देवदासी प्रथा का समर्थन नहीं करता, मैं वेश्यावृत्ति के अन्य तरीकों का भी समर्थन नहीं करता हूं। कई दफा यह देखा गया है कि वेश्यावृत्ति समाज की इच्छापूर्ति का एक साधन है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अविवाहित होते हैं। इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाये, तो इसे समाज की आवश्यक बुराई मानकर, अच्छे तरीके से, व्यवस्थित किया जा सकता है, उनको नियमित और समय-समय पर स्वास्थय परीक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं। जैसा कि आम सत्य है कि नदी की तरह समाज भी अपने रास्ते खुद बनाता है। हम इसे नियत्रंत कर सकते हैं और इसे व्यवस्थित रूप से चला सकते हैं। हम इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। अगर हम इसे पूरी तरह से रोक देते हैं तो अच्छे परिवार, खुशी से नहीं रह सकते। इससे सामाजिक समस्यायें पैदा होंगी।

इस विधेयक की अपना पूरा समर्थन देते हुये, मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक विशेष समिति का गठन किया जाये, जो कि देश में जगह-जगह जाकर इस बुराई के सामाजिक और वित्तीय कारणों की जाँच करे। मूल रूपसे आर्थिक कारणों से वे इसे अपनाती हैं। हमने समाचारपत्रों में इस बारे में लेख पढ़े हैं कि कई लड़कियों ने वेश्यावृति को अपनाकर, अपने दहेज के लिए पैसे जोड़े और जिस लड़के से शादी की उसको दे दिये। क्या यह समाज के लिए शर्म की बात नहीं है? इसे केवल सरकार पर ही क्यों छोड़ दिया जाये? हर बात कानून के जरिये ही क्यों की जाये? कानून से ही सब बातें हल नहीं हो जाती। कानून अपने आप में ही पूर्व नहीं है कानून हमेशा निरोधात्मक होता है न कि उपचारात्मक। इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि इस विसय पर बारीकी से जाँच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिये।

मेरे क्षेत्र में हरिजन इस के शिकार हैं। यह प्रथा हरिजन समुदाय से बाहर भी फैली हुई है। मेरे जिले और तालुक में एक समुदाय है, जिसमें जैसे ही कन्या बालिग होती है, उनकी पसंद का एक व्यक्ति सामने आता है और आर्थिक कारणों की वजह से कन्या उसे सौंप दी जाती है और वह इस कन्या को पाँच, छः या 10 वर्षों तक अपने पास रखता है और जब उस कन्या का आकर्षण कम हो जाता है, जैसा कि इस विधेयक में भी बताया गया है, उसे (कन्या) बाहर कर दिया जाता है। इस स्थिति में, वह वेश्यावृति करने के आलावा कुछ भी नहीं कर सकती। इसे निरुत्साहित किया जाना चाहिए। आज सदन में जो विधान पेश किया गया है, उससे भी कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन कई विषयों पर चर्चा होती है और बाद में उन्हें भुला दिया जाता है। और यह मूल सामाजिक समस्या वैसी ही रह जाती है। देवदासी प्रथा में एक अबोध बच्चे को अन्धविश्वास के आधार पर भगवान के नाम पर दिया जाता है। कई संस्थान इस पर सर्वेक्षण कर रहे हैं। यथा समय यह प्रकाश में आयेगा। मैं भी उनसे सर्वेक्षण और कोई हल ढूंढने में सम्बद्ध रहा हूं।

असम में, यह पुजारी ही होते हैं जो यह करते हैं। इसको कैसे रोका जाये? आधी रात को, किसी को ले जाया जाता है, लड़की आती है। उस लड़की की मां खुद ही एक पुरानी वेश्या होती है। अगर हम उससे पूछते हैं तो वह कहती है कि हम क्या करें? हम अपना पेट कैसे भरें? हम

कैसे जियेंगे ? मैं अपने परिवार का पोषण कैसे करूंगी ? मेरा न पति है, न ही पिता है और न ही भाई है, न ही समाज मुझे अपनाता है ।

अतः इसके लिए काफी पुनर्वास की आवश्यकता है । जब हम उनके पास जाते हैं और बात करते हैं तो वे हम से भयभीत हो जाते हैं। वे हमसे बात नहीं करते परन्तु जब कोई आदमी उनके पास ग्राहक बनके जाता है तभी वे वास्तविकता प्रकट करती है । यह मेरे क्षेत्र में हुआ है जब कोई उसके पास ग्राहक के रूप में जाता है तो वे इसके बारे में पूरा सत्य सामने रख देती हैं । यदि हम समस्या का निदान ढूंढने का प्रयत्न करें तो हमें पता चलेगा कि इस समस्या का जन्म आर्थिक पिछड़े पन, सामाजिक वर्जना तथा छुआछूत की वजह से होता है । उच्च जातियों के लोग उनको घृणित दृष्टि से देखते हैं । यह एक सामाजिक समस्या है । हम इस समस्या का समाधान कानून द्वारा नहीं कर सकते ।

इसीलिए मैंने सभा से निवेदन किया है कि वह इस समस्या को सभी पहलुओं का अध्ययन करे और उसके लिए एक समिति नियुक्त करें । बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ये बातें, बहुत ही आधुनिक तरीके से की जा रही हैं । पांच तारा होटलों में तीन तारा होटलों में एक तारा होटलों और सभी वर्ग के लोगों को सन्तुष्टि की जा रही है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अतः इसको जड़ से उखाड़ फैंकने की चुनौती के रूप में लेने की बजाय हम इसे चिकित्सीय सहायता तथा मासिक तथा वार्षिक जांचों के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से कम कर सकते हैं जैसा कि अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों में किया जा रहा है ।

परन्तु भगवान के डर की वजह से इसको किसी समुदाय विशेष ने एक प्रथा के रूप में नहीं रहने देना चाहिए । यह कलंक केवल शिक्षा के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है । यदि एक एक हरिजन लड़की ग्रेजुएट है तो क्या वह हमको पसन्द करेगी ? वह हमको कदापि पसन्द नहीं करेगी । कोई भी पसन्द नहीं करेगी । यह कोई समुदाय विशेष ही नहीं । मेरा कहने का तात्पर्य है कि समाज का निचला तब का इसे आर्थिक दृष्टि से करता हैं। और यदि शिक्षा प्रदान कर दी जाये तो यह काम क्यों करेंगे ? वे इस कार्य को आनन्द स्वकल्पना या अपने व्यक्तित्व का प्रक्षेपर करने के लिए नहीं करते । वे अपना पेट पालने या अपने गांव की प्रथा के अनुसार या किसी इसी प्रकार की बात की वजह से करते हैं ।

गांवों में हमें बतलाया गया है कि एक औरत को रखैल के रूप में रखना गांव के नेता या बड़े आदमी के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय होता है और दस वर्ष बाद उसे छोड़ दिया जाता है और आगे आने वाले वर्षों में उसे यह कार्य व्यापोर के रूप में करना पड़ता है । बहुत से स्थानों पर इस प्रकार के बहुत से मामले हैं । बम्बई तथा पूना में घरवाली होती है । सभी को इसकी जानकारी है । सरकार को इसकी जानकारी है : परन्तु क्या किया जायें ? वे बड़ी धनवान बन जाती है और गांवों में आकर दूसरी लड़कियों को आकर्षित करती हैं और वस्तुतः भाई ही लड़कियों को 500 या 250 रुपयों में बेच रहे हैं ।

सब कुछ मंहगा है, बस मानव जीवन सस्ता रह गया है। इस समस्या को हमें बड़े ही गम्भीर ढंग से सुलझता है। आक्सीजन ढंग से नहीं। इसको केवल कानून द्वारा हल नहीं किया जा सकता। मैं कानून का स्वागत करता हूं मैं विधेयक का समर्थक करता हूं।

परन्तु उसके साथ ही अन्य पहलुओं पर सभी पहलुओं पर, ध्यान दिया जाना है और मैं सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं से अपील करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे हमेशा रुचि लें। शिक्षा सबसे महत्व साधन तथा माध्यम है जिसके द्वारा देवसासी तथा मुरली प्रथा की इस बुराई का उन्मूलन किया जा सकता है।

धन्यवाद।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल लाने के लिए मैं खासतौर से श्रीमती ऊषा चौधरी को धन्यवाद देती हूं। मैं उस क्षेत्र से आई हूं जहां ज्योतिबा फले प्रतिष्ठान एक संस्था है और जो देवदासियों को संगठित करने का काम करती है। आज हम यहां टोटल प्रास्टीट्यूशन पर विचार नहीं कर रहे हैं। बरट्रेन्ड रूसल ने कहा है कि वेश्या-वृत्ति एक विवाह प्रथा का तार्किक परिणाम है उसके अन्दर मैं नहीं जाना चाहती हूं। लेकिन धर्म और मजहब के नाम से गरीब और नीची जाति के तबके की लड़कियों को बेचने और उनको प्रास्टीट्यूट बनाने का काम चल रहा है। इसके ऊपर आज हम यहां विचार कर रहे हैं। 1934 में ब्रिट्रिश राज में एक कानून बना था। तमिलनाडु में भी एक कानून बना है। 1978 में कर्नाटक ने भी एक कानून पारित किया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। हर साल माघ पूर्णिमा को बेलगाम के पास एक पहाड़ है जहां पर हजारों लड़कियों को बेचा जाता है यानी यलम्मा को अर्पण किया जाता है लेकिन पुलिस को दिखाई नहीं देता। कर्नाटक में सबको पता है। हमारे देश में शारदा कानून हो गया लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में हजारों लड़कियों की बचपन में शादी होती है। मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर ने अपनी पोती का बाल-विवाह कर दिया, बड़े दुख की बात है क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं बदली है। श्रीमती ऊषा जी यह बिल यहां लाई हैं लेकिन बिल की वजह से कानून नहीं बनने वाला परंतु इसकी आवश्यकता हमारी सरकार के ध्यान में आ जायेगी कि जितने कानून प्रास्टीट्यूशन के बारे में है, उनका संकलना करके सेन्ट्रल गवर्मेंट का एक कानून बनना चाहिए जिससे कम से कम यह जो गरीबी धर्म या भ्रामक कल्पना की वजह से अगर लड़कियों को प्रास्टीट्यूट किया जाता है, उसको हम कैसे रोकें। मैं आपको दो-तीन बातें बताना चाहती हूं। ज्योतिबा फल प्रतिष्ठान के जवान कार्यकर्त्ताओं ने एक जगह पर जहां यह होता है। जहां लड़कियों को बेचा जाता है उसको झुलुआ कहते हैं। वह शादी का एक तरीका होता है। वह समारोह चल रहा था। उस समय जाकर नौजवान कार्यकर्ताओं ने लड़कियों को बचाने की कोशिश की कि शादी नहीं होने दी जाय। और जब पुलिस के पास गये और कहा कि सरकारी कानून के खिलाफ यह काम हो रहा है तो पुलिस ने कहा कि यह तो कानूनी कार्यवाही चल रही है। तो महाराष्ट्र में जहां 1934 में यह कानून बना वहां की पुलिस को पता नहीं था कि ऐसा भी कानून है जिसके अनुसार इस तरह की शादी नहीं हो सकती। उल्टे जो लड़कियों को बचाने का काम कर रहे थे उनको पकड़ने की कोशिश हो रही थी। आगे जाकर मैजिस्ट्रेट ने बताया कि हां ऐसा कानून है। तो बम्बई में जहां सौशल रिफार्म्स भूवमेंट बहुत सालों से चल रहा है वहां यह बात है।

आगरा में गीता नाथ की लड़की को छुटकारा दिलाने के लिए छात्र संघर्ष वाहिनी के लड़कों ने उसको बचाया। मधु को जब पुलिस ने पीटा तो बार-बार यह कहते थे कि हम आपको गीता बनाने वाले हैं। मैं पुलिस पर इल्जाम नहीं लगाती क्योंकि वह भी समाज का ही हिस्सा हैं, लड़कियों को बेचना गलत काम है उसमें उनको सहयोग करना चाहिए इस प्रकार की शिक्षा उन्हें नहीं है जिसके कारण यह गलत काम रोकने के लिए वह आगे नहीं आते। इसलिए पुलिस, जहां हजारों की तादाद में लड़कियों को बेचा जाता है वहां हाजिर रहते हुए भी अनभिज्ञ रहती है और केवल बन्दोबस्त करना ही अपना काम समझती है और इस प्रकार के गैर-कानूनी काम को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाती।

स्टेटस आफ वीमेन्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, -1965 में बम्बई की फोरास रोड की जांच की जहां काफी संख्या में वेश्यायें हैं. यह बम्बई का बहुत बड़ा इलाका है, उन्होंने कहा कि 30 प्रतिशत वेश्यायें देवदासी हैं। आज उनकी संख्या और भी बढ़ गई होगी।

1976 में गढ़हिंगलज में उनकी पहली कानफरेंस हुई जहां पर उन्होंने कहा कि हम इस काम को छोड़ना चाहती हैं, हम घर बसाना चाहती हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहती हैं। लेकिन स्कूल में भेजती हैं तो बाप का नाम पूछते हैं और बाप का नाम नही है इसीलिये पढ़ना मुश्किल होता है। श्रीमती उषा चौधरी ने जो सुझाव दिया है मैं उसके पक्ष में हूं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी मां का नाम लिखाने की इजाजत मिलनी चाहिये। सिर्फ इन्हीं के बच्चों के लिये नही, बल्कि सरकार की ओर से कानून होना चाहिये कि कोई भी बच्चा अगर मां के नाम से अपना नाम लिखवाना चाहता है तो उसको यह कानूनी अधिकार होना चाहिये। जो आदमी शराब पीने वाला है, और अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरी जगह जाता है उसके बच्चों को अपनी मां के नाम से स्कूल में जाने का कानूनी अधिकार होना चाहिये। और अगर देवदासी के बच्चों को इस प्रकार का अधिकार दें तो दुनिया जानेगी कि यह देवदासी के बच्चे हैं। इसलिये सरकार इस प्रकार का कानून लाये इस देश में कोई भी बच्चा पिता के नाम से ही अपना नाम न पाये, बल्कि अपनी मां के नाम से भी नाम रखने और लिखने का उसे कानूनी अधिकार हो। इस इस प्रकार का कानून लाने की आवश्यकता है।

झुलुआ में लड़कों को भी बेचा जाता है। लेकिन लड़का गाय देकर छुटकारा पा सकता है। लेकिन लड़की को छुटकारा नहीं। एक बार यदि यलम्मा की बन गई तो जिन्दगी भर उसे देवदासी रहना पड़ता है और अनेक पुरुषों की वह देवदासी बन जाती है। इसलिये कम से कम अगर इन बहनों को बचा नहीं सकते तो उनके बच्चों को तो बचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए यह भी कोशिश बम्बई में हुई है फोरास रोड़ में सारे सदन को यह बात मालूम होनी चाहिये यह मैं चाहती हूं, वहां के 30 बच्चों को राष्ट्र सेवा दल के बच्चों ने उनकी मां के पास से लेकर उनको बाबा आप्टे के गुरुकुल में भेज दिया। बीच में पुलिस ने और उनके दलालों ने इतना तंग किया कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिये गये थे, उनको फिर वापस भेज दिया गया क्योंकि उसमें लड़कों से ज्यादा लड़कियां थीं। दलालों को लगा कि अगर इस तरह से लड़कियां पढ़ेंगी और आम लोगों की तरह जिन्दगी बिताने की कोशिश करेंगी तो हमारा धन्धा कैसे चलेगा। आज वह 30 के 30 बच्चे वापस फोरास रोड पर चले गये।

मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहती हूं कि आप इस बारे में जांच कीजिए कि कौन से बच्चे थे जिनको गुरुकुल में भेजा गया था और कौन से बच्चे वहां से वापिस गये ? इनके लिये कौन जिम्मेदार है। पुलिस ने उनकी मदद की है या नहीं। इस बारे में जांच की जानी चाहिये।

देवदासियों की कांफरेंस में जो बात हुई है, वह मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि भाषण करने से कुछ नहीं होगा। उनकी कांफरेंस में जो रैज्यूलूशन पास हुआ है वह मैं आपके सामने रखना चाहती हूं और अपना भाषण खत्म करना चाहती हूं। मेरी प्रार्थना है कि आज जो सुझाव यहां पर आये हैं, सिर्फ इस पर बहस कर के ही हम न रहें, सरकार की ओर से एक कमेटी नियुक्त की जाये और प्रास्टीच्यूशन का जो प्राबलम है, उनके बारे में गंहराई से सोचा जाये।

आज दिल्ली शहर में बड़े-बड़े होटलों में क्या हो रहा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान खींच रही हूं, कैबरे डांस और काल गर्ल की ओर आपका ध्यान नहीं खींच रहीं हूं, आज अच्छी-अच्छी लोकेलिटीज में प्रास्टीच्यूशन हो रहा है, यह मैं यहां नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन देवदासियों की कान्फरेंस में जो मांग हुई है, जो उन्होंने पास किया है, उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं।

उनकी मांग है कि—

(1) देवदासी बन्दी कानून पर कड़ाई से अमल हो तथा जो देवदासियां बन गई हैं, उनको सरकारी मदद और नौकरियों में आरक्षण मिले,

(2) इस इलाके के लोगों के अज्ञान और गरीबी का फायदा उठाने वाले वेश्याओं के दलालों के खिलाफ कार्यवाही की जाये,

(3) देवदासियों को सरकारी नौकरियों में लिया जाये,

(4) वृद्धा देवदासियों को पेंशन मिले,

(5) पिछड़े और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं देवदासियों के बच्चों को भी मिलें।

(6) देवदासियों के लड़कों को अपने पिता की सम्पत्ति पर अधिकार हो।

जो हमारे पहले वक्ता ने कहा है कि बहुत आवश्यक है मैत्री-करार की। यह मैत्री करार गुजरात राज्य में अहमदाबाद में हो गया है वह भी वहां की सरकार ने रद्द कर दिया। मैत्री करार जानबूझकर समझकर बहिनें करती हैं, लेकिन देवदासियों के बच्चों और उनके जीवन के लिये हमें सच्चे रूप में कुछ करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि देवदासी प्रथा चलती रहती है केवल तभी ये सब मांगे उठती है। आप इस प्रथा को ही समाप्त करने की मांगे क्यों नहीं करते। एक सभ्य देश में देवदासी क्यों रहे। इस प्रथा के उन्मूलन के लिए मांग करिये।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मैं कहती हूं कि देवदासियों को हम मुक्त नहीं कर सकते । जब तक कि पुरुष की लालसा है, देवदासियां रहेंगी । क्या आप कहते हैं ? अगर मैं कहूं कि पुरुष की वासना की वजह से हमारे समाज में प्रास्टीच्यूशन चल रहा है, एक नहीं दूसरे नाम से तो यह गलत नहीं होगा ।

मैं मानती हूं कि डाउरी प्राहीबीशन एक्ट न होकर डाउरी एबालीशन एक्ट होना चाहिये । उसी तरह से देवदासी एबालीशन एक्ट बनाया जाना चाहिये, लेकिन उसके पहले जो देवदासी बनी हैं, उनके लिये क्या करें ? उनके बच्चों के लिये क्या करें ? किस तरह से देवदासी प्रथा को पूरी तरह से खत्म किया जाये ? इसीलिये मैंने उनकी मांगे आपके सामने रखी हैं, इन पर आप विचार करें और आप कुछ कदम उठायें । सोशल वैलफैयर मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, लेकिन वे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं । फिर भी वह कौन सी सुविधाएं दे सकते है, इस पर अवश्य विचार करें । इस प्रथा को समाप्त करने के लिये हम सब को मिलकर प्रयास करना करना चाहिये, ऐसी मेरी प्रार्थना है ।

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गए इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । मैं विधेयक के प्रस्तावक को भी इतने महत्वपूर्ण विषय पर सभा का ध्यान केन्द्रित करने के लिए बधाई देता हूं । परन्तु उन्होंने सभा का ध्यान विस्तृत विषय के एक भाग की ओर ही आकर्षित किया है जो कि वास्तव में हमारे समाज पर एक धब्बा है । मैं इसको, विषय, का एक भाग इसलिए कहता हूं क्योंकि इसे विधेयक में केवल 'देवदासी' प्रथा का ही जिक्र किया गया है ।

महोदय, मैंने इस सभा में 'स्त्रीत्व की प्रतिष्ठा का संरक्षण विधेयक' प्रस्तुत किया था मेरी चिन्ता केवल उन्ही स्त्रियों के स्तर और प्रतिष्ठा के लिए नहीं है जो देवदासी प्रथा को अपना रही हैं और अपनाने के लिए बाध्य की जा रही हैं बल्कि मैं स्त्रीत्व की सम्पूर्ण प्रतिष्ठा के बारे में चिन्तित हूं । उस प्रतिष्ठा पर कई दिशाओं से आक्रमण किया गया है । केवल देवदासी प्रथा की दिशा में ही नहीं केवल वैश्यावृत्ति की दिशा में ही नहीं परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जो मुझसे पहले बोले, उन्होंने कहा कि इस पर 'सहचारिता संविदा उपपत्नीत्व' या "रखैल प्रेमिका" तथा अन्य बहुत सी बातों जैसी तथाकथित वैध अवधारणाओं के अन्तर्गत भी आक्रमण किया जा रहा है । ये वास्तव में देश में नारीत्व की प्रतिष्ठा से सम्बन्धित विषय हैं ।

हमारा समाज गर्व के साथ कहता है कि हमारी संस्कृति में नारीत्व की पूजा की जाती है और नारी की प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाता है । परन्तु व्यवहार में हम देवदासी तथा अन्य प्रथाओं को चलाकर इस गर्व की उपेक्षा कर देते हैं । यह राष्ट्र के लिए तथा विश्वभर के मानव समाज के लिए लज्जा की बात है ।

आप यह कहकर कि वैश्यावृत्ति एकपत्नी प्रथा का स्वाभाविक परिणाम है, इस विषय से बच नहीं सकते । यदि आप एक मानव है; यदि आप एक प्रतिष्ठा मानव बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी पाशविक वासनाओं पर नियंत्रण करना होगा, आपको अपनी पाशविक गतिविधियों को रोकना होगा, और आपकी सभ्यता की मात्रा आपके चरित्र पर निर्भर है । अन्यथा आप अपने

आपको अन्य पशुओं से भिन्न होने का दावा नहीं कर सकते। आप अपने पाशविक व्यवहार तथा पाशविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करके ही वास्तविक मानव बन सकते हैं अतः यह कहने का कोई लाभ नहीं कि वैश्यावृत्ति एकपत्नी प्रथा का स्वाभाविक परिणाम है। क्या आप समझते हैं कि एकपत्नी प्रथा का त्याग करके मानव समाज आगे बढ़ सकेगा ? हमारा उत्तर है कि आप यह नहीं कर सकते। इसलिए आप यह कह कर कि वैश्यावृत्ति एकपत्नी प्रथा का स्वाभाविक परिणाम है। अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं जाते। यह वास्तविक बुराई है; इसको समाप्त करना आवश्यक है; इसपर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। अतः उस दृष्टिकोण से, मैं कहता हूं कि इस विधेयक के अन्तर्गत विषय का एक भाग ही लिया गया है अत. सैद्धान्तिक रूप से इस विधेयक का मैं दिल से समर्थन करता हूं।

कुछ संदेह व्यक्त किये गये हैं; कुछ स्पष्टीकरण दिये गये हैं। मैं किसी की बात का खण्डन नहीं कर रहा हूं; मैं केवल स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं उनको समझने का प्रयत्न कर रहा हूं।

सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा गया है कि यह आर्थिक बुराई है : हाँ, यह आंशिक रूप से सत्य है। यह एक सामाजिक बुराई है। हां, यह भी आंशिक रूप से सत्य है। यह एक नैतिक बुराई है। यह भी आंशिक रुप से सत्य है नैतिक अवधारणाओं का सृसमाज द्वारा किया गया है जिसने धर्म का सृजन किया है, और जब यह कहा जाता है कि यह एक धार्मिक विषय है, यह भी केवल आंशिक रूप से सत्य है तथा धर्म भी अन्य कारणों के साथ-साथ समान रूप से उत्तरदायी है।

अतः इस बुराई का इन सभी दिशाओं में मुकाबला किया जाना है, सिर्फ एक दिशा से ही नहीं बल्कि सभी दिशाओं से किया जाना है। कानून को अपनी भूमिका निभानी है। परन्तु इसकी अपनी सीमायें हैं इसका अपना कार्य-क्षेत्र है जिसके परे यह नहीं जा सकता। सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। परन्तु बहुतो को यह नहीं मालूम कि इसकी अपनी सीमाये हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि एक भारी आन्दोलन होना चाहिए देवदासी प्रथा तथा उन सभी प्रकार की अपतिष्ठाओं से लड़ने या उनको दूर करने के लिए एक सामाजिक आन्दोलन होना चाहिए जो कि इस ओर से स्त्रियों को सहन करनी पड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर 'दहेज' दूसरी सामाजिक बुराई है जिसको सामाजिक धरातल पर हल किया जाना है। मैं इसके नैतिक और धार्मिक पहलुओं पर नहीं जा रहा हूं। वे कहते हैं कि यह इन लोगों की आर्थिक दशाओं के कारण है। ये बातें आर्थिक हालातों औरग रीबी की बजह से होती हैं। सत्य है, आंशिक रूप से यह ठीक है। इस प्रकार की गरीबी केवल देवदासियों के माँ बाप के सामने ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों के सामने भी है। शायद यहाँ पर वे ऐसा महसूस कर सकते हैं कि यह गरीबी पर विजय पाने की एक युक्ति है। सत्य है, कुछ हद तक यह ठीक है। परन्तु यह कहना गलत ही नहीं बल्कि एक प्रकार से स्थिति का सामना करने से बचना भी है। अतः इस दिशा में सबसे पहली तथा महत्वपूर्ण गतिविधि इन बुराईयों का उन्मूलन करने के लिए भारी सामाजिक आन्दोलन होना चाहिए।

यह कहने का कि यह हमारी संस्कृति है कोई लाभ नहीं है।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते
रमन्ते तत्र देवता:

लेकिन अब, न रमन्ते तत्र देवता: यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते ।

इसका अर्थ है जहां नारी की पूजा होती है, वहाँ देवी देवता निवास करते हैं । लेकिन यदि नारी की पूजा ही नहीं की जाती तो आप यह दावा कैसे कर सकते हैं कि वहां देवी-देवता रहते हैं ? अत: इस बुराई को दूर करने के लिए व्यापक सामाजिक आंदोलन होना चाहिए । लेकिन कानून भी बराबर अपनी भूमिका निभा सकता है । यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि कानून अपनी भूमिका नहीं निभायेगा, इसका कार्यान्वियन नहीं किया जा सकता । लेकिन यदि आप उचित कानून बनाएं, तो यह अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा सकता है ।

महोदय, मेरा निवेदन है कि कानून को कानून के उपबंधों से ही आंका जाना चाहिये, जो इसे प्रभावी बनाते हैं । ऐसे कानून के मामले में, यदि आप इसे अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो दंडात्मक उपबंध और अधिक होने चाहिए । उदाहरण के लिए स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 3 से 9 में दंडनीय उपबंधो का उल्लेख है । संबंधित लोगों को 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष या उतने ही समय के लिए कैद की सजा दी जायेगी । यह एक समान्य उपबंध है जिसमें हमें परिवर्तन करना होगा । हमें उससे आगे बढ़ना होगा । मैं कहता हूं कि आदमी और औरत के बीच अनियमित संबंधों को पता लगाना संभव नहीं होगा । लेकिन यह सम्बन्ध निरन्तर रहता है तो इसका पता लगाकर इस पर नियंत्रण किया जा सकता है । निरन्तर सम्बन्धों का पता लगाना कठिन नहीं हैं । लेकिन अनियमित संबंधो का पता नहीं लगाया जा सकता । मेरा मत आप पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन आपके विचार के लिए मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं । मेरा पहला सुझाव यह है कि आदमी और औरत के बीच संबंधों को कानूनी तौर पर पत्नी और पति के रूप में माना जाये । वे कानूनी रूप से विवाह सूत्र में नहीं बंधे हों तो भी हमें उस औरत को कानूनी रूप से पत्नी का दर्जा देना चाहिये और उसे तथा उनके बीच सम्बन्धों के कारण पैदा हुए बच्चों को माता-पिता की संपत्ति के तथा उत्तरधिकार के सभी अधिकार मिलने चाहियें ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के लिए नियत समय पूरा हो चुका है । मेरा निवेदन है कि आप इसकी अवधि एक घंटा और बढ़ाने पर विचार करें ताकि इस विधेयक पर पूरी तरह चर्चा की जा सके ।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : संभवत: समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आरम्भ में इस विधेयक के लिए 2 घंटे का समय नियत किया गया था और अब समय करीब-करीब पूरा हो चुका है । अभी 4-5 सदस्य ऐसे हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं । यह आप पर निर्भर है कि क्या इस विधेयक पर चर्चा के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए अथवा नहीं ।

कई माननीय सदस्य : इसका समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन इससे सहमत है कि समय एक घंटा और बढ़ाया जाये ।

कई माननीय सदस्य : जी हां,

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए समय 1 घंटा और बढ़ाया जाता है । सभी सदस्यों को अपना भाषण आज शाम 6 बजे तक पूरा करना होगा । मंत्री महोदय और प्रस्तावक अगली बार बोल सकते हैं ।

श्री पाटिल अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री ए० टी० पाटिल : महोदय, किसी व्यक्ति को जो आफर देता है । जो स्वीकार करता है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सहायता करता है, प्रोत्साहन देता है, या दबाव डालता है, अथवा जो वेश्यालय चलाता है या इस विधेयक में बताएं गए देवदासी आदि के नाम पर वेश्यावृत्ति करवाता है । दंड देने के अतिरिक्त यह कार्यवाही की जा सकती है कि उनके सम्बधों को कानूनी रूप से पति और पत्नी का रिश्ता माना जाये जिसके परिणामस्वरूप उनसे पैदा हुए बच्चों को सब अधिकार मिल सकें ।

माननीय सदस्य, श्री सत्यनारायण राव ने कहा कि पहले राजा लोग कुछ अंधविश्वासों के ऐसी लड़कियों को अपने पास रखते थे अथवा खरीदते थे ।

श्री एम० सत्यनारायन राव (करीम नगर) : वे ऐसा अपनी प्रतिष्ठा के लिए करते थे ।

श्री ए० टी० पाटिल : यह बहुत घृणा की बात है, यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा के लिए औरतें खरीदना चाहता है । वह सबसे बड़ा अपराधी है । समाज को कानूनी तौर पर उसे अपराधी मानना चाहिये । यह मात्र सामाजिक कंलक ही नहीं माना जाना चाहिए । कानून को ऐसे व्यक्ति को अपराधी ठहराना चाहिये । प्रतिष्ठा की यह धारणा अपराध है । लेकिन यदि इसे कानूनी बना दिया जाता है तो उनसे उत्पन्न हुई संतान को वैध संतान के रूप में उस व्यक्ति की संपत्ति से पूरा हिस्सा मिलेगा जो लड़कियां खरीदता है ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है । यदि संभव हो तो कानून में संबन्धित व्यक्ति के नागरिक और राजनैतिक अधिकार, जिसमें उसके सांवैधानिक अधिकार भी आते हैं । उदाहरण के लिए मौलिक अधिकार, छीन लिये जाने का विधान भी होना चाहिये । और यदि संबन्धित व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है तो उसे 226, 227, या 32 आदि अनुच्छेदों के अन्तर्गत न्यायालय जाने का अधिकार नहीं होना चाहिये । उसके मौलिक, राजनैतिक और नागरिक अधिकार भी छीन लिए जाने चाहिए । ताकि उसे यह महसूस हो सके कि वह अकेला है । जो ऐसा करता है उसे यह महसूस करना चाहिये कि वह अपराधी है । यह निवारक कार्यवाही होगी ।

मेरा तीसरा सुझाव शायद बहुत से लोगों को स्वीकार न हो । फिर भी मैं वह सुझाव

प्रस्तुत करना चाहता हूं। और वह यह है कि क्या समाज के लिये यह संभव नहीं कि ऐसे व्यक्तियों को समाज से निकाल दिया जाये? समाज को ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार करना चाहिये। कानून भी अपनी भूमिका निभा सकता है। कानून ऐसे व्यक्तियों के बहिष्कार के मामलों में अपवाद कर सकता है और यह कह सकता है कि ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार वैध मानना विधि मान्य है तब उसे दंड दिया जा सकता है।

मेरा निवेदन है कि इस समस्या से निपटने के लिए कोई समिति आदि बनाने की आवश्यकता नहीं है। समस्या इतनी अधिक स्पष्ट है कि इसके लिए ऐसी समिति बनाना आवश्यक नहीं है जो पूरे देश का दौरा करे और यह पता लगाये कि कहाँ क्या हो रहा है, और किस पर निषेध लगाने की आवश्यकता है आदि। अतः सरकार को इस मामले को बिना किसी समिति को भेजे तुरन्त लेना चाहिये और इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार करके उसे सदन के समक्ष आना चाहिये। पूरा सदन खुले दिल से इस उपाय का समर्थन करेगा। पूरा समाज इसका समर्थन करेगा। और महोदय मुझे यह कहना है कि यदि सरकार निश्चित प्रस्ताव लेकर सदन के समक्ष नहीं आती, तो यह सरकार की ओर से कर्त्तव्यच्युति होगी।

एक माननीय सदस्य : और कर्त्तव्य का परित्याग।

श्री ए० टी० पाटिल : यह न केवल कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही है, मैं तो कहता हूं कि यह कर्त्तव्य का परित्याग है, समाज की रक्षा करना सरकार का जन्मसिद्ध कर्त्तव्य है। अतः इस कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए, यह आवश्यक है कि सरकार निश्चित प्रस्ताव लेकर आगे आए। यह कहने का कोई फायदा नही कि हम इससे सहमत हैं, लेकिन हमें इस पर विचार करना होगा : नहीं। सरकार को निश्चित रूप से सदन को आश्वासन देना होगा कि यह न केवल इस बुराई के सम्बन्ध में बल्कि पूरे मामले के संबंध में निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः श्रीमती ऊषा चौधरी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मामले पर सदन के अन्दर तथा इसके बाहर के लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देवदासी जैसी कुप्रथा के निवारण के सम्बन्ध में 1981-82 के बजट सत्र में 19 मार्च को मैंने नियम 377 के तहत इस प्रश्न को उठाया था और मैंने सरकार से प्रार्थना की थी कि सरकार को प्रभावकारी तरीके से इस कुप्रथा को मिटाने के लिए कोई न कोई उपाय करना चाहिए लेकिन मुझे खेद है कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्या श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी को बधाई दूंगा कि इस प्रथा के एबोलीशन के लिए वे यह बिल लाई हैं।

इसके तहत में अगर हम जाएं, तो जैसा कई पूर्व-वक्ताओं ने बताया है इसका मुख्य आधार रूढ़िवादिता और अन्धविश्वास है, जो हमारे देश में धर्म के नाम पर चला आ रहा है। ये इसके पीछे मुख्य कारण हैं और हमारा दुर्भाग्य है कि हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे अन्दर ऐसी प्रवृत्ति है कि हम ऐसे धर्म की भर्त्सना करने में हिचकते हैं, जिसकी छाया में इस प्रकार के गन्दे काम चला करते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि झूठे धर्म के नाम पर गरीब और

मेहनतकश लोगों का शोषण हुआ है । पहले भी हुआ है और अब भी होता चला आ रहा है । तो मैं यह चाहूंगा कि सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ऐसी जो भावनाएं हैं या ऐसा जो अन्धविश्वास है, वह समाप्त हो । कुछ हम ऐसा महसूस करते हैं और हमारा ध्यान इस जन्म को सुखी बनाने का नहीं होता है बल्कि हम इससे ज्यादा अगले जन्म की बात सोचते हैं । हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, नंगे रहेंगे और दुःख जितने दर्द हैं, वे सब हम इस जन्म में उठाएगें लेकिन अगले जन्म की हम चिंता करेगें कि उस जन्म में हम किस तरह से अच्छी तरह से रहें । सारी बुराई की जड़ यहां पर होती है लेकिन इस जड़ पर प्रहार करने में लोग कतराते हैं । आप आकाशवाणी को ही लीजिए । उसमें रोजाना सुबह तुलसीदास जी की चौपाईयां पढ़ी जाती हैं जिन्होंने महिला की निंदा की है लेकिन कबीर या सुब्रह्मण्यम भारती के विचारों को प्रसारित नहीं किया जाता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सभी से कहना चाहता हूं चाहे वे सरकारी पक्ष के लोग हों, चाहे समाजवादी लोग हों कि इसकी अपनी कमजोरियां हैं । इसको हमें हटाना है। जब हम इसे सही मायनों में हटायेंगे तभी यह बुराई दूर होगी । वरना हम बातें करते रहेंगे और बुराई दूर नहीं हो सकेगी ।

इसके बारे में कानून बनते चले आये हैं । पीछे भी कानून बने हैं । इसको हटाने के लिए पिछली 25 नवम्बर को कर्नाटक की विधान सभा में एक कानून पास किया गया और उससे आशा बन्धी थी कि यह बुराई बहुत हद तक दूर होगी । लेकिन नवम्बर के बाद दिसम्बर में वहां की एलम्मा पहाड़ी पर जो देवी है, उसके लिए एक मेला लगता है । हजारों की संख्या में लड़कियाँ उस देवी को समर्पित कर दी जाती हैं, देवदासी बना दी जाती हैं । जिस कानून से यह आशा बन्धी थी कि उसके पास होने के बाद यह प्रथा कम होगी लेकिन उसके अगले महीने दिसम्बर मास में ही हजारों की संख्या में लड़कियां देवदासियां बनायी गयीं । छोटी-छोटी, पांच, छः, सात साल की लड़कियों को देवदासी बनाया जाता है ।

मेरा कहना यह है कि इस कानून में ऐसी व्यवस्था क्यों न की जाए कि जिस मन्दिर में इस प्रकार का गैरकानूनी और अनैतिक धन्धा होता है, उसे डिमालिश कर दिया जाना चाहिए । यह क्यों नहीं होता है ? मैं तो यह भी कहूंगा कि वहां के पुजारी को गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाना चाहिए ।

इन मन्दिरों में कुछ तो देवदासियां पुस्तैनी चली आ रही हैं । उन पुस्तैनी देवदासियों के सम्बन्ध में मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उनके पुनर्वास, रोजी,रोटी, जीविका चलाने के लिए कुछ प्रभावकारी व्यवस्था की जानी चाहिए । क्योंकि यह सारी समस्या रोजी-रोटी की समस्या से जुड़ी हुई है । अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं तो पुस्तैनी तरीके से जो देवदासियां चली आ रही हैं, वे चलती रहेंगी । खाली बात करने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है । आपको उनके लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था करनी होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, कितनी हास्यपद बात है कि कोई पुजारी जब किसी सुन्दर लड़की को देखता है तो वह उसके मां-बाप से कहता है कि एलम्मा देवी से इसकी शादी होगी । खुद पुजारी पैसे वालों से सौदा करते हैं कि किसी लड़की को देवदासी बनाकर हम आपको दे देंगे । इस तरह से कई प्रकार से लड़कियों का शोषण हो रहा है ।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रदेश इसमें शामिल हैं, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, गोवा और मध्य प्रदेश। केन्द्रीय सरकार को इन प्रदेश सरकारों से तत्काल बात करके, स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर इस कुप्रथा का उन्मूलन करना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिस मन्दिर में भी ऐसा अनैतिक काम हो, या उस मन्दिर के संरक्षण में हो रहा हो तो उस मन्दिर के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन सरकार मन्दिरों के विरुद्ध कार्यवाही करने में खतरा समझती है। मैं चाहूंगा, हमारी प्रमिला जी और ऊषा प्रकाश जी चौधरी जो इस समय यहां नहीं हैं, कि वे पूर्णमासी के दिन जिस दिन की हजारों की संख्या में लड़कियों को देवदासी बनाया जाता है, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ वहां जाएं और मन्दिरों का घिराव करें और उन लड़कियों को छुडाएं। इसी तरह से इस कुप्रथा को समाप्त किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार (फरीदकोट) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज मैं अपनी बहन श्रमती ऊषा प्रकाश चौधरी को मुबारकबाद देती हूं, जिन्होंने भारत में देवदासी तथा मुरली प्रथा उन्मूलन के लिए यह बिल आज इस हाउस में प्रस्तुत किया है। जब पार्लियामेंट में कोई चीज आती है तो वह सारे देश में फैलती है। आप सबको पता ही है कि यह सदियों से चली आ रही प्रथा है। फ्यूडल सिस्टम के वक्त से अभी तक चली आ रही है। ज्यादातर दक्षिण में, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बार्डर में यह प्रथा प्रचलित है, यहां पर जो मेरे भाई कर्नाटक और महाराष्ट्र से बोले हैं और बहने बोली हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक यह प्रेक्टिस बड़े जोर-शोर से चल रही है। अब देखने वाली चीज यह है कि किस बिना पर यह शुरू की गई। मैं पढ़ कर आपको सुनाती हूं "प्रत्येक परिवार से एक लड़की की बलि भगवान को देने की बुराई इस अन्ध-विश्वास पर बनी हुई है कि वह परिवार हमेशा समृद्ध रहेगा।"

पहले तो अन्धविश्वास का नाम लिया गया और यह कहा कि फैमली प्रास्पर होगी अगर एक लड़की को देवदासी बना दिया जाए। अब मेल डामीनेटेड सोसायटी में क्या खाली लड़कियां ही रह गई हैं कुरबानी के लिए। अभी हमारे भाई ने बताया कि कई दफा किसी को सपना आता है की लड़की को देवदासी बना दो तो तुम्हारे परिवार का बहुत भला होगा।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहती हूं कि--

"उस लड़की पर यह बंदिश है कि शादी नहीं कर सकती..." इससे पपले यह कहा गया है :

> "देवदासी और मुरली प्रथा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। यह बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। इस प्रथा में माता-पिता अपनी युवा लड़कियों को मन्दिर में दे देते हैं जिनको बाद में वेश्यावृत्ति की ओर झुकना पड़ता है।"

अब यह सबसे खतरनाक बात हुई। अगर वह शादी नहीं करेगी तो उसका नतीजा क्या होगा ? देवदासी बनने के बाद भी वह शादी नहीं कर सकती। जब शादी नहीं कर सकती तो इसमें

जैसा कि आपने पढ़ा है—उससे फिर प्रास्टीयूट्शन की ओर जाती है। यह देखने वाली चीज है। उनके बच्चों का क्या हाल होगा। हम बड़ी ऊंची आवाजो में कहते हैं कि आज के बच्चे देश का भविष्य है। क्या हम इन देवदासियों के बच्चों को उन बच्चों में शामिल नहीं करते। अगर हम उनको शामिल करते हैं तो क्या वजह है कि पैदा होते ही उनके ऊपर दाग लग जाता है बाप का नाम स्कूल में बताना पड़ता है। ये सब चीजें देखने वाली हैं।

आगे इन्होंने बताया कि इतनी जायदाद दी जाए, ये-ये काम इनके लिए किए जाने चाहिए। यह ठीक है, मेरी बहन ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि यह तब तक ठीक नहीं होगा जब तक सरकार इसमें आगे नहीं आएगी। जब तक सरकार नियम नहीं बनाएगी। अभी जिक्र आया-स्त्रियो में अनैतिक व्यापार दमन मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो आपने 1956 में एक्ट बनाया था, इसमें इतनी खामियां हैं कि पूरा जोर लगाने पर भी सोशल वर्कर्स को इसका कोई फायदा नहीं होता।

मैं खुद सोशल वर्कर रही हूं और अब भी हूं। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं। ये कहते हैं कि ये लोग गवाही दें जिसके सामने यह हुआ। आप मुझे बताइए कि कौन शरीफ आदमी गवाही देने जायेगा। उन बदमाशों के सामने, वे उनके पीछे पड़ जायेंगे। पुलिस और सरकार एक तरफ रह गई तो सप्रेशन आफ इंमोरल ट्रैफिक एक्ट जो है, इसमें बहुत से अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। अभी मेरे एक भाई ने कहा था कि वूमन-हुड के ऊपर सिर्फ देवदासी या प्रास्टीट्यूशन की बजाय सारा उनका हिसाब रखना चाहिए। मैं कहती हूं कि सोशल वैलफेयर मिनिस्टर साहब को कि उनका हर आसपेक्ट लेना चाहिए ताकि हर पहलू से देखकर उसमें सुधार लाया जाय। अब फिर यह सवाल पैदा होता है कि ये चीजें होती क्यों हैं। सुपरस्टीशन की बात कह दें तो वह सीधी जहालत की बात है। बैकवर्ड लोग जो सुपरस्टीशन में बिलिव करते हैं उनको ऊपर उठाने की जरूरत है दूसरी सबसे जरूरी बात जो है वह इकानामिक आसपेक्ट है। यह क्या बात है कि अच्छे घरों की लड़कियों की यहाँ वार्ता नहीं होती लेकिन जो गरीब हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनकी हालत खराब है उन्हीं के ऊपर यह चीजें आती हैं।

हमारी प्र.इम मिनिस्टर ने जो 20 प्वाइंट प्रोग्राम बनाए हैं उनके अन्दर जो बातें हों जैसे छोटे बच्चों और गरीब लोगों के लिए जो करना है, उनको इम्पलीमेंट करने में तेजी करनी चाहिए और एक्ट भी ऐसा हो जो इम्पलीमेंट हो सके नहीं तो खाली किताबो में एक्ट बनाकर रखने का कोई अर्थ नहीं है।

इसमें एक और लाईन है, यह जो बिल इन्होंने दिया है इसमें लिखा है -

"यह बुराई महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है। यह प्रथा अशिक्षा, अन्धविश्वास और लोगों की निर्धनता का परिणाम है।"

इसमें सारी बात आ जाती है क्योंकि गरीबी इज दी रूट काज। अभी मेरी बहन श्रीमती दण्डवते ने कहा था कि बम्बई में एक कान्फ्रेंस सोशल हैल्थ इन इन्डिया के बारे में हुई थी। कान्फ्रेंस के बाद मैं खुद भी वहां गई और देखा कि बम्बई में वह सीधी सड़क है, केगेस बने हुए हैं

उनमें सलाखें लगी हुई हैं और उनके पीछे लड़कियां खड़ी रहती हैं। उनकी हालत देखकर इन्सान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाराष्ट्र गवर्मेन्ट और सेन्ट्रल गवर्मेन्ट भी यहीं है। उस सड़क के ऊपर कितने हजारों केजेस हैं जहां लड़कियां खड़ी रहती हैं। उस सड़क का जो नाम उन्होंने लिया था वह मुझे याद नहीं है। उनकी इतनी बुरी हालत है कि मैं क्या बताऊं ? वहां पर गांव की और हिल्ली एरियाज की लड़कियां को बेच देते हैं। यह सब कुछ वहां होता है। जहां पर औरतें पढ़ी-लिखी नहीं हैं और जहां उनके मां-बाप उनसे यह काम कराते हैं। मिनिस्टर साहब को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है वे खुद समझते हैं इसलिए इसके बारे में अवश्य कुछ करना चाहिए। यह न हो कि खाली स्पीच देकर हमें खुश किया जाय और बाद में कुछ न हो।

श्री एम॰ सत्यनारायण राव : घेराव कर दो।

मैं घेराव में बिलिव नहीं करती। पता नहीं किस-किस का घेराव करना पड़ेगा। एक कमेटी फूल रेणु गुहा की चेयरमैनशीप में "स्टेट्स आफ वूमन" के ऊपर बनी थी। उसने अपनी कुछ सिफारिशें दी हैं। मिनिस्टर साहब हमें बताएं कि उसके ऊपर आज तक क्या एक्शन लिया गया है ? यह दो, तीन बातें जो मैंने कहीं हैं उसके बारे में बताया। बाकी समाज को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है वह खाली सरकार ही नहीं सुधार सकती। आज पार्लियामेंट के मेम्बर, लेजिस्लेटर्स और तमाम सोशल वर्कर्समिल कर अपने-अपने मोहल्लों में काम करें, अखबारों में इन ईविल्स के बारे में बतायें ताकि फ्यूडल सिस्टम के बदला के बाद जो सोशल चेंजज आ रहे हैं वह लोगों को मालूम हों। आज औरतें, जिनको पहले अबला कहते थे वह आगे बढ़ रही हैं, मिनिस्टर, पार्लियामेंट की मेम्बर, जजेज और डाक्टर्स यानी हर फील्ड में आ रही हैं जिनको देखकर हमें खुशी होती है। अगर औरतों का स्टेटसब ढ़ता है तो सोसाइटी का भी स्टेटस बढ़ता है। यह एक आम मिसाल है अगर एक औरत पढ़ी हो घर में तो सारा खानदान पढ़ा होता है। ऐसा ही गुरु नानक देव ने लिखा है क्योंकि उस वक्त फ्री औरत को बुरा भला कहा जाता था, वह कहते थे कि जिससे राजा पैदा होते हैं वह औरत कैसे अबला या कमजोर हो सकती है, क्योंकि औरत ही जन्म देती है। देश में और दुनिया में इतने बड़े-बड़े लोग पैदा हुए हैं उनको औरत ने ही जन्म दिया है। इसलिये औरत की इज्जत होनी चाहिये और ऐसे कानून लाने चाहिए जिससे उनकी हैल्प हो सके।

इतना कह कर मैं शुक्रिया करती हूं आपने मुझे बोलने का समय दिया। वैसे तो मेरा इरादा नहीं था लेकिन ऊषा जी ने जो बातें कही इसको पेश करते हुए उनको सुनने के बाद में बोले बगैर नहीं रह सकी।

प्रो सत्य देव सिंह (छपरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती ऊषा चौधरी ने जो विधेयक सामने रखा है वह अत्यन्त उपयोगी, सामयिक और समाज कल्याणकारी है। वस्तुतः हमारे समाज में स्त्रियों का स्थान नगण्य है। जो महत्व इनका होना चाहिए प्राचीन काल में जिस प्रकार नारियां हमारे देश में मर्यादित थीं, उनकी मर्यादा आज समाप्तप्राय है। यह देवदासी और मुरली प्रथा उन्मूलन का नाम सुनते थे, जानते थे। लेकिन हमारे बिहार में ऐसी प्रथा नहीं है। इसलिए

इसकी गंभीरता समझने का अवसर नहीं मिला था। लेकिन जैसा कहा गया यह तो अत्यन्त ही अमानवीय काम है। यह भारतवर्ष की पुरानी संस्कृति लिए के अत्यन्त ही अमर्यादित काम हैं। नारियां, जिनकी हम पूजा करते है समाज और परिवार में जिनका महत्व है, उनका ऐसा रूप हो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। सीता-राम, पारवती और शंकर और आज के युगमें महात्मा गांधी और कस्तूरबा, इन दोनों का जीवन धन्य है, हमारे लिये अनुकरणीय है। इसलिए भी नारी का जीवन भी उतना ही मर्यादित और गोरवपूर्ण पाते हैं जब यह हमारे लिये आदर्श स्वरूप बना था। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह कलंक जो हमारे समाज पर लगा है इसका अविलम्ब अन्त होना चाहिए। वस्तुतः सरकार और मंत्री महोदय जी यहां विराजमान हैं मैं उनसे कहूंगा इस सामाजिक कुरीति का काफी गम्भीरता के साथ अध्ययन करना चाहिए और कैसे समाज का छुटकार इससे हो सके इसके लिए सरकार सदन में एक विस्तृत विधेयक लाये ताकि समाज इससे छुटकारा पाये।

श्रीमती कृष्णा साही ने एक स्थान पर अपने विचार व्यक्त किये जब उन्होंने कहा कि विधवा को मछली, मांस खाने को वर्जित किया जाता है। हमारे समाज में उन्हें रंगीन साड़ी पहनने के लिए छूट नहीं दी जाती है। जबरन उनके बाल काट दिये जाते है। जहां पर जोर-जुल्म होता है, जबर्दस्ती की जाती है, वह घृणित कार्य है। लेकिन युग-युग से चली आरही हमारी मर्यादा है, हमारी सामाजिक रीति है सामाजिक नीति है। जब भारतीय महिला विधवा हो जाती है तो उसका जीवन वस्तुतः बड़ा ही दुभाग्यपूर्ण होता है। हमारे देश में पतिव्रता नारियां हुई हैं। हमारे देश में आदर्श चरित्रवान पुरुष हुए हैं, वह हमारे लिए अनुकरणीय हैं, स्तुत्य हैं।

जब पति का निधन हो जाता है तो नारी का जीवन कष्टमय होता है। श्रीमती कृष्णा साही स्वयं हमारे जिले से आती हैं, उनके पति श्री बी० पी० साही, आई० पी० एस० पुलिस आफीसर थे। उनका निधन 10 वर्ष पूर्व हो गया। मैं नहीं समझता कि यह कहना कहां तक उचित है। मछली मांस खाने से, आहार-विहार से हमारा विचार बनता है। अगर उस पर ऐसा मर्यादित नियंत्रण है समाज का या व्यक्तिगत रूप से तो कुछ नहीं हो सकता।

क्या हम विधवा होने के बाद संभोग करने की वृत्ति रखना चाहते हैं? तो ऐसी हालत में मछली मांस खाने का उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। अगर हम 15 वर्ष के बच्चे या बालक हैं, हमारी मां विधवा हो जाती है तो हम ऐसा नहीं देखना चाहते कि वह पुनर्विवाह करे। अगर उसकी इच्छा है, तो वह करे उसको आजादी है, स्वतन्त्रता है, लेकिन पुत्र को इसके लिए कलंकित होना पड़ता है। जब किसी की मां विधवा हो जाए और वह संभोग की वृत्ति से पुनर्विवाह करती है, उसे स्वतन्त्रता है वह करे, लेकिन हम अपनी मां बहिन को वैसा देखना नहीं चाहते। ऐसी अवस्था में जब पतिव्रता नारियों की साकार स्थिति हमारे देश में हैं, ऐसी नारियां हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया है, उनके मांस मछली खाने से उनके विचार में उत्तेजना आयेगी और संभोग की ओर प्रवृत्ति बढ़ेगी, भारत में जो मूल आदर्श है, जो जीवन-दर्शन है, वह समाप्त हो जायेगा. यहां मैं मौलिक मतभेद रखता हूं जहां पर जिस नारी की खाने की तबियत हो, पहनने की इच्छा हो, वह स्वच्छंद घूमें उन पर कोई प्रतिबन्ध न हो, लेकिन यह कहना कि पुरुष भी ऐसा हो जाये तो यह

समानता की बात होती है, समता की बात होती है, लेकिन अगर पुरुष भी अपमे जीवन को नियंत्रित या मर्यादित करे तो वह हमारे समाज में पूजित होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं । अगली बार आप पहले वक्ता होंगे ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-जारी

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बैठक का समय एक घंटा या इससे अधिक बढ़ा दिया जाए ताकि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी रख सकें ? मैं एक सूची पहले ही दे चुका हूं और आप सबसे पहले श्रीमती विद्या चेन्नुपति से आरम्भ करके शेष सदस्यों को बुला सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्यमंत्री ने निवेदन किया है चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ और सदस्य बोलना चाहते है अतः बैठक का समय 1 घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाये । क्या इस पर किसी को कोई आपत्ति है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । बैठक का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है । श्रीमती विद्या चेन्नुपति

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या अभी सभा स्थगित नहीं हो रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इसका समय 1 घंटे के लिए और बढ़ा दिया है । यदि प्रो० रंगा बोलना चाहते हैं तो वह रुक सकते हैं ।

प्रो० एन० जी रंगा : आज नहीं ।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि मुझे बोलने के लिए हमारे पार्लियमेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर श्री बूटा सिंह जी ने अवकाश दिया है ।

प्रैजीडैंट एड्रैस का मैं समर्थन करती हूं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अधिसूचना संख्या 29/83-सीमाशुल्क जो 25 फरवरी, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली ईंधनदक्ष छोटी कारों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों को, मूल्य के 25 प्रतिशत के आधारी सीमा शुल्क के आधिक्य से छूट देने के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या 29क/83- सीमाशुल्क जो 25 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली ईंधनदक्ष छोटी कारों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों को, मूल्य के 15 प्रतिशत सहायक सीमाशुल्क के आधिक्य से छूट देने के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 30/83 सीमाशुल्क जो 25 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो ईंधन-दक्ष दो पहियों वाले मोटर यानों के निर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों को मूल्य के 25 प्रतिशत के आधारी सीमाशुल्क के आधिक्य से छूट देने के बारे में है।

(चार) अधिसूचना संख्या 30क/83 —सीमाशुल्क जो 25 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो ईंधन-दक्ष दो पहियों वाले मोटर यानों के निर्माण के अपेक्षित संघटकों को मूल्य के 15 प्रतिशत सहायक सीमाशुल्क के आधिक्य से छूट देने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 5919/83]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अधिसूचना संख्या 29/83—सीमाशुल्क जो 25 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष छोटी कारों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों को मूल्य के 25 प्रतिशत के आधारी सीमाशुल्क के आधिक्य से छूट देने के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या 29क/83 —सीमाशुल्क जो 25 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन-दक्ष छोटी कारों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों

को, मूल्य के 15 प्रतिशत सहायक सीमाशुल्क के आधिक्य से छूट देने के बारे में हैं।

[ग्रंथालय मे रखें गये, देखिए संख्या एल. टी० 5920/83]

सदस्य की रिहाई

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि लोक सभा के अध्यक्ष के नाम अधीक्षक, जिला जेल, सागर, मध्य प्रदेश, का 24 फरवरी, 1983 का निम्नलिखित आशय का बेतार संदेश आज प्राप्त हुआ है :-

"श्री रामप्रसाद अहिरवार, संसद् सदस्य को, दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 151/107 116 के अन्तर्गत 23-2-83 को रिहा किया गया था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा जारी किये गये वारन्ट के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं 143/448/153 के अन्तर्गत अन्य मामले में निरुद्ध किया गया था। अब श्री रामप्रसाद अहिरवार, संसद सदस्य को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागार के आदेश से 24-2-83 को जेल से रिहा कर दिया गया है।"

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती विद्या आप जारी रख सकती हैं।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजय बड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में जो प्रोग्राम लिए गए हैं उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिया गया है। जो बीस सूत्री कार्यक्रम है उसके अन्तर्गत ड्रिंविग वाटर फैसिलिटीज, नेशनल रूरल एम्पलामेंट प्रोग्राम और शेड्यूल्ड कास्ट तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, जो वीकार सेक्शन्स हैं, उनके लिए हाउसिंग प्रोग्राम की व्यवस्था रखी गई है। ईरीगेशन फैसिलिटिज भी दी गई है। अछूत बनाकर जिस वर्ग को समाज से दूर रखा गया है, उस वर्ग के डेवलपमेन्ट के लिए स्पेशल कांपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्पेशल फैसिलिटीज दी गई हैं। समाज में वीकार सेक्शन के लिए सरकार सभी प्रकार की फैसिलिटीज दे रही है। इसके साथ - साथ मैं एजुकेशन के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहती हूं। आज कल जिस प्रकार की सुविधा दी जा रही है, उसके साथ-साथ हमें टैक्नीकल एजूकेशन भी देनी चाहिए। मैं प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरागांधी, को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने टी० वी० व रेडियो जैसे मास-मीडियमा की ओर ध्यान दिया है, जिससे देश के लोगों को बहुत फायदा होगा।

मैं एक बात यह भी कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार हमारी सरकार ने फैमिली प्लानिंग जैसे कार्यक्रम को, जो कि समाज के वैलफेयर के लिए है, सफल बनाने के लिए काफी कारगार

कदम उठाए हैं, लेकिन विरोधी दल के लोगों का यह आदर्श है कि वे उसके खिलाफ ही बोलेंगे। 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने फैमिली वैलफेयर कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया था, लेकिन माननीय सदस्य, श्री रामजेठ मलानी जी कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग कुछ नही हुआ है। मेरी दृष्टि में इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है। सरकार जो भी कार्यक्रम अपने हाथ में लेती है, वह देश के हित के लिए लेती है, और उसमें हम सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। फैमिली प्रोग्राम के तहत एक बात मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जब इस प्रोग्राम की बात की जाती है, तो रिलिजयन और गॉड बीच में आ जाते हैं। देवदासी विधेयक, जो कि सदन में विचारार्थ है, आज एक जीता-जागता उदाहरण है। कहा जाता है कि हमारा रिलीजियस है कि हमें भगवान को महिलाओं को अर्पण करना है। इसी प्रकार की बातें फैमिली कार्यक्रम के लिए कही जाती हैं। हम चाहते हैं कि देश का विकास हो। छोटे परिवार की बात इसलिए कहते हैं कि देश का विकास हो। देश की जनसंख्या 1951 वर्ष के मुताविक 36 करोड़, 10 लाख 18 हजार थी, लेकिन अब 1981 वर्ष की सैंसस के मुताबिक 68 करोड़ 38 लाख, 10 हजार है, जो कि लगभग दुगने के बराबर है। हमारी 90 परसेन्ट पापुलेशन बढ़ गई है। जब मैं बहुत छोटी थी, उस समय 100 के०जी०व्हीट का बैग दो रुपये में आता था, लेकिन आज 200 रुपये में भी नहीं मिलता है, इतने ज्यादा उसके दाम बढ़ गये हैं। लेकिन इन्कम भी साथ-साथ बढ़ती जा रही है, इण्डस्ट्रीज बढ़ गई हैं, एग्रीकलचर का काम बढ़ गया है। उस समय हम सुई भी जापान से लाते थे, लेकिन आज सुई बनाने की मशीन भी हम बनाते हैं। हमारे यहां टैकनीकल एजूकेशन बहुत बढ़ गई है। इस तरह पापुलेशन के साथ-साथ आमदनी भी बढ़ गई है।

लेकिन जब हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, पापुलेशन कन्ट्रोल की बात करते हैं तो उसमें गाड और रिलीजन सामने आ जाते हैं। जब एम्पलायमेंट की बात करते हैं और कहते हैं कि सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया, तब रिलीजन और गौड सामने नहीं आते हैं। उस समय रिलीजन और गौड कहां चले जाखे हैं? इस समय अपोजीशन के लोग नहीं बैठे हैं, मैं उनके सामने बोलना चाहती थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने मुझे इसी समय बोलने के लिए कह दिया। मुझे उम्मीद है वे मेरी स्पीच को जरूर पढ़ेंगे। आज हमारे समाज की व्यवस्था इस प्रकार की है कि सरकार तो सैकुलर नहीं है, लेकिन आम जनता सैकुलर नहीं है, उनका आउटलुक सैकुलर नहीं है। दिक्कत यह है कि हमने डेमोक्रेसी के नाम सबको अपना-अपना धर्म प्रचार करने, अपने तरीके से अपने विचारों को रखने की अपार्चुनिटी दे दी है। उसी का यह परिणाम है कि जब भी हमारी सरकार कुछ काम करने के लिये, समाज सुधार के काम को लेकर आगे आती है तो उस समय ऐसे लोग जिन का सोशल-आउटलुक नहीं है: वे धर्म और गौड की बात को लेकर आगे आ जाते हैं तथा उस काम में रुकावट डालते हैं।

इस समय जेठमलानी जी यहां उपस्थित नहीं है—मैं उन को उसी समय कहना चाहती थी कि आप जो कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। आज कल कम्यूनल रायट्स क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि हम में सैकुलर-आउटलुक कम हो गई है। अब हम स्वराज्य के लिए लड़ते थे उस समय जो भावना थी, मेरे दिल को चोट लगती है, 35 साल की आजादी के बाद वह भावना खत्म हो गई है। आज हम देश और समाज के लिए नहीं सोचते, रिलीजन और गाड के बारे में सोचते हैं, अपनी कास्ट के लिए सोचते हैं। मेरे यहां एक हरिजन

सेडयूल्ड कास्ट कालोनी को जला दिया गया। यह समाज के लिये कितने शर्म की बात है। सरकार के लिये शर्म की बात नहीं है, सरकार तो उनको प्रोटेक्शन दे रही है, समाज के लिये शर्म की बात है। हम आजादी की लड़ाई में बिना किसी भेद-भाव के, बिना किसी धर्म और जाति के, हाथ से हाथ मिलाकर लड़ते थे, लेकिन आज उस भावना को भूल गये हैं। मुझे याद है—मेरे घर में मेरे माता-पिता चले गये थे, मैं उस समय सात साल की थी, घर दूसरा कोई नहीं था। लेकिन उस समय हमारे मन में कोई दूसरा मत नहीं था, कोई कास्ट नहीं थी, हम समझते थे कि हम सब भारत के हैं—मुझे दुःख है आज वह भावना देखने में नहीं आती है। आज हम अपनी-अपनी कास्ट और अपने-अपने रिलीजअ के बारे में सोचते हैं इस डेमोक्रेही में हमारा आउटलुक सैकुलर होना चाहिए-इस दृष्टि से नहीं सोचते हैं। केवल हमारी सरकार ऐसा सोचती है। सेकूलर आउटलुक के बारे में मैं एक रेजूलूशन इसी पार्लियामेंट में आई थी। गवर्नमेंट की सेकूलर आऊट-लुक है, इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ समाज का भी सेकूलर आऊटलुक चाहिए। और उसी के साथ एक्जीक्यूटिव का भी सकूलर आऊटलुक चाहिए। हमारे कांस्टी-ट्यूशन ने लोगों को जो गारन्टी दे रखी हैं, उनके लिए सरकार कानून बना सकती है, हम यहां कानून बना सकते हैं लेकिन समाज में लोगों का तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक कि समाज की आऊटलुक न बदले। मेरे दिल को बहुत चोट लगी है और इसलिए मैं सभी से यह कहती हूं कि समाज को सुधारने के लिए हम सबको कुछ करना चाहिए। जो अच्छे कानून हैं, उन पर अमल करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे दिल पर बड़ी चोट लगती है जब मैं न्यूजपेपर पढ़ती हूं और उनमें यह पढ़ती हूं कि फलां जगह कम्युनल राट्स हुए हैं, कास्ट्स रायट्स हुए हैं। हम समाज को कैसे बदल सकते हैं। मैं यहां पर लोगों के भाषण सुनती हूं लेकिन उनमें इस बारे में बहुत कम कहा जाता है। मैं समझती हूं कि हमें समाज को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए।

हमें महिलाओं के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। लोग कहते हैं कि महिला भारत की माता है। यह तो मैं मानती हूं लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों होते हैं। सरकार उनको प्रोटेक्शन देती है लेकिन समाज उनको प्रोटेक्शन नहीं देता है। आज तक समाज महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं देगा, तब तक कैसे वे आगे आ सकती हैं। यह सही है कि कुछ महिलाएं मेम्बर बन जाती हैं और हमारी प्रधान मन्त्री जी भी एक महिला है और अपोजीशन पार्टीज में भी अुछ महिलाएं हैं और कुछ एक्जीक्यूटिव पोस्ट्स पर भी काम करती हैं लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, जो आगे नही आ पाई हैं। समाज उनको आगे लाने के लिए मेरी मदद नहीं कर रहा है। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहती हूं कि हमारी उन साथी महिलाओं को भी आगे लाने के लिए कुछ न कुछ किया जाए। महिलाओं ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं कहती हूं कि उनके लिए समाज जिम्मेनार है। जैसे सरकार की रेस्पोंसीविलिटी है वैसे ही समाज की भी जिम्मे-दारी है।

आप जानते ही हैं कि राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए क्या किया। उनको सती होने से उन्होंने बचाया। पहले जब पति मर जाता था, तो हमारा समाज उस के साथ उसकी पत्नी को भी जला देता था। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने इसके रोकने के लिए एक कानून बनवाया और सोशल रिफार्म करके

इस प्रथा को समाप्त कराया। जो राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए किया है, उनको महिलायें भूल नहीं सकतीं। इसी तरह से आजकल जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। आज के ही अखबार में मैंने पढ़ा कि 40-50 महिलाओं पर अत्याचार किया गया। हमारे भाइयों की महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने देना चाहिए इसको रोकने के लिए उनको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। यह समाज का एक प्राब्लम है और समाज को चेन्ज करने के लिए हम सभी को कुछ करना पड़ेगा।

एक बात और कहना चाहती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम हो जाता है, तो कहते हैं कि भगवान ने किया है। जब बच्चा होता है तो कहते हैं कि भगवान की देन है और उसमें हम धर्म और भगवान को ले आते हैं लेकिन जब काम देने की बात आती है, तो हम भगवान का नाम नहीं लेते। समाज के सुधार के लिए भगवान को नहीं कहते। बच्चा पैदा होता है, तो कहते हैं कि भगवान की कृपा से हुआ है लेकिन आज देश में अनाज कम है, तो नहीं कहते हैं कि भगवान इस को आकर पैदा करो और अनाज दे दो। बच्चा वह पैदा करता है, तो उसके लिए अनाज भी दे। इसलिए हमें इन सब बातों को सोच कर ही कुछ करना चाहिए।

कुछ लोग कहते हैं कि इन्दिरा जी ने कुछ नहीं किया है। मैं कहती हूं कि इन्दिरा जी ने जितना किया है, उस को सभी जानते हैं। गांवों में हम देखते हैं कि जिनका ईनकम नहीं है, उससे बहुत अधिक बच्चे पैदा हो जाते है। अब बच्चों को पालने में कठिनाई होती है। इनकम इतनी है नहीं। भगवान और रिलीजन को बीच में ले आते हैं। सारे-बहिन ऐसा बोलते हैं कि भगवान की देन है, उसको हम धन्यवाद करते है।

फेमिली प्लानिंग हमारी सोशल रिस्पांसिब्लिटी है।अगर हमारे दो बच्चों से ज्यादा हो जाते हैं तो हमारा काम कैसे चल सकता है। हमारे घर में दो के लिए खाना पकता है तो उसे हम दस को कैसे खिला सकते हैं ? इसलिए मैं कहती हैं कि हमें भगवान और रिलीजन को अलहिदा रखना चाहिए।

हमारे एक कम्यूनिस्ट भाई से बात हो रही थी। उस समय उन्होंने कहा कि खुरेशी साहब ने "हे भगवान" कहा था। खुरेशी जी जी०एस०एस०आर० के नेता थे। उस समय उन्होंने पूछा कि "आप भगवान का नाम कैसा लेते हैं।" तो उन्होंने कहा कि भगवान कहना आदत पड़ गयी है। कम्यूनिस्ट भाइयों के लिये भी भगवान का नाम लेना एक आदत बन गयी है।

हमारे देश में समाज सुधार के लिए जो कानून बनते हैं उन पर ठीक से काम होना चाहिए अगर सरकार काम करती है लेकिन समाज को नहीं सुधारती है तो समाज आगे नहीं चल सकता हमारे यहां समाज सुधार के जितने भी कानून बनते हैं उनके लिए हमारे पीपुल्स रिप्रेजेन्टेटिव की भी जिम्मेदारी है, संसद सदस्यों की भी रिस्पांसिब्लिटी है कि उनके अमल के काम को देखे।

समाज सुधार के कानूनों पर अमल करने के वक्त हमें गाड और रिलीजन को अलग रखना चाहिए। यह मुझे इसलिए कहना पड़ा है कि सरकार जो कानून बनाती है वह सबके वेल्फेअर के लिए बनाती है। उन पर अमल करते समय रिलीजन को, भगवान को अलग रखना चाहिए।

जब हम उन पर अमल करने में भगवान और रिलीजन को आगे लाकर रख देते हैं तो उन पर अमल नहीं हों पाता है ।

हम फण्डामेंटल राइट्स की बात करते हैं लेकिन हम अपनी ड्यूटीज को भूल रहें हैं । जब मैं राइट्स के लिए पूछती हूं तो मैं यह भी पूछती हूं कि हमारी ड्यूटीज क्या है ।

समाज में काम करने के लिए ड्यूटीज की बड़ी जरूरत होती है। हमें अपनी डवलपमेंट एक्टीविटीज से रिलीजन और गाड को अलग रखना चाहिए ।

हमारी यहां डेमोक्रेटिक सेट-अप है, डिक्टेटरशिप तो है नहीं । इसलिए हमारी गवर्नमेंट आम जनता की भलाई के लिए सोचने पर मजबूर है और हमारे जनप्रतिनिधि भी आम जनता के लिए सोचने पर मजबूर हैं । मेरा कहना यहीं है कि फैमिली प्लानिंग की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए । पूरे समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक है । हमारी प्रधान मन्त्री जी ने यह प्रोग्राम लिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हू ।

एक और बड़ी सफलता हमको एशियन गेम्स की मिली है । इसके लिए हमको चुनौती दी गई थी, जिसका हमने सफलतापूर्वक सामना किया है । इस सफलता के लिए मैं श्री बूटासिंह जी को जो उस समय चेयरमैन थे, धन्यवाद देना चाहती हूं । श्री बूटा सिंह जी की बैंक बोन श्रीमती इन्दिरा जी हैं, जिनके सहारे ये सारी सफलता मिली है । उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं और उसमें लगे हुए सारे आफीसर्स और लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं ।

अब हमारे यहां नान एलायमेंट के लिए जो इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है वह भी सफलता पूर्वक संपन्न होगा । इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी । और यह सब इन्दिरा जी की ताकत है जिनकी वजय से यह सब कार्य सफलतापूर्वक हो रहे हैं ।

आजकल हमारे देश में रीजनलिज्म, काम्युनज्मि बहुत बढ़ रहा है । भाषा के नाम पर चुनाव बड़े जा रहे हैं और प्रान्तीय पार्टियां बन रही हैं । यह देश की उन्नति के लिए ठीक नहीं है । आज बहुत से प्रदेशों में भाषा के नाम पर सरकारें चल रही हैं अगर इप तरह से सभी राज्यों में भाषा के नाम पर पार्टियां बनेंगी और सरकारें बनेंगी तो इस देश का क्या होगा । इस रीजन-लिज्म को रोकना चाहिए, नहीं तो हम देश को 300 साल पहले ले जाएंगे । आज हमारे अन्दर वही राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए । हम सबको मिलकर देश के लिए काम करना चाहिए ।

अंत में यह कहकर समाप्त कर रही हूं कि ये सारे काम हमारे देश की नेता इंदिरा जी के द्वारा हो रहे हैं, और आगे भी जो काम होने हैं । वे भी इंदिराजी कर सकती हैं, वे सबको एक रास्ते पर चला सकती है । उनके सहारे जो सफलताएं प्राप्त हुई हैं उनके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूं । मैं डिप्टीस्पीकर साहब को भी बधाई देना चाहती हूं । कि उन्होंने इतना समय दिया और सभी माननीय सदस्यों और मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहती हूं ।

श्री कुंवर राम (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव

इस सदन के समक्ष आया है, उसके समर्थन में मैं कुछ शब्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुंवर राम, आप अगले दिन जारी रख सकते हैं ।

श्री राम प्यारे पनिका : मेरे नाम का क्या बना ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम है । आपको बुलाया जायेगा । श्री कुंवर राम आप अगले दिन जारी रख सकते हैं । उस दिन आप पहले वक्ता होंगे ।

---

636 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 28 फरवरी 1983/9 फाल्गुन 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

प्रबन्धक, आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पण्डित रामचन्द्र देहलवी मार्ग,
दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित ।